लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
Second Session

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 48, बुधवार, 28 जुलाई, 1971/6 श्रावण, 1893 (शक)

No. 48, Wednesday, July 28, 1971/Sravana 6, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र.संख्या./S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1411.	भारतीय नागरिकता के लिये अनुरोध करने वाले विदेशी नागरिक	Foreign Nationals seeking Indian Nationality.	1–4
1412.	पश्चिम बंगाल के मामलों के केन्द्रीय मन्त्री द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक	Meeting of Political Parties Called by Central Ministers for West Bengal Affairs.	4–9
1413.	तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र का विस्तार	Expansion of Tarapore Nuclear Power Station.	9
1414.	बंगला देश के सम्बन्ध में मुस्लिम सम्मेलन	Muslim Convention on Bengla Desh.	9–11
1415.	फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए आचार संहिता	Code of Conduct for Film Censor Board.	12–13
1416.	पंजाब में बिना मुकदमा चलाये गोली से मार दिये गये व्यक्ति	Persons Shot Dead without Trials in Punjab.	13–14
1417.	कलकत्ता में दूर-संचार व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति	Deterioration in Calcutta Telecommunication System. ...	14–15
1418.	अश्लील चलचित्रों तथा प्रकाशनों का परिचालन	Circulation of Blue Films and Pornographic Publications.	16–17
1421.	पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विशेष निकायों की स्थापना	Setting up of Special Bodies to Implement Special Schemes in Backward Regions.	17–21

---

* किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–(जारी)/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1424. लन्दन को चाय के सीधे निर्यात में कमी	Reduction in Direct Shipment of Tea to London. ...	21-
1425. कन्नानौर स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स के माही युनिट का बन्द होना	Closure of Mahi Unit of Cannanore Shipping and Weaving Mills.	21-22
1426. बालमेर लौरी टी वेयर-हाऊस,कलकत्ता का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Takeover of Balmer Lawrie's Tea Warehouse, Calcutta.	22–23
अल्प सूचना प्रश्न	**Short Notice Question**	
6. ग्वालियर के समीप काली सिंध योजना को अन्तिम रूप दिया जाना	Finalisation of Kali Sindh Scheme near Gwalior.	23-24
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. संख्या/S. Q. No		
1381. आंध्र प्रदेश में ट्रैक्टर का कारखाना	Tractor Factory in Andhra Pradesh.	24–25
1382. जेट चालित रेलगाड़ियों के लिये रूपरेखा तैयार करना	Blue Print for Jet-Propelled Trains.	25-
1383. शिशु आहार का मूल्य	Price of Baby Food.	25-
1384. रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन	Re-organisation of Railway Protection Force	25-26
1385. माल डिब्बों के निर्माण के लिये रेलवे वर्कशापों को मिलने वाले आर्डरों में कमी	Reduction in the Orders for Construction of Wagons by Railway Workshops.	26-
1386. माल डिब्बों में चोरी रोकने का तरीका	Anti-Theft Devices for Wagons.	26-27
1387. कल पुर्जों के चोरी हो जाने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में "बेकार" हुए माल डिब्बे	Wagons Rendered "Sick" due to Theft of Parts (North Eastern Railway).	27-

1388. रेलवे महाप्रबन्धकों को प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार देना	Delegation of Administrative and Financial Powers to General Managers of Railways.	...	...	27-
1389. शीशे की चादर (शीट-ग्लास) के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Sheet Glass.	...	...	27-28
1390. दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दर में वृद्धि	Increase in Rate of Electricity Supplied by D. V. C.	..	...	28-
1391. पश्चिम बंगाल में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in West Bengal-	—		28-
1392. कोयले का वजन न किया जाना	Proper Weighing of Coal	...	..	29-
1393. चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित इंजन	Locomotives manufactured by Chittaranjan Locomotive works.	...		29-30
1394. लघुसिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव	Orissa Government's Proposals regarding Minor Irrigation Projects.	...	...	30-31
1395. बिहार में सिंचाई क्षमता के लिये सर्वेक्षण	Survey for Irrigation Potential in Bihar.	—		31-
1396. गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन पर हड़ताल	Strike at Gangapur City Railway Station.	...	...	31-
1397. कागज का वितरण	Distribution of Paper	...	...	32-33
1398. केरल में लघु उद्योग क्षेत्र में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small-Scale Industries in Kerala	...	...	33-
1399. लाइसेंसों के लिये पंजाब से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन पत्र	Pending Applications from Punjab for Licences.	...	...	33-34
1400. गंगा नदी के बांधे तट पर फरक्का बांध के भाग के रूप में चढ़ाव बांध (एफ्लक्स बन्द) का निर्माण	Construction Afflux Bund on left Bank of Ganga as Part of Farakka Barrage.	...		34-
1401. जोनल और डिवीजनल स्तरों पर रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों के चयन की कसौटी	Criteria for selection of Members for Railway Users' consultative Committees at Zonal and Divisional Levels.			34-35

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
1402. कथुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन	Railway Line From Kathua to Jammu.	35-
1403. विदेशों में रेलवे विशेषज्ञों की सेवाओं का उपलब्ध किया जाना और रेलवे के विकास कार्यक्रमों का आरम्भ किया जाना	Providing of Expert services and undertaking development Programmes of Railways in Foreign Countries. ..	35-
1404. भटिंडा स्थित तापीय संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिये पंजाब सरकार का अभ्यावेदन	Representation by Panjab to increase Capacity of Thermal Plan at Bhatinda ...	35-36
1405. बढ़िया किस्म के इन्सूलेटिंग कागज का उत्पादन	Manufacture of Quality Insulating Papers ...	36-
1406. सिंचाई के प्रयोजनार्थ पश्चिमी घाटों का सर्वेक्षण	Survey of Western Ghats for Purposes of Irrigation ..	36-37
1407. तार भेजने के लिए हिन्दी में सांकेतिक शब्द बनाना	Coining of Code Words in Hindi for sending Telegrams	37-
1408. आंध्र प्रदेश द्वारा तमिलनाडु स्थित नेवेली परियोजना में उत्पादित बिजली में हिस्से का दावा	Andhra Pradesh Claiming Share in Power Generated at Neyveli Project in Tamil Nadu ...	37-
1409. कागज की मिलों की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Paper Mills ...	37 38
1410. वर्षा के कारण राजस्थान में हुई हानि	Damage caused in Rujasthan due to Rains	38-
1420. बारासात; पश्चिम बंगाल में की गई आठ नवयुवकों की हत्या की जांच	Investigation into murder of 8 youngmen at Barasat (West Bengal)	38-
1422. लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर को सरकारी अधिकार में लिया जाना।	Takeover of Laxmi Rattan Cotton Mills Ltd, Kanpur ...	39-
1423. तांबे के आयात के लिए जाम्बिया के साथ करार	Agreement with Zambia for Import of Copper.	39-

1427. पश्चिम बंगाल में जासूसी की गतिविधियों के संबंध में की गई गिरफ्तारियों के बारे में मुस्लिम लीग के महामन्त्री और मजलिस-ए-तामीर मिल्लत के अध्यक्ष का कथित वक्तव्य — Alleged Statement made by General Secretary of Muslim League and President of Majlis-e-Tamir Millat re; arrests made for Spying Activities in West Bengal ... 39-40

1428. बम्बई पत्तन पर लम्बे रेशे की रुई की गांठों का जमा हो जाना — Accumulation of Cotton Bales of Staple Fibre at Bombay Port — — 40-

1429. पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति — Law and order situation in District Birbhum (West Bengal) 40-41

1430. लेटिन अमरीकी देशों में भारतीय माल के लिए बाजार — Markets for Iadian Goods in Latin American Countries 41-

1431. रबड़,चाय और इलायची के बागानों का राष्ट्रीयकरण — Nationalisation of Rubber, Tea and Cardamom Plantations 41-42

1432. "रीडर्स डाइजेस्ट" में सरकारी विज्ञापन — Government Advertisements in Readers Digest — ... 42-43

1433. सिंगापुर में लाखों डालरों की लागत का कारखाना स्थापित करने के लिये टाटा बन्धुओं द्वारा बातचीत — Negotiations by Tatas for Setting up Multi-million Dollar Factory in Singapore -- ... 43-

1434. कलपक्कम परमाणु शक्ति कारखाने में आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा — Share of Andhra Pradesh in Kalpakkam Atomic Power Plant ... 43-

1435. पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में दो सरकारी कार्यालयों पर छापे — Raid on two Government Offices in 24 Parganas District, West Bengal ... — 43-44

1436. पूर्वी राज्यों में बंगला देश के शरणार्थियों के रूप में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ — Indiltration of Dodbtful Elements in the Garb of Bangla Desh Evacuees in Eastern States 44-

ता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1437. भारत और यूगोस्लाविया के बीच नया व्यापार करार	New Trade Agreement between India and Yugoslavia	44-45
1438. आसाम द्वारा मिजो पहाड़ियों के छोंड़े जाने के सम्बन्ध में आसाम के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Assam Chief Minister's statement regiving up of Mizo Hills by Assam	45-
1439. पकड़धकड़ के लिए हिन्दुस्तान मोटर फैक्ट्री उत्तर पाड़ा, हुगली का घेरा जाना	Alleged Surrounding of Hindustan Motors Factory of Uttarpara, Hooghly for Combing Operation	45-
1440. राजधानी में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalie Activities in the Capital ...	45-46
अता. प्र. सं./U.S.Q.Nos.		
5995. सूती कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण	Production of textile machinery.	46-
5996. हल्दी के वायदा व्यापार पर रोक	Ban on Forward Trading in Turmeric	46-47
5997. धाराओई बांध परियोजना, गुजरात	Dharaoi Dem Project, Gujarat	47-
5998. उद्योगों की स्थापना के लिये आसाम लघु उद्योग विकास निगम और आसाम बड़े उद्योग विकास निगम को लाइसेंस देना	Licences to Assam Small Industrial Development Corportion and Assam Major Industrial Development Corporation for setting up of Industries.	47-48
5999. तिनसुकिया और लुमडिंग (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण	Over-bridges at level crossings of Tinsukia and Lumding Division (Northeast Frontier Railway).	48
6000. रेलवे की गृह निर्माण सहकारी और उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता देना	Assistance to Housing Cooperatives and Consumers' Cooperative Societies on Railways. ...	48-49
6001. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आसाम को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance from Rural Electrification Corporation for Assam.	49-

6002.	भारतीय रेलवे का सुरक्षा संगठन	Safety Organisation on Indian Railways.	... ...	49-50
6003.	भाखड़ा बांध प्रबन्धक बोर्ड अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के अस्थायी मकानों का गिराया जाना	Dismantling of hutments of workers by Bhakra Dam Management Board Authorities.	... —	50-
6004.	अधिकारियों द्वारा शिमला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण	Inspection of Simla Railway Station by Officers.	— ...	50-51
6005.	संगचल कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Running Staff.	... ...	51-
6006.	पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनायें	Power Projects Proposed by Punjab Government.	.. ...	51-52
6007.	केरल में निर्माणाधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनायें	Centrally Aided Power Projects under Construction in Kerala.	... ...	52-53
6008.	केरल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Kerala	—	53-54
6009.	केरल के क्विलोन जिले का विकास	Development of Quilon District of Kerala.	— ...	55-
6010	मालडिब्बा निर्माण उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता	Wagon Building Industry Facing Idle Capacity.	... ...	55-56
6011.	पश्चिम रेलवे पर मंदसौर जिले में यात्री गाड़ी का हंसपुर में रुकना	Halt of Passenger Train at Hanspura Railway Station, Mandsaur on Western Railway.	... ...	56-
6012.	एक तरल सल्फयूरिक डायाक्साइड संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Liquid Sulphuric Dioxide Plant.	...	56-
6013.	बच्चों के लिये डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों के मूल्य का पुनः निर्धारित किया जाना।	Refixation of Price of Tin Food for Children.	— ...	56-57
6014.	रेलवे प्रशासन द्वारा उत्तर रेलवे के खुर्जा स्टेशन पर स्थित निजी दुकानों का अधिग्रहण	Acquisition of Private Shops Located at Khurja Junction on Northern Railway by Railway Administration.	... ..	57
6015.	रेलवे में फार्मेसिस्टों का फालतू पद	Surplus Posts of Pharmacists on Railways.	...	57

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

6016. पश्चिम बंगाल विधान-सभा के चुनाव	Elections to West Bengal State Assembly.	57-
6017. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से कैल्शियम कार्बाइड का आयात	Import of Calcium Carbide through S. T. C.	57-58
6018. देश में कैल्शियम कार्बाइड के उत्पादन में वृद्धि	Expansion of Indigenous Production of Calcium Carbide.	58-
6019. ऑक्सीजन सिलेण्डरों की मांग, आयात और उत्पादन	Demand, Import and Production of Oxygen Cylinders.	58-59
6020. कम कीमत के ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractor at low price	59-
6021. दिघा, पचिम बंगाल में समुद्र तट के कटाव को रोकने सम्बन्धी उपाय	Anti-Sea Erosion Measures taken to save Sea-Beach of Digha, West Bengal. ...	59-
6022. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल अध्यापकों को मत देने का अधिकार	Voting right to School Teachers in Teachers' Constituency.	59 60
6023 रासायनिक नमक की लागत और बिक्री मूल्य	Cost and selling price of Chemical salt.	61-
6024. बैहाला के इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स वर्क्स का पुनः खोला जाना	Reopening of India Electronics works of Behala. ..	61-
6025. आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (दक्षिण मध्य रेलवे) के पदाधिकारियों को आरोप-पत्र दिया जाना	Charge-Sheet Served on Office bearers of All India Loco Running Staff Associon (South Central Railway)	61
6026. प्रत्येक जोनल रेलवे में 185 रुपये के वेतन पर रुके श्रेणी दो के क्लर्क	Clerks Grade II Blocked at Rs. 185 on each Zonal Railway.	61
6027. आंध्र प्रदेश में नई औद्योगिक परियोजनाएं	New Industrial Projects in Andhra Pradesh. ...	61-62
6028. पूर्व रेलवे आसनसोल, सियालदह और हावड़ा डिवीजनों तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा और खड़गपुर डिवीजनों में रिक्त पद	Vacant Posts in Asansol, Sealdah and Howrah Divisions of Eastern Railway and Adra and Kharagpur Divisions of South Eastern Railway. ... —	62

6029. सियालदह आसनसोल और दानापुर डिवीजनों (पूर्वी रेलवे) के कैरेज और वैगन कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Carriage and wagon staff of Sealdah, Asansol and Danapur Divisions (Eastern Railway). ... —	62
6030. दक्षिण पूर्वी रेलवे के सवारी और माल गाड़ी डिब्बों की अन्य रेलवे के वर्कशापों में मरम्मत	Overhauling of Coaches and Wagons of South Eastern Railway in other Railways workshop. — ...	62-63
6031. खडगपुर और सियालदह डिवीजनों (दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे) में चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के आर्टिजन कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV and Class III Artisan Staff in Kharagpur and Sealdah Divisions (South Eastern and Eastern Railways).	63
6032. रेलवे विभागों में 'हिन्दी टेलीग्राफ टेस्ट' पास करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि देना	Advance increament for Passing Hindi Telegraphy Test in the Railway Departments. —	63
6033. रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार रेलवे कर्मचारी	Railway Employees apprehended for Stealing Railways Property.	63-65
6034. दक्षिण मध्य रेलवे के कालम मरमागांव सेक्टर पर सवारी गाड़ियों का चलाया जाना	Running of passenger trains along Collem-Mormagao Sector on South Central Railway. — ...	65
6035. रेलवे में विशेषज्ञों और प्रबन्धकों के पदों का वर्गीकरण	Classification of posts (specialisation and managerial) in Railways. ... —	65
6036. रेलवे लाइनों के टूट जाने के कारण ट्रेन सेवाओं का अस्तव्यस्त हो जाना	Dislocation of train services due to breaches in Railway lines.	65-66
6037. टिम्बर पर आधारित मालाबार के उद्योग	Timber-based industries in Malabar.	66
6038. उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आपत्ति के बारे में विवरण	Statements of assets of Judges of High Courts and Supreme Court. — ...	66

6039. पश्चिम बगाल और बिहार की तापीय विद्युत प्रजनन क्षमता तथा दामोदर घाटी निगम पर घटिया किस्म के ईंधन के प्रगोग के कारण बुरा प्रभाव	Thermal generating capacity in West Bengal, Bihar and D. V. C. system affected due to High ash Content and low grade fuel. ...	66-67
6040. स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेलों का निर्माण	Manufacture of Storage Batteries and dry cells.	67
6041. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बिजली की सप्लाई पर मतभेद	Differences between Madhya Pradesh and Uttar Pradesh over supply of Electricity. ...	67-68
6042. कोटशिला पुरलिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Kotshila-Purulia narrow guage line into board guage.	68
6043. बोरसिंहपुरा स्टेशन पर रेलवे पुल	Railway beridge at Birsinghpur Station. ...	68
6044. कोयले का वजन करने सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन के निष्कर्ष	Findings of the report of Inquiry Committee on Weighing of coal.	68-69
6045. पश्चिम रेलवे में लूट की घटनायें	Incidents of looting on Western Railway.	69
6046. मध्य रेलवे में घेराव, जंजीर खींचने आदि की घटनायें	Incidents of Gherao, Chain Pulling etc. on Central Railway.	69
6047. स्टेण्डर्ड मोटर्स द्वारा औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता की मांग	Demand by Standard Motors for Financial Assistance from Industrial Development Bank. — ...	70
6048. रेलवे प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति	High powered Committee set up to tone up Railway Administration.	70
6049. वर्षा के कारण मालाबार क्षेत्र में जन हानि	Casualties in Malabar Region due to rains. ...	70-71
6050. कलकत्ता में वृहत परिवहन सुविधाओं के बारे में रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट	Report of Russian Experts on mass Transportation facilities in Calcutta.	71

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. No.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
6051. उपयोग न किये गये टिकट की धनराशि लौटाने में विलम्ब	Delay in refund of money in respeect of unused Railway Tickets.	71-72
6052. इस्पात कारखानों में माल डिब्बों का रोक लिया जाना	Detention of wagon in Steel Plants-	72-73
6053. उड़ीसा स्थित बालासौर जिले के भोगाराई क्षेत्र में बाढ रोकने के लिए जल विकास व्यवस्था	Drainage in Bhogarai areas of Balasore District Orissa, to check Floods.	73
6054. पश्चिम रेलवे पर 234 यात्री रेलगाड़ी को सीकर से जयपुर तक बढ़ाने के बारे में ज्ञापन	Memorandum Re. Extension of 234 Passenger Train from Sikar to Jaipur on Western Railway.	73
6055. बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार	Employment to Unemployed Engineers. — ...	73-74
6056. सिविल सप्लाई संगठन द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि के बारे में ध्यान रखना।	Watch by Civil Supplies Organisation over rise in prices.	74-75
6057. सरकार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Sarkar Commission.	75
6058. क्विलोनत्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजनल कार्यालय की स्थापना	Setting up of Railway Divisional Office at Qualion/Trivandrum.	75-76
6059. दोहद वर्कशाप (पश्चिम रेलवे) की पीतल की छीलनों की नीलामी	Auction of Brass Scrap belonging to Dohad Workshop (Western Railway).	76
6060. कोटा डिविजन के कर्मचारियों को साफ किये गये जल की सप्लाई	Supply of Filtered water to Employees of Kotah Division.	76
6061. कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) से राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Gazetted Officers from Kotah Division (Western Railway).	76
6062. बंगलोर स्थित गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्टरी को ऋण	Loan to Government Electric Factory, Bangalore.	76

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO OUESTIONS-Contd.

6063.	लघु उद्योगों के बारे में लोकनाथन समिति की सिफारिशें	Recommendation of Lokanathan Committee on Small Scale Industries.	76-78
6064.	बिहार में रेलवे सेवा आयोग की स्थापना	Setting up of Railway Service Commission in Bihar.	78
6065.	पांचवीं लोक-सभा के चुनावों के सम्बन्ध में चुनाव याचिकायें	Election Petitions in connection with elections to Fifth Lok Sabha.	78-79
6066.	सुरक्षा संगठन (दक्षिण रेलवे) में कर्मचारियों की संख्या	Strength of Safety Organisation (Southern Railway). — ...	79
6067.	पटना सिटी रेलवे स्टेशन के निकट 'क्रासिंग' पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of over head bridge at the crossing near Patna City Railway Station. ...	79
6068	आयोडीकृत नमक का निर्माण	Manufacture of Iodised salt.	79-80
6069.	बिहार में पाईमार नहर योजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Paimar Canal Scheme in Bihar.	80
6070.	अलीपुरद्वार जंक्शन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Employees of Alipur Duar Junction (Northeast Frontier Railway).	80-81
6071.	एरणाकुलम जंक्शन, केरल में लाइसेंसधारी कुली संघ की ओर से अभ्यावेदन	Representation from Licensed Porters' Union Eranakulum Junction, Kerala on Southern Railway.	81
6072.	काश्मीर घाटी के लिये 'मिनी रेलवे'	'Mini Railway' for Kashmir Valley. — ...	81
6073.	जम्मू और काश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना कार्यक्रम में प्रगति	Progress on Salal Hydro-Electric Project in Jammu and Kashmir.	81-8
6074,	पश्चिम बंगाल में कच्चे माल की कमी	Shortage of raw Materials in West Bengal.	82
6075.	पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up of Industries in West Bengal. — ...	83

6076. मध्य प्रदेश में शक्ति चालित टिलरों के लिए कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories for Power Tillers in Madhya Pradesh.	83
6077. मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Madhya Pradesh.	84
6078. खाण्डवा तथा बुरहानपुर रेलवे स्टेशनों पर अर्जित राजस्व	Revenue earned at Khandwa and Burhanpur Railway Stations.	84
6079. पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग सामान का उत्पादन	Production of Engineering Goods in West Bengal. — ...	84-85
6080. अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए योजना	Scheme to irrigate additional land.	85
6081. लघु उद्योग क्षेत्र में साइकिलों, घड़ियों के पुर्जों का निर्माण	Manufacture of parts of Cycles, watches in small scale sector.	85
6082. वरिष्ठ लेखा कार्यालय (एफ० टी० ए०) दिल्ली किशनगंज में विभागीय स्नातकों के लिये कोटा	Quota for dupartmental Graduates in Senior Accounts Office (FTA) Delhi Kishan Ganj ...	85-86
6083. हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इडिया) लिमिटेड भोपाल में भाप और पन-बिजली जनन एककों की क्षमता	Capacities of steam and Hydro power generating units in Heavy Electricals (India) Limited, Bhopal. ... —	86-87
6084. बड़ौदा के बड़वाह तक ई० एच० टी० ट्रांसमिशन लिंक लाइन का निर्माण	Construction of Baroda to Burwaha E.H.T. Transmission Link Line. ... —	87
6085. गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना	Speeding up of trains.	87
6086. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड के उत्पादन में वृद्धि	Increased Production in Hindustan Photo Films Manufacturing Limited,Ootacamund. ...	87-88
6087. सिगुनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन से प्राप्त अभ्यावेदन को मंजूरी न दिया जाना	Non-acceptance of representation from Signal and Telecommunication staff Association ...	88

6088. रेलवे वर्कशाप, जमालपुर (पूर्व रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारी — Employees working in Railway workshop, Jamalpur (Eastern Railway). 88

6089. नामसाई जिला लोहित (नेफा) में आसाम सॉ मिल्स और टिम्बर कंपनी लिमिटेड को हुई हानि — Loss incurred to Assam saw Mills and Timber Company Limited at Namsai in District Lohit (NEFA). ... — 89

6090. 'नेफा' के सीमावर्ती क्षेत्र को बिजली देने का प्रबन्ध — Provision of power to Border Area of NEFA ... 89-90

6091. पोटानियम क्लोरेट की मांग, खपत और उत्पादन — Demand, Production and consumption of Potassium Chlorate. 90-91

6092. मैसूर के तुमकुर जिले के लिए हेमावती और येगाची नदियों से पानी लेना — Drawing of waters from Hemavati and Yegachi rivers to Tumkur district of Mysore 91

6093. 'वायरलेस ओपरेटर्स' और 'टेलीप्रिंटर आपरेटर्स' (दक्षिण रेलवे) के कार्यों में अन्तर — Difference in the performance of duties by Wireless Operators and Teleprinter Operator (Southern Railwa). 91-92

6094. वायरलेस औपरेटरों (दक्षिण रेलवे) का पुर्नवर्गीकरण करने के लिए उनके कार्य का विश्लेषण — Job-analysis for reclassification of duties of Wireless Operators (Southern Railway) ... 92-93

6095. 'टेलीप्रिंटर्स' के कर्तव्यों को 'अत्यधिक माना जाना — Teleprinter Operators' duties as "Intensive' ... 93

6096. मद्रास केन्द्रीय तार घर (दक्षिण रेलवे) के अतिरिक्त 'वायरलैस आपरेटर्स' की सेवाओं का उपयोग — Utilization of services of surplus wireless operetors, Madras Central Telegraph Office (Southern Railway) 93-94

6097. मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के कोतरा स्टेशन पर गार्डों को लूटे जाने की घटनायें — Incidents of looting of guards on Kotra station of Jhansi Division on Central Railway 94

6098. मध्य रेलवे के रीजनल कैश आफिस' झांसी में कम पायी गयी नकद राशि	Cash found short at Regional Cash office, Jhansi, on Central Railway ... —	94
6099. रेलवे में क्लर्कों; टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति की प्रणाली	Channel of promotion of Clerks, Typists and Stenographers on Railways	95-96
6100. विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि की प्रतिशतता	Percentage rise in scales of pay of different categories of Railways employees ... —	96
6101. दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे इन्जनों आदि के कलपुर्जों की समुचित जांच	Proper examination of components of rolling stock to avoid accidents — ...	96-97
6102. भारतीय रेलवे में टाइपिस्टों को अतिरिक्त पारिश्रमिक	Extra remuneration to Typists on Indian Raliways —	97-98
6103. सिगनल और दूरसंचार विभाग के खलासियों को वर्दियों की सप्लाई	Supply of Uniforms to Khallasis of Signal and Telecommunications Department ...	98
6104. तंजौर जिले में सिंचाई के चैनलों की मरम्मत के लिये तमिलनाडु से योजना	Scheme from Tamil Nadu to repair Irrigation channels in Tanjore district — ...	98-99
6105. विस्फोटकों पर नियंत्रण	Control over explosives	99
6106. बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं जिनकी सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई	Major and medium irrigation schemes not getting clearance from Government ...	99-100
6107. रेलवे के गोवा सैक्टर में उपरि पुल	Over Bridges along the Goa sector of Railways	101
6108. सभी जोनल रेलों में सहायक इन्जीनियरों (ट्रैक) को नियुक्ति	Posting of assistant Engineers (Track) on all zonal Railways ... —	101
6109. ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of tractors ... —	102
6110. डीजल, भाप तथा बिजली के इन्जनों पर कार्य करने वाले ड्राइवरों की उपयुक्तता	Suitability of drivers working on Diesel, steam and Electric Locomotives ...	102

6111. रिहन्द बांध जलाशय में बिजली बन्द होने के फलस्वरूप, गोरखपुर वाराणसी, इलाहाबाद, मिरजापुर, आदि में औद्योगिक एककों को हानि	Loss to industrial units in Gorkhpur, Varanasi, Allahabad, Mirzapur etc. due to breakdown in the Rihand Dam reservoir	102-103
6112. अहमदाबाद-दिल्ली ऐक्स-प्रेस तथा मालगाड़ी के बीच दुर्घटना	Railway accident between Ahemdabad Delhi Express Ttain and Goods Train ...	103
6113. रेल दुर्घटनायें	Railway accidents	103
6114. पश्चिम रेलवे के जयपुर लोहारु सैक्शन के नवल-गढ़,झुनझुनु और चिरावा-स्टेशनों पर शैडों का निर्माण	Construction of sheds at Navalgarh, Jhunjhunu and Chirawa stations of Jaipur-Loharu section on Western Railway	103-104
6115. पश्चिम रेलवे के लोहारु-जयपुर सैक्शन झुनझुनू स्टेशन को इन्जनों में पानी डालने वाले स्टेशनों में बदला जाना	Scheme to convert Jhunjhunu station of Loharu-Jaipur section on Western railway into a watering station ...	104
6116. पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता	Idle capacity in the capital Goods industries ...	104
6117. रेलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों के कार्या-लयों का पुनर्गठन	Re-organisation of railway Board and Zonal Railway Headquarters Office ...	104-135
6118. पूर्व रेलवे के हजारी बाग रेलवे स्टेशन का सुधार	Improvement of Hazaribagh Station on Eastern Railway	105
6119. पूर्व रेलवे के गया अथवा धनबाद रेलवे स्टेशनों पर राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का रुकना	Halt for Rajdhani Express at Geya or Dhanbad Junction on Eastern Railway ...	105
6120. विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा नियोजित स्थायी सलाहकार	Standing counsels engaged by the Ministry of Law and Justice	105-106
6121. विधि तथा न्याय मंत्रालय के स्थायी सलाहकारों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र	Certificates issued by standing counsels engaged by the Ministry of Law and Justice	106

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

6122. रेलवे की कर्मचारियों सम्बन्धी नीति	Personnel Policy of Railways ...	106-107
6123. आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए नदी परियोजनाओं की स्वीकृति	Approval of river projects for Assam, Meghalaya and Tripura	107
6124. आन्ध्र प्रदेश में भारी उद्योग	Heavy Industries in Andhra Pradesh ...	108
6125. आन्ध्र प्रदेश में मध्यम दर्जे के उद्योग	Medium scale industries in Andhra Pradesh	108
6126. रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लघन	Violation of Customs Act and Foreign Exchange Regulations by Nawab and Begum of Rampur	108-109
6127. बाग सामग्री, फल, बीज आदि की बिक्री के लिये केन्द्रीय कुटीर उद्योग ऐसोसियेशन नई दिल्ली और गैर-सरकारी फर्म के बीच करार	Agreement between Central Cottage Industries Associations New Delhi and Private Party for sale of Garden Equipment, Flowers, Seeds etc. ...	109-110
6128. नवगांव कोआपरेटिव जूट मिल्स लिमिटेड से करघे की क्षमता बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र	Application from Nowgong Co-operative Jute Mills Ltd. for raising Loom capacity	110
6129. शिक्षा मंत्रालय से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् का विदेश मंत्रालय को हस्तान्तरण	Trynsfer of Indian Council of Cultural relations from Education Ministry to External Affairs Ministry	110
6130. फास्ट रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास	Development of Fast Reactors and Fast Breeder Reactors	110-111
6131. शक्ति चालित करघों के लिए केरल सरकार का अनुरोध	Request by Kerala for powerlooms	111
6132. त्रिवेन्द्रम (केरल) के जी. पी. ओ. के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें	Housing facilities to Employees of G.P.O. Trivandrum (Kerala)	111-112

6133.	चौथी योजना के दौरान केरल को दी गई सहायता	Assistance given to Kerala during Fourth Plan ... —	112
6134.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना द्वारा अन्धाधुन्ध गोलाबारी	Indiscriminate firing by C.R.P. and Military Personnel in West Bengal.	112
6135.	साँची में हुए हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का सम्मेलन	Conference of Harijans, adivasis and Backward people held at Sanchi	113
6136.	कलकत्ता में बगला भाषा में लिखी लाल पुस्तक की प्रतियों का पकड़ा जाना	Copies of Red Book in Bangla language seized in Calcutta. ... —	113
6137.	आसाम में विद्यमान सांप्रदायिक तनाव	Communal Tension prevailing in Assam	113-114
6138.	केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा सरकारी रिपोर्टों का अनुवाद	Translation of Government reports by Central Translation Bureau	114
6139.	राज्यों में निचली अदालतों में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English in Lower courts in States.	114
6140.	मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में परिवर्तन न करने की मांग	Demand for no change in Personal Law of Muslims.	114
6141.	दिल्ली में एक घरेलू कर्मचारी को गोली मारने के सम्बन्ध में जांच की मांग	Demand for an Inquiry into shooting of a Domestic servant in Delhi. — ...	114-115
6142.	वनस्पति जीव जन्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Reports of Flora and Fauna.	115-116
6143.	मत्स्य बन्दरगाहों के विकास के विकास के लिये श्रीलंका द्वारा भारत से मांगे गये टैंडर	Tenders invited by Ceylon from India for development of fishing harbours	116
6144.	सूडान को माल डिब्बों का निर्यात	Export of Railway wagons to Sudan	116

अता. प्र.संख्या./U.S.Q.No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.			
6145.	नई दिल्ली में तिलक नगर के पास श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क में चोरी की घटनाएं	Cases of thefts in S. P. Mukerjee Park near Tilak Nagar, New Delhi.	117
6146.	उपग्रह अथवा केबल सर्किट द्वारा मद्रास केन्द्र का श्रीलंका के साथ सम्बन्ध स्थापित करना	Connecting Madras Station with Ceylon via Statellite or cable circuit.	117
6147.	मंत्रियों द्वारा कारों की खरीद	Purchase of Cars by Ministers.	117-118
6148.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को टेलीविजनों की सप्लाई	Supply of Television to Village Panchayats in Western Uttar Pradesh.	118
6149.	रबड़ की खेती के लिये केन्द्रीय सहायता	Central aid for Rubber Cultivation in Kerala.	118
6150.	राज्य व्यापार निगम में स्वचालित मशीनों से कार्य आरम्भ किया जाना	Introduction of Automation in S.T.C., New Delhi.	118-119
6151.	सरकारी कर्मचारियों के लिये रोजगार सुरक्षा	Job security for Government Employees	119
6152.	विदेशों में रहने वाले भारतीय इन्जीनियरों का स्वदेश वापस आने का प्रस्ताव	Offer by Indian Engineers abroad to come back.	120-121
6153.	निजी थैलियों के मामले में वकीलों और फर्मों द्वारा अपनी सेवाएं पेश करना	Services offered by lawyers and firms in privy purses case	121
6154.	विदेशों में, अध्ययन कर रहे भारतीय वैज्ञानिक, इन्जीनियर, डाक्टर और औद्योगिक विज्ञान	Indian Scientists, Engineers, Doctors and Technologists studying Abroad	121-122
6155.	इन्जीनियरी डिप्लोमाधारी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता	Unemployment allowance to Engineering Diploma holders	122

6156.	वैज्ञानिक पुल योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को भारत में दिये गये रोजगार तथा अनुसन्धान कार्य	Scientists provided with jobs and research work in India under Scientists Pool Scheme	122-123
6159.	भागलपुर (बिहार) में रेशम उद्योग स्थापित करना	Running of silk Industry in Bhagalpur (Bihar) — ...	123
6160.	दिल्ली में चोरी छिपे कृत्रिम बालों का निर्माण किया जाना	Clandestine manufacturing of wig in Delhi — ...	123-124
6161.	केरल में हाथकरघा बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना	Setting up of Handloom Weavers Servicing Centre in Kerala ... —	124
6162.	अलवाई (केरल) स्थित कथाई काटन मिल का बन्द होना	Closure of Kathayee Cotton Mills, Alwaye (Kerala)	124
6163.	पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का आरम्भ किया जाना	Starting of public sector enterprise in Punjab ... —	124-125
6164.	शक्तियों के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of A. R. C. re : Delegation of Powers	125
6165.	संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में चल रही बिना लाइसेंस वाली और अनधिकृत आटे की चक्कियां	Unlicensed and Unauthorised Flour Mills running in Union Territory of Delhi	125
6166.	पश्चिम बंगाल में टेलीविजनों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी करना।	Issue of Licences for Manufactore of T. V. Sets in West Bengal	126
6167.	मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराना	Public Call Office Facility in Morena District of Madhya Pradesh	126-127
6168.	मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में टेलीफोन की सुविधाएं	Telephone facilities in Morena district of Madhya Pradesh	127

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर/(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
6169. दिल्ली पुलिस अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों की दुकानों का बन्द होना	Closure of Auto-Parts Shops in Jama Masjid Area, Delhi in protest against alleged corrupt practices of Delhi Police Authorities	127-128
6170. सिले-सिलाये कपड़ों का निर्यात	Export of ready made garments	128
6171. टेलीविजन के विस्तार में विदेशी तकनीकी सहायता	Foreign Technical Assistance for T. V. Expension	128-129
6172. पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिये योजना की रूपरेखा	Blue Print of a scheme for restoring Law and Order in West Bengal ...	129
6173. टेलीविजन में दोषपूर्ण चित्र प्रेषण	Faulty T. V. Transmission	129-130
6174. भूतपूर्व पराजित संसद सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष नियुक्त करना	Appointment of Former defeated M. Ps. as Chairmen of Public Sector undertakings ...	130
6175. सरकारी सेवाओं में हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व	Representation of Harijans and Backward classes in Government services	130-131
6176. बिरला बन्धुओं द्वारा 'दी सन्डे वर्ल्ड' साप्ताहिक का प्रकाशन	Publication of "The Sunday World" Weekly by the Birlas	131
6177. सौराष्ट्र में परमाणुशक्ति केन्द्र	Nuclear power station in Saurashtra ...	132
6178. जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए प्राधिकरण की स्थापना	Setting up of an authority to look into Public Grievances	132
6179. देहरादून के निकट उपग्रह केन्द्र	Satellite station near Dehra Dun	133
6180. पश्चिम बंगाल में नियुक्त केन्द्रीय बलों की संख्या	Strength of Central forces stationed in West Bengal	133

6181. सच्चिदानन्द सिन्हा की स्मृति में डाक टिकट जारी करना	Commemorative stamp on Sachchida Nanda Sinha	... ...	133-134
6182. डा० सच्चिदानन्द सिन्हा की जन्म शताब्दी मनाना	Celebration of birth Centenary of Dr. Sachchida Nanda Sinha	... ...	134
6183. पश्चिम बंगाल में राजनैतिक नेताओं की हत्यायें	Political leaders murdered in West Bengal	...	134
6184. वर्षा के कारण दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और मद्रास के मध्य संचार व्यवस्था का भंग होना	Communication system between Delhi-Bombay- Bangalore ane Madras dislocated by Rains	... ...	134-135
6185. शिलांग के निकट चीन द्वारा निर्मित ट्रांसमीटर का पाया जाना	China- Made Transmitter found near Shillong	... ...	135
6186. संचार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती	Recruitment of S. C. and S. T. in Communications Ministry	... ...	135-136
6187. उत्तरी बंगाल में दूर संचार व्यवस्था	Telecommunication system in North Bengal	... ...	136
6188. दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लगाना	Installation of Telephone connections in Delhi	... ...	137
6189. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मंत्रालयों द्वारा बनाई गई योजनायें	Schemes formulated by Ministries for providing employment to educated unemployed persons	... ...	137-138
6190. भारतीय हाथ-औजारों के निर्यात की सम्भावना	Prospects of exports of Indian Handtools	...	138-139
6191. नगरों में अश्लील फिल्मों का भारी व्यापार	Brisk trade of blue films in cities	... ...	139
6192. मध्य प्रदेश में छिपे हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals gone underground in Madhya Pradesh	... ...	139-140
6193. नये डाक-घर खोलना	Opening of new Post Offices	... ...	140-142
6194. सरकारी नौकरियों में और अधिक हरिजनों को नियुक्त करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee for taking more Harijans in Government jobs	... ...	142-143

6195.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार	Long Term Trade Agreement with G.D.R. ...	143
6196.	पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों आदि द्वारा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थकों की तथा उनके द्वारा अन्य लोगों की हत्या	C. P. I. (M) supporters killed and others killed by C. P. I. (M) supports in West Bengal	144
6197.	आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र का आधुनिकीकरण	Modernisation of Calicut Radio Station ...	144
6198.	मध्य प्रदेश में मिलों के अधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति	Appointment of Authorised Controllers of Mills in Madhya Pradesh	144-145
6199.	मध्यप्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	Communal riots in Madhya Pradesh	145
6200.	मध्य प्रदेश में चलता फिरता डाक-घर	Mobile Post Offices in Madhya Pradesh	145-146
6201.	काजू के कारखाने	Cashew Factories	146
6202.	परिष्कृत काजू का आयात	Import of processed Cashew Nuts	146
6203.	केरल के नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में अध्ययन दल की नियुक्ति	Appointment of new study team re : Coir Industry of Kerala	146-147
6204.	रीवा में मीडियम ट्रांसमीटर की स्थापना	Setting up of medium Wave transmitter at Rewa	147
6205.	ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और तार सुविधाएं	Telephone and Telegraph facilities in rural areas	147-148
6206.	पाकिस्तानी सेना द्वारा मार दिये गये सीमा सुरक्षा बल के सैनिक	B. S. F. Men killed by Pak Army — ...	148
6207.	वर्ष 1971 में स्मारक टिकटों का निकाला जाना	1971 Commemorative stamps	148-150
6208.	छतरपुर जिले (मध्यप्रदेश) में रेडियो स्टेट की स्थापना	Setting up of Radio station in Chhatarpur (Madhya Pradesh) — ...	150

6209. आसाम के दैनिक,साप्ताहिक और अर्धसाप्ताहिक पत्रों के लिए अखबारी कागज का नियतन — Allocation of Newsprint to Assam Dailies, weeklies and Bi -weeklies 150

6210. सूडान से रुई का आयात — Import of cotton from Sudan ... 150-151

6211. डाक तथा तार विभाग के लिये विश्व बैंक से ऋण — World Bank Loan for Posts and Telegraphs Department 151-52

6212. इंगलैंड और अमरीका को चमड़ा-उत्पादों का निर्यात — Export of Leather products to England and America 152

6213. पश्चिम बंगाल में जासूसी के अपराध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी — Arrest of Persons in West Bengal for espionage 152-153

6214. हाथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये केरल सरकार की योजना — Kerala Scheme for Reviving Handloom Industry 153

6215. पाकिस्तान और ईरान से मेवे तथा ताजे फलों के लिये आयात लाइसेंस जारी करना — Issue of Import Licences for Dry and green fruits from Pakistan and Iran 153-154

6216. टेलीफोन बिलों की बकाया राशि — Arrears of Telephone dues 154

6217. रामपुर की रेलवे कालोनी रेलवे वैगनशाप (मध्य प्रदेश) में शाखा डाकघर का खोला जाना — Opening of a Branch Post Office at Railway colony of Raipur Railway Wagon shop (Madhya Pradesh) 154-155

6218. 'गैस-सेन्ट्रीफ्यूज' प्रक्रिया से 'यू-235' को परिष्कृत करना — Enrichment of 'U- 235' by Gas- centrifuge Process 155

6219. भूगत परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिये भूमिगत जल मार्गों का सर्वेक्षण — Survey of Underground water courses for peaceful uses of underground Nuclear Explosions 155-156

6220. नेपाल, सिक्किम, भूटान और चीन को आकाशवाणी का प्रभावहीन प्रसारण — Ineffective A. I. R. Broadcast to Nepal, Sikkim, Bhutan and China ... — 156-157

6221. सिले-सिलाये वस्त्रों का निर्यात करने के लिये अनुमित कपड़े के आयात की अनुमति — Import of permissible fabrics for exporting ready- made garments 157-158

6222. खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुआ घाटा — Loss sustained by M. M. T. C. 159

6223. आयातित एल्यूमिनियम के बहुत अधिक मूल्य — Exorbitant price of Imported Aluminium ... 159

6224. ग्वालियर रेयंस द्वारा आयात की गई रेयन लुग्दी — Rayon Pulp imported by Gwalior Rayons 159

6225 सरकारी कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में मुकदमें दायर करना — Filing of cases in Law Courts by Government employees 160

6226. भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गतिविधियां — Activities of Pak Spies in India 160

6227. गुजरात में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब — Delay in opening of Telephone Exchange in Gujarat 160-161

6228. इन्डियन रेडियो एन्ड केबल कम्पनियों से सरकार द्वारा समुद्रपारीय संचार सेवा को अपने अधिकार में लिया जाना — Take over of O. C. S. by Indian Radio and Cable Company 161

6229. ओ० सी० एस० शाखाओं में सर्किटों का वितरण — Distribution of Circuits among O. C. S. Branches 161-162

6230. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड — Uranium Cor -poration of India Limited ... 162

6231.	मोटे कपड़े का उत्पादन करने वाली मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने के कारण विद्युत-चालित करघा उद्योग पर बुरा प्रभाव	Adverse effect on powerloom Industry due to financial assistance given to coarse cloth manufacturing mills	162-163
6232.	मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर द्वारा अपने पुत्र को कार का अवैध हस्तान्तरण	Illegal transfer of car to his son by Shri Dharam Vira, Governor of Mysore	163
6233.	विभागीय तारों के लिए हिन्दी में 'कोडवर्ड्स' का प्रयोग	Use of 'Code Words' in Hindi for Departmental Telegrams	163
6234.	गीत और नाटक डिवीजन निदेशक के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Director of Song and Drama Division	164
6235.	आकाशवाणी का दरभंगा (मिथिला) केन्द्र	Darbhanga (Mithila) Centre of A, I. R.	164-165
6236.	पश्चिम बंगाल में मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों पर व्यय	Expenditure incurred on tours performed by West Bengal Ministers	165
6237.	पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के लिये पेट्रोल पर खर्च	Expenses on Petrol for Ministers in West Bengal ... —	166
6238.	वर्ष 1969–71 में पश्चिम बंगाल में मारी गई महिलाएं	Women killed in West Bengal during 1969--71	166
6239.	पश्चिम बंगाल में सेवा मुक्त किये गये राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी	Gazetted and Non -gazetted Government Employees Discharged from Service in West Bengal	166
6240.	नेफा को दूर संचार से सबडिवीजनों के साथ जोड़ना	Telecommunications Link of N.E F.A. with Sub- Divisions	166-167
6241.	एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Aluminium ... —	167

प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

6242.	विभागीय परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Departmental Examinations ...	167-168
6243.	व्यास बांध परियोजना पर नियुक्त डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जाना	Grant of Project Allowance to P. & T. Employees stationed at Beas Dam Project	168
6244.	भारतीय व्यापार निर्देशिका की मांग	Demand for Indian Business Directory	168-169
6245.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय के साथ विलय	Merger of Indian National Scientific Documentation Centre and Publication and Information Directorate of C. S. I. R.	169
6246.	तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में हैवी वाटर संयंत्र की स्थापना के लिये मांग	Demand for establishing a Heavy Water Plant at Tuticorin (Tamil Nadu)	169-170
6247.	मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में लगाये गये टेलीफोन	Telephones installed in Ujjain District (Madhya Pradesh)	170
6248.	मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले में लगाये गये टेलीफोन	Telephones installed in Bhind district (Madhya Pradesh)	170
6249.	हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत किये गये पाकिस्तानी राष्ट्रिक	Pak Nationals registered in Himachal-Pradesh	171
6250.	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करने के लिये एक ही एजेंसी	Single Agency for initiating disciplinary action against Government servants ...	171
6251.	अल्जीरिया द्वारा भारतीय फिल्मों की खरीद	Purchase of Indian Films by Algeria	171-172

अतां. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
6252. पर्वतीय क्षेत्रों के लिये योजना कक्ष बनाने की मांग	Demend for a planning cell for Hill Areas	172-173
6253. केन्द्रीय औद्योगिक विकास मन्त्री द्वारा आसाम सरकार की निन्दा किया जाना	Alleged maligning of Assam Government by Central Minister of Industrial Development	173
6254. 'रेडियो सीलोन' की ओर बकाया रायल्टी	Outstanding Royalty against Radio Ceylon	173-174
6255. आकाशवाणी के फार्म तथा होम यूनिटों में लिपिकार	Script writers in Farm and Home Units of A. I. R.	174
6256. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन थुम्बा (केरल) में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार	Employment for local people in Indian Space Research Organisation, Thumba (Kerala)	174-175
6257. भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन थुम्बा (केरल) में अभ्यर्थियों का चयन	Selection of Candidates in Indian Space Research Organization, Thumba (Kerala)	175
6258. कोचीन के लिये 'आटो एक्सचेंज' प्रणाली	Auto Exchange system for Cochin	175
6259. जलपाईगुड़ी जिला(पश्चिम बंगाल) में राइफलों और गोलियों का बरामद किया जाना	Recovery of Rifles and Rounds in Jalpaiguri district (West Bengal)	176
6260. देशमें पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies in the Country	176
6261. परमाणु और अन्तरिक्ष अनुसंधान के शांतिपूर्ण उपयोग के लिये पश्चिम जर्मनी के साथ संयुक्त खोज करना	Joint exploration with West Germany of peaceful uses of Nuclear and space research	177

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	177
विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे तेल का मूल्य बढ़ाने का कथित प्रयास	Reported move of foreign oil companies to increase price of crude oil imported by them	177-182
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	177
श्री पी० सी० सेठी	Shri P. C. Sethi	179
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	182
पुलिस द्वारा श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege re: alleged misbehaviour of police with Shri Krishan Chandra Haldar	182-184
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	184-186
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	186
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	186
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report	186
पुरःस्थापित विधेयक	Bills introduced	189
(एक) संविधान(चौबीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-Fourth Amendment Bill; and	186-188
(दो) संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक	Constitution (Twenty-fifth Amendment) Bill.	189-193
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1961	Finance (No. 2) Bill, 1971	194
विचार करने के लिये प्रस्ताव	Motion to consider	194
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	196
श्री एम० एस० शिवस्वामी	Shri M. S. Sivasamy	197
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigarahi	200

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री बालतंडायुतम	Shri Balathandayutham	... — 201
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	 204
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	 205
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal	 206
श्री कुशक बाकुला	Shri Kushok Bakula	 207
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	 208
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	 209
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	 211
श्री नवलकिशोर शर्मा	Shri N. K. Sharma	... ...
तस्करी रोकने के लिये होवर-क्राफ्टों की खरीद के बारे में आधे घन्टे की चर्चा	Half- An- Hour Discussion re. Purchase of Hover Crafts to check smuggling	... 215
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	 215
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	... — 216

लोक–सभा

LOK--SABHA

बुधवार, 28 जुलाई, 1971/6 श्रावण, 1893 (शक)

Wednesday, July 28, 1971/Sravana 6, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय नागरिकता के लिए अनुरोध करने वाले विदेशी नागरिक

***1411. श्री रामसहाय पांडे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लम्बे समय से रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता दिए जाने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं; और

(घ) क्या आवेदनकर्ताओं में से किन्हीं को सुरक्षा कारणों से भारतीय नागरिकता देने से इन्कार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के समक्ष 30–6–1971 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए 38 आवेदन-पत्र थे । ये विचाराधीन हैं ।

(ग) नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा नागरिकता नियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

Shri R. S. Pandey : Our current relations with Pakistan are well known. I would like to know the number of Pakistani Nationals, who have been staying in India by hook or by crook and have even after the expiry of their visa been trying to over-stay here by extending the period of visa again and again ? What steps are being taken to send them back from here; If no step is being taken, the reasons therefor ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वीजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी रहना नागरिकता के प्रश्न से भिन्न है और वीजा का प्रश्न यहां उपस्थित ही नहीं होता ।

श्री रामसहाय पाण्डे : प्रश्न बहुत स्पष्ट है । यह प्रश्न गृह मन्त्रालय से सम्बद्ध है । जब वीजा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो स्वभावतः यह देखना गृह मन्त्रालय का कार्य है कि कितने विदेशी व्यक्ति यहां रह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक सामान्य प्रश्न पूछ रहे हैं, यह किसी विशिष्ट देश के बारे में नहीं है ।

Shri R. S Pandey : I want to know the number of Pakistani Nationals, who..... from national security point of view.....

Mr. Speaker : You have not asked about Pakistan alone, but about all the foreign nationals.

Shri R S. Pandey : I want to know the number of foreign nationals, who have been staying here even after the expiry of period of visa and the steps being taken to send them back ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न यह है कि—"क्या कुछ विदेशी नागरिकों ने, जो भारत में काफी समय से रह रहे हैं, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है ।"

यह वीसा अथवा उसकी अवधि बढ़ाये जाने के बारे में नहीं है ।

श्री रामसहाय पाण्डे : यह प्रश्न उन व्यक्तियों के बारे में हैं, जिन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है । मैं नहीं जानता कि मैं कैसे प्रश्न पूछूं.... ....

Mr. Speaker : I do not know as well how you are forming the question.

श्री रामसहाय पाण्डे : आप कृपया मेरी ओर से गृह मन्त्री को बता दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं ऐसा कर सकने की स्थिति में नहीं हूं ।

Shri B. P. Maurya : I would like to know from the hon'ble Minister that there are certain Japanese Buddhist monks who have been living in India for more than 10 years and have decided to settle down in India and they have applied for Indian citizenship, but their applications have not been considered so far. As against this, the persons, who adopt christianity and, who owe allegiance to the foreign countries are granted citizenship ?

Shri K. C. Pant : The hon'ble member had seen me and had discussions with me regarding some of the cases. I had sent those cases for an enquiry in the Ministry.

Shri B. P. Maurya : I had seen him regarding the visa and not regarding the citizenship.

Shri K. C. Pant : Not a single Japanese National out of 38 who are here has applied for citizenship.

Shri R. S. Pandey : Sir, I forgot to ask another supplementary question.

I would like to know the number of foreign nationals, whose applications for grant of citizenship are still pending.

Mr. Speaker : He has already replied to that. You forgot again.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Hon'ble Shri Pantji has just now stated that 38 cases are under consideration. I would like to know the number of such Pakistani nationals, who have been living in India for a long period and have applied for Indian citizenship ?

Shri K. C. Pant : There are 6 Pakistani nationals.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या ऐसे भी विदेशी नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिकता को ग्रहण किये बिना ही अपने वीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं और यदि हां, तो किस देश के नागरिकों की संख्या सर्वाधिक है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उस प्रश्न के लिए पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए, परन्तु मैं विचाराधीन आवेदन-पत्रों के देशवार आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं :—

अफगानिस्तान	 1
बर्मा	... 2
श्रीलंका	 3
चीन (जिनमें दो तिब्बती भी शामिल हैं)	 18
फ्रांस	 1
ईरान	 2
पाकिस्तान	... 6
सऊदी अरब	... 1
स्वीडन	 1
ब्रिटेन	... 1
संयुक्त राज्य अमरीका	... 1

श्री एस० ए० शमीम : मैं जम्मू और कश्मीर के उन निवासियों के बारे में स्थिति जानना चाहता हूं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चले गये हैं और वहां रह रहे हैं, परन्तु वे वापस आना चाहते हैं और यहां बसना चाहते है। उन्हें विदेशी नागरिक माना जाता है अथवा भारतीय नागरिक ? कानूनी स्थिति यह है कि कश्मीर का वह भाग भी विधितः और राजनैतिक रूप से भारत का अंग है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कानूनी तौर पर और न्याय की दृष्टि से मेरे मित्र द्वारा व्यक्त अभिमत सही है।

श्री एस० ए० शमीम : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि अगर वे यहां आकर बसना चाहें तो क्या उनके आवेदन-पत्रों को रद्द कर दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : अब और कुछ मत पूछिये।

पश्चिम बंगाल के मामलों के केन्द्रीय मन्त्री द्वारा बुलाई गई राजनीतिक दलों की बैठक

*1412. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री विश्वनाथ भुन्झुनवाला :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **गृह मन्त्री** यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मामलों से सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री ने पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई है; और

(ख) क्या राज्य के हिंसात्मक गतिविधियों वाले क्षेत्रों में युवकों के हिंसा विरोधी दस्ते बनाने की योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं सेवकों के विरोधी दस्ते बनाने की एक योजना तैयार की गई है। इस सम्बन्ध में हुई प्रगति के बारे में सम्बन्धित प्राधिकारियों से मालूम किया जा रहा है।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस देश में लोकतन्त्र को सुरक्षित बनाने के लिए क्या सरकार उन राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाने जा रही है जो हिंसा में विश्वास करती हैं और जो हमारे संविधान को उल्लंघन करती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समय किसी भी राजनैतिक दल पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में बंगला देश से शरणार्थियों के रूप में आये पाकिस्तानी गुप्तचरों और अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रश्न में से यह पूरक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु हम जांच करते हैं और तब पंजीकृत करते हैं तथा अन्य सावधानियां भी बरत रहे हैं और विभिन्न राज्यों में इस बारे में प्रबन्ध किये गये हैं।

श्री समर मुखर्जी : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन प्रतिरोध दलों में किन्हें भर्ती किया जायेगा ? क्या उन्हें दलीय आधार पर भर्ती किया जाता है ? इन प्रतिरोध दलों में भर्ती के लिए क्या योग्यतायें हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने बताया कि ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है; हमने उनसे ब्यौरा मांगा है। परन्तु हमें पश्चिम बंगाल सरकार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि पुलिस के महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षकों को लिखा है कि इस प्रकार के दलों का गठन किया जाय। मुझे यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में यह कोई नई बात नही है और पहले भी इस प्रकार के दलों का गठन किया जाता रहा है; परन्तु अब वे बेकार हो चुके हैं और अब उन्हें पुनर्जीवित करने का विचार है। मुख्य योग्यता यह है कि उन व्यक्तियों में जन-सेवा की भावना हो, वे हिंसा के विरोधी हों और इस बारे में कुछ करने को तैयार हों तथा इस प्रकार के दलों में कार्य करने को सहमत हों।

श्री समर मुखर्जी : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें हथियार भी सप्लाई किये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही प्रश्न पूछ चुके हैं। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की समाप्ति के लिए बातचीत चल रही थी, तो एक विशिष्ट राजनैतिक दल ने शहीद मीनार में आयोजित सार्वजनिक सभा में खुल्लम-खुल्ला हिंसा करने का आह्वान किया है और 11 तारीख को "बंगाल बन्द" का अनुरोध किया जिससे और भी हिंसा होगी? इस चुनौती का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चूँकि बातचीत चल रही है, इसलिए मैं ऐसी कोई भी बात नही कहूँगा जिससे बातचीत का वातावरण खराब हो। मेरे माननीय मित्र ने जिन पार्टियों का उल्लेख किया है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे "बन्द" आयोजित न करें और पश्चिम बंगाल में हो रही बैठक में आम सहमति पर पहुंचने में सहायता करें।

श्री जगन्नाथ राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन आतंकवादी दलों ने बैठक में भाग लिया, उनमें से किसी ने भी हिंसक गतिविधियों को छोड़ देने का आश्वासन दिया है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जिन पार्टियों ने बैठक में भाग लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं : एस० यू० सी० आई०, लोक सेवक संघ, वर्कर्स पार्टी आफ इण्डिया, मार्क्सवादी फारवर्ड ब्लाक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, आर० सी० पी० आई०, भारतीय जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, बंगला कांग्रेस, एस० एस० पी० (आर०), विप्लवी बंगला कांग्रेस, पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी, आर० एस० पी०, बी० पी० आई०, बोलशेविक पार्टी, हिन्दू महासभा, फारवर्ड ब्लाक, पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मुस्लिम लीग, पश्चिम बगाल राज्य मुस्लिम लीग, डब्ल्यू० बी० पी० सी०, कांग्रेस और जन कांग्रेस।

श्री जगन्नाथ राव : क्या उन्होंने हिंसा का प्रयोग न करने का आश्वासन दिया है? इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं स्वयं ही इस निर्णय पर नहीं पहुँचना चाहता कि इनमें से कौन सी पार्टी उग्रपन्थी है और कौन सी नहीं। यही कारण है कि मैंने पार्टियों की सूची प्रस्तुत की है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचारों को देखते हुए कि प्रधान मन्त्री जी ने पश्चिम बंगाल की एक बड़ी पार्टी के नेता से गुप्त वार्तालाप

किया,.....और. मैं समझता हूँ कि प्रधान मन्त्री कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करतीं,.....मैं यह जानना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय के मन में, जो योजना और सहयोग करने का विचार हैं, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने के बारे में इस सदन को क्या कोई सूचना देने का विचार है ?

डा० रानेन सेन : इसका उत्तर प्रधान मन्त्री को स्वयं देना चाहिए ।

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने किसी से गुप्त वार्ता नहीं किया । मैं कुछ मिनट के लिए श्री ज्योति बसु से मिली थी ।

एक माननीय सदस्य : भोजन करने के लिए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : भोजन के लिए नहीं ।

एक अन्य माननीय सदस्य : चाय पीने के लिए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : न भोजन, न चाय, यहां तक कि पानी भी पीने को नहीं दिया गया । शायद मुझे वह मिलता । मैं समझती हूँ कि मेरे सहयोगी श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने सदन में कहा था कि न सिर्फ बंगाल में, बल्कि सारे देश की वर्तमान कठिन स्थिति से निपटने के लिए हमें सभी का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये । मैं अपने सहयोगी श्री पन्त द्वारा अभी की गई अपील का भी समर्थन करती हूं । हमने विभिन्न पार्टियों से अनेक प्रश्नों पर राय ली और हमने पाया कि नीति में मतभेद हैं, परन्तु इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि मेरे विचार में हमें कुछ मामलों पर एक हो जाना चाहिए और उन प्रश्नों में से एक प्रश्न हिंसा और सार्वजनिक जीवन में हत्या की समस्या है । यह दल ऐसे दलों में से है जो निरन्तर इस बात पर जोर देते हैं कि हम जरूर कोई कार्यवाही करेंगे और जो कुछ हम कर रहे हैं उससे अधिक करें । परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगी कि उनके अपने कार्य हमें उक्त कार्य करने के लिए सशक्त होने में कोई सहायता नहीं देते ।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरे विचार से प्रतिरोध दस्तों का गठन करने से यह समयस्या और बढ़ेगी । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या देश के इस भाग में व्याप्त परिस्थितियों को देखते हुए आम जनता को हथियार देना उचित रहेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : किसको सशस्त्र करना उचित होगा ?

श्री जी० विश्वनाथन : प्रतिरोध दस्तों को या जनता को ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन दस्तों को सशस्त्र करने सम्बन्धी यह एक सुझाव है । परन्तु मै अपने माननीय मित्र से चाहूंगा कि वह इस प्रश्न को विस्तृत आधार पर महत्व दें । वहां की स्थिति का सामना करने का दायित्व केवल पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था का ही नहीं है । वे तो यह कार्य तभी कर सकते है जबकि वहां की जनता का समर्थन भी प्राप्त हो ।

श्री जी० विश्वनाथन : पुलिस को सुदृढ़ कीजिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : निश्चय ही पुलिस को सुदृढ़ किया जायेगा। परन्तु यदि जनता का समर्थन भी मिलता है और उसे प्राप्त किया जा सकता है तो इससे अपनी कार्यवाही करने में पुलिस के हाथ मजबूत होते हैं।

श्री जी० विश्वनाथन : मेरा प्रश्न इन दस्तों को शस्त्र प्रदान करने के बारे में था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या इन दस्तों को शस्त्र दिये जा रहे हैं अथवा नहीं–इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मैंने स्वयं यह प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है। अब क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या ऐसा करना लाभप्रद होगा अथवा नही, तो इस सन्दर्भ में मैं कानून और व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनता की सहायता प्राप्त करने की बात कह रहा था। मुझे पता लगा है कि प्रायः सभी शहरों में ऐसी व्यवस्था है, परन्तु उसका उचित उपयोग नहीं किया गया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, it is a very important question. May I ask a question ?

Some days ago Shri Pant had said here in this House that negotiations have been started with the Naxalites. This has caused much confusion. So, would he now take the House in confidence and state as to with whom and where were these negotiations started and what is the nature thereof ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र गत कई दिनों से सभा से अनुपस्थित रहे हैं, यह मामला सभा में उठाया गया था और पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा के समय इस पर विचार विमर्श हुआ था। मैंने उस समय दो बातें कही थी, पहले तो यह कि प्रजातन्त्र में ऐसी बातचीत करना एक साधारण सी बात है। दूसरी बात यह है कि सभी नक्सलवादी कुटिल अपराधी नहीं हैं। उनमें समाज विरोध तत्व शामिल हैं, उनमें कुछ ऐसे पक्के नक्सलपंथी हैं जो कि हिंसा करने को कटिबद्ध हैं। उनमें कुछ ऐसे कम उम्र के नवयुवक भी हैं जो ऐसी भावना नहीं रखते और यदि हम उन्हें इस गलत रास्ते से हटने का मौका दें तो मेरे विचार से उन्हें यह अवसर दिया जाना चाहिये। परन्तु मैं अपने माननीय मित्र को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम इस प्रकार की अराजकता को पूरी दृढ़ता से समाप्त में संकोच कर रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Mr. Speaker, my question has not been replied to. I had asked the Minister to state as to with whom and where have these negotiations been statred and what is the nature thereof.

Shri K. C. Pant : I had stated that too. During the discussions here a few days ago, I had specifically stated that at that time there had been no negotiations and the hon. Member could have confirmed it from the record. It was a very long discussion that day I had spoken for an hour and I had explained that point quite clearly. It appears that the absentee Members do not make them upto date in respect of the proceedings of the House.

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि विभिन्न दलों के मध्य तीन या चार दिन तक हुई चर्चा के दौरान यह मत था कि यद्यपि विभिन्न दल हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में एक समान आधार-संहिता पर तो सहमत हो सकते हैं परन्तु प्रायः सभी ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब तक पुलिस तथा सचिवालय स्तर पर सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं किया

जाता तब तक पश्चिम बंगाल की स्थिति में कानून और व्यवस्था स्थापित करने की कोई संभावना नहीं हो सकती; और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो स्वयं ही जानकारी दे रहे हैं।

श्री समर गुह : मैं नहीं जानता कि इस से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है। प्रश्न बैठक से सम्बन्धित है। मेरा प्रश्न यह है कि उक्त बैठक में क्या चर्चा हुई और उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

अध्यक्ष महोदय : जिस प्रश्न में जानकारी दी जाती हो उसे अनुपूरक प्रश्न नहीं माना जा सकता।

श्री समर गुह : मैंने जानकारी कहां दी है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें समझाया नहीं जा सकता। वह बैठ जायं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से आप श्री समर गुह के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। वह विशिष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि उस सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इसमे क्या गलती है ?

Mr. Speaker : I stop the hon. Members from asking such questions in which provide information rather than seeking. The rule is that questions should elecit information and not give information or ask for opinion.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 7 जुलाई को प्रथम बैठक में सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया गया था। उसका पहला वाक्य इस प्रकार हैं :

"यह बैठक पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त करती है।" और दूसरे प्रश्न के बारे में क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये पुलिस को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, सो यह सच है—जैसे कि वहां गुप्तचर व्यवस्था कमजोर थी और गत राष्ट्रपति शासन के समय से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे थे। यह भी सच है कि हम पुलिस संगठन को सुधारने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसमें कमजोरी रही है। यह कार्य जारी है और यदि श्री समर गुह यही जानना चाहते हैं तो निश्चय ही यह कार्य जारी रहेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : प्रश्न सभी दलों की बैठक से सम्बन्धित है। यह सच है कि उक्त बैठक में केवल सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा साम्यवादी (दक्षिण पंथी) दलों को छोड़कर सभी दलों ने यह विशेष रूप से कहा कि जब तक आप पुलिस को जिसका वस्तुतः ही इन हत्याओं के पीछे हाथ है, नियंत्रण में नहीं लाते तब तक पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं किया जा सकता। मै उक्त बैठक की कार्यवाही का वृत्तान्त पेश कर सकता हूँ।

श्री समर गुह : मैं चर्चा के समय उपस्थित था। इन दो दलों ने इस विचार का विरोध नहीं किया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह उसका खण्डन करें। मैं कार्यवाही का विवरण पेश कर सकता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे रिकार्ड की जांच करनी पड़ेगी। मेरे पास वह विवरण इस समय नहीं कि उनके दल ने क्या कहा था परन्तु मैं अपने माननीय मित्र से यह कहूँगा कि वह इस समय इस बारे में दलगत तथा राजनीति की बातें न करें।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह दल तथा राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न पुलिस को नियंत्रित करने से सम्बन्धित है। वह ऐसा तर्क क्यों पेश कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जबकि बातचीत अभी चल रही है तो यह कहना उक्त बातचीत की सफलता में सहायक नहीं होगा कि अमुक दल ने अमुक रवैया अपनाया।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भगवान के लिए आप पूलिस को काबू में कीजिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : ऐसा रवैया अपनाने के स्थान पर मैं कहूँगा कि इस समय उनकी ओर से कोई सोद्देश्य विचार ही हमारी ओर से उन्हें रचनात्मक प्रतिक्रिया उपलब्ध करायेगा।

तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र का विस्तार

***1413. श्री डी० डी० देसाई :** क्या **परमाणु उर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु शक्ति केन्द्र में 400 मैगावाट की अतिरिक्त वृद्धि करने के लिये आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विस्तार कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और अतिरिक्त शक्ति कब से पैदा की जाने लगेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री डी० डी० देसाई : मैं समझता हूँ कि तारापुर स्थित परमाणु शक्ति केन्द्र को पहले ही अतिरिक्त 400 मैगावाट की अनुमति दे दी गई है। ...

अध्यक्ष महोदय : क्या "जी नही" क्या "प्रश्न नहीं उठता" के पश्चात् भी आप अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे ?

श्री डी० डी० देसाई : यह जानकारी डा० के० एल० राव के वक्तव्य के विपरीत है। सरकार के दो विभिन्न विभाग एक-दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं—(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था रखिये। दिये गये उत्तर को देखते हुए आप अनपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ? अगला प्रश्न।

बंगला देश के सम्बन्ध में मुस्लिम सम्मेलन

***1414. एस० एम० कृष्ण :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मन्त्री ने 14 जुलाई, 1971 को दिल्ली में बंगला देश के सम्बन्ध में एक मुस्लिम सम्मेलन का उद्घाटन किया था;

(ख) क्या भारत के सभी मुस्लिम संगठनों ने बंगला देश और इसकी मान्यता के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण का विरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जमियत-उल-उलेमा द्वारा 14 जुलाई, 1971 को दिल्ली में एक सम्मेलन किया गया । इसमें अन्य लोगों के साथ विदेश मंत्री द्वारा भी भाषण दिया गया । सम्मेलन में शर्म और इस्लाम के नाम पर याहिया खां शासन द्वारा की जा रही बर्बरता पर खेद व्यक्त करते हुए एक संकल्प पारित किया गया । संकल्प में कहा गया कि "ये आचरण बुरी मनोवृत्ति के प्रतीक हैं, जो दो राष्ट्र बनाने का आधार बनी जिसको जमियत-उल-उलेमा और अधिकांश मुसलमान विरोध करते रहे हैं" संकल्प में आगे कहा गया "यह प्रत्येक भारतीय का कार्तव्य है कि राष्ट्रीय एकता बनाए रखे और ऐसे तत्व जो हमारी प्यारी जन्म भूमि की उन्नति के रास्ते में बाधा उत्पन्न करे उन्हें उचित उत्तर दे ।"

2. यह कहना गलत होगा कि भारत में सभी मुसलमान संगठन बंगला देश के प्रति भारतीय व्यवहार का विरोध करते हैं । थोड़े लोगों द्वारा कुछ असंगत विचार व्यक्त किए गए हैं परन्तु बंगला देश के लोगों के संघर्ष के लिए सहानुभूति और समर्थन की अत्यधिक लहर और बंगला देश के प्रति हमारे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए ऐसे असंगत विचारों को महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस० एम० कृष्ण : यह जानकर संतोष होता है कि अनेक मुस्लिम संस्थाओं तथा नेताओं ने बंगला देश में हो रहे अत्याचारों की निन्दा की है । विवरण में 'कुछ असंगत विचारों' का उल्लेख है , क्या मंत्री महोदय उन संस्थाओं तथा नेताओं का स्पष्ट रुप से नाम लेंगे जिनके बंगला देश के बारे भिन्न विचार हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : उन सब संस्थाओं नाम स्पष्ट रूप से बताना सम्भव नहीं जो सरकार की नीति से सहमत नहीं । विभिन्न राजनैतिक दलों के बीच विभिन्नता है लेकिन माननीय सदस्य मूलत: यह जानना चाहते थे कि "क्या भारत के सभी मुस्लिम संगठनों ने बंगला देश और इसकी मान्यता देने के सम्बन्ध में भारत के दृष्टिकोण का विरोध किया है" । इसके बारे मैं स्पष्ट रुप से कह चुका हूं कि यह ठीक नहीं है और मेरे विचार में मुस्लिम और मुस्लिम संस्थाओं की एक बड़ी संख्या बंगला देश सम्बन्धी सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं ।

श्री एस० एम० कृष्ण : इस देश में क्या कोई ऐसा मुस्लिम नेता है जिसने असंगत विचार प्रकट किये हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : इस समय मुझे कुछ याद नहीं ।

श्री निहार लास्कर : क्या हमारी सूचना में यह बात आयी है कि कुछ संस्थाऐं जानबूझ कर इस बात का प्रचार कर रही हैं कि भारतीय मुस्लिम बंगला देश के पक्ष में नहीं ? क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है और, यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां मैंने यह कहा था कि कुछ व्यक्ति तथा संस्थाऐं भिन्न विचार रखते हैं लेकिन इसके प्रति सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में यही कहूँगा कि इस देश के लोगों के विचार विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार के हैं और जब कुछ विचारों द्वारा देश की सुरक्षा को खतरा होने की आशंका होती है तो उसी दशा में हम उचित कार्यवाही करने पर विचार करते हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि ऐसा प्रेस समाचार प्रकाशित हुआ है कि इतिहाद-उल-मुसलमान ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को चेतावनी दी है कि यह पाकिस्तान का आन्तरिक मामला है और भारत सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ? क्या उनकी सूचना में यह बात लायी गयी है ?

श्री राम निवास मिर्धा : अल्पमत समुदाय की एक बैठक में इस प्रकार के प्रस्ताव पारित होने सम्बन्धी बात हमारी सूचना में आयी है लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वह अल्पमत समुदाय जिससे माननीय सदस्य का तात्पर्य है, ऐसे लोगों के दृष्टिकोण से सहमत नहीं। ऐसे लोग सभी समुदायों में होते हैं।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में यह एक राजनैतिक दल के रूप में काम कर रहा है।

श्री एस० ए० शमीम : सरकार इस बात को मान रही है कि लगभग सारी मुस्लिम संस्थाओं ने बंगला देश तथा सरकार की नीति का समर्थन किया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या देश में कुछ ऐसी ऐजेन्सियां तथा लोग हैं जो इसे एक साम्प्रदायिक मामला बनाते हैं और इस बात को भूलते हैं कि देश में ऐसे भी प्रभावशाली हिन्दु नेता हैं जो बंगला देश आन्दोलन तथा सरकार की नीति का विरोध करते हैं—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री एस० ए० शमीम : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। हिन्दुओं और···के बीच यह भेदभाव क्यों (व्यवधान)। प्रश्न पूछा जा चुका है—

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सीधे क्यों पूछते हैं ?

श्री एस० ए० शमीम : प्रश्न एक विशेष मुस्लिम संस्था के बारे पूछा गया है। मैं कहता हूँ कि यह किसी विशेष समुदाय से भी आगे की बात है। लेकिन हिन्दु समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकार की नीति का समर्थन नहीं किया, बंगला देश का समर्थन नहीं किया। क्या यह स्थिति को साम्प्रदायिक रूप देने का प्रयत्न है और यदि हां तो सरकार इस समस्या का हल किस प्रकार करने जा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं माननीय सदस्य से कहूँगा कि वे इस मामले को इस प्रकार न पेश करे।

फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए आचार संहिता

*1415. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए एक आचार संहिता और मार्ग दर्शी सिद्धान्त तैयार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इसमें किन-किन बातों का समावेश करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी): (क) और (ख): फिल्म सेंसर संबंधी जांच समिति की रिपोर्ट तथा इस मामले से सम्बद्ध सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार यह विचार कर रही है कि फिल्मों के सेंसर के लिए वर्तमान कानून तथा प्रक्रिया में क्या-क्या परिवर्तन आवश्यक है ।

Shri N. K. Sinha : May I know whether the Government propose to prepare a code of conduct for the Indian Film Censor Board to ensure that scenes of treason and lack of patriotism do not appear in our films, as the films serves as cheap mean of recreation to the common man ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : फिल्मों की सेन्सरशिप के लिये मापदंड पहले ही निर्धारित किये गये हैं । जैसे कि मैंने कहा खोसला कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है और इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का भी एक निर्णय है । सेन्सरशिप के लिये नये नियम बनाते समय हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं ।

Shri N. K. Sinha : Will the Government apply new rules to the foreign films also ? Will the new socio-economic atmosphere of the country be incorporated in the guidelines and rules ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : नई संहिती बनाते समय इन सब बातों पर विचार किया जायेगा ।

Shri B. P. Maurya : The scenes of kissing and embracing are not allowed by the Censor Board, but the worse scenes of the foreign films are shown in this country. It is not correct that such films are seen by the educated class only. Uneducated people without matured minds also see these films. In view of this, will the rules, being applied to Indian films, be applied to the foreign films also which are shown in this country ? Will this factor be kept in view while preparing the code of conduct ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : फिल्म सेन्सर करते समय हम देश विशेष के स्तर तथा जीवन मूल्य आदि आदि बातों को ध्यान में रखते हैं । विदेशी फिल्मों को सेन्सर करना एक भिन्न बात है (व्यवधान) माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि थोड़े ही लोग विदेशी फिल्मों को देखते हैं और का प्रभाव एक तरह से सीमित है–(व्यवधान) ... ...

श्री बी० पी० मौर्य : मंत्री महोदय मेरे प्रश्न को न समझ सके । भारतीय फिल्मों के लिये सेन्सरबोर्ड चुम्बन तथा आलींगन के दृश्य स्वीकार नहीं करता जबकि विदेशी फिल्मों के इससे भी बुरे दृश्यों को स्वीकार किया जाता है । विदेशी फिल्मों को पढ़ेलिखे ही नहीं बल्कि और लोग भी देखते हैं । हमें इन फिल्मों से भारतीय समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है ।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विदेशी फिल्मों द्वारा हमारे लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। संहिता बनाते समय तथा खोसला कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते समय हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

श्री के० लकप्पा : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र–मैसूर सीमा विवाद सम्बन्धी फिल्म की ओर भारत सरकार का ध्यान गया है। यद्यपि यह सेन्सर बोर्ड की आधार संहिता तथा सिद्धान्तों के विरुद्ध है, फिर भी यह मामला काफी समय से अनिर्णित है। क्या मैं जान सकता हूं कि निर्णय क्यों नहीं लिया गया ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : इस विशेष फिल्म के बारे में मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं। यदि यह सेन्सर बोर्ड के पास सेन्सर के लिए पड़ी है, तो अवश्य वह किसी पहलु को देख रहा होगा।

पंजाब में बिना मुकदमा चलाये गोली से मार दिये गये व्यक्ति

*1416. **श्री तेजासिंह स्वतन्त्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उन व्यक्तियों की संख्या और नाम क्या है जिन्हें पंजाब में 1970–71 में गिरफ्तार करने के पश्चात् मुकदमा चलाये बिना गोली से मार दिया गया था;

(ख) क्या वे पुलिस से मुठभेड़ में मारे गये थे यदि नहीं, तो क्या कोई पुलिस कर्मचारी अधिकारी गोली से मारा गया था अथवा घायल हुआ था; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कोई जांच करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पन्त) :

विवरण

(क) से (ग) : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें गिरफ्तारी के पश्चात् बिना मुकदमा चलाए एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, किन्तु खमानन पुलिस थाना जिला लुधियाना का एक व्यक्ति रौनक सिंह जिसे हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, 18-2-1971 को पुलिस की हिरासत से भाग निकला। वह 20-2-1971 को पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया।

दिसम्बर, 1970 में अमृतसर से कपूरथला जाने वाली बस में एक पुलिस दल पर जो नक्सलवादियों को पहरे में लिये हुये जा रहा था, उसी बस के 7/8 यात्रियों द्वारा अचानक हमला किया गया जिसमें एक कांस्टेबल मारा गया।

श्री तेजासिंह स्वतन्त्र : पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों में क्या कोई बूजासिंह नामक व्यक्ति था जो अन्धा था और 85 वर्ष का था ?

श्री कृष्णचंद्र पन्त : स्पष्ट है कि माननीय मित्र ने विवरण पढा नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसे परिचालित नहीं किया गया है।

श्री कृष्णचंद्र पन्त : मैं इसे पढ़ रहा हूं;

(क) से (ग) : मैं एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें गिरफ्तारी के पश्चात् बिना मुकदमा चलाए एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, किन्तु खमानन पुलिस थाना जिला लुधियाना का एक व्यक्ति रौनकसिंह जिसे हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था, 18-2-71 को पुलिस की हिरासत से भाग निकला। वह 20-2-1971 को पुलिस द्वारा पुनः गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया।

दिसम्बर, 1970 में अमृतसर से कपूरथला जाने वाली बस में एक पुलिस दल पर जो नक्सलवादियों को पहरे में लिये हुये जा रहा था, उसी बस के 7/8 यात्रियों द्वारा अचानक हमला किया गया जिसमे एक कांस्टेबल मारा गया।

श्री तेजासिंह स्वतन्त्र : क्या सेम बाबा को लुधियाना के प्रमुख बस अड्डे पर हजारों व्यक्तियों की उपस्थिति में गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस की हिरासत में लिया गया था तत्पश्चात् उसे गोली से मार दिया गया और गोली मारने से पहले उसके हाथों में कील ठोक दी गई थी और आंखे बाहर निकाल ली गई थी ? क्या यह लोकतन्त्रात्मक है ?

श्री कृष्णचंद्र पन्त : क्या माननीय सदस्य रौनकसिंह के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने बूजासिंह का नाम लिया था।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैने कहा, इस प्रकार का एक ही मामला हुआ था, जिसका मैने उत्तर में उल्लेख किया है। यदि वह नाम देंगे तो इसकी जांच कराई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक नाम का उल्लेख किया था और अब उन्होंने एक दूसरे नाम का और उल्लेख कर दिया है।

Shri Sat Pal Kapur : May I know the number of Naxalities taken into police custody and shot dead during Akali Dal Government and how many complaints have been received against the police officers of the Punjab Government and other officers in which it is mentioned that so and so officer murderd so and so worker like Hari Singh Mrigendra, Same Baba, Raunaq Singh and whether any enquiry is being conducted against them or not ?

Mr. Speaker : This question has been answered.

Shri Sat Pal Kapur : I am asking about other persons who have been killed.

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

कलकत्ता में दूरसंचार व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति

*1417. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा हावड़ा क्षेत्रों के सभी सार्वजनिक टेलीफोन दीर्घकाल से खराब पड़े हैं; और

(ख) इन टेलीफोनों के तुरन्त ठीक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों में निरीक्षण के दौरान जिन खराबियों का पता चलता है या जिनकी सूचना किसी अन्य स्रोत से मिलती है, उन्हें तुरन्त ठीक कर दिया जाता है।

श्री सुबोध हंसदा : मन्त्री महोदय के प्रश्न के भाग (क) का उत्तर 'जी नहीं,' है। क्या देख-भाल करने वाले कर्मचारी सभी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में जाते हैं और क्या उनके पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि कितने टेलीफोन खराब हो जाते हैं और उन्हें कब तक ठीक कर दिया जाता है ? क्या उन्होने हावड़ा के सार्वजनिक टेलीफोनों की देख-भाल की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कलकत्ता में 630 सार्वजनिक टेलीफोन हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ टेलोफोन बंगाल में व्याप्त हिंसा और अशांति के कारण खराब रहते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या हावड़ा स्टेशन पर आये दिन टेलीफोन खराब हो जाते हैं और सरकार ने उन टेलीफोनों को ठीक करने के लिए क्या व्यवस्था की है ? क्या वे भी अशांति की स्थिति के कारण खराब हो जाते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : वह व्यक्तिगत प्रश्न है। 630 सार्वजनिक टेलीफोन हैं। उनमें से प्रत्येक टेलीफोन का रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मन्त्री महोदय ने स्वयं कहा है कि अधिकांश सार्वजनिक टेलीफोन खराब है। क्या मन्त्री महोदय उन टेलीफोनों को वाणिज्यिक संस्थानों में लगवाने पर विचार करेंगे जहां कोई व्यक्ति उनकी जिम्मेदारी ले सके ? मुख्य कारण तो यह है कि कलकत्ता जैसे स्थान में सरकार ने 600 सार्वजनिक टेलीफोन लगवा रखे हैं, जबकि उसे कम से कम 2000 सार्वजनिक टेलीफोनों की आवश्यकता है। क्या वह अधिक टेलीफोन लगाने पर विचार करेंगे ?

Mr. Speaker : The public call offices which have gone out of order have not yet been put into order.

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक टेलीफोनों की संख्या में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, धनराशि तथा वहां पर व्याप्त स्थिति को देखते हुए इस बारे में मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ। उन 630 टेलीफोनों को ठीक बनाये रखने और कमियां दूर करने का हमारा प्रयास रहेगा और मानव स्तर पर जितना जल्दी उन्हें ठीक करना सम्भव होगा, उतना जल्दी ठीक किया जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम : दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य से नहीं उठता है।

अश्लील चलचित्रों तथा प्रकाशनों का परिचालन

*1418. **श्री राजदेव सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अश्लील चलचित्रों को अश्लील प्रकाशनों के समतुल्य समझा जाता है;

(ख) क्या ऐसे प्रकाशनों में पशुओं के साथ यौन सम्बन्धी क्रियाओं सहित विभिन्न प्रकार की यौन क्रियाओं के सचित्र उद्धरण, अथवा पठन सामग्री होती है; और

(ग) यदि हां, तो हमारे युवक और युवतियों के पास तक ऐसे प्रकाशनों को पहुंचने से रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) :

(क) अश्लीलता से सम्बन्धित कानून फिल्मों और प्रकाशनों पर बराबर से लागू होता है ।

(ख) निश्चित मामलों की जांच के दौरान ऐसी सामग्री तथा उद्धरण वाले प्रकाशन ध्यान में आये हैं ।

(ग) युवा व्यक्तियों को किसी अश्लील सामग्री की बिक्री, परिचालन अथवा प्रदर्शन की रोक के लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है । कानूनी व्यवस्था को कड़े रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रबन्धों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है ।

Shri Rajdeo Singh : The hon. Minister has said in his reply, "Adequate provisions exist in law to curb the sale, circulation or exhibition of any obscene matter to young persons". It means that other persons can purchase such publications etc. This does not stop the publication of such matter. If elder persons take such publications to their houses. the younger ones may also read that. Will the Government impose total ban on such publications ?

Shri Ram Niwas Mirdha. The hon. Member asked about the steps taken to curb circulation of such publications to young persons. But it does not mean that such publications may reach openly to other persons. The provisions existing in law are applicable to all. Strict action is taken against the persons who sell such publications to young persons and there exist provisions in law to take strict steps in that regard.

श्रीमती शीला कौल : कितनी फिल्म सोसाइटीज पंजीकृत है और उनमें से कितनी कार्य कर रही हैं तथा जो सोसाइटियां कार्य नहीं कर रही हैं, उसका क्या यह कारण है कि राज्य सरकारों ने उनके मार्ग में बाधा उपस्थित की है ?

श्री राम निवास मिर्धा : चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसाइटी के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है परन्तु यह ऐसा अभियान है जिसे सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है ।

श्रीमती शीला कौल : मैंने पंजीकृत फिल्म सोसाइटियों के बारे में पूछा था ।

श्री राम निवास मिर्धा : पंजीकृत फिल्म सोसाइटियों के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ऐसी सोसाइटियों को, विशेषकर बच्चों के

लाभ के लिये, प्रोत्साहन देती है और उन्हें हर प्रकार की सहायता दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा उन्हें दी जाने वाली सहायता के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या "लेडी चेटर्लीज लवर" के उस संस्करण पर, जिसमें आशंका वाली बातों को हटाया नहीं गया है, इस देश में रोक लगी हुई है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके कब्जे में जो प्रति है उसे परिचालित किया जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका उत्तर क्या है ? प्रश्न अश्लील प्रकाशनों के बारे में है। वे इसकी विशेषता किस प्रकार चित्रित करते हैं ?

Mr. Speaker : It is a general question. If the hon. Member wants to know about "Lady Chatterley's Lover", he should give notice for that. I shall gladly admit that.

Shri D.N. Tiwary : There is a thin line between decent and obscene. Suppose, a thing which is decent to old persons may become obscene to the children. How it is defined to differentiate what is decent and what is obscene so that people may understand the difference. Has it been propagated or any guideline has been determined so that no body can cross the thin line of decent and obscene ?

Shri Ram Niwas Mirdha : It is difficult to define as to what is moral and what is immoral. If the hon. Member is serious about it he may draw conelusions.

Shri D. N. Tiwary : One thing moral to us may be immoral to you.

पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विशेष निकायों की स्थापना

*1421. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को समाप्त करने की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु विशेष निकाय स्थापित करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर योजना आयोग और योजना मंत्रालय विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

पिछड़े क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विशेष निकायों की स्थापना के लिए कोई भी प्रस्ताव योजना आयोग तथा योजना मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। मुख्य रूप से यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठायें। इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों से विशेष रूप से अनुरोध किया है कि वे अपनी योजनाओं को इस तरह से बनायें ताकि विभिन्न क्षेत्रों तथा समुदायों के बीच की विषमताएं कम हो सकें। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच योजना संसाधनों का विभाजन करते समय सामान्यतः राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखती हैं तथा जो क्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास की दृष्टि से दूसरों से पीछे रह गये हैं उन पर विशेष ध्यान देती हैं।

2. पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है अतएव इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक तथा सगटनात्मक कदम उठाने का दायित्व भी उन्हीं का है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन किया है। साथ ही पूर्वी क्षेत्र के पिछड़े जिलों तथा बुन्देलखण्ड के लिए विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में राज्य सलाहकार समितियों की स्थापना भी की गई है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा भी एक तेलंगाना विकास समिति तथा एक योजना कार्यान्वयन समिति की स्थापना की गई है।

3. भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं और असंतुलनों को दूर करने के लिए किये गये अन्य उपचारात्मक उपाय नीचे दिये गये हैं:—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सहायता का आवंटन करते समय विशेष समस्याओं वाले राज्य, असम नागालैंड और जम्मू व काश्मीर की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने के बाद केन्द्रीय सहायता के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन छह राज्यों में, जिनकी प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा कम थी, वितरित किया गया है;

(2) नौ राज्यों (आन्ध्र प्रदेश,असम,जम्मू और काश्मीर,केरल, मध्य प्रदेश,मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) के संसाधनों के गैर योजना अन्तराल की अनुमानित राशि 795.23 करोड़ रुपये थी, इसकी पूर्ति केन्द्र द्वारा की जा रही है जिससे ये राज्य चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने द्वारा जुटाए गये सभी अतिरिक्त संसाधनों को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करने में प्रयुक्त कर सकें;

(3) पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की एक उदारनीति विकसित की गई है। संबंधित प्रत्येक राज्य के विकास कार्यक्रम पर किया जाने वाला पूरा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है, पर यह व्यय उस राज्य के लिए निर्धारित कुल केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत होना चाहिए। मेघालय, असम, नागालैंड, जम्मू और काश्मीर (लद्दाख) तथा हिमाचल प्रदेश (लाहौल, स्पिती और किन्नौर जिलों मे) इस मद पर किये गये व्यय का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है और 10 प्रतिशत को ऋण माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों, दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल) और नीलगिरी (तमिलनाडु) में केन्द्रीय सहायता का स्वरूप 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण है।

(4) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के कारण नेफा सहित सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है। उनके गैर योजना व्यय में आई हुई कमी की पूर्ति भी केन्द्र द्वारा की जाती है;

(5) आन्ध्र प्रदेश सरकार को 45 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी जा रही है जिससे 31–3–1974 को समाप्त होने वाली अवधि में वह यह राशि तेलंगाना क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर खर्च कर सके, यह राशि उस क्षेत्र के लिए किए गए योजना परिव्यय के अतिरिक्त होगी;

(6) पुनर्वास विभाग के तत्वावधान में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह मे 50 करोड़ रुपये की लागत का एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(7) असमानताओं को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति तेज कर रहे हैं। जिन जिलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें पांडे तथा वान्चू समिति की रिपोर्ट के द्वारा निर्धारित किये गये माप दंडों के आधार पर राज्य सरकारों की सहायता से निर्धारित तथा घोषित कर दिया गया है। ऐसे क्षेत्रों को सरकारी क्षेत्र में लगाए जा रहे बड़े पैमाने पर उद्योग परियोजनाओं के लिए प्राथमिकता दी जा रही है बशर्ते तकनीकी-आर्थिक आधार पर इनके लगाए जाने की सम्भावना पाई जाये। लाइसेंस देने वाली समिति भी पिछड़े क्षेत्रों के आवेदनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है।

(8) चौथी योजना के दौरान केन्द्र द्वरा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 489 आदिम जाति विकास खण्डों के लिए 32.50 करोड़ रुपये नियत कर दिए गए हैं।

(9) असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मनीपुर, त्रिपुरा तथा नेफा के राज्यों के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा चुका है। उड़ीसा के पिछड़े जिले अर्थात् काला हांडी, बोलन्दगिरी एवं फूलबागी, पंजाब के पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के वस्ती जिले की प्रागैतिहासिक आदिम जातियों का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। एक अध्ययन टोली ने आदिम जाति क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किया है। एक केन्द्रीय टोली ने आन्ध्र प्रदेश में आदिम जाति के लोगों का भी अध्ययन किया है।

(10) कुछ राज्यों में जिला योजनाएं तैयार की जा रही है जिनके फलस्वरूप पिछड़े क्षत्रों की समस्याओं का पता चल जायेगा तथा उन समस्याओं को हल करने के लिए उपाय निकालने में सहायता मिलेगी।

(11) वित्तीय तथा ऋण संस्थान से नए उद्योगों के लिए रियायती वित्त के लिए सारे देश में 209 औद्योगिक पिछड़े हुए जिले चुन लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में पिछड़े हुए 9 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू तथा कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में से प्रत्येक राज्य में दो चुने हुए जिलों तथा शेष राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक चुने हुए जिले में केन्द्रीय सरकार एकदम सीधा अनुदान अथवा आर्थिक सहायता दे रही है जो कि उन नए एककों की स्थिर पूंजी के 1/10 के बराबर है जिसके प्रत्येक के कुल स्थिर पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं हैं।

(12) सीमा क्षेत्रों में, सीमा मार्गविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी पूंजी लगाई जा रही है।

(13) ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक रूप से गिरे हुए लोगों के लाभ के लिए तथा सूखे और बंजर क्षेत्रों के विकास के लिए बड़े पैमाने पर विशेष कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं। इन विशेष कार्यक्रमों का अनुमोदन तथा क्रियान्विति एक केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्देशन में की जा रही है जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के एक सदस्य हैं। अपर सचिव के स्तर के एक अधिकारी इस समिति के सदस्य-सचिव हैं। 46 लघु कृषक विकास अभिकर्ता परियोजनाएं, उपसीमा तक कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के लिए 41 परियोजनाएं तथा सूखा क्षेत्र में कृषकों के लिए 24 परियोजनाए स्वीकार की जा चुकी हैं। 54 निरन्तर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यों के एकीकृत कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है।

(14) 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था के साथ ग्रामीण बेरोजगारी के लिए एक तूफानी योजना (क्रैश स्कीम) आरम्भ की गयी है।

(15) अभी हाल ही में एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गयी है जो कि पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को रियायती शर्तों पर वित्तीय सहायता दे रहा है।

श्री सी० के० चंद्रप्पन : श्रीमन्, जैसा कि विवरण में बताया गया है, सच है कि सरकार ने आर्थिक प्रगति में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं परन्तु क्या यह सच नहीं है कि हमारी आर्थिक प्रगति के 20 वर्षों में देश के बहुत से भागों में क्षेत्रीय असमानतायें इतनी अधिक बढ़ी है कि लोगों ने अलग राज्य मांगना आरम्भ कर दिया। इस स्थिति में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या योजना आयोग के अन्तर्गत योजना मन्त्रालय के आधीन कोई ऐसा पृथक विभाग होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या को हल करे।

श्री मोहन धारिया : इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछड़े क्षेत्रों की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। परन्तु योजना का प्रारूप तैयार करते समय पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देना राज्य सरकार का कार्य है। इसके साथ ही केन्द्रीय सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को पर्याप्त सहायता मिले और इस उद्देश्य के लिये योजनायें भी तैयार की गयीं हैं। केन्द्रीय सरकार के लिये इससे आगे योजनायें बनाना सम्भव नहीं है।

श्री सी० के० चंद्रप्पन : विवरण में अनेक योजनाओं का ब्यौरा दिया हुआ है। यह सच है कि ऐसी योजनायें पहले भी विद्यमान थी किन्तु उनको ठीक प्रकार क्रियान्वित नहीं किया गया, अतः इस सन्दर्भ में क्या सरकार वर्तमान स्थिति पर पुनर्विचार करेगी।

श्री मोहन धारिया : सरकार पहले ही उन पर विचार कर चुकी है और मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि चौथी योजना बनाते समय राष्ट्रीय विकास परिषद् की सलाह के अनुसार विभिन्न योजनायें तैयार की गयीं थी और उनके माध्यम से केन्द्र की ओर से पर्याप्त सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे परे केन्द्रीय सरकार के लिये कुछ भी करना जब तक सम्भव न होगा तब तक कि राज्य विषयत को दूर करने के लिये इसे चुनौती के रूप में स्वयं स्वीकार न करें और इसके लिये योजनायें न बनायें।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : इस बात को ध्यान मे रखते हुये कि कुछ राज्य सरकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा की है क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास हेतु सीधी योजनाओं पर विचार कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : हाल ही में 15 या 16 संसद सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रधान मन्त्री से, जो योजना आयोग की अध्यक्ष भी हैं, भेंट की थी और अब पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक पृथक विभाग की स्थापना पर विचार किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों की अपनी विशेष समस्यायें है। हम इन क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने का अवश्य ही प्रयास करेंगे।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : विवरण से प्रकट होता है कि राज्य सरकारों के विशेष प्रयासों के अतिरिक्त केन्द्र ने आन्ध्र प्रदेश को क्षेत्रीय विषमता दूर करने के लिये विशेष रूप में 45 करोड़ रुपये की सहायता दी है। इस प्रकार की सहायता का औचित्य क्या है और पिछड़े हुये अन्य राज्यों को ऐसी सहायता क्यों नहीं दी गयी ?

श्री मोहन धारिया : मैंने सभा पटल पर एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है और यह केवल तेलंगाना के बारे में ही नहीं है अपितु यह समस्त देश के सम्बन्ध में है जिसके लिये केन्द्र ने करोड़ों रुपये की सहायता दी है और अनेकों योजनायें बनायीं हैं। जहां तक तेलंगाना के पिछड़ेपन के समस्या विशेष का सम्बन्ध है, यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 45 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय को स्वीकृति दे दी है। परन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि सभा पटल पर रखे गये विवरण में वर्णित विविध उपाय समस्त देश के लिये हैं केवल तेलंगाना के लिये नहीं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उड़ीसा राज्य को कितनी सहायता दी गयी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये अलग से वाद-विवाद की व्यवस्था की गयी है। अगला प्रश्न।

लन्दन को चाय के सीधे निर्यात में कमी

***1424 श्री माधुर्य हालदार** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय उत्पादकों ने **अलाभप्रद मूल्य** के कारण लन्दन को सीधे निर्यात की जाने वाली चाय की मात्रा में कमी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत से अन्य देशों को चाय का सीधा निर्यात करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) लन्दन को चाय के सीधे निर्यात में कमी करने के लिये चाय उत्पादकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री माधुर्य हालदार : पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष निर्यात की स्थिति क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : चाय के निर्यात की स्थिति में निश्चय ही सुधार हुआ है। 1969 में, 1680 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था जब कि वर्ष 1970 में 2080 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था और इससे हमने 148 करोड़ रुपये की विदेश मुद्रा कमाई थी। वर्ष 1971 के प्रथम पांच महीनों में हमने केवल ब्रिटेन को 82.60 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया है जबकि पिछले वर्ष इसकी तुलना में इतने ही समय में 51.2 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया था।

कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के माही यूनिट का बन्द होना

***1425. श्री ए० के० गोपालन** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कन्नानोर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स के माही यूनिट के बन्द हो जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) उसके बन्द हो जाने से कितने लोग बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से इस मिल को अपने नियन्त्रण में लेने का है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) यह मिल वित्तीय कठिनाइयों की वजह से बन्द हुई थी।

(ग) लगभग 600।

(घ) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत मिल के मामलों की जांच पहले ही की जा चुकी है और यह मामला विचाराधीन है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने जब केरल का दौरा किया था तो उस समय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने उनसे मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया था और मन्त्री महोदय ने उन लोगों को यह आश्वासन दिया था कि वह इस बात की जांच करेंगे कि क्या यह मिल सरकार द्वारा अपने हाथ में ली जा सकती है; यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह सच है कि इन दोनों मिलों के प्रतिनिधि मुझ से मिले थे और उन्होंने अपनी कठिनाईयों के बारे में मुझे बताया था। वास्तव में अब कन्नानोर स्पिनिंग मिल्स और माही मिल्स के बारे में जांच पूरी हो चुकी है। हमने राष्ट्रीय कपड़ा निगम से परामर्श कर, इस प्रतिवेदन का परीक्षण किया है। चूंकि यह दोनों यूनिट अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। एक यदि पांडीचेरी में है तो दूसरी केरल में। इसलिए हमने सम्बद्ध राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि यदि वह इन मिलों से सम्बद्ध अपना अपना दायित्व निभाने को तैयार हो तो हम इन मिलों को अपने हाथ में लेने को तैयार हैं।

श्री ए० के० गोपालन : क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने भारत के कुछ राज्यों से यह अनुरोध किया है कि वह बन्द पड़ी मिलों को अपने हाथ में लेने को तैयार है; यदि हां; तो क्या आपका मन्त्रालय राष्ट्रीय कपड़ा निगम से अनुरोध करेगा कि उसे यह दोनों बन्द मिलें भी अपने हाथ में ले लेनी चाहिये ?

श्री ए० सी० जार्ज : जी हां, ऐसी परिस्थितियों में वित्तीय दृष्टि से तो राज्य सरकारों का दायित्व 49 प्रतिशत दिलचस्पी लेने का होता है।

बालमेर लौरी टी वेयरहाऊस, कलकत्ता का सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*1426. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बालमेर लौरी टी वेयरहाऊस, हाईड रोड, कलकत्ता, को अपने अधिकार में लेने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे कब अपने अधिकार में ले लेगी ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : (क) और (ख) : कलकत्ता में चाय के तीन सरकारी गोदामों को किसी केन्द्रीय अभिकरण द्वारा हाथ में लेने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री दिनेश जोरदार : मेरा प्रश्न बालमेर लौरी टी वेयरहाऊस को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के बारे में था जबकि मन्त्री महोदय ने कुछ सन्देहजनक उत्तर दिया है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या चाय उद्योग के वेयरहाऊस, पूर्णतया बालमेर लौरी कम्पनी आदि के एकाधिकारवादियों और पूंजीपतियों के हाथ में है। अनेक बार बालमेर लौरी फर्में परिवहन व्यवस्था में खलबली डालकर वेयरहाऊसिंग से अधिक पैसा कमाने का यत्न भी करती है। क्या सरकार सभी बालमेर लौरी वेयरहाऊसों को अपने अधिकार में ले लेगी ?

श्री एल० एन० मिश्र : यही तो हमारी समस्या है। यह वेयरहाऊस घाटे में चल रहे है। बालमेर लौरी बन्धु इससे अपना सम्बन्ध तोड़ चुके हैं। पट्टेदारी समाप्त हो गई है और अब इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इसे चलाने के इच्छुक हैं। परिवहन मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है। शायद सदस्य महोदय को मालूम ही होगा कि इन तीन वेयरहाऊसों से 30–40 लाख रुपये की वार्षिक हानि हो रही है। निसन्देह इसकी कुछ व्यवस्था हमें परिवहन मंत्रालय को सौंपनी ही पड़ेगी। सरकार को हस्तक्षेप कर अब इसे अपने हाथ में लेना पड़ेगा।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

FINALISATION OF KALI SINDH SCHEME NEAR GWALIOR

SNQ 6. Shri Atal Behari Vajpayee : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether the Kali Sindh Scheme near Gwalior has since been finalised;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the time by which work on this Scheme is likely to be started.

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) : सिन्ध नदी परियोजना के प्रथम चरण में रु० 4.9 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रतिवर्ष **58,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की व्यवस्था** के लिए सिन्ध नदी पर **45 फुट उंची** एक **व्यपर्तन बंधिका (वियर)** और वर्तमान **हरसी जलाशय तक 4 मील लम्बी** एक फीडर नहर के निर्माण और **हरसी नहर प्रणाली को नया** रूप देने का विचार है। सिन्ध नदी के **व्यपवर्तन** से काकेटो जलाशय से छोड़े जाने वाले 1.5 हजार मिलियन घनफुट (**टी० एम० सी०**) जल को **तिगरा जलाशय में** देकर उसका उपयोग ग्वालियर जल प्रदाय में वृद्धि लाने के लिए किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सिन्ध नदी परियोजना के दूसरे चरण में 3.5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए जल संचय हेतु इस बंधिका को और ऊपर उठाया जाएगा।

राज्य सरकार ने परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव जनवरी, 1971 में भेजे थे और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इनकी तकनीकी जांच की जा चुकी है। हाल में ही, आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर परियोजना की स्वीकृति के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी।

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether it is a fact that originally there was only one project and there was no proposal

to divide it into parts or phases ? How much time will be taken for the completion of the second phase ?

डा० के० एल० राव : यह परियोजना कई वर्ष पुरानी है । 1965 में मैं वहां यह जानने के लिए गया था कि इसमें विलम्ब क्यों किया जा रहा है । मैंने ही इसे दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया था; एक 5 करोड़ रुपये की लागत से व्यपवर्तन का और दूसरा 30 करोड़ रुपये की लागत से गोदाम बनाने के लिए । इस पर जो धन व्यय किया जायेगा, उसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए ही इसे दो भागों में बांटा गया है । परियोजना को बनाये रखने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया है । वर्तमान परियोजना से पहले सींची जाने वाली 75,000 एकड़ भूमि के अतिरिक्त 58,000 एकड़ भूमि की सिंचाई भी की जायेगी । यह उद्देश्य केवल 2 या 3 वर्षों में ही पूरा हो जायेगा । जब परियोजना बांध को और अधिक ऊंचा बढ़ाया जायेगा तो इससे 3.5 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई होने लगेगी । परियोजना का विभाजन केवल मात्र इसी उद्देश्य से किया गया है कि जो धन इस पर खर्च किया जा रहा है, उसका अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके ।

Shri Atal Behari Vajpayee : Whether the hon. Minister is aware of the fact that the issue of increasing the supply of drinking water to Gwalior is also connected with this project and whether with the completion of first phase, drinking water problem of Gwalior will be solved ?

डा० के० एल० राव : परियोजना के प्रथम चरण के पूर्ण होते ही ग्वालियर को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इन्होंने मेरा प्रश्न ठीक तरह से नहीं समझा । क्या यह सच नहीं है कि ग्वालियर को पीने का पानी उपलब्ध करवाने का कार्य दूसरे चरण के पूरे होने के बाद किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि परियोजना के प्रथम चरण में ही नदी के उपर वाले जलाशय से ग्वालियर के पीने वाले पानी के जलाशय को पानी दिया जायेगा और यह कार्य पहले दो या तीन वर्षों में ही पूरा हो जायेगा ।

Shri R. V. Bade : I would like to know from hon. Minister when phase one will be completed and when phase two is likely to be completed ?

डा० के० एल० राव : ज्योंही परियोजना का ब्यौरा प्राप्त हो जायेगा त्योंही इसकी मंजूरी दे दी जायेगी ताकि इसी वर्ष यह परियोजना आरम्भ की जा सके । मध्य प्रदेश राज्य सरकार भी इस परियोजना को देखना चाहती है । इसीलिए मुझे यह आशा है कि दो या तीन वर्षों में ही इस परियोजना से लाभ होना आरम्भ हो जायेगा और यह परियोजना तीन या चार वर्षों में पूरी हो जायेगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आंध्र प्रदेश में टैक्टर का कारखाना

***1381. श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक टैक्टर बनाने का कारखाना प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सरकारी क्षेत्र में होगा या निजी क्षेत्र में, वह किस स्थान पर लगाया जायेगा और उसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) मंजूर की गई वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोईनुल हक चौधरी) : (क) आंध्र प्रदेश में ट्रैक्टर बनाने वाले कारखानों की स्थापना से सम्बन्धित दो प्रस्ताव हैं।

(ख) और (ग) : दोनों प्रस्ताव गैर सरकारी क्षेत्र के हैं और दोनों की स्थापना हैदराबाद में की जानी है। उनमें से एक की वार्षिक क्षमता 5000 ट्रैक्टरों की है जिसकी लागत का अनुमान 430 लाख रुपया लगाया गया है। दूसरे की वार्षिक क्षमता 10 हजार होगी और लागत का अनुमान 232 लाख रु० का है।

जेट चालित रेलगाड़ियों के लिये रूपरेखा तैयार करना

***1382. श्री के० बालतण्डायुतम्** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने निकट भविष्य में जेट चालित गाड़ियों का सूत्रपात करने के लिए रूपरेखा तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिशु उपहार का मूल्य

***1383. श्री एच. एच. महाराजा नरेन्द्रसिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत्त चार वर्षों में दूध, दुग्ध चूर्ण टिन तथा श्रम सम्बन्धी लागतें काफी बढ़ गई है यद्यपि सरकार ने शिशु आहार के मूल्य 1967 में निश्चित किए थे; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) बच्चों के खाद्यों पर हाल में सरकार ने कीमतों में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को प्राधिकृत कर दिया है।

रेलवे सुरक्षा बल का पुनर्गठन

***1384. श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल को एक सशस्त्र अर्धसैनिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्गठन के क्या विशेष लाभ हैं तथा इसके क्रियान्वित होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां । इस तरह का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

माल डिब्बों के निर्माण के लिये रेलवे वर्कशापों को मिलने वाले आर्डरों में कमी

***1385. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने माल डिब्बों के निर्माण के लिए रेलवे वर्कशापों को आर्डर देने में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भावी आवश्यकताओं के लिए गैर-सरकारी फर्मों को आर्डर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा के तथा कितने मूल्य के आर्डर दिए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1971-72 के माल डिब्बा निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी माल डिब्बा निर्माताओं को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं ।

(घ) चार पहियों वाले 7891.5 माल डिब्बे, जिनका मूल्य लगभग 16·90 करोड़ रुपये होगा ।

माल डिब्बों में चोरी रोकने का तरीका

***1386. श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों में होने वाली चोरियों को रोकने हेतु दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा सुझाए गए तरीके को कार्य रूप देने के लिए प्रति माल डिब्बे के लिए प्रति दिन एक अतिरिक्त व्यक्ति की सेवाएं आवश्यक होंगी ;

(ख) क्या रेलवे डिजाइन तथा मानक संगठन ने माल डिब्बों में होने वाली चोरियों को रोकने के लिए माल डिब्बों के साथ यन्त्र लगाने का जो सुझाव दिया है उसके लिए प्रति दिन 1·7 अतिरिक्त व्यक्तियों की सेवाएं आवश्यक हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है तो क्या माल डिब्बों में चोरियों को रोकने के तरीकों को कार्य रूप देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी दी जाने वाली है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जहां आवश्यक समझा जाता है रेलों द्वारा इस काम के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की योजना बनायी जा रही है।

कल पुर्जों के चोरी हो जाने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में "बेकार" हुये माल डिब्बे

***1387. श्री राजदेवसिंह** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल पुर्जो के चोरी हो जाने के कारण पूर्वोत्तर रेलवे में 22,000 रेलवे माल डिब्बे बेकार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो चोरियां गोदामों (भण्डारों) से हुई हैं अथवा रेल डिब्बों को खड़ा करने के स्थानों से ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) चोरियां भण्डारों और यार्डों दोनों स्थानों से हुई थीं।

रेलवे महाप्रबन्धकों को प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार देना

***1388. श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात् रेलवे बोर्ड में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबन्धकों को और अधिक प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकारों की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : अभी तक नहीं। प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट के आधार पर और अधिकार दिये जाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

शीशे की चादर (शीट ग्लास) के मूल्य में वृद्धि

***1389. श्री रामकंवर** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीशे के व्यापारियों ने शीशे की चादर (शीट ग्लास) के मूल्यों में वृद्धि का विरोध किया है;

(ख) क्या शीशा निर्माताओं ने इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को कोई याचिका भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : कुछ शीशा व्यापारी संघों तथा कुछ फर्मों से दो फर्मों अर्थात् मे० हिन्दुस्तान पिलिंगटन ग्लास वर्क्स लि०, कलकत्ता

और मे० इन्डो-असाही ग्लास कम्पनी लि०, कलकत्ता से शीशे की चादरो (शीट ग्लास) की कीमतों में वृद्धि किये जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिसमें प्रधान मन्त्री को भेजा गया एक अभ्यावेदन भी सम्मिलित है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा सप्लाई की जाने वाली विद्युत की दर में वृद्धि

*1390. **डा० रानेन सेन** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कारणों से विद्युत प्रजनन-लागत में हुई वृद्धि की पूर्ति करने के लिये दामोदर घाटी निगम ने अपनी विद्युत की दर में हाल ही में काफी वृद्धि की है; और

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई प्राप्त करने वाले लगभग सभी प्रमुख उपभोक्ताओं ने इस प्रकार विद्युत की दर में एकतरफा वृद्धि किये जाने पर गम्भीर विरोध प्रकट किया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या अग्रसर कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम पश्चिम बंगाल और बिहार विद्युत बोर्डों और लगभग 16 नियमित थोक विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करता है। पश्चिम बंगाल और बिहार विद्युत बोर्डों को सप्लाई की गई विद्युत की शुल्क दरें भारत सरकार द्वारा जून, 1967 में दामोदर घाटी निगम को जारी किये गये एक निर्देश से नियन्त्रित होती हैं। दामोदर घाटी निगम ने कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की शुल्क-दरों में 1 जनवरी, 1970 को वृद्धि कर दी। विद्युत के शेष थोक उपभोक्ताओं के लिए 1 फरवरी, 1971 से शुल्क-दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। सामान्यत: इन उपभोक्ताओं ने शुल्क-दरों में वृद्धि का विरोध किया है। वेतनों और कल-पुर्जों और सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाने से प्रचालन व्यय में वृद्धि होने के कारण यह वृद्धि आवश्यक हो गई है। सिर्फ दो को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता संशोधित शुल्क दरों के अनुसार ही अदायगी कर रहे हैं। इन दो उपभोक्ताओं में से एक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और दूसरे के मामले पर विचार विमर्श हो रहा है।

पश्चिम बंगाल में सीमेन्ट का कारखाना

*1391. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री डी० एन० महाता :

क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सीमेन्ट का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्गापुर।

Proper Weighing of coal

*1392. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) Whether one of the main reasons of loss to the Railways is that coal is not weighed at the place where it is loaded and after loading some quantity of the coal is taken out at the same or other place; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b) Wagons of coal are weighed either in the colliery sidings where weighbridges have been provided by siding owners or at base stations where weighbridges have been provided by the Railways. However, in case of one loading point on the Central Railway and two loading points on South Central Railway where weighbridges have either not been provided or are not big enough to weigh BOX wagons, weight is calculated on volumetric basis.

2. The minimum chargeable weight is carrying capacity of the wagon plus permissible tolerance limit of one tonne in case of a four-wheeler and two tonnes in eight-wheeler wagon. The Railways get this minimum freight irrespective of actual quantity of coal loaded and there is no loss in freight charges. Railway Receipts are issued after weighment and the Railways' liability commences only after this.

3. On sidings where colliery owners do not have their own weighbridges, sometimes wagons are overloaded i. e. loaded beyond permissible limits fixed for safety. As this overloading cannot be allowed, such quantity of coal as is found in excess of permissible limit is unloaded at weighment stations. Colliery owners are authorised to remove this coal or re-load it into other wagons on their own responsibility. Each wagon has a painted load-line for coal, loading upto which will give weight upto the marked carrying capacity of a wagon. This serves as a guide for not exceeding the permissible load.

LOCOMOTIVES MANUFACTURED BY CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

*1393. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) The numbre of Railway locomotives manufactured by Chittaranjan Locomotive works annually ;

(b) The nomenclature of various types of locomotives manufactured by the C. L. W. ; and

(c) The cost of manufacture of each type of locomotive ?

The Miuistr Fcr Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (c) : A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

1. **Yearwise production of locomotives at the Chittaranjan Locomotives works.**

Year	Steam	Electric (All B. G.)			Diesel Locomotives	
		AC/MT	DC	AC/FT	B.G. Diesel Shunting	N.G Main Line Diesel Locos (ZDM 3)
1	2	3	4	5	6	7
1950-51	7	...	...	...		...
1951-52	7	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7
1952-53	33	...	...	...	...	...
1953-54	64	...	--	...	...	...
1954-55	98	...	—	...	...	...
1955-56	129	...	...	...	...	...
1956-57	156	...	...	...	...	...
1957-58	164	...	...	...	...	...
1958-59	165	...	...	—	...	—
1959-60	173	...	...	...	...	...
1960-61	173	...	—	...	...	...
1961-62	171	...	5	...	...	...
1962-63	169	...	14	...	...	..
1963-64	172	...	2	2	...	...
1964-65	153	...	..	27	...	...
1965-66	137	...	—	32	...	..
1966-67	112	..	...	57	..	...
1967-68	93	.	...	30	2	...
1968-69	68	...	—	48	17	...
1969-70	45	...	...	31	22	...
1970-71	33	6	3	41	35	5
Total:—	2332	6	24	268	76	5

2. **Types of locomotives manufactured at the Chittaranjan Locomotive works.**

Steam Locomotives) Broad Gauge — WG, WP, WT & WL
) Metre Gauge — YG

Electric Locomotives) Broad Gauge — DC/FT, AC/FT & AC/MT

Diesel Locomotives) Broad Gauge — WDS4 (Diesel–Hydraulic Shunters)
) Narrow Gauge — ZDM3 (Main Line Diesel—Electric Locos)

3. **Average present day cost of production of locomotives in the chittaranjan Locomotive works.**

(Figures in lakhs of Rupees)

Steam		Electric (Broad Gauge)			Diesel	
B.G.	M.G	DC/FT	AC/FT	AC/MT	B.G.	N.G.
6.78	6.35	24.00	21.12	21.41	14.65	11.50

लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव

*1394. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को स्वीकृति प्रदान करने हेतु योजनाएं भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दादराघाटी सुन्दर और सैपल आदि परियोजनाओं के हाथ में लिये जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : उड़ीसा को साइपाला, काला, सुन्दर, दादराघाटी और ओंग मध्यम सिंचाई स्कीमों पर केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने पर इन स्कीमों पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में प्राप्त दुमेरबहाल परियोजना की जांच की जा रही है। स्वीकृति होने के पश्चात् परियोजनाओं को शीघ्र ही शुरू किया जाएगा।

कृषि मन्त्रालय ने, जो लघु सिंचाई कार्यक्रम का संचालन करता है, सूचना दी है कि लघु सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र के पास आने की आवश्यकता नहीं है और ये राज्य सरकारों द्वारा उनके सम्पूर्ण योजना ढांचे के अन्तर्गत स्वय ही मंजूर की जा सकती हैं।

बिहार में सिंचाई क्षमता के लिये सर्वेक्षण

***1395. श्री एन० ई० होरो** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में सिंचाई क्षमता के सर्वेक्षण के लिये अक्तूबर, 1970 में कोई दल भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो दल के दौरे के क्या परिणाम निकले और दल की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : सिंचाई राज्यों का विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन तथा अनुसंधान कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बिहार की सिंचाई शक्यता के सर्वेक्षण के लिए भारत सरकार ने कोई दल नहीं भेजा था। बिहार सरकार संभाव्य सिंचाई परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य कर रही है। जब भी अनुसंधान कार्य पूर्ण हो जाएंगे वे अपनी विकासात्मक योजनाओं में शामिल करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकार करने हेतु स्कीमें तैयार करेंगे।

गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर हड़ताल

***1396. श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के दिल्ली-बम्बई मार्ग पर गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा 4 जुलाई, 1971 को की गई हड़ताल की कोई जांच कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : गंगापुर सिटी स्टेशन पर कोई हड़ताल नहीं हुई थी। लेकिन कुछ गैंगमैनों और बाहरी व्यक्तियों द्वारा रेल पथ पर प्रदर्शन किया गया और धरना दिया गया जिसके फलस्वरूप गंगापुर सिटी स्टेशन पर कुछ गाड़ियां रुकी रहीं। प्रदर्शनकारी स्टेशन अधिकारी, सरकारी रेलवे पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे जिन पर एक गैंगमैन को पीटने का कथित आरोप था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

कागज का वितरण

*1367. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेपर ट्रेडर्स एसोसियेशन ने उपभोक्ताओं को कागज के वितरण के बारे में उदार नीति अपनाने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य सुझाव क्या हैं, और

(ग) क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार कर लिया है और इसके फलस्वरूप वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) उनके सुझाव निम्नलिखित हैं :—

(1) विनियंत्रण से पूर्व अर्थात् वर्ष 1967 और 1968 में प्रचलित उत्पादन ढांचे पर आना।

(2) उनके वितरकों / अभिकर्त्ताओं / स्टाकिस्टों को इन वर्षों में उनकी कुल खरीद के आधार पर मात्रा और कोटिवार माल का संभरण करना।

(3) प्रत्यक्ष रूप से मूल्य वृद्धि करने या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे नये नामकरण द्वारा, अतिरिक्त पैकिंग द्वारा, फ्रेट प्रभार द्वारा या सामान्य दलाली में कमी करके जिससे उपभोक्ता पर मूल्य वृद्धि का भार पड़े सरकार की पूर्वानुमति के बिना मूल्य वृद्धि करने को रोकना।

(4) सदस्य यूनिटों को अपने वितरकों / अभिकर्त्ताओं और तदर्थ समिति के प्रत्येक सदस्य को समय समय पर उत्पादों की मूल्य सूची जारी करने के लिये निदेश देना। और

(5) अस्वस्थ व्यापार प्रक्रियाओं को अपनाकर अधिक मूल्य वसूल करने से अपने सदस्य यूनिटों को रोकना।

(ग) कागज के वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। परन्तु एक तदर्थ समिति समय समय पर स्थिति का जायजा लेती है और खपत के विशिष्ट क्षेत्रों में मांग के अनुसार कागज की संभरण करने के लिए कागज उद्योग के साथ मध्यस्थता करती है।

उपर्युक्त सुझावों पर तदर्थ समिति ने विचार किया और निम्नलिखित निर्णय लिये तथा कार्यान्वयन के लिए उन्हें कागज उद्योग को भेज दिया।

(1) विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को वर्ष 1968–69, 1969–70 और 1970–71 में उनकी औसत कुल खरीद के आधार पर उद्योग कागज का संभरण करता रहेगा।

(2) सभी कागज मिलें गन्तव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त और $7\frac{1}{2}\%$ विक्रेताओं की दलाली मिलाकर अपने उत्पादों के मूल्यों को वर्ष में दो बार देश के सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेंगी।

(3) कीमतें बारम्बार संशोधित नहीं की जायेंगी। किसी नई किस्म के चलाने के कारण मूल्य वृद्धि या किसी किस्म के कागज की मूल्य वृद्धि के परिवर्तन को प्रकाशित किया जायेगा और सरकार को समुचित पूर्व सूचना दिये बिना कीमतों में वृद्धि नहीं की जायेगी।

(4) कागज के प्रत्येक रिम पर कीमत छापी जायेगी।

केरल में लघु उद्योग क्षेत्र में कच्चे माल की कमी

*1398. **श्री एम०के०कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि लघु उद्योग क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में केरल राज्य द्वारा किये जा रहे प्रयासों में कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण अनेक बाधायें पड़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल को कच्चा माल अर्थात् इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम और जस्ता अधिक मात्रा में देने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : इस समय देश में लौह और अलौह दोनों प्रकार के कच्चे माल की कमी है। यह कमी देश के (केरल सहित) लघु उद्योगों के विकास के मार्ग में अवरोध का काम कर रही है। फिर भी इस स्थिति में अधिक प्रपुंज आयात और अधिक बड़े आवंटन द्वारा स्थिति को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अधिक सीमा तक 58,670 मी. टन स्टील शीटों तथा एम. एस. प्लेटो का प्रपुंज आयात हिन्दुस्तान स्टील लि० के आयात से किया जा रहा है। इसमें से केरल सरकार को 1000 मी०टन दिया गया था। लघु उद्योगों एककों को वास्तविक उपभोक्ता के रूप में इस्पात का आयात करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। इस्पात और अलौह धातुओं दोनों का ही वास्तविक उपभोक्ताओं को उनके द्वारा पिछले वर्ष किए गये आयात का 50 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति दी गई है। एम. एम. टी. सी. द्वारा आयातित 2000 मी. टन स्टेनलेस स्टील की चद्दरों में से केरल सरकार को बर्तन बनाने वालों को देने के लिए 64 मी. टन चद्दरें दी गई थीं। केरल सरकार को 1971-72 में ई. सी. ग्रेड का 2000 मी० टन एल्युमिनियम आवंटित किया गया था।

लाइसेंसों के लिये पंजाब से प्राप्त अनिर्णीत आवेदनपत्र

*1399. **श्री मानसिंह भोरा** : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के कितने आवेदनपत्र सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) उनके निपटाने में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) पंजाब में नये उद्योग स्थापित करने के लिए 1/1/1968 से 30/6/1971 तक प्राप्त 93 आवेदनों में से 33 आवेदन अभी भी विचाराधीन हैं, इनमें से एक 1968 में, 4 आवेदन 1969 में, 15 आवेदन 1970 तथा 13 आवेदन 1971 में प्राप्त आवेदनों से सम्बन्धित हैं, 1/1/68 से पूर्व प्राप्त कोई भी आवेदन अनिर्णीत नहीं पड़ा हुआ है।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिए आये आवेदन-पत्रों पर विचार करते समय प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता होती है किसी आवेदन का निपटारा करने में बहुधा अनेक कारणों से विलम्ब हो जाता है। कभी-कभी आवेदन में प्रथमतः पूरी जानकारी नहीं दी गई होती है और अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित होती है। कभी-कभी सम्बन्धित उद्योगों के बारे में नीति सम्बन्धी निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। फिर भी, सरकार अनिर्णीत आवेदनों का शीघ्र निपटान करने का सुनिश्चय करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न कर रही है।

गंगा नदी के बांयें तट पर फरक्का बांध के भाग के रूप में चढ़ाव बांध (एफलक्स बंद) का निर्माण

*1400. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बाढ़ के कारण होने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिये गंगा नदी के बांये तट पर फरक्का बांध के भाग के रूप में चढ़ाव बांध (एफलक्स बंद) बनाने सम्बन्धी कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के लिये मंजूरी दे दी गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : बाढ़ से रक्षा के लिए फरक्का बराज की प्रतिप्रवाह दिशा में गंगा के बांये किनारे पर एक तटबंध के निर्माण के लिए 1.65 करोड़ रुपये की लागत की स्कीम का एक प्रारम्भिक प्राक्कलन केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग को पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य इंजीनियर से मई, 1971 में प्राप्त हुआ था। जांच के बाद केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर को लिखा है कि वे उनकी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत स्कीम तैयार करें और उसे उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृत करा कर भेज दें। पश्चिम बंगाल सरकार से विस्तृत स्कीम अभी प्राप्त की जानी है।

जोनल और डिवीजनल स्तरों पर रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों के चलन की कसौटी

*1401. **श्री विक्रमचन्द महाजन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जोनल रेलवे और डिवीजनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों के चयन के सम्बन्ध में क्या कसौटी अपनाई जाती है;

(ख) उक्त समितियों के कितने सदस्य लगातार दो वर्ष से अधिक समय से उनके सदस्य चले आ रहे हैं; और

(ग) उन्हें दो वर्ष से अधिक समय तक सदस्य बने रहने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) क्षेत्रीय । मण्डल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों में सदस्यों का मनोनयन इस सिद्धान्त पर आधारित हैं कि रेल उपयोगकर्त्ताओं के विभिन्न अभिज्ञेय और महत्वपूर्ण समुदायों का जहां तक व्यवहारिक हो उनमें व्यापक प्रतिनिधित्व हो ।

(ख) ऐसे सदस्यों की संख्या वर्तमान क्षेत्रीय समितियों में 19 और मण्डल समितियों में 26 है ।

(ग) सदस्यता को एक और अवधि के लिए बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए सामान्यत: इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि सार्वजनिक कार्यों में सदस्य कितने उत्साह और अभिरुचि से भाग लेते है ।

कठुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन

***1402. श्री इन्दजीत मल्होत्रा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में कठुआ से जम्मू तक रेलवे लाइन का निर्माण करने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) कठुआ–जम्मू रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में जून, 1971 के अन्त तक कुल मिलाकर 42.38 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ख) दिसम्बर, 1972

विदेशों में रेलवे के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपलब्ध किया जाना और रेलवे के विकास कार्यक्रमों का आरम्भ किया जाना

***1403. श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें उनका मंत्रालय विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और जहां उसने रेलवे के विकास कार्यक्रमों को आरम्भ किया है तथा इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ख) इन शर्तों से सरकार को किस हद तक लाभ हो रहा है और उसने कितना लाभ अर्जित किया गया हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) घाना, ईरान, इराक, जोर्डन, नाइजीरिया, फिलिप्पाइन, दक्षिण कोरिया, सीरिया, थाईलैण्ड और जाम्बिया को विशेषज्ञों की सेवाएं द्विपक्षीय समझौते और सहायता योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गयी हैं । लेकिन, किसी भी देश में रेलों की विकास परियोजना पर अभी काम शुरू नहीं किया गया है ।

(ख) विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए रखी गयी शर्तों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है ।

भटिंडा स्थित तापीय संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार का अभ्यावेदन

***1404. श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भटिंडा स्थित तापीय संयत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) क्या पंजाब सरकार को मूल योजना के अनुसार कोटा स्थित तापीय संयंत्र से कोई बिजली प्राप्त हो रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने यह प्रस्ताव रखा है कि भटिंडा के 220 मैगावाट ताप विद्युत केन्द्र (गुरु नानक ताप विद्युत केन्द्र) के साथ 220 मैगावाट क्षमता का एक और केन्द्र स्थापित किया जाए जिसमें 110–110 मैगावाट के दो सेट हों। स्कीम रिपोर्ट की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच हो रही है।

(ख) पंजाब द्वारा कोटा के किसी भी ताप संयंत्र से बिजली लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल क्षेत्र के कई राज्यों द्वारा कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में परमाणु संयंत्र के दूसरे यूनिट से बिजली लेने के प्रश्न पर अभी निर्णय लिया जाना है।

बढ़िया किस्म के इन्सूलेटिंग कागज का उत्पादन

***1405. श्री डी० डी० देसाई : क्या औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल और कैपेसिटर्स के निर्माण के उपयोग में आने वाले बढ़िया किस्म के इन्सूलेटिंग कागज का उत्पादन भारत में नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कागज का भारत में उत्पादन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों के अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त केबल और कैपेसिटर बनाने के लिये आवश्यक इन्सुलेटिंग पेपर का उत्पादन करने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिंचाई के प्रयोजनार्थ पश्चिमी घाटों का सर्वेक्षण

***1406. श्री जी० भुवाराहन : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई के लिए जल का उपयोग करने हेतु पश्चिमी घाटों का कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : पश्चिमी घाट केरल, तमिल नाडु, मैसूर और महाराष्ट्र राज्यों में पड़ते हैं। बहुत सी सिंचाई परियोजनाओं को पहले ही पूर्ण कर दिया गया है और कुछ अन्य परियोजनाएं पश्चिमी घाटों में निर्माणाधीन हैं। नयी

परियोनाओं को अंतिम रूप देने के लिए अनुसंधान कार्य चल रहे हैं और जब भी वे पूर्ण हो जाएंगे, राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट परियोजनाएं अपनी विकासात्मक योजनाओं में कार्यान्वयन के लिए तैयार की जाएंगी ।

Coining of Code Words in Hindi for Sending Telegrams

*1407. **Shri Sudhakar Pandey**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the arrangements made to coin code words in Hindi on the pattern of code words in English for sending Departmental telegrams;

(b) the time by which code words in Hindi are proposed to be coined; and

(c) when these code words in Hindi are likely to be put into effect in Railway offices ?

The Minister for Railways (Shri Hanumanthaiya): (a) Code words for sending departmental messages are being coined with the assistance of the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.

(b) Since the work is still in initial stages, it is not possible to indicate the time by which coining work will be completed.

(c) Does not arise at present in view of reply to part (b).

आंध्र प्रदेश द्वारा तमिलनाडु स्थित नेवेली परियोजना में उत्पादित बिजली में हिस्से का दावा

*1408. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित केन्द्र द्वारा प्रायोजित नेवेली परियोजना से पैदा की जाने वाली बिजली में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से का दावा करते हुए केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) : जी, हां ।

(ख) इस बात को देखते हुए कि नेवेली लिग्नाइट निगम लि० इसके पास उपलब्ध सारी फालतू विद्युत को तमिलनाडु को सप्लाई करने के लिए पहले से ही वचनबद्ध है, नेवेली की विद्युत में पड़ोसी राज्यों के भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

कागज की मिलों की अधिष्ठापित क्षमता

*1409. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छपाई और लेखन का कागज बनाने वाली मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी कितनी मिलें पेपर बोर्ड और पोस्टर बनाते हैं;

(ग) इन दोनों वर्गों की मिलों की कुल अधिष्ठापित क्षमता क्या है; और

(घ) चौथी योजना में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

औद्योगिक विकास मत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (घ) : इस समय छपाई और लेखन का कागज बनाने वाली 36 मिलें हैं। जो पेपर बोर्ड बनाती हैं वे 22 हैं और जो लेखन और छपाई के कागज के अतिरिक्त, पोस्टर बनाती हैं, वे 13 हैं। सभी प्रकार के कागज और पेपर बोर्डों की कुल अधिष्ठापित क्षमता 7.98 लाख टन प्रति वर्ष है। इन मिलों की पेपर बोर्डों और पोस्टरों की क्षमता को अलग से नहीं आंका गया है। चौथी योजना में सभी प्रकार के कागज का लक्ष्य 11.3 लाख टन प्रति वर्ष है।

वर्षा के कारण राजस्थान में हुई हानि

*1410. **श्री नवलकिशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में भारी और अभूतपूर्व वर्षा के कारण भीषण हानि हुई है और हजारों लोग बेघरबार हो गए है ;

(ख) यदि हां, तो जान माल की कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख) : टोंक, अजमेर, जयपुर, नागौर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण सिंचाई तालों में दरारें आ गई और बाढ़ आ गई, सिंचाई कार्यों को क्षति पहुंची और कई गांव और परिवार प्रभावित हुए। हानि कितनी हुई है राज्य सरकार उसका अनुमान लगा रही है। प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार 61 तालों में दरारें आई और 119 सिंचाई कार्य क्षतिग्रस्त हुए। 37 ग्राम और 890 परिवार प्रभावित हुए। मकानों की लगभग 12 लाख रुपये की क्षति पहुँची है। सिंचाई कार्यों की मरम्मत पर 137 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। कोई भी मानव जीवन हानि नहीं हुई।

(ग) राज्य सरकार ने दरारों को बन्द करने और सिंचाई कार्यों की मरम्मत के कार्य को हाथ में लिया है प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए भी राज्य सरकार ने कार्यवाही की है।

बारासात, पश्चिम बंगाल में की गई आठ नवयुवकों की हत्या की जांच

*1420. **श्रीमती विभा घोष** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारासात, पश्चिम बंगाल में आठ नवयुवकों की हत्या करने वाले अपराधियों का पता लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उन हत्याओं की जांच के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल से प्राप्त सूचना के अनुसार इन हत्याओं से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों की अभी जांच पड़ताल की जा रही है।

लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड कानपुर को सरकारी अधिकार में लिया जाना

*1422. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीरतन काटन मिल्स लिमिटेड, कानपुर की जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) इस मिल को सरकारी अधिकार में लेने का अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) कम्पनी द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, सरकार द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी किये गये जांच आदेश पर अनुवर्ती कार्यवाही रोकने के लिये एक अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की है। स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात् जांच कार्यवाही पुनरारम्भ की जायेगी।

ताम्बे के आयात के लिये जाम्बिया के साथ करार

*1423. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने तांम्बे का आयात करने के लिये जाम्बिया के साथ करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में ताम्बे का आयात किया जायेगा ; और

(ग) इसके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1971 से आरम्भ होकर तीन वर्ष के भीतर 1500 मे० टन प्रति माह के हिसाब से 54,000 मे० टन तांबे का आयात किया जायेगा।

(ग) लगभग 45 करोड़ रुपये (15 करोड़ रुपये वार्षिक)।

Alleged Statement made by General Secretary of Muslim League and President of Majlis-e-Tamir Millat Re : arrests made for Spying Actvities in West Bengal.

*1427. **Shri Phool Chand Verma ;**
Shri B. S. Chowhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Governn ent are aware that the General Secretary of the Muslim League and the President of Majlis-e-Tamir Millat, have recently made a Statement in regard to the persons arrested on the charge of Spying in west Bengal ;

(b) If so, the main features of the statement made by them ; and

(c) The reaction of Government thereto ?

The Minster of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ramniwas Mirdha) : (a) & (b) : Government have seen Press reports regarding a Joint statement made on 30th June, 1971 by the President of the All India Majlis-e-Tamir-e-Millat and the General Secretary of the Indian Union Muslim League, demanding, Inter alia, that Shri Syed Badrudooja and Shri Ghulam Yazdani must be tried in an open court.

(c) The case against the above mentioned persons is already under investigation according to law.

बम्बई पत्तन पर लम्बे रेशे की रुई की गांठों का जमा हो जाना

***1428. श्री नरेन्द्रकुमार सांघी** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित लगभग 2 करोड़ रुपये के मूल्य के लम्बे रेशे की रुई की लगभग 15,000 गाठें बम्बई बन्दरगाह पर जमा हो गई है तथा 10 000 और गाठें शीघ्र ही वहां पहुंचने वाली हैं ;

(ख) क्या इण्डियन काटन मिल फेडरेशन ने 15,000 गांठों के अपने आर्डर को रद्द कर देने के लिए सरकार से अनुरोध किया था तथा गाठों को बन्दरगाह से उठाया नहीं जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) इण्डियन कॉटन मिल्स फेडरेशन ने बम्बई पत्तन पर आयातित स्टेपल रेशा बौंड के अन्तर्गत रोका हुआ है। राज्य व्यापार निगम ने इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन के लिए माल का आयात किया था। यह ठीक है कि 10,000 गांठों की एक और खेंप शीघ्र ही पहुंचने की सम्भावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति

***1429. श्री हरीसिंह** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में उग्रवादियों तथा नक्सलवादियों के हाथों कानून तथा व्यवस्था की खराब हो रही स्थिति से अवगत है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : **(क) तथा (ख)** : सरकार वीरभूम जिले में कानून व व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। बन्दूक छीनने, हत्या तथा अराजकता की कई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो वीरभूम जिले में हुई, राज्य प्रशासन ने जिले में गहन तलाशी के कार्य में और नक्सलपंथियों तथा अन्य समाज-विरोधी तत्वों को पकड़ने

के लिए सेना की सहायता प्राप्त की। हिंसक गतिविधियों को कुचलने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जा रहे हैं।

लेटिन अमरीकी देशों में भारतीय माल के लिए बाजार

*1430. **श्री हरिकिशोर सिंह :** क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेटिन अमरीकी देशों के बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन मण्डियों में भारतीय माल की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल. एन. मिश्र) : (क) और (ख) : लातीनी अमरीकी क्षेत्र के कुल आयात लगभग 10 अरब अमरीकी डालर (7,500 करोड रु०) प्रति वर्ष हैं। लातीनी अमरीकी देशों से भारतीय निर्यात अब तक सीमित स्वरूप के रहे यथा पटसन का सामान और चमड़ा आदि ऐसी मदों तक सीमित रहे जो उन्हें पास के स्रोतों से प्राप्य नहीं थीं।

इस क्षेत्र में जो देश हैं वे अब नवीकरण करने के काम में लगे हुए हैं और वे अपनी रेलवे, संचार व्यवस्था, सिंचाई सुविधाओं तथा विद्युत उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार यह संकेत मिलता है कि इन्जीनियरी उद्योगों के विभिन्न उत्पादों के लिए वहां अच्छी गुंजाइश है। केबल, स्ट्रक्चरल तथा रेल पटरियों के लिए कुछ क्रयादेश मिले हैं। भारतीय उत्पादों, विशेषतः अपरम्परागत वस्तुओं की निर्यात सम्भाव्यताओं को चरितार्थ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, जैसे कि:

(1) निर्यात संवर्धन उपायों के रूप में भारत ने 1967 तथा 1969 में लीमा में 'अन्तर्राष्ट्रीय पैसिफिक ट्रेड फेयर' तथा 1970 में बगोटा के व्यापार मेले में भाग लिया। हम इस वर्ष फिर लीमा 'पैसिफिक ट्रेड फेयर' में भाग ले रहे हैं।

(2) इस क्षेत्र में 1969 में दो व्यापार मिशनों की स्थापना की गई।

(3) 1970 में भारत तथा कोलम्बिया के बीच व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों का आदान प्रदान हुआ और दोनों देशों के बीच एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए।

(4) इस क्षेत्र में भारतीय मिशन इन देशों में जारी की गई अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के सम्बन्ध में बोली लगाने में भारतीय फर्मों की सहायता कर रहे हैं और भारतीय फर्में इन निविदाओं में अब सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं।

(5) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख देशों का सर्वेक्षण करने के लिए और उन वस्तुओं का, जिनके लिए लातीनी अमरीका में अच्छा बाजार मिलने की संभावना है, पता लगाने तथा निर्यातों के संवर्धन के लिए अपेक्षित विशेष कदम उठाने की सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

रबड़, चाय और इलायची के बागानों का राष्ट्रीयकरण

*1431. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने देश में रबड़, चाय और इलायची जैसे बागानों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या वित्त मन्त्रालय द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके जिन पहलुओं का अध्ययन किया गया था उनका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी हां। सरकार इस प्रस्थापना पर ध्यान दे रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'रीडर्स डाइजेस्ट' में सरकारी विज्ञापन

***1432. श्री मुरासोली मारन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रीडर्स डाइजेस्ट' नामक पत्रिका में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डायरेक्टोरेट आफ एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी) तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापन के लिए बड़े-बड़े स्थान लिये जाये हैं;

(ख) क्या 'रीडर्स डाइजेस्ट' का प्रचार संख्या सम्बन्धी दावा आडिट ब्यूरो आफ सर्क्यूलेशन द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है;

(ग) क्या कुछ अन्य भारतीय प्रकाशनों को विज्ञापन और दृश्य निदेशालय द्वारा उनकी विज्ञापन दरें नहीं दी जाती जबकि उनकी प्रचार संख्या 'रीडर्स डाइजेस्ट' से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 1970-71 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा 'रीडर्स डाइजेस्ट' को जो विज्ञापन दिये गये वे चार पृष्ठों के थे। सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के द्वारा अपने विज्ञापन देते हैं परन्तु अधिकांश उपक्रम नहीं क्योंकि उनके लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। क्योंकि विज्ञापनों को जारी करना उनके अपने अधिकार में है, अतएव सरकार को ऐसे विज्ञापनों की जानकारी नहीं है।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 'रीडर्स डाइजेस्ट' आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन, जो एक गैर सरकारी संगठन है, का सदस्य नहीं है। ब्यूरो केवल उन्हीं समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं की प्रचार संख्या को प्रमाणित करता है, जो उसके सदस्य होते हैं। पत्रिका की प्रचार संख्या की भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्टार ने 1969-70 में जांच की थी।

(ग) समाचार-पत्रों। पत्रिकाओं को अपनी विज्ञापन दरें निर्धारित करने की पूरी छूट है। परन्तु विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय केवल उन्हीं समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग

करता है जिनकी दरें प्रचार आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से उसको स्वीकार्य होती हैं। सरकारी विज्ञापन के लिए किसी समाचार-पत्र या पत्रिका का चयन करने के लिए विज्ञापन की दरों के अतिरिक्त, प्रभावी खपत, प्रकाशन में नियमितता, पाठकों की श्रेणी, आकर्षण शक्ति, छपाई स्तर, उपलब्ध धन के अन्दर किन-किन भाषाओं और क्षेत्रों में विज्ञापन दिया जाना है तथा समाचार-पत्र। पत्रिका द्वारा पत्रकारिता सम्बन्धी नैतिकता के स्वीकृत सिद्धान्तों का पालन किया जाना आदि बातों का भी ख्याल किया जाता है।

(घ) भेदभाव का कोई प्रश्न निहित नहीं है।

सिंगापुर में लाखों डालरों की लागत का कारखाना स्थापित करने के लिए टाटा बंधुओं द्वारा बातचीत

*1433. **श्री के० मालव्या** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धुओं ने लाखों डालरों की लागत का इन्जीनियरिंग उपकरण बनाने का कारखाना सिंगापुर में स्थापित करने के लिए बातचीत कर ली है; और

(ख) भारत के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख): सिंगापुर में इन्जीनियरिंग कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना के सम्बन्ध में टाटा बन्धुओं से कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कलपक्कम परमाणु शक्ति कारखाने में आन्ध्र प्रदेश का हिस्सा

*1434. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को तामिलनाडु के कलपक्कम स्थित परमाणु शक्ति संयंत्र में आन्ध्र प्रदेश सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पहले यूनिट में उत्पादित सारी बिजली तथा दूसरे यूनिट में उत्पादित बिजली का 50 प्रतिशत बिजली तामिलनाडु को सप्लाई करने का प्रस्ताव है। दूसरे यूनिट में उत्पादित बिजली का शेष 50 प्रतिशत का वितरण आंध्र प्रदेश, केरल तथा मैसूर के मध्य करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में दो सरकारी कार्यालयों पर छापे

*1435. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पहली जुलाई, 1971 को 24 परगना जिले में दो सशस्त्र गिरोहों ने एक साथ दो स्थानों पर दो सरकारी कार्यालयों पर छापे मारे थे; और बहुत सा माल लूट कर ले गये थे; और

(ख) उक्त दोनों गिरोह कुल कितना रुपया लूट कर ले गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) तथा (ख) : जी हां, श्रीमान् । ले जाई गई कुल रकम 19,081.45 रुपये है । दो मुकदमे चलाये गये हैं । एक मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और 1,000.00 रुपये बरामद किये गये ।

पूर्वी राज्यों में बंगला देश के शरणार्थियों के रुप में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ

1436. श्री अमर नाथ चावला : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है कि बंगला देश के शरणार्थियों के रूप में बड़ी संख्या में आये संदिग्ध व्यक्ति आसाम और मेघालय सरकारों के लिये चिन्ता का विषय बन गये हैं;

(ख) यदि हां, तो शरणार्थियों के आगमन के बाद से अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) क्या निष्कासित व्यक्तियों की, विशेषकर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है प्रभावी जांच पड़ताल करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) असम तथा मेघालय सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार असम और मेघालय में 254 व्यक्ति जासूस होने के सन्देह में गिरफ्तार किये गये हैं ।

(ग) शरणार्थियों के पंजीकरण, छानबीन इत्यादि के लिए व्यापक प्रबन्ध किये गये हैं । विदेशी व्यक्ति अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत शरणार्थियों को आदेशानुसार सम्बन्धित पुलिस थाने में अपने आने की रिपोर्ट करने और उन्हें आवास के स्थान इत्यादि के बारे में दी गई हिदायतों का पालन करना होता है । अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर देख-रेख रखने के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा बड़ी सतर्कता बर्ती जा रही है ।

भारत और यूगोस्लाविया के बीच नया व्यापार करार

***1437. श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के आर्थिक कार्य मन्त्री के नेतृत्व में व्यापार करार करने के लिए हाल ही में एक दल भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या थीं ; और

(ग) नये करार का भारत के व्यापारिक हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश व्यापार मन्त्री (श्री एल०एन० मिश्र) : (क) तथा (ख) : जी हां । युगोस्लाविया के आर्थिक कार्य मन्त्री के नेतृत्व में एक दल जुलाई, 1971 में भारत आया था । इस दल के साथ हुई चर्चाओं के फलस्वरूप विद्यमान व्यापार तथा भुगतान करार की अवधि 31 दिसम्बर, 1972

तक बढ़ाने का निश्चय किया गया है जिसके पश्चात् नये सौदों से सम्बन्धित समस्त भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किये जायेंगे। यह विनिश्चय दोनों देशों की सरकारों के अनुसमर्थन पर निर्भर है।

(ग) चूंकि परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान वर्ष 1973 में शुरू होंगे अतः आगामी 18 महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापार मौजूदा रूप में भारतीय रुपयों में चलता रहेगा। अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1973 में परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान शुरू होने पर व्यापार का स्वरूप कैसा होगा। दोनों सरकारें दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग के विस्तार के लिए प्रयत्नशील रहेंगी।

आसाम द्वारा मिजो पहाड़ियों के छोड़े जाने सम्बन्ध में आसाम के मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

***1438. श्री एच० एम० पटेल :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार यदि स्थानीय जनता ऐसा निर्णय करे, तो, मीजो पहाड़ियों को छोड़ने के लिए तैयार हैं ;

(ख) क्या हाल ही में आसाम के मुख्य मन्त्री ने नई दिल्ली में इस आशय का एक वक्तव्य दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) से (ग) : सरकार ने इस विषय में प्रेस रिपोर्ट देखी है। असम के मुख्य मन्त्री के साथ परामर्श किया जा रहा है। मिजो जिले के भविष्य के बारे में उस सरकार के विचारों को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पुनर्गठन के ब्यौरों को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जायेगा।

पकड़-धकड के लिए हिन्दुस्तान मोटर फैक्टरी उत्तरपाड़ा, हुगली का घेरा जाना

***1439. श्री समर मुखर्जी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 13 जुलाई, 1971 को पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सैनिकों ने पकड़-धकड़ के लिए हिन्दुस्तान मोटर फैक्टरी, उत्तरपाड़ा, हुगली को घेर लिया था ;

(ख) क्या पकड़-धकड़ की कार्यवाही बहुत समय तक चलती रही और फैक्टरी का कार्य बन्द रहा ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सेना की सहायता से स्थानीय पुलिस ने 13-7-1971 को क्षेत्र की तलासी ली। तलासी 3 घण्टे तक चलती रही। कारखाने के काम पर तलासी से असर नहीं पड़ा।

राजधानी में नक्सलवादी गतिविधियां

***1440. श्री पी० के० देव :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1971 के "इण्डियन ऐक्सप्रेस" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नक्सलवादी संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली में पुनः सक्रिय हो गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान संघ राज्य-क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में दीवारों पर लिखे नारों तथा दीवारों पर लगे इश्तहारों, जिनमें साम्यवादी चीन के नेता माओत्सेतुंग के उद्धरण दिए गए हैं, की ओर भी दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कुछ ऐसे उदाहरण, जहां दीवारों पर नक्सलवादी नारे लिखे हुए पाये गये थे, ध्यान में आए हैं। तथापि दीवारों पर लगे ऐसे कोई इश्तहार ध्यान में नहीं आए।

(ग) ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सम्भव होने पर कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

सूती कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण

5995. श्री सोमचंद सोलंकी : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने कारखानों में सूती कपड़ा बनाने की मशीनों का निर्माण किया जाता रहा है, और

(ख) प्रति वर्ष कितने मूल्य की ऐसी मशीनें बनाई जाती हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) औद्योगिक लाइसेंसों प्राप्त करीब 75 एकक, सूती कपड़ा बनाने की मशीनों की मुख्य वस्तुओं का निर्माण करती हैं।

(ख) 1969 और 1970 में उत्पादित सूती कपड़ा बनाने की कुल मशीन का मूल्य क्रमशः 19·91 करोड़ रुपये और 28.68 करोड़ रुपये था।

हल्दी के वायदा व्यापार पर रोक

5996. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दी में वायदा व्यापार होने के कारण इसके निर्यात में बहुत बाधा पहुँच रही है;

(ख) क्या हल्दी के वायदा व्यापार पर रोक लगाने के बारे में व्यापारियों और उत्पादकों ने कोई अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश के रिपोर्ट्स एण्ड ट्रेडर्स एसोसियेशन से अगस्त 1970 में प्राप्त तीन आवेदनों पर इस आधार पर कि सांगली में हल्दी के वायदा सौदों के कारण बाजार के मूल्यों में गिरावट आई थी, इसके वायदा सौदों पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार ने विचार किया था। अभ्यावेदकों से वायदा बाजार आयोग ने पूछ-ताछ और विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह बताया था कि बाजार मूल्यों में गिरावट आने का कारण वर्ष 1969–70 में हल्दी के उत्पादन में वृद्धि होना है और साथ ही 1970–71 में उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी जिससे पहले स्टाक के कारण पर्याप्त मात्रा में स्टाक बढ़ जायेगा। चूंकि हल्दी की मांग बढ़ने घटने बाली नहीं है अतः अधिक उत्पादन के वर्षों में हल्दी के मूल्यों में कमी होना एक साधारण बात है। इस प्रसंग में पाया गया है कि पूर्ण विनियमित वायदा सौदों के कार्य का वास्तव में हल्दी के मूल्यों में गिरावट पर अल्पकालिक दबाव देने वाला प्रभाव पड़ा था।

धाराओई बांध परियोजना, गुजरात

5997. **श्री देवेन्दर सिंह गरचा** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात की धाराओई बांध परियोजना को स्वीकृति दे दी है और यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ख) इस बांध के पूरा हो जाने पर कितनी भूमि की सिंचाई की जा सकेगी;

(ग) इस परियोजना का निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा और कब पूरा होगा; और

(घ) क्या इस परियोजना से किसी अन्य राज्य को भी लाभ पहुँचेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) हां। परियोजना पर 17.6 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ख) 91,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होनी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 62,000 एकड़ वर्तमान सिंचाई का स्थिरीकरण होगा। परियोजना में विद्युत उत्पादन संभव नहीं है।

(ग) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना पर कार्य नवम्बर, 1971 में शुरू किया जायेगा और इसके जून, 1976 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना से किसी दूसरे राज्य को लाभ देने की संभावनाएं नहीं हैं।

उद्योगों की स्थापना के लिये आसाम लघु उद्योग विकास निगम और आसाम बड़े उद्योग विकास निगम को लाइसेंस देना

5998. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम लघु उद्योग निगम और आसाम बड़े उद्योग विकास निगम को विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए आसाम में इन दो निगमों की स्थापना से लेकर अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं,

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त निगमों को दिये गये लाइसेंसों में से अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त निगमों को दिये गये लाइसेंसों में से कुछ लाइसेंस बाद में कतिपय गैर-सरकारी कम्पनियों को दे दिये गये थे ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग : असम औद्योगिक विकास निगम लि० को मैथानोल, फारमैलिन आदि बनाने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस 10 फरवरी, 1971 को जारी किया था। इसके अतिरिक्त, दो आशय पत्र नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए, एक कास्टिक सोडा और क्लोरीन बनाने के लिए, दूसरा चीनी बनाने के लिए क्रमश: 14 अक्टूबर, 1970 और 25 मार्च, 1971 को असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को जारी किये गये थे। लाइसेंस और आशय पत्र कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

27 सितम्बर, 1963 को असम लघु औद्योगिक विकास निगम को एल्यूमिनियम कन्डैक्टर, इस्पात रीईन्फोर्सड और सभी प्रकार के एल्यूमिनियम कन्डैक्टरों को बनाने के लिए एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। यह लाइसेंस 1964 में सयुक्त क्षेत्र में क्रियान्वित किया गया था। तथापि अब यह असम कन्डक्टर एण्ड ट्यूब (प्रा०) लि०, जो असम लघु उद्योग विकास निगम की शत प्रतिशत सहायक है, द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

तिनसुकिया और लुमडिंग (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) के रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

5999. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं और निकायों ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के तिनसुकिया डिवीजन और लुमडिंग डिवीजन के विभिन्न रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हाँ।

(ख) असम सरकार द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार निम्नलिखित स्थानों के बीच ऊपरी सड़क पुल बनाने के दो प्रस्तावों को निर्माण कार्यक्रम में पहले ही शामिल किया जा चुका है। (I) सिलचर और अरुणाचल, और (II) गुवाहाटी और जालुकवाड़ी। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता दिये जाने के कारण तिनसुकिया और माकुम के बीच एक ऊपरी सड़क पुल बनाने के एक अन्य प्रस्ताव को रेलवे के 1972–73 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किये जाने की संभावना है।

रेलवे की गृह-निर्माण सहकारी और उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता देना

6000. **श्री राबिन ककोटी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनल रेलवों में इस समय कार्य करने वाली रेलवे श्रमिक गृह-निर्माण सहकारी और उपभोक्ता सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा इन समितियों को कितनी सहायता दी गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) (i) आवास सहकारी समितियां = 39

(ii) उपभोक्ता सहकारी समितियां = 393

(ख) एक सूची संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल. टी. 746/71]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आसाम को दी गई वित्तीय सहायता

6001. श्री रोबिन ककोटी : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना भेजी है जिसके लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम धन देगा;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितने धन की आवश्यकता है; और

(ग) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है या करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : असम राज्य विद्युत बोर्ड ने ग्राम विद्युतीकरण निगम के समक्ष वित्तीय सहायता के लिए 358.81 लाख रुपये की अनुमानित लागत की सात ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की थीं । अभी तक निगम ने 140.46 लाख रुपये की लागत वाली 3 स्कीमों की मंजूरी दी है । शेष चार स्कीमों में से 131.99 लाख रुपये की ऋण-सहायता वाली 3 स्कीमें संशोधन के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को भेज दी गई हैं और 86.36 लाख रुपये की ऋण-सहायता वाली एक स्कीम निगम के विचाराधीन है ।

भारतीय रेलवे का सुरक्षा संगठन

6002. श्री चन्द्रिका प्रसाद :
श्री पन्नालाल बारूपाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे में सुरक्षा संगठन ने कब से कार्य करना आरम्भ किया है;

(ख) प्रत्येक जोन और रेलवे बोर्ड कार्यालय में भी, अलग अलग इस संगठन में प्रत्येक ग्रेड में काम करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और निरीक्षकों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कलर्कों, स्टेनो ग्राफरों और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 1969–70, 1970–71 में अलग-अलग, उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित कर्मचारियों के वेतन, यात्रा भत्ते / मंहगाई भत्ते के रूप में कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) क्या सरकार ने इस संगठन की उपयोगिता के बारे में तीसरी और चौथी श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों से कभी पूछताछ की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल रख दी जायेगी ।

भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड के अधिकारियों द्वारा श्रमिकों के अस्थायी मकानों का गिराया जाना

6003. श्री नारायण चंद पाराशर : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा बांध प्रबन्धक बोर्ड के अधिकारी भाखड़ा में अस्थायी मकानों और क्वाटरों को, जो श्रमिकों के लिये बनाये गये थे, तुड़वाने के विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनको हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : भाखड़ा बांध के निर्माण के लिए, मजदूरों के रहने के लिए बहुत सारे क्वार्टरों का निर्माण किया गया था । कुछ प्रिफैब्रिकेटिड झोंपड़े भी बनाये गये थे । चूंकि निर्माण कार्य अब पूर्ण हो गया है, अधिकांश क्वार्टर, जिनमें प्रिफैब्रिके झोंपड़े भी शामिल हैं, फालतू हैं और खाली पड़े हैं । उनको हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, परन्तु उन्होंने उसमें कोई उत्सुकता जाहिर नहीं की है । प्रिफैब्रिकेटिड झोंपड़ों को अब अन्य सरकारी अभिकरणों और परियोजनाओं के उपयोग के लिए दिया जा रहा है ।

अधिकारियों द्वारा शिमला रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

6004. श्री नारायण चंद पाराशर; क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिमला रेलवे स्टेशन के कार्य का निरीक्षण करने के लिये रेलवे के कितने अधिकारियों ने मई और जून, 1971 में शिमला का दौरा किया था;

(ख) क्या इतने अधिकारियों का वहां जाने का औचित्य था और क्या वह दोहरा निरीक्षण था; और

(ग) यदि हाँ, तो भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मई और जून, 1971 के दौरान उत्तर रेलवे मुख्यालय और दिल्ली मंडल के 28 अधिकारियों ने शिमला स्टेशन की कार्य-प्रणाली का निरीक्षण किया था ।

(ख) अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण दोहरा कार्य नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संगचल कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

6005. श्री प्रवीण सिंह सोलंकी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगचल कर्मचारियों को क्वार्टरों के आवंटन के बारे में रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने क्या सिफारिशें की थीं;

(ख) उनको रेलवे में क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) संगचल कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) प्रत्येक जोन में संगचल (लोको) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी को किस टाइप के क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) आवास के सम्बन्ध में प्रथम अग्रता रनिंग कर्मचारियों को दी जानी चाहिए।

(ख) और (ग) : रेल प्रशासनों को हिदायतें दी गयी थीं कि—

(i) मौजूदा क्वार्टरों को आवंटित करते समय रेल प्रशासनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों द्वारा खाली किये गये सभी क्वार्टर सामान्यत: उसी तरह के कर्मचारियों को आवंटित किये जायें,

(ii) चौथी योजना के दौरान कर्मचारियों के क्वर्टर बनाने के लिए कुल आवंटित राशि का 50 प्रतिशत अनिवार्य रनिंग कर्मचारियों के मकान निर्माण पर खर्च किया जाये।

(घ) सूचना इकटठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनायें

6006. श्री तेजासिंह स्वतंत्र : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की आवश्यकता पूरी करने के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जिन विद्युत परियोजनाओं को पंजाब सरकार ने प्रस्तावित किया है, उनकी विद्युतजनन-क्षमता और अनुमानित लागत के साथ उनके नामों का एक विवरण (उपाबंध I) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 747/71]

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में पंजाब में पहले ही हाथ में ली गई विद्युत परियोजनाओं के नामों का एक विवरण (उपाबंध II) संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 747/71]

केरल में निर्माणाधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त विद्युत् परियोजनायें

6007. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री *यह बताने की* कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में इस समय निर्माणाधीन केन्द्रीय सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं कहां-कहां पर स्थित हैं तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) उन पर, परियोजनावार, कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजनाओं का निर्माण-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध मे विलम्ब दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन आरम्भ की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से ही यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति स्कीम-वार नहीं होगी। अब केन्द्रीय सहायता किसी विशिष्ट स्कीम या राज्य योजनाओं के अन्तर्गत कार्यक्रम के लिये बन्धी नहीं है परन्तु यह राज्य को ब्लाक अनुदानों और ब्लाक ऋणों के जरिये दी जायेगी। बहरहाल, अन्तर्राज्य पारेषण लाइनें केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में सम्मिलित हैं जिनके लिये ऋण सहायता राज्य योजना से बाहर दी जा रही है।

(ख) से (घ) : केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत केरल का भाग (लाख रु० में)	1970-71 के दौरान दी गई सहायता (लाख रु० में)	प्रगति
पम्बा-कायट्टूर 220 के० वी० एस/सी	189.11	20.00	आरम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।
मंगलौर-कासरगोड (1.10 के० वी० एस/सी वर्तमान लाइन के केरल वाले भाग का पुनः संवाहन)	5.85	कुछ नहीं	1971-72 में कार्य हाथ में लिया जायेगा ।
मैसूर-कोझीकोड 220 के० वी० एस/सी० लाइन	114 00	कुछ नहीं	प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप देना है । परियोजना रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ङ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 748/71**] ।

केरल में उद्योगों की स्थापना

6008. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन औद्योगिक उपक्रमों के लिये अप्रैल, 1971 में लाइसेंस दिये गये थे, उनमें से केरल राज्य में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) लाइसेंस किस आधार पर दिये गये थे, और

(ग) ये उद्योग केरल राज्य में किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे, उन पर कितना व्यय किया जायेगा, उनकी उत्पादन क्षमता और रोजगार क्षमता अलग-अलग कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) : अप्रैल, 1971 में केरल राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । किन्तु एक आशय पत्र केरल में (स्थापना स्थल का निर्देश नहीं किया है) माइक्रो फोन आदि के उत्पादन के लिए 27 अप्रैल, 1971 को दिया गया है । उपक्रम के स्थापना स्थल उत्पादन की वस्तु तथा उसकी क्षमता बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

आशय पत्र गुणों के आधार पर सरकारी नीति के अनुसरण में प्रत्येक प्रकरण में लागू होने वाली प्रक्रिया के अनुकूल दिया गया है ।

विवरण

उपक्रम का नाम	स्थापना स्थल	लाइसेंस की किस्म	बनने वाली वस्तु तथा उसकी क्षमता	इक्वेस्टमेंट रु० लाख में	स्टाफ तथा लेबर	आशय पत्र की सं० तथा तिथि
मैं० केरल स्टेट इण्ड० डेवलपमैंट कारपोरेशन लि० त्रिवेन्द्रम	केरल	एन० यू०	1. माइक्रोफ़ोन, इयरफोन हैडफोन तथा मिडगैट लाउडस्पीकर्स 1000,000 न० पी० ए० 2. मैगनटिक रिकार्डिंग प्लेबैक ईरेजहैड, 50,000 सं० पी ए० 3. मिनीएचर, डी० सी० मोटर्स 30,000 सं० प० ए०	75·00	414	28(5)69. डी० ई दिनांक 27-4-1971

केरल के क्विलोन जिलों का विकास

6009. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के क्विलोन जिले में करुणागप्ली, कुन्नाठूर, कोटरकुरा, पूनालूर, पथनापुरम, कोन्नी और पथाना-नोथिल्टा बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के विकास के लिये उपर्युक्त जिले में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : केरल सरकार ने राज्य के 15 ताल्लुकों को पिछड़े हुए बताते हुए एक विवरण योजना आयोग को पेश किया था जिनमें क्विलोन जिले में करुनागपल्ली का पिछड़ेपन के क्रम में 12वां स्थान बताया था। योजना आयोग ने इस उद्देश्य के लिये निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखने के पश्चात् केरल राज्य से पूरे 5 जिलों अर्थात् एलेथी त्रिवेन्द्रम, कन्नानूर त्रिचूर और माडप्पुडम को वहां पर उद्योग चालू करने के लिये वित्त संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्रदान करने के लिये और एक जिले अर्थात् एलेप्पी को वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिये अचल पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान/आर्थिक सहायता के लिये चुना था। वित्तीय संस्थाओं द्वारा और केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत रियायतें और सुविधायें पिछड़े जिलों में औद्योगिक विकास की गति में सहायता करेंगी। और आशा है कि उद्यमी इन विभिन्न रियायतों का पूरा लाभ उठायेंगे। इन जिलों में उद्योगों को वास्तव में स्थापित करना मुख्य रूप से उद्यमियों की अपनी पहल पर और उद्योगों की प्रगति में लगे राज्य अभिकरणों पर निर्भर करेगा।

माल डिब्बा निर्माण उद्योग की अपयुक्त क्षमता

6010. श्री देविन्दरसिंह गारचा : क्या **औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बा निर्माण उद्योग की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस बेकार क्षमता का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिये किये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : देश में चार पहियों वाले माल डिब्बों के बनाने की अधिष्ठापित क्षमता 32819 है। 1970–71 में रेलवे बोर्ड ने 22549 के लिए क्रयादेश भेजे थे लेकिन वैगन बिल्डिंग यूनिट

केवल 8964 नग ही बना सका। क्षमता के कम उपयोग करने के मुख्य कारण हड़ताल, तालाबन्दी आदि रहे हैं।

(ग) और (घ) : ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि० तथा मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लि० अपने-अपने उत्पादन में विविधता लाने की सोच रहे हैं।

Halt of Passenger Train at Hanspura Railway Station, Mandsaur on Western Railway.

6011. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether the passengers do not get tickets for next stations ;

(b) Whether the station has not been provided with any shed for passengers ; and

(c) If so, the time by which necessary improvements are proposed to be carried out in this regard ?

The Minster of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Hanspura is a crossing station and is not open for passenger booking.

(b) A shed measuring 30' x 12' exists at this station.

(c) Does not arise.

एक तरल सल्फ्यूरिक डायाक्साइड संयंत्र की स्थापना

6012. श्री सी० जनार्दन : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रानवकोर-कोचीन केमिकल्स लिमिटेड, केरल ने एक तरल सल्फ्यूरिक डायाक्साइड संयंत्र स्थापित करने के लिये विकास लाइसेंस लेने हेतु आवेदन-पत्र भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लाइसेंस दे दिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) प्रति वर्ष 7500 टन सल्फर डाइआक्साइड (तरल) बनाने के लिए उनको 31-3-71 को एक आशय पत्र जारी किया गया है। सरकार की संतुष्टि के अनुसार जब पार्टी संयंत्र और मशीनरी के आयात करने का प्रबन्ध पूरा कर लेगी, तब यह आशय पत्र लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

बच्चों के लिये डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों के मूल्य का पुनः निर्धारित किया जाना

6013. श्री नरेन्द्रसिंह : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बच्चों के लिये डिब्बों में बन्द खाद्य पदार्थों का मूल्य अधिक होने के कारण उनकी मांग अधिक आय वाले वर्ग तक ही सीमित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित उद्योग से इनका मूल्य पुनः निर्धारित करने के लिये कहेगी जिससे जन-साधारण भी उनका उपयोग कर सकें ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बच्चों के लिए डिब्बों में बन्द दुग्ध पदार्थों का सभी वर्गों द्वारा खासकर शहरी क्षेत्रों में उपभोग किया जाता है ।

(ख) तरल दुग्ध दुग्ध चूर्ण और डिब्बों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अभी कीमत घटाना सम्भव नहीं है ।

Acquisition of Private Shops located at Khurja Junction on Northern Railway Administration

6014. Shri Hari Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Administration is trying to acquire some private shops located at Khurja Junction on the Northern Railway on the plea that the land belongs to the Railways; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

रेलवे में फार्मेसिस्टों के फालतू पद

6015. श्री राजदेव सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1948 के औषधकार और चिकित्सीय नैतिकता अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कामों के लिये अनधिकृत तथा अप्रशिक्षित व्यक्तियों से काम लिया जा रहा है; और

(ख) क्या विभिन्न रेलवे में फार्मेसिस्टों के कुछ पद फालतू घोषित किये गये हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल विधान सभा के निर्वाचन

6016. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की विधान सभा के लिए नए निर्वाचन कराने के बारे में राज्य के राज्यपाल से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में निर्वाचन कब तक कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन निर्वाचनों पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से केल्शियम कार्बाइड का आयात

6017. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैल्शियम कार्बाइड की भारी कमी को देखते हुए सरकार का विचार उक्त सामग्री का राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कार्बाइड का आयात कितनी मात्रा में किये जाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जी हां। सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड की कमी को पूरा करने के लिये राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 3000 टन इस रसायन के आयात करने का प्रबन्ध किया है।

देश में कैल्शिम कार्बाइड के उत्पादन में वृद्धि

6018. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन बढ़ाने के बारे में प्राप्त हुए एक आवेदन-पत्र को गत वर्ष अस्वीकार कर दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्राप्त एक आवेदन को प्रारम्भ में ही मई, 1970 में अस्वीकार किया गया था, इसका कारण यह था कि पार्टी ने लाइसेन्स प्राप्त क्षमता पूरी नहीं की थी। उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय संशोधित कर दिया गया और पिछले नवम्बर में विस्तार के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया।

आक्सीजन सिलेण्डरों की मांग, आयात और उत्पादन

6019. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिलेण्डरों के निर्माण को देखते हुए सरकार अधिक शक्ति वाले आक्सीजन सिलेण्डरों के आयात पर रोक लगा रही है;

(ख) क्या सरकार ने सिलेण्डरों की वार्षिक आवश्यकता की संख्या के बारे में अनुमान लगाया है और यदि हां तो यह अनुमान कितना है और प्रतिबन्ध लगाने के बाद इस समय कितने सिलेण्डरों का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार का भारत में बने सिलेण्डरों का कब तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : मेडीकल आक्सीजन सिलेण्डरों के आयात पर कोई रोक टोक नहीं है।

औद्योगिक सिलेण्डरों के आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर केवल वास्तविक उपभोक्ताओं की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अनुमति दी जाती है।

(ख) हाई प्रशर औद्योगिक गैस सिलेन्डरों तथा मेडीकल गैस सिलेन्डरों की मांग का अन्दाजा प्रतिवर्ष क्रमश: 40,000 और 20,000 लगाया गया है। मेडीकल सिलेन्डरों के अलावा

जो राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात किये जाते हैं; अन्य हाईप्रशर गैस सिलेन्डरों को वास्तविक उपभोक्ताओं को सीधे ही आयात करने की अनुमति है।

(ग) अभी कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती है। तथापि, मैसर्स भारत पम्पस् एण्ड कम्प्रैशर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद जो गैस सिलेन्डर संयंत्र स्थापित करने वाले हैं, से आशा की जाती है कि 1974 के मध्य तक वे उपभोक्ताओं को इन सिलेन्डरों को बनाकर उपलब्ध करा देंगे।

Manufacture of Tractor at low price

6020. Shri S. D. Singh : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state ;

(a) whether Government have any scheme for manufacture of tractors at low cost; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam oza) : (a) & (b) : Government have approved the scheme of Hindustan Machine Tools Ltd., to undertake the manufacture of Zetor 2011/2511 (20 Hp) agricultural tractors for a capacity of 12,000 Nos. per annum by utilising the spare capacity available at their Pinjore Unit in the State of Haryana. It is expected that the cost of this tractor will be comparatively low.

दिघा, पश्चिम बंगाल में समुद्र तट के कटाव को रोकने संबंधी उपाय

6021. श्री समर गुह : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दिघा के समुद्री तट के समुद्र द्वारा कटाव का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो दिघा को समुद्र द्वारा कटाव से बचाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या किसी विशेष समिति ने इस बारे में जांच की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) सरकार को 1961 से दीघा में समुद्र कटाव की समस्या के बारे में पता है।

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि दीघा तट पर समुद्र-कटाव की समस्या पर पश्चिम बंगाल नदी अनुसंधान संस्थान, भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्ज के एक द्रव इन्जीनियर ने अध्ययन किया है। जो उपचारी उपाय किये गये हैं उनमें ये सम्मिलित हैं : 1968 से दीघा तट के साथ साथ रेत के टीलों पर वृक्षरोपण और तट की ढलान को ऊंचा करना तथा 'सैंड ट्रेपिंग'। राज्य सरकार ने भी दीघा नगर के भावी विकास कार्यक्रम को वर्तमान तट से परे हाथ में लेने का फैसला किया है।

शिक्षक-निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल अध्यापकों को मत देने का अधिकार

6022. श्री सी० चित्ती बाबू : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या कुछ नगरपालिकाओं और निगमों के अधीन काम कर रहे माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को विधान परिषद् के सदस्य के निर्वाचन के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाता है जब कि अन्य माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों को मतदान करने दिया जाता है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27 की उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में, किसी राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए, सम्पृक्त राज्य सरकार निर्वाचन आयोग की सहमति से, शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के भीतर की वे शैक्षणिक सस्थाएं जो माध्यमिक विद्यालय के स्तर से नीचे की नहीं हैं विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

उक्त धारा की उप–धारा (5) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसार हर व्यक्ति जो किसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है और अर्हता की तारीख से अव्यवहित पूर्व छह वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष की कुल कालावधि के लिए सम्पृक्त राज्य सरकार द्वारा

रासायनिक नमक की लागत और बिक्री मूल्य

6023. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानो के नाम क्या हैं जहां मशीनों से रासायनिक नमक का उत्पादन किया जाता है;

(ख) इसकी उत्पादन लागत और उपभोक्ताओं को बेचने का मूल्य प्रति मैट्रिक टन कितना है और क्या समस्त भारत में इसका समान मूल्य है;

(ग) यदि विभिन्न स्थानों पर इसके मूल्यों में अन्तर है, तो वह कितना और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार समस्त भारत में इसके बिक्री मूल्यों को समान रखने का है; और

(ङ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, और तमिलनाडु राज्य ।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि नमक का मूल्य सारे देश में एकसा होना चाहिए । सरकार इस प्रस्ताव की जाच कर रही है ।

बेहाला के इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स वर्क्स का पुनः खोला जाना

6024. श्री मुहम्मद इस्माइल : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में बेहाला के इंडिया इलेक्ट्रानिक्स वर्क्स को पुनः खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय कब किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ख): संभव है कि आशय इंडिया इलेक्ट्रनिक्स वर्क्स, बेहाला से है जिसने अब कार्य करना बंद कर दिया है। सरकार का इस कारखाने को पुनः खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (दक्षिण-मध्य रेलवे) के पदाधिकारियों को आरोप-पत्र दिया जाना

6025. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे में आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के कुल कितने पदाधिकारियों को चार्जशीट किया गया; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख): एक मण्डल लोको निरीक्षक को जो सयोग से अमान्यता प्राप्त अखिल भारतीय लोको रनिंग कर्मचारी संघ का पदाधिकारी भी है, उसे आवंटित किए गए इंजन के संचारेक्षण में विफल रहने के कारण लघुदण्ड देने के लिए आरोप पत्र दिया गया।

प्रत्येक जोनल रेलवे में 185 रुपये के वेतन पर रुके श्रेणी दो के क्लर्क

6026. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जोनल रेलवे में अलग-अलग ऐसे कितने श्रेणी दो के क्लर्क हैं जिनका वेतन 185 रुपये पर रुक गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में नई औद्योगिक परियोजना

6027. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में स्वीकृत की गई नई औद्योगिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कौन-कौन सी औद्योगिक परियोजनाएँ विचाराधीन हैं; और

(ग) इनमें से कौन-कौन सी परियोजनाओं के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्व रेलवे के आसनसोल, सियालदह और हावड़ा डिवीजनों तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के आदरा और खड़गपुर डिवीजनों में रिक्त पद

6028. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल सियालदह और हावड़ा डिविजनों में लगभग 500 पद रिक्त पड़े हैं तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के आदरा और खड़गपुर डिविजनों में कैरेज और वैगन विभाग में 450 पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों को रिक्त रखने क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सियालदह आसनसोल और दानापुर डिवीजनों (पूर्व रेलवे) के कैरेज और वैगन कर्मचारियों की शिकायतें

6029 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदह, आसनसोल और दानापुर डिविजनों के कैरेज और वैगन कर्मचारियों ने अपने अपने डिविजनों की शिकायतें पेश की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन डिविजनों के कैरेज तथा वैगन कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) नियमों में की गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जो शिकायतें दूर की जा सकती थीं, वे पहले ही दूर की चुकी हैं ।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के सवारी और माल गाड़ी डिब्बों की अन्य रेलवे के वर्कशापों में मरम्मत

6030. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के सवारी तथा माल डिब्बों को समय-समय पर मरम्मत के लिये अन्य रेलवे वर्कशापों में भेजा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे उस क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनाएं कम हो रही हैं; और

(ग) क्या बहुत अधिक खाली डिब्बों के इकट्ठे होने से आय में हानि रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, केवल सवारी डिब्बों को अस्थायी तौर पर।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं, क्योंकि खाली डिब्बों की ढुलाई लम्बी दूरी के लिए नहीं की जाती।

खड़गपुर और सियालदह डिवीजनों (दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे) में चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के आर्टिजन कर्मचारियों की पदोन्नति

6031. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन तथा पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में जस्टिस शंकर सरन के पंचाट के अनुसार तृतिय तथा चतुर्थ श्रेणी के आर्टिजन कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) इन डिवीजनो में उक्त पंचाट को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Advance increment for passing 'Hindi Telegraphy Test' in the Railway Departments.

6032. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether no advance increment is given by the Railway Department to its employees after they successfully qualify the 'Hindi Telegraphy Test';

(b) whether the Department of Posts and Telegraphs gives advance increments to its employees in the event of their qualifying the said test; and

(c) if so, the reasons for which different policies are being followed in the two departments of the Central Government ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No advance increment is given by the Railways.

(b) Yes.

(c) The nature and responsibility involved in the duties as well as the conditions of recruitment and training of Telegraphists (Signallers) on the Railways differ from those of their counterparts in the Posts and Telegraphs.

रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार रेलवे कर्मचारी

6033. श्री राजदेव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह महीने में 731 रेलवे कर्मचारियों को रेलवे सम्पत्ति की चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, पिछले छः महीनों (जनवरी से जून, 1971) में 898 रेल कर्मचारियों को, रेल सम्पत्ति चुराने के कारण गिरफ्तार किया गया है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. चोरियों में सांठ-गांठ रखने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध यदि वे पकड़े जाते हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाती है, जिनमें गिरफ्तार किया जाना और न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना शामिल है ।

2. रेल सम्पत्ति की चोरी/उठाईगीरी को रोकने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) पैकेजों को उचित ढंग से पैक करने, मार्का लगाने तथा लेबल लगाने और सम्बद्ध प्रलेखों को माल-डिब्बों के साथ अच्छी तरह से बांधने पर बल दिया जा रहा है, ताकि डिब्बे गलत स्थान पर न चले जायें तथा ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा माल चढ़ाये-उतारे जाते समय डिब्बों से माल की उठाईगीरी को रोका जा सके ।

(ii) आपराधिक कार्रवाई की रोकथाम के लिए माल डिब्बों में उपयुक्त रिवट लगाना और बहुमूल्य माल ले जाने वाले माल डिब्बों में 'एलिस पेटेंट' ताले लगाना ।

(iii) सामानयानों और पासल यानों में ताले लगाना ।

(iv) जहां अपेक्षित हो निभार की व्यवस्था के लिए आग्रह करना, विशेष रुप से ऐसे मामलों में जहां पूरे माल-डिब्बों में चीनी, अनाज, दाल और तिलहन लदे हों ।

(v) अज्ञात कारणों से होने वाली हानि/उठाईगीरी की रोकथाम के लिए कुछ चुने हुए स्टेशनों पर कुछ चने हुए माल के सम्बन्ध में पैकेजों की लदाई और उतराई पर कड़ी निगाह रखना ।

(vi) भेद्य खण्डों में खुले माल डिब्बों में अनाज/कीमती माल के परेषण ले जाने वाली मालगाड़ियों के साथ सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को तैनात करना ।

(vii) भेद्य और बड़े यार्डों में सशस्त्र रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों और कुत्ता दस्तों द्वारा गश्त लगाना ।

(viii) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति खाने वालों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने और चुराया गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए छापा मारने के उद्देश्य से क्षेत्रीय रेलों के अपराध आसूचना कर्मचारियों तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों को सादे कपड़ों में तैनात करना ।

(ix) अपराधयों और चुरायी गयी सम्पत्ति रखने वालों तथा अपराधियों के साथ सांठ-गांठ रखने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने के लिए रेलवे

सुरक्षा दल सरकारी रेलवे पुलिस तथा स्थानीय पुलिस के बीच विभिन्न स्तरों पर निकट समन्वय रखना ।

(x) चोरी और उठाईगीरी के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान संगठित करना और माल-डिब्बों के पेनल काटने और मालडिब्बों की दीवार छेदने की घटनाओं के विरुद्ध अभियान चलाना ताकि इस शरारत का जो कि उठाईगीरी का मुख्य कारण है पता लगाया जा सके और मालडिब्बों की मरम्मत की शीघ्र व्यवस्था की जा सके ।

दक्षिण मध्य रेलवे के कालम मरमागांव सेक्टर पर सवारी गाड़ियों का चलाया जाना

6034. **इराज्मुद सेकैरा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे में कालम-मरमागांव सेक्टर पर प्रति दिन कितनी सवारी गाड़ियां चलती हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार वहां अतिरिक्त गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) इस समय कोल्लम--वास्कोडिगामा--मार्मुगाओ खण्ड पर हर रोज सवारी ले जाने वाली निम्नलिखित 4 जोड़ी गाड़ियां चलती हैं:—

(i) वास्कोडिगामा और कोल्लम के बीच	2 जोड़ी
(ii) मार्मुगाओ और लोंडा के बीच	1 जोड़ी
(iii) वास्कोडिगामा और लोंडा/मिरज के बीच	1 जोड़ी

(ख) जी नहीं ।

रेलवे में विशेषज्ञों और प्रबन्धकों के पदों का वर्गीकरण

6035. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में मूल रूप से विषयों के विशेष ज्ञान एवं मुख्य रूप से प्रबन्धकीय कार्यों से संबधित पदों का वर्गीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पदों का वर्गीकरण किया गया है; और

(ग) यह कार्य किस तारीख तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : **(क) और (ख)** : रेलों में ऐसे सभी पदों का जिनमें विषयों का विशेष ज्ञान अपेक्षित होता है तथा जो मुख्यत: प्रबन्धकीय कोटि के हैं, वर्गीकरण पहले से ही मौजूद है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे लाइनों के टूट जाने के कारण ट्रेन सेवाओं का अस्त व्यस्त हो जाना

6036. **श्री पीलू मोदी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की भारी वर्षा के कारण पश्चिमी क्षेत्र में अनेक रेलवे लाइनों के टूट जाने के कारण अनेक ट्रेन सेवायें अस्त व्यस्त हो गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो अस्त व्यस्त हुई ट्रेन सेवाओं के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 749/71]

टिम्बर पर आधारित मालाबार के उद्योग

6037. श्री सी. जनार्दनन : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालाबार, केरल के टिम्बर बहुत क्षेत्र में टिम्बर पर आधारित आधुनिक उद्योगों के विकास की सम्भावना की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ?

ओद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : **(क) और (ख)** : केरल सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आस्तियों के बारे में विवरण

6038. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई नियम लागू हैं कि वर्ग 1 अधिकारियों को अपनी आस्तियों का विवरण सरकार को समय समय पर देना होगा; और

(ख) क्या इस नियम के अन्तर्गत उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

पश्चिम बंगाल और बिहार की तापीय विद्युत प्रजनन क्षमता तथा दामोदर घाटी निगम पर घटिया किस्म के ईंधन के कारण बुरा प्रभाव

6039. डा० रानेन सेन : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और बिहार में सम्पूर्ण तापीय विद्युत प्रजनन क्षमता दामोदर घाटी निगम पर घटिया किस्म के ईंधन के प्रयोग के कारण बुरा असर रहा है; और

(ख) यदि हां तो क्या औद्योगिक उत्पादन में कमी होने का यह भी एक कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) और (ख) : दामोदर घाटी निगम सहित पश्चिम बंगाल और बिहार में अधिकांश ताप उत्पादन क्षमता कोयला वाशरी के उपजात ईधनों से (जिनमें राख की मात्रा उच्च होती है) तथा निम्न श्रेणी के कोयलों से प्राप्त की जाती है और इन पर हाल के वर्षो मे रखरखाव तथा मरम्मतों की बढ़ती हुई आवश्यकता तथा परिणामत: घटती हुई बायलर उपलभ्यता के कारण बुरा असर पड़ा है। यद्यपि इस प्रकार इन विद्युत केन्द्रों की कठिनाईयां बढ़ जाती हैं, लेकिन खाली इनसे ही विद्युत में कमी नहीं आती।

स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेलों का निर्माण

6040. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत देशी प्रणाली और सामग्री का उपयोग करके स्टोरेज बैटरियों का निर्माण कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैटरियों के उत्पादन के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) क्या सरकार स्टोरेज बैटरी और ड्राई सेलों के उत्पादन के लिये विदेशी विशेषज्ञों को मंगाना समाप्त कर देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) करेकुडी स्थित सेन्ट्रल एलेक्ट्रों केमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में केवल 6 वाल्ट तक की और 100 एम्पीयर घंटों की आटोमेटिक बैटरियां बनाने संबंधी देशी जानकारी विकसित कर ली है। इस जानकारी की व्यापारिक जीव्यता अभी प्रतिष्ठित होनी है। अधिक शक्ति की बैटरियां और स्टेशनरी बैटरियों, ट्रैक्शन बैटरियां, ट्रेन लाइटिंग सेले और सबमैरिन बैटरियों जैसी अन्य प्रकार की स्टोरेज बैटरियां जैसी अन्य प्रकार की स्टोरेज बैटरियां बनाने की जानकारी देश में अभी विकसित नहीं की जा सकी है। स्टोरेंज बैटरियां बनाने के लिये अत्यधिक आवश्यक कच्चे माल जैसे सीसा एन्टीमानी आरसैनिक और कुछ अन्य प्रकार के रेशिनें देश में उपलब्ध नहीं हैं। अत: इन्हीं कारणों से यह कह सकना सम्भव न होगा कि भारत देशीय पद्धति और कच्चे माल से बड़े किस्म की स्टोरेज बैटरियां बनाने की स्थिति में है।

(ख) सरकार स्टोरेज बैटरियां बनाने वाले एक एक की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह देसीय जानकारी अथवा कच्चे माल पर आधारित नहीं होगा।

(ग) प्रश्न ही नही उठता।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बिजली की सप्लाई पर मतभेद

6041. **श्री रेणु पद दास** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा बिजली की सप्लाई पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य मतभेद की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इस विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां

(ख) विवाद दो सांविधिक बोर्डों, मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड और उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड के बीच वाणिज्यिक मामले से संबंध रखता है मामले को आपसी बातचीत के द्वारा हल किया जा रहा है। तथ्यों का सही मूल्यांकन करने के लिए तथा किसी समझौते पर पहुंचने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य विद्युत बोर्डों को सभी आवश्यक सहायता दे रही है।

कोटशिला पुरुलिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

6042. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटशिला पुरुलिया छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव सम्भवत: कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) क्या रेलवे द्वारा इस छोटी लाइन के रख रखाव पर भारी राशि खर्च की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : अलाभप्रद शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर पुरुलिया कोटशिला छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का आदेश सितम्बर, 1970 में दिया गया था और सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस खण्ड के आमान परिवर्तन के बारे में विनिश्चय, सर्वेक्षण पूरा होने और इसका परिणाम ज्ञात होने के बाद ही किया जायेगा।

(ग) प्राय: सभी छोटी लाइनें घाटे में चल रही हैं।

Railway Bridge at Birsinghpur Station

6043. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether an over bridge had been built on Birsinghpur during 1969 for facilitating the movement of passengers from one platform to the other, but there is no bridge for the residents of the locality for reaching the platform as a result of which there is always fear and possibility of accidents taking place there; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) & (b) : There are two foot overbridges at Birsinghpur station--one connecting the main and island platform constructed 12 years ago and the other across the tracks connecting both parts of the town constructed in 1969. Besides there is a level crossing towards Bilaspur at a distance of 1750 feet from the station.

Findings of the report of Inquiry Committee on Weighing of Coal

6044. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) Whether the system of not weighing the coal has been prevalent for the last more than three years and whether some inquiry committee was constituted in this regard; and

(b) if so, the findings of the report submitted by it and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Incidents of looting on Western Railway.

6045. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of incidents of looting, which occurred on the Western Railway during the last 8 months;

(b) the value of the property belonging to the passengers and Government looted on the basis of information collected by Government;

(c) the number of persons arrested and the number of those against whom cases were registered in this regard; and

(d) the number of persons convicted by Law Courts ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Four.

(b) Passengers' property valued at Rs. 550/--was looted. No Government property was looted.

(c) 14 Persons were arrested and cases against 12 of them are pending investigation by the Police.

(d) None convicted so far. Two passengers are facing trial in court.

Incidents of Gherao, Chain Pulling etc. on Central Railway

6046. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of gherao, chain pulling stoppage, looting and dacoity occurred on the Central Railway during the last eight months;

(b) the number of persons against whom cases have been registered during the aforesaid period; and

(c) the total number of persons convicted by Law Courts ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Cases of various types are as follows :

Ghero	—	Nil
Chain pulling stoppage	—	10605
Looting	—	1
Dacoity	—	9

(b) 72 persons.

(c) 29 persons.

स्टैण्डर्ड मोटर्स द्वारा औद्योगिक विकास बैंक से वित्तीय सहायता की मांग

6047. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टैण्डर्ड मोटर्स के प्रबन्धकों ने औद्योगिक विकास बैंक से सहायता प्राप्त होने में विलम्ब के कारण राज्य वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने में राज्य सरकार की सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋणों की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) मे० स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट आफ इण्डिया के प्रबन्धकों ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम से किसी प्रकार की सहायता की मांग नहीं की है। किन्तु कम्पनी के प्रबन्धकों और उनके विदेशी सहयोगियों ने राज्य सरकार के साथ हुई बैठक में भारतीय औद्योगिक विकास निगम से सहायता मिलने में हुए विलम्ब और तुरन्त सहायता मिलने की आवश्यकता के विषय में बताया था।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पहले ही कम्पनी को 25 लाख रुपयों की कमी पूरा करने का ऋण दिया है और शेष राशि के अगस्त, 1971 के अन्त तक मिलने की आशा है। ऋण स्वीकार करने में हुए विलम्ब के कारण का बैंक से सुनिश्चय किया जा रहा है।

रेलवे प्रशासन को सुदृढ करने के लिये गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति

6048. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री राम सहाय पांडे :
श्री विश्वनाथ झुन्झुनवाला :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा इसके कार्य में मितव्ययता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा गठित की गई उच्च-शक्ति-प्राप्त समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है :

(ख) यदि हां; तो उक्त समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक पेश कर दिये जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

वर्षा के कारण मालाबार क्षेत्र में जन हानि

6049. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 में मालाबार क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होने के उपरान्त बाढ़ वाली नदियों में बहुत से व्यक्ति डूब गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कन्नानोर जिले में कडन्नापल्ली में कितनी जन हानि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैंजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : केरल सरकार ने सूचित किया है कि जून, 1971 के महीने के दौरान मालाबार क्षेत्र में भारी वर्षा से बाढ़ों के कारण कन्नानौर तालुक में कडानापल्ली ग्राम में दो व्यक्तियों की मृत्यु सहित 6 व्यक्तियों की जानें गई थीं। राज्य सरकार ने मृतक परिवारों अथवा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता दी है।

कलकत्ता में वृहत् परिवहन सुविधाओं के बारे में रूसी विशेषज्ञों की रिपोर्ट

6050. श्री एन० ई० होरो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में वृहत् परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिये तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता के बारे में किसी रूसी विशेषज्ञ दल ने रिपोर्ट पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) रूसी सलाहकारों ने एक भूगत रेलवे के निर्माण की सिफारिश की है जो उत्तर में दम दम से दक्षिण में टालीगंज तक होगी। रूसी दल ने उपनगरीय विसर्जन लाइन के निर्माण की सिफारिश नहीं की थी। रूसी दल की सिफारिशों के अनुसार भूगत रेलवे के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। आशा है, यह रिपोर्ट अक्टूबर, 1971 तक तैयार हो जायेगी।

उपयोग न किये गये टिकट की धन राशि लौटाने में विलम्ब

6051. श्री राम सहाय पांडे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन वापस की गई रेल-टिकटों की राशि लौटाने में बहुत समय लेता है जिसके कारण जनता को बड़ी असुविधा होती है;

(ख) क्या इस प्रकार की राशि वापस करने के बहुत से दावे वर्षों से निर्णयाधीन पड़े है;

(ग) उपयोग में न लाई गई और वापस की गई टिकट की राशि लौटाने में सामान्यतः कितना समय लगता है;

(घ) ऐसे कितने-कितने दावे एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं तथा उन पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से कोई उपयुक्त कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) बहुत बड़ी संख्या में नहीं, किन्तु थोड़े से मामले ।

(ग) जिस गाड़ी से यात्री यात्रा करना चाहता है उसके तीन घन्टे के अन्दर बिना इस्तेमाल किये हुए टिकट यदि स्टेशन मास्टरों को लौटा दिये जायें तो उसे तुरन्त उसी स्थान पर रकम वापिस की जा सकती है । गाड़ी के छूटने के तीन घन्टे के बाद बिना इस्तेमाल किये गये टिकट लौटाने और आंशिक रूप से इस्तेमाल किये टिकटों आदि के मामलों में, जिन पर दावों का निबटारा महा प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है, ऐसे दावों के निबटारे में लगने वाला औसत समय विभिन्न रेलों पर 7 से 41 दिन तक अलग-अलग होता है ।

(घ) वापसी के जिन अनिर्णीत दावों को अन्तिम रूप देने के लिए एक वर्ष से अधिक समय लगा, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

एक वर्ष से अधिक समय तक अनिर्णीत

एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष
45	8	कोई नहीं

ये मामले आवश्यक जांच-पड़ताल पूरे न होने के कारण अनिर्णीत पड़े हैं ।

(ङ) समय में कमी लाने के उद्देश्य से कार्यविधि में और सुदृढ़ता लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

इस्पात कारखानों में माल-डिब्बों का रोक लिया जाना

6052. श्री राम सहाय पाण्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के भीतर बड़ी संख्या में माल-डिब्बों को रोक लिया जाता है जिसके फलस्वरूप सामान्य यातायात में अव्यवस्था होती है तथा इस उद्देश्य के लिए माल-डिब्बों की कमी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेल माल डिब्बों को इस्पात कारखानों में अनुचित रूप से नहीं रोका जाये तथा अन्य यातायात उद्देश्यों के लिए उचित रूप से उनका उपयोग किया जाय, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जारही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां । विभिन्न इस्पात कारखानों में माल डिब्बों को स्वीकार्य निर्धारित समय छूट से अधिक समय तक रोक लिया जाता है ।

(ख) माल डिब्बे रोकने का कारण यह रहा है कि इस्पात कारखाने निर्धारित समय-छूट के अन्तर्गत माल डिब्बे सम्हालने में विफल रहे हैं ।

(ग) विभिन्न इस्पात कारखानों में माल डिब्बों का अधिक रुका रहना उनके नोटिस में लाया जाता है ताकि आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जा सके। जब कभी माल डिब्बे अधिक रुके रहते हैं तो इस्पात कारखानों को भेजे जाने वाले यातायात के लदान पर भी नियंत्रण लगाया जाता है। निर्धारित समय-छूट के अन्तर्गत माल डिब्बे सम्हालने के सम्बन्ध में इस्पात कारखानों की विफलता के मुख्य कारणों की इस्पात कारखानों और रेलों के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।

उड़ीसा स्थित बालासौर जिले के भोगाराई क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए जल निकास व्यवस्था

6053. **श्री एस० एस० महापात्र :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित बालासौर जिले के भोगाराई क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिए जल निकास हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय आयेगा और यह कब तक कार्यान्वित की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) : उड़ीसा राज्य में बालासौर जिले के भोगराई क्षेत्र के जल-निकास के लिए प्रस्ताव सुवर्णरेखा तटबंध स्कीम में शामील कर दिया गया है। उड़ीसा राज्य की सुवर्णरेखा तटबंध स्कीम के लिए 10.5 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण अनुमानित लागत में से इस प्रस्तावित जल-निकास पर लगभग 58 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है। जल निकास स्कीम पर कार्य सुवर्ण रेखा तटबंध स्कीम के स्वीकृत हो जाने के पश्चात ही शुरू किया जाएगा।

Memorandum Regarding Extension of 234 Passenger Train From Sikar to Jaipur on Western Railway.

6054. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of Railways be pleased to state ;

(a) whether Government have received any memorandum in regard to extension of 234 Passenger Train from Sikar to Jaipur on the Western Railway; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) It is proposed to extend this train to Jaipur from 1st October, 1971 as an experimental measure for 6 months.

Employment to Unemployed Engineers

6055. Shri Narendra Singh Bist :
Shri G. Bhuvarahan :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any scheme is proposed to be formulated to provide employment to the Unemployed Engineers by giving them contracts of construction works on Railways;

(b) if so, the nature of the scheme and the criteria to be adopted by the Railways in giving such contracts; and

(c) the number of Engineers expected to be provided with employment every year under this scheme ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) A scheme of this nature is under consideration.

(b) and (c) Details are yet to be worked out.

सिविल सप्लाई संगठन द्वारा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य के वृद्धि के बारे में ध्यान रखना

6056. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनके मूल्यों के संबंध में सिविल सप्लाई संगठन विशेष ध्यान रखता है; और

(ख) मई, जून 1971 में किन-किन वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से संगठनों ने रोका है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : जिन वस्तुओं पर सिविल सप्लाई संगठन विशेष ध्यान रखता है उनमें खाद्यान्न, मिट्टी का तेल, डीजल आयल, चीनी, वनस्पति, कपड़े, दवाइयां, शिशु आहार, साबुन, दियासलाई, कागज और लेखन सामग्री, साइकिल टायर और ट्यूबें, बिजली के बल्ब, सोडा ऐश, टार्चसेल, हरीकेन लालटेनें, जूते, दाड़ी बनाने के ब्लेड, घरेलू बर्तन, दूध और बाइसाइकिलें सम्मिलित हैं।

सिविल सप्लाई संगठन की विशेष निगरानी में रखी वस्तुओं का, मार्च, 1971 से जून, 71 की अवधि का थोक मूल्य सूचकांक दिखाने वाला एक विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

क्रम सं०	वस्तु	आधार मार्च, 1971	अप्रेल, 1971	1961–62= 100 मासिक औसत मई, 1971	जून, 1971	प्र०श० वृद्धि गिरावट मार्च, 1971 जून, 1971
1	2	3	4	5	6	7
1	खाद्यान्न	200.3	200.1	201.0	205.4	× 2.5
2	खाने का तेल	217.2	207.2	200.5	199.5	– 8.1
3	वस्त्र	160.2	163.7	162.02	164.1	× 2.4
4	चमड़ा उत्पाद (जूते)	92.1	92.1	92.1	97.5	× 5.9
5	कागज उत्पाद	124.7	124.7	124.7	124.7	कोई परिवर्तन नहीं
6	दूध	246.0	235.4	232.0	236.8	– 3.7
7	चीनी	157.5	157.7	157.5	156.4	– 0.7
8	मिट्टी का तेल	176.2	176.2	176.2	187.5	× 6.4

1	2	3	4	5	6	7
9–डीजल आयल		120.7	120.7	120.7	120.7	कोई परिवर्तन नहीं
10–सोड़ा ऐश		166.4	166.4	174.0	188.2	× 13.1
11–साइकिल		120.1	121.1	123.0	123.2	× 2.6
12–अल्मूनियम के बर्तन		148.4	148.4	148.4	148.4	कोई परिवर्तन नहीं
13–दवाईयों और औषधियां		148.7	148 7	148.7	148.7	कोई परिवर्तन नहीं
14–साबुन		144.7	144.7	144 7	145.9	× 0.2
15–रबर के टायर और टयूब		161.5	161.5	161.5	161.5	कोई परिवर्तन नहीं
16–दियासिलाई		114.1	114.1	114·1	114.1	कोई परिवर्तन नहीं
17–लैम्प और लालटेनें		160.5	160.5	163.8	163·8	× 2·0
18–रेजर ब्लेड्स		166.7	166·7	166·7	अप्राप्त	कोई परिवर्तन नहीं
19–टार्च सैल		181.9	181.9	181.9	181·9	कोई परिवर्तन नहीं
20–बिजली के लेम्प		166·4	166·4	169.2	169.2	× 1·7

उपर के विवरण से पता चलता है कि केवल सोडा ऐश और मिट्टी के तेल के मूल्य में ही पर्याप्त वृद्धि हुई है। मिट्टी के तेल की कीमत में हुई सूचकांक में दर्शायी गयी वृद्धि कच्चे तेल के विक्रय मूल्य में हुई हाल की वृद्धि के कारण हुई है। सोडा ऐश के सूचकांक में हुई वृद्धि अधिक सीमा तक वस्तु की कमी के कारण हुई है जिसे दूर करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सोडा ऐश का पर्याप्त आयात करने की व्यवस्था की जा रही है। और इससे कीमतों के सामान्य स्तर पर आने की आशा है। खाद्यान्नों, वस्त्रों, जूतों, साइकिलों, लेम्पों और लालटेनों जैसी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि का जहां तक सम्बन्ध है वह रही है। शेष वस्तुओं के सम्बन्ध में सूचकांक पूर्ववत् रहे है बल्कि वास्तविकता तो यह है कि खाने वाले तेल दूध और चीनी जैसी वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट भी आई है।

सरकार आयोग का प्रतिवेदन

6057. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में गठित जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां तो आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्विलोन/त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजनल कार्यालय की स्थापना

6058. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन अथवा त्रिवेन्द्रम में रेलवे का डिवीजनल कार्यालय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) ; (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Action of Brass Scrap Belonging to Dohad Work-shop (Western Railway)

6059. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether brass Scrap and other material is loaded in carts and thrown outside by the Dohad workshop on Western Railway;

(b) Whether the said scrap is not auctioned; if so, the reasons therefor;

(c) Whether only certain officers of in the said workshop are allowed to lift the scrap and thus they earn thousands of rupees; and

(d) the reasons for which the general pupblic is not allowed to lift the said scrap ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise in view of the reply at (a).

(c) No.

(d) Does not arise.

Supply of Filtered water to employees of Kotah Division

6060. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be plesased to state :

(a) whether unfiltered water is supplied to Railway employees of Kotah Division;

(b) if so, the arrangements proposed to be made to supply filtered water to them and the time by which it is proposed to be done;

(c) whether all officers have been given filtered water connection from the Kotah pipe line; and

(d) if so, the reasons for supplying unfiltered water to the employees ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya.) : (a) Presumably the reference is to Kotah station. If so, the supply of unfiltered water is only for use in gardens and flushing lavatories. The supply of drinking water to Railway employees is from Chambal River, which is properly filtered and chlorinated, However, in summer when there is practically no flow in the Chambal River, the drinking water supply has to be suPplemented by pumping from two existing wells in the colonies. Since the well water does not require filtration, only chlorination is done before it is supplied to the staff.

(b) Does not arise.

(c) Yes.

(d) Already covered by reply to part (a) above.

Transfer of Gazetted Officers from Kotah Division (Western Railway)

6061. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of such Gazetted Officers in the Kotah Division of the Western Railway as have got more than there years service to their credit; and

(b) the reasons for not transferring the said officers in the public interest ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) . (a) Twenty two Gazetted officers have been working in the Kotah Division of the Western Railway for more than three years;

(b) No rigid period of stay of officers at one place has been fixed. Transfers are made periodically, keeping in view the administrative requirements.

बंगलौर स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक फैक्ट्री को ऋण

6062. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक कृष्क निगम के निदेशक मंडल ने बंगलौर नगर में सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रम गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री को 25 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : **(क) और (ख)** : शायद यह भारत औद्योगिक वित्त निगम के बारे में है । 30 अप्रैल, 1971 को भारत औद्योगिक वित्त निगम ने न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिक फैक्ट्री, बगलौर को उनके 275 लाख रु० के ऋण के लिये प्राप्त आवेदन पर 75 लाख रू० का ऋण स्वीकृत किया । इसमें संयुक्त रूप से अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की जानी है । कम्पनी को यह ऋण सहायता अपने उत्पादन में विविधीकरण और लागत युक्तिकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए चाहिए ।

लघु उद्योगों के बारे में लोकनाथन समिति की सिफारिशें

6063. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** :
श्रीमति भार्गवी तनकप्पन :

क्या **ओद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के बारे में लोकनाथन समिति की सिफारिशों की सरकार ने जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन कौन सी मुख्य सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : लघु उद्योग बोर्ड की लोकनाथन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार ने प्रायः स्वीकार कर लिया है और वे यथासंभव क्रियान्वित की जा रही हैं । समिति की मुख्य सिफारिशें अनुबन्ध में दी जाती हैं ।

विवरण

लोकनाथन समिति की मुख्य सिफारिशें

(1) लघु तथा बड़े उद्योगों का स्वस्थ और सन्तुलित विकास करना ।

(2) अधिकतर उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का लघु क्षेत्र के लिए आरक्षण ।

(3) इस प्रकार की वस्तुओं की लाइसेंस विमुक्ति को रद्द करना ।

(4) लघु क्षेत्र में उप संविदा और सहायक एककों को प्रोत्साहन ।

(5) लघु क्षेत्र को अर्थ व्यवस्था के प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में समझना ।

(6) लघु क्षेत्र का कुल औद्योगिक उत्पादन और रोजगार में जितना अंशदान है उस के अनुपात से विदेशी मुद्रा और स्वदेशी कच्चे माल का आवन्टन ।

(7) बड़े एककों के तकनीकी सामान और मध्यम वस्तुओं के उत्पादन को लघु एककों के लिये सुरक्षित रखना ।

(8) लघु एककों की पूंजी आधार को शक्तिशाली बनाना ।

(9) लघु उद्योग विकास संगठन और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के बीच प्रभावशाली समन्वय ।

(10) लघु उद्योग विकास संगठन और राज्य के उद्योग निदेशालयों को शक्तिशाली बनाना ।

(11) उत्पादन शुल्क की उगाही में लघु उद्योगों के साथ अधिमान्यता प्राप्त व्यवहार ।

(12) लघु क्षेत्र से निर्यात विकसित करने के लिये विशेष सहायता ।

(13) नियमित और निरन्तर आधार पर आंकड़ों का एकत्रीकरण ।

(14) जिस लघु एकक में पांच या इससे अधिक कामगर नियोजित हो उनका अनिवार्य पंजीकरण ।

Setting up of Railway Service Commission in Bihar

6064. Shri Bidhuti Mishra : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to set up a Railway Service Commission in Bihar as per assurance given by him recently ; and

(b) if so, when the new office wolud start functioning ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) . (a) No.

(b) Does not arise.

Election petitions in connection with elections to Fifth Lok Sabha

6065. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) the number of Election Petitions filed in connection with elections to the Fifth Lok Sabha held in 1971 ;

(b) the names of the petitions, State-wise ; and

(c) the measures being contemplated by Government to ensure their expeditious disposal ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) 57.

(b) A statement showing the names of petitioners etc. State-wise is laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT 750/71]

(c) Sub-sections (6) and (7) of section 86 of the Representation of the People Act, 1951, require that the trial of an election petition shall, so far as is practicable, be continued from day to day until its conclusion and endeavour should be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court.

सुरक्षा संगठन (दक्षिण रेलवे) में कर्मचारियों की संख्या

6066. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे सुरक्षा संगठन में अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या तीन वर्ष पूर्व कितनी थी और अब कितनी है;

(ख) रेल दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए दक्षिण रेलवे में कर्मचारियों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों में दक्षिण रेलवे में रेलवे अधिकारियों के कितने पद बनाये गये/उनका दर्जा बढ़ाया गया/और उसके परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों को पदोन्नतियां हुईं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : **(क) से (ग)** : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पटना सिटी रेलवे स्टेशन के निकट 'क्रासिंग' पर ऊपरी पुल का निर्माण

6067. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर डिवीजन के अधीन पटना सिटी रेलवे स्टेशन के निकट पुलिया संख्या 102 का जीवन-काल समाप्त हो गया है, क्योंकि यह 50 वर्ष से अधिक पुराना है;

(ख) क्या जनता की सुविधा के लिये इस पुलिया के पुनर्निर्माण अथवा इस पर 'रेलवे क्रासिंग' बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आयोडीकृत नमक का निर्माण

6068. श्री बी० एन० पी० सिंह : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक विभाग को आयोडीकृत नमक बनाने हेतु कितने आयोडीकरण संयंत्र गवर्नमेंट साल्ट गोलाबज्र, हावड़ा में अधिष्ठापित करने के लिये मिले हैं;

(ख) उनमें से कितने संयंत्र अब भी बन्द पड़े हैं;

(ग) जो संयंत्र चालू हालत में हैं उनकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में कितने आयोडीकृत नमक का व्यापार किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) 6 सयत्र (इसमें एक पाइलट संयंत्र भी सम्मिलित है)

(ख) 2

(ग) 84000 मी० टन

(घ) 1968, 1969 तथा 1970 में क्रमश: 4071, 2836 और 1191 मी० टन आयोडाईज्ड (अयनीकृत) नमक का व्यापार किया गया ।

Central Assistance for Paimar Canal scheme in Bihar

6069. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of Central assistance given for implementation of **Paimar** Canal Scheme in Bihar; and

(b) the action taken on the demand for extending the said Scheme upto **Murgavan** village ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Central assistance to State Plans is in the form of block loans/grants and is not tied to any individual schemes or Head of Development.

The outlay by the Government of Bihar on the project has been *as follows*;---

1969--70	Rs. 9.9 lakhs.
1970 -71 (anticipated)	Rs. 16.5 lakhs.
1971--72 (proposod)	Rs. 25 lakhs.

(b) The State Government have intimated that they do not contemplate extending irrigation upto village Murgaon from the Paimar Irrigation Scheme because supplies are not adequate. The position is however proposed to be reviewed by them after the scheme is completed, the presently included area is fully irrigated or when additional supplies become available by construction of storages above the barrage site.

अलीपुरद्वार जंकशन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) पर कर्मचारियों की गिरफ्तारी

6070. श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास जून के दौरान पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में अलीपुरद्वार जंकशन पर कार्य करने वाले पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण थे; और

(ग) बन्दी बनाये गये कर्मचारियों को रिहा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : 1970 में हुई हत्या के सम्बन्ध में अलीपुर-द्वार जंक्शन पर काम करने वाले केवल तीन रेल कर्मचारियों को पुलिस द्वारा जून, 1971 में गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) कानून को अपने ढंग से काम करने देना चाहिए और इसलिए सरकार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती ।

एरणाकुलम जंक्शन, केरल में लाइसेंसधारी कुली संघ की ओर से अभ्यावेदन

6071. श्री ए० के० गोपालन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के एरणाकुलम जंक्शन केरल से लाइसेंसधारी कुली संघ की ओर से उनकी शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कुलियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ख) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जी हां । माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न पूछा है, के जरिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । भारिकों की मुख्य मांगें और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों का विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 751/71]**

काश्मीर घाटी के लिए 'मिनी रेलवे'

6072. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार काश्मीर घाटी में एक 'मिनी रेलवे' आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जम्मू और काश्मीर प्रदेश सरकार के खर्च पर, श्रीनगर के रास्ते बारामूला से काजीगुण्ड तक मीटर आमान की विद्युतीकृत रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

जम्मू और काश्मीर में सलाल पन-बिजली परियोजना कार्यक्रम में प्रगति

6073. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और काश्मीर राज्य में सलाल पन-बिजली परियोजना कार्य में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) परियोजना का प्रथम चरण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मई, 1970 में एक निर्माण संस्था स्थापित की गई थी। पूर्व-निर्माण अनुसंधान, भूभौतिकीय और निर्माण उपस्कर सर्वेक्षण चल रहे हैं, भू-अर्जन, भवन निर्माण, जल सप्लाई और निर्माण मशीनरी की प्राप्ति से सम्बन्धित कार्य हाथ में लिया गया है। मुख्य उत्पादन उपस्कर के लिए आदेश दे दिये गये हैं। बांध स्थल तक पहुंच सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। 1.5 करोड़ रुपये 1970–71 में व्यय हुए थे और 1971--72 के लिए 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

(ख) प्रथम विद्युत यूनिट के 1977--78 में चालू होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल में कच्चे माल की कमी

6074. श्री बो० के० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उद्योगों के लिये मुख्यतः कौन-कौन से कच्चे माल की आवश्यकता रहती है तथा यह कच्चा माल सम्बन्धित उद्योगों को अपनी लाइसेंस क्षमता के अनुसार कार्य करते रहने के लिए किस सीमा तक सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल मे उद्योगों को कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु के लिये तुलनात्मक आधार पर लाइसेंस क्षमता के अनुसार उद्योगों को कितने कितने प्रतिशत कच्चा माल सप्लाई किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इंजीनियरी पश्चिम बंगाल का प्रमुख उद्योग होने के कारण इस राज्य के लिये विभिन्न कोटि के इस्पात के कच्चे माल की मुख्य आवश्यकता होती है। ऐसी कोटि का इस्पात जो कि स्वदेश में उपलब्ध नहीं है, उसकी वास्तविक खपत के आधार पर, बशर्ते कि वह गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में अधिकतम 100/– और प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के मामले में अधिकतम 125/– है। आयात करने की अनुमति दी जाती है। ऐसी कोटि के इस्पात के मामले में जिसके आयात पर या तो रोक लगी है या प्रतिबन्धित आधार पर आयात करने की अनुमति है, इस्पात तथा खान मंत्रालय की इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा उपलब्धता के अनुसार सभी एककों को अनुपात के आधार पर आवंटन किया जाता है। इंजीनियरी उद्योगों को कच्चे माल का आवंटन करने के लिये अपनाई गई नीति सारे देश के लिए एक समान है।

(ख) इस्पात की अपर्याप्त सप्लाई होने के बारे में सारे देश के इंजीनियरी उद्योगों से, न कि केवल पश्चिम बंगाल स्थित उद्योगों से ही, शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) वर्तमान आवंटन प्रणाली में इस्पात का विवरण राज्यवार रीति से नहीं किया जाता है। देशी इस्पात का आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार देश में सभी एककों को समान आधार पर इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करना

6075. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए सिफारिश की थी, परन्तु भारत सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कुल कितने लाइसेंसों की मांग की गई तथा कुल कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु को कितने लाइसेंस जारी किये गये ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) 1-4-71 से 30-6-71 की अवधि के तीन महीनों में पश्चिम बंगाल से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 38 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से, दो मामलों में आशय पत्र जारी कर दिये हैं और 1 मामले में पार्टी को उपयुक्त फार्म में आवेदन करने की सलाह दी है। शेष 35 आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं।

(ख) और (ग) : 1-1-68 से 31-12-70 की अवधि में पश्चिम बंगाल को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए 362 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इस अवधि में, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों की संख्या इस प्रकार हैं :—

राज्य का नाम	लाइसेंस	आशय पत्र
पश्चिम बंगाल	140	62
महाराष्ट्र	268	288
गुजरात	80	105
तमिलनाडु	56	60

Setting up of Factories for Power Tillers in Madhya Pradesh.

6076. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up factories for manufacture of power tillers ;

(b) if so, whether any factory has been set up or is proposed to be set up in Madhya Pradesh ; and

(c) if so, the location thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Ghanshyam Oza) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Cottage Industries in Madhya Pradesh.

6077. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop some Cottage Industries during the Fourth Five year Plan ; and

(b) if so, the names of the Cottage Industries to be set up in Madhya Pradesh under the said Plan and the time by which these industries are likely to be developed?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) An outlay of Rs. 193 lakhs has been approved in the Fourth Plan of Madhya Pradesh for handlooms, powerlooms, sericulture and handicrafts. The development of these industries is a continuing process and no definite date can be laid down in the matter.

Revenue earned at Khandwa and Burhanpur Railway Stations

6078. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the revenue earned by the Government from passenger and goods traffic respectively at Khandwa and Burhanpur Railway stations in Madhya Pradesh separately during the financial year 1969–70 ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : The revenue earned by the Railway from passenger and goods traffic at Khandwa and Burhanpur Stations in 1969–70 was approximately as below :—

Names of Stations.	1969-70	
	Passenger Rs.	Goods Rs.
Khandwa	30,69,000	26,76,000
Burhanpur	11,29,000	9,12,000

पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग सामान का उत्पादन

6079. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान पिछड़े गये इंजीनियरिंग सामान के उत्पादन में अब कुछ वृद्धि होने लगी है ; और

(ख) यदि हां, तो बढ़ते हुये इस उत्पादन की प्रगति दर क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) और (ख) : जिस अवधि तक पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उस अवधि तक इंजीनियरिंग उद्योगों में हुए उत्पादन के आंकड़े प्रथक से उपलब्ध नहीं हैं, ये आंकड़े कलेन्डर वर्षवार रखे जाते हैं। इसलिए जिस अवधि तक पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी उस अवधि के उत्पादन के आंकड़ों की बाद की अवधि के उत्पादन के आंकड़ों से तुलना करना संभव नहीं है।

कलेन्डर वर्ष 1970 में निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई है :—

(1) ट्रांसफार्मर
(2) वी. आई. आर. और पी. वी.सी. केबल
(3) मशीनी औजार
(4) सीमर्स
(5) मिलिंग कटर्स
(6) आटोमोबाइल्स
(7) शक्ति चालित पंप
(8) विद्युत लैम्प
(9) स्टोरेज बैटरियां
(10) रेडियो रिसिवर
(11) कन्क्रीट पाइप
(12) पूरी साइकिल
(13) अल्यूमिनियम की चादरें, सर्कल, स्ट्रिपें और स्लग
(14) इस्पाती ढली वस्तुएं

Scheme to Irrigate Additional Land

6080. Shri Narendra Singh : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether according to the Central Water and Power Commission, it would be necessary to launch a scheme involving an outlay of Rs. 2350 crores to bring under irrigation 2.9 crore acres of additional land during the next seven years to achieve the target of production of 16 crore tonnes of food grains by 1981; and

(b) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) Preliminary studies made by the Central Water and Power Commission indicate that an outlay of over Rs. 3000 crores is needed to add 28.3 million acres of irrigation in the major and medium sector during the decade 1971-81 to contribute towards raising the food production of the country to 160 million tonnes.

(b) Detailed plans will be prepared for implementation during the decade depending upon the availability of funds.

Manufacture of Parts of Cycles, Watches in Small Scale Sector.

6081. Shri Narendra Singh : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme to entrust the manufacture of components and small parts of watches and cycles to small scale industrial units in this country ; and

(b) if so, the outline of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development : (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वरिष्ठ लेखा कार्यालय (एफ० टी० ए०) दिल्ली किशनगंज में विभागीय स्नातकों के लिये कोटा

6082. श्री हरीसिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रेल, 1956 से लेखा विभाग में सी० जी० आई० संवर्ग में विभागीय स्नातकों के लिये 20 प्रतिशत कोटा आरक्षित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने विभागीय स्नातकों को नियुक्त किया गया और वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ० टी० ए०) कार्यालय, दिल्ली किशनगंज में कितने व्यक्ति सीधे भर्ती किये गये;

(ग) क्या विभागीय स्नातकों के लिये आरक्षित कोटे से रिक्त पदों पर अ-स्नातकों की नियुक्ति कर दी गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कितने विभागीय स्नातकों ने विभाग परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली थी और उन्हें कब तक नियुक्त कर लिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं; लेकिन इस आशय के आदेश जारी किये गये थे कि ग्रेड बढ़ाने से सम्बन्धित 1957 के आदेशों के फलस्वरूप हुई ग्रेड–1 क्लर्कों की 20 प्रतिशत रिक्तियां जो सीधी भर्ती वालों के लिए आरक्षित थीं, सेवारत उपलब्ध स्नातकों द्वारा भरी जायें।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित आदेशों के अनुसार ग्रेड–1 क्लर्कों की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित 20 प्रतिशत के कोटा में 23 सेवारत स्नातक क्लर्कों को, समाहृत कर लिया गया। दिल्ली किशनगंज स्थित वरिष्ठ लेखा अधिकारी (इतर यातायात लेखा) के कार्यालय में स्नातकों की कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : जी नहीं।

(ङ) जिन विभागीय स्नातकों ने विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, लेकिन जो समाहृत नहीं किये जा सके हैं, उनकी संख्या 6 है। वे सभी अर्हता कर्मचारियों में अपनी वरिष्ठता के अनुसार सामान्य तरीके से उपलब्ध होने वाली रिक्तियों में पदोन्नति पाने के पात्र हैं।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल में भाप और पन-बिजली जनन एककों की क्षमता

6083. श्री डी०डी० देसाई : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल द्वारा बनाये गये और सप्लाई किए गए 50 एम० डब्ल्यू० और इससे अधिक वाले भाप और पन-बिजली जनन एककों की संख्या और क्षमता कितनी है; और

(ख) उपरोक्त सेटों में से कौन से और कैसे सेट और कितने समय से वास्तव में वाणिज्यिक प्रयोग के लिये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा निर्मित 120 मेवा० का एक स्टीम टर्बाइन चन्द्रपुरा पावर स्टेशन (दामोदर घाटी निगम) को सप्लाई किया जा चुका है। उसी से मिलता-जुलता जनित्रक (जेनेरेटर) हैवी इलेक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० भोपाल में तैयार होने वाला है और वह ग्राहकों की उपयोगिता के अनुसार ही बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त, हैवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लि० द्वारा बनाया गया 60 मैगावाट का एक हाइड्रो टर्बाइन तथा एक जनित्रक चीबरो पावर स्टेशन को भेज दिया गया है।

(ङ) इन सेटों को अभी चालू किया जाना है, फिर भी भारी विद्युत (भारत) लि० भोपाल द्वारा निर्मित और संभरित कम शक्ति वाले जनित्रक पहले से ही पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं।

बड़ौदा से बड़बाहा तक ई० एच० टी० ट्रांसमिशन लिंक लाईन का निर्माण

6084. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौदा से बड़वाहा तक ई० एच० टी० ट्रांसमिशन लिंक लाइन का निर्माण कार्य किस तिथि से आरम्भ होगा और यह कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ख) उपरोक्त ई० एच० टी० लिंक लाईन से दो जिलों को आपस में शीघ्र मिलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख): मध्य० प्रदेश मे बुरवाहा से गुजरात में बड़ौदा को जोड़ने के लिए एक ई० एच० टी० पारेषण पथ के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव को अन्तिम रूप मिल जाने तथा योजना आयोग द्वारा स्कीम को स्वीकृत किए जाने के बाद, धन की उपलब्धता को देखते हुए कार्य प्रारम्भ तथा क्रियान्वित किया जायेगा।

गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाना

6085. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि दिल्ली और नई दिल्ली से चलने और बम्बई जाने वाली महत्वपूर्ण गाड़ियों की रफ्तार तेज नहीं की गई है जबकि इन्हीं स्टेशनों से चलने और नागपुर तथा उससे आगे जाने वाली गाड़ियों की गति तेज की जा रही है; और

(ख) क्या ऐसी अन्य गाड़ियों की भी भविष्य में रफ्तार तेज करने की कोई योजना है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख): दिल्ली। नयी दिल्ली से चल कर नागपुर और उससे आगे जाने वाली किसी भी गाड़ी की रफ्तार हाल में नहीं बढ़ाई गई है। इरादा यह है कि कुछ महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार एक निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर 100 कि० मीटर प्रति घटा से बढ़ा कर 110 कि० मीटर प्रति घंटा कर दी जाये। इस प्रयोजन के लिए बड़ी लाइन की 6 डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों को चुना गया है जिनमें से एक है 3 अप। 4 डाउन फ्रंटियर डाक जो दिल्ली और बम्बई के बीच चलती है और दूसरी है ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस जो नागपुर होकर दिल्ली और मद्रास के बीच चलती है। शेष चार गाड़ियां अन्य मार्गों पर चलती हैं।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमण्ड के उत्पादन में वृद्धि

6086 **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम की गेवार्टस कम्पनी ने सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, उटकमंड को सुदृढ़ बनाने के लिये विस्तृत प्रस्ताव किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या सुझाव हैं; और

(ग) क्या यह कम्पनी, सुझावों की क्रियान्विति पर निर्धारित उत्पादन क्षमता प्राप्त कर सकेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनश्याम ओझा) : (क) से (ग): किनारा ढलाई (बेस कास्टिंग) से सम्बन्धित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स की समस्याओं पर मे० आगरा-गेवार्ट के साथ सविस्तार विचार-विमर्श किया गया था, उन्होंने भुगतान किये जाने और विद्यमान मशीनरी में अतिरिक्त साज-सामान जोड़ने/सुधार करने से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों को भेजने का वायदा किया। प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर जांच की जायेगी।

"सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन" से प्राप्त अभ्यावेदन को मंजूरी न दिया जाना

6087. श्री सी० चित्त बाबू : क्या रेल मन्त्री गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनों। एसोसियेशनों से मिले अभ्यावेदन पर विचार के बारे में 15 जून, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, दिल्ली ने 30 जून, 1971 को सिगनल एण्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ एसोसियेशन, के अभ्यावेदन को स्वीकार न करके रेलवे की नीति के अनुसार कार्य किया, जबकि इस एसोसियेशन के प्रतिनिधि उनसे उनके कार्यालय में मिले थे; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) मंडल अधीक्षक द्वारा अमान्यता प्राप्त यूनियन के प्रतिनिधियों से मिलने तथा व्यक्तिगत रूप से उनका ज्ञापन लेने से इन्कार करना, रेलवे बोर्ड की नीति के अनुरूप है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे वर्कशाप, जमालपुर (पूर्व रेलवे) में काम करने वाले कर्मचारी

6088. श्री दामोदर पांडे : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जमालपुर रेलवे वर्कशाप में गत तीन वर्षों से कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे वर्कशाप, जमालपुर से गत तीन वर्षों में कितने व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए तथा उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

नामसाई जिला लोहित (नेफा) में आसाम सा मिल्स और टिम्बर कम्पनी लिमिटेड को हुई हानि

6089. **श्री सी० सी० गोहियान** : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला लोहित की आसाम सा मिल्स और टिम्बर कम्पनी लिमिटेड नामसाई के अंशधारियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा बहुत ही सस्ती और उचित दर पर कच्चे माल की सप्लाई किये जाने पर भी यह कम्पनी भारी हानि में चल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस कम्पनी की दशा सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नेफा के सीमावर्ती क्षेत्र को बिजली देने का प्रबन्ध

6090. **श्री सी० पी० गोहियान** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में नेफा के सीमावर्ती क्षेत्र को बिजली देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या लोहित जिले में नामसाई में 'आसाम सा मिल्स एण्ड टिम्बर कम्पनी लिमिटेड' नामक एक ही प्रमुख कारखाना है जिसने आसाम सरकार से बिजली के लिए आवेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) नेफा के सीमा-क्षेत्र में विद्युत सप्लाई का विस्तार करने के लिए 1971–72 के दौरान नीचे लिखे कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है :—

1. निम्नलिखित स्थानों में डीजल की सात नई स्कीमें हाथ में लेने का प्रस्ताव है :
   (1) लिमिकिंग (2) लुमला (3) सरली
   (4) वक्का (5) छागलागांव और तफलागांव (6) पंचन
   (7) लोंगडिंग
2. 18 स्थानों में डीजल द्वारा विद्युत–जनन–क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।
3. 13 सूक्ष्म जल विद्युत स्कीमों पर काम चालू करने का प्रस्ताव है (इनमें 3 स्कीमें चालू हैं और 10 स्कीमें नई हैं) ।
4. निम्नलिखित को विद्युत सप्लाई देने के लिए असम से विद्युत की थोक खरीद के लिए 33 किलोवोल्ट लाइनों का विस्तार :—
   (1) खोंसा (2) जैरामपुर (3) चौखम
   (4) नामसाई (5) नमसंग

(ख) नामसाई क्षेत्र सहित नेफा में विद्युत सप्लाई का उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का है। नामसाई स्थित असम सा मिल्स और टिम्बर कम्पनी से नेफा के अधिकारियों को विद्युत सप्लाई के सम्बन्ध में अभी तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, ऊपर (क) में बताये अनुसार नेफा के नामसाई और चौखम क्षेत्र में वितरण हेतु असम राज्य विद्युत बोर्ड के लिए थोक सप्लाई की खरीद की एक स्कीम नेफा अधिकारियों के पास है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोटाशियम क्लोरेट की मांग, खपत और उत्पादन

6091. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने पोटाशियम क्लोरेट की आवश्यकता है और उसकी सप्लाई का स्रोत क्या है;

(ख) उसका देशी उत्पादन कितना है, आयातित मात्रा कितनी है और उसे किन पत्तनों से आयात किया जाता है;

(ग) उन उद्योगों के नाम क्या हैं, जिनके लिए इसकी आवश्यकता होती है;

(घ) सरकार द्वारा की गई वास्तविक जांचों का ब्यौरा क्या है, किन-किन तारीखों की जांच की गई है और कितने मामलों में अवैध बातों का पता चला है; और

(ङ) पोटाशियम क्लोरेट का नियंत्रित और खुले बाजार का मूल्य कितना-कितना है ?

औद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) विभिन्न देशी उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए, मोटे तौर से 5,500 टन पोटाशियम क्लोरेट की आवश्यकता है। निम्नलिखित एकक देश में पोटाशियम क्लोरेट बनाते हैं :—

पोटाशियम क्लोरेट	अधिष्ठापित क्षमता	लाइसेंसीकृत / अनुमोदित क्षमता (टनों में)
1. मे० वैस्टर्न इण्डिया मैच कम्पनी लि० अम्बरनाथ	4200	4200
2. मे० ट्रावनकोर कैमीकल्स तथा मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, पोस्ट बोक्स सं० 19, अलुवाय, केरल राज्य	750	1350
3. मे० मैसुर कैमीकल्स इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन, लि०, मैसुर डैम	624	624
	5574	6174

(ख) देश में उत्पादित मात्रा इस प्रकार हैं :—

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
1967	4105
1968	4741
1969	5206
1970	5325
1971 (जनवरी-मई 71)	2370

आयातित मात्रा इस प्रकार हैं :—

वर्ष	आयातित मात्रा
1966–67	174 टन
1967–68	85 किलो ग्राम
1968–69	कुछ नहीं
1969–70	85 टन
1970 (अप्रैल–दिसम्बर 70)	102 टन

(ग) मुख्यतया सेफ्टी मैच इण्डस्ट्री तथा फायर वर्क्स इण्डस्ट्री ।

(घ) विस्फोटकों पर शांति व्यवस्था सम्बन्धी नियंत्रण बनाये रखना गृह मंत्रालय का कार्य है और इस दृष्टिकोण से विस्फोटकों के निर्माण करने, रखने, बेचने, प्रयोग आदि जिनमें विस्फोटक द्रव्य शामिल हैं, पर गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर उपयुक्त नियंत्रण और सतर्कता रखने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

(ङ) पोटाशियम क्लोरेट नियंत्रित वस्तु नहीं है । विद्यमान समय में कारखाने से निकलते समय का मूल्य 2500 से 2600 रुपये प्रति टन के बीच है ।

मैसूर के तुमकुर जिले के लिए हेमावती और येगाची नदियों से पानी लेना

6092. श्री के० लकप्पा : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य के तुमकुर जिले की हेमावती और येगाची नदियों से पानी देने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग) : सिंचाई राज्यों का विषय है और परियोजनाओं का आयोजन और निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । तुमकुर जिले की सिंचाई करने के लिए हेमावती और येगाची नदियों के जल के उपयोग के लिए मैसूर से कोई भी परियोजनाए प्राप्त नहीं हुई हैं ।

"वायरलैस आपरेटर्स और टेलीप्रिंटर आपरेटर्स" (दक्षिण रेलवे) के कार्यों में अन्तर

6093. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय रेलों में रु० 110–200 और रु० 150–240 वेतनमान वाले सिगनलरों को 'टेलीप्रिंटरों' पर काम करने के लिए विशेष वेतन दिया जाता है जबकि निम्न वेतनमान (रु० 110–180) में सीधे भर्ती किये गये 'टेलीप्रिंटर आपरेटरों को, जो वह कम वेतन-मान होते हैं," सिगनलरों को मिलने वाला विशेष वेतन नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जी० एम० एम० ए० एस० ने यह स्वीकार किया था कि दक्षिण रेलवे के सिगनलरों के कर्त्तव्य हुबली और बैजवाड़ा एण्ड के 'माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स में काम करने वाले' सिगनलरों के कर्त्तव्यों से भिन्न है, क्योंकि वायरलैस आपरेटरों को वायरलैस लिंक्स और माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स–दोनों पर काम करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो किस अधिकार के अन्तर्गत दक्षिण रेलवे वायरलैस आपरेटर्स को विशेष वेतन दिये जाने के प्रयोजन के लिये सीधे भर्ती किये गये 'टेलीप्रिंटर आपरेटर्स' के समान समझा जाता है जबकि 'वायरलेस आपरेटर्स' के कर्त्तव्य सीधे भर्ती किये गये 'टेलीप्रिंटर आपरेटर्स' के कर्त्तव्यों से भिन्न है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 110–200 रुपये और 150–240 रुपये के प्राधिकृत वेतनमान के सिगनलरों को जब टेलीप्रिंटर आपरेटरों के रूप में काम करने के लिए लगाया जाता है तो उन्हें विशेष वेतन दिया जाता है। 110–180 रुपये के वेतनमान में किसी टेलीप्रिंटर आपरेटर की सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दक्षिण रेलवे के वायरलैस आपरेटरों और दक्षिण मध्य रेलवे में हुबली और विजयवाड़ा सिरे पर माइक्रोवेव टेलीप्रिंटरों पर काम कर रहे सिगनलरों की ड्यूटी को महाप्रबन्धक मद्रास द्वारा एक समान मानने या न मानने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह विनिश्चय करना रेल मन्त्रालय का काम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वायरलैस औपरेटरों (दक्षिणी रेलवे) का पुनर्वर्गीकरण करने के लिये उनके कार्य का विश्लेषण

6094. श्री टी० एस० लक्ष्मणन् : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार के घण्टों के विनियमनों के अन्तर्गत जारी किये गये रेलवे बोर्ड के निदेशों के अनुसार जब कभी कर्तव्यो के वर्गीकरण को एक से दूसरे में बदला जाता हैं तो निरन्तर तीन दिन तक कार्य विश्लेषण के लिए, कार्य विश्लेषक नियुक्त करने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए;

(ख) क्या दक्षिण रेलवे के वायरलेस आपरेटेरों के मामले में कार्य विश्लेषण किया गया था जब कर्तव्य के वर्गीकरण को 'इन्टेनसिव' 'कान्टीन्यूस' कार्य में बदला गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और जब इस प्रकार पुनर्वर्गीकरण किया जाता है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलों को इस आशय का कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि कार्य घंटा विनियमों के अन्तर्गत कर्मचारियों के वर्गीकरण में परिवर्तन सभी मामलों में कार्य विश्लेषण के जरिए किया जाय। लेकिन, मार्च, 1971 में रेलों को निदेश दिये गये थे कि जब कभी भी कार्य विश्लेषण किया जाय तो उसकी अवधि समान रूप में 72 घंटे या लगातार तीन दिन रखी जाय।

(ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

टेलीप्रिंटर 'आपरेटर्स' के कर्त्तव्यों को अत्यधिक माना जाना

6095. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'माइक्रोवेव' से आने वाले संदेशों पर 'हाईफ्रीक्वेन्सी वायरलेस' के कारण होने वाले 'स्टैटिक डिस्टरवैन्स' और कैडिंग इफैक्ट का प्रभाव होता है;

(ख) क्या ऐसी प्राकृतिक कठिनाइयों का प्रभाव 'माइक्रोवेव टेलीफोन' कार्य प्रणाली की अपेक्षा 'माईक्रोवेव टेलीप्रिंटर कार्य प्रणाली' पर अधिक महसूस किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो संदेश प्राप्त करने की कठिनाइयों के कारण क्या माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स पर काम करने वाले 'वायरलेस ओपरेटर्स' को लगातार ध्यान और शारीरिक एकाग्रता रखनी पड़ती है और संदेश भेजने और प्राप्त करने दोनों में ही आराम करने का समय बिल्कुल नहीं रहता है;

(घ) यदि नहीं तो 'माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स' के साथ साथ 'साइडटोन सर्किटों' के लागू करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए 'माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स' के कर्त्तव्यों को अत्यधिक मानने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । 'माइक्रोवेव' से आने वाले संदेशों पर 'स्टैटिक डिस्टर्बेंस' का प्रभाव नहीं पड़ता उच्च आवृति बेतार प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव की तुलना में माइक्रोवेव प्रणाली पर फेडिंग का नाम मात्र का प्रभाव पड़ता है ।

(ख) यद्यपि माइक्रोवेव टेलीफोन प्रणाली की तुलना में माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर प्रणाली पर 'फैडिंग' का प्रभाव अधिक महसूस होता है फिर भी 'माइक्रोवेव प्रणाली पर इस प्रकार फैडिंग का प्रभाव नगण्य होता हैं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) शाइडस्टोन सर्किटों का उपयोग तब किया जाता है जब टेलीप्रिंटर प्रणाली खराब हो जाती है ।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास केन्द्रीय तार घर (दक्षिण रेलवे) के अतिरिक्त वायरलैस आपरेटर्स की सेवाओं का उपयोग

6096. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन्** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेंट्रल टेलीग्राफ आफिस दक्षिण रेलवे में समस्त 'ट्रैफिक' सम्बन्धी कार्य 'वायरलैस लिंक्स', 'माइक्रो वेव टेलीप्रिंटर्स' 'लैंड लाइन मोर्स सारकिट्स और 'लैंड लाइन टेलीप्रिंटर्स', के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है और उनको चलाने वाले कर्मचारियों की संख्या माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर्स के लागू होने से पहले और बाद में लगभग एक ही रही है;

(ख) क्या माइक्रोवेव कार्य प्रणाली के लागू किये जाने के पश्चात् वायरलैस ओपरेटर्स द्वारा चलाये जाने वाले वायरलैस और माइक्रोवेव टेलीप्रिंटर सर्किट्स ' में 'टेलीग्राफ ट्रैफिक' काफी बढ़ गया है, परन्तु 'लैंड लाइन सिगनलर्स ' और लैंड लाइन टेलीप्रिंटर ओपरेटर्स द्वारा संचालित 'टेलीग्राफ ट्रैफिक' का काम कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो (1) 'माइक्रो वेव चैनल्स' की संचालन क्षमता से अतिरिक्त 'ट्रैफिक' के कारण 'वायरलेस ओपरेटर्स ' और (2) कार्य भार में कमी करने के कारण 'लैंड लाइन स्टाफ' के वर्गों में कितने कर्मचारी फालतू हो गये; और

(घ) दोनों श्रेणियों में यदि कोई अतिरिक्त कर्मचारी हैं तो उनकी सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Incident of looting of Guards on Kotra Station of Jhansi Division on Central Railway.

6097. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any incident of looting of two Guards of Goods Trains took place in Kotra station of Jhansi Division of the Central Railway on 22nd June last ; and

(b) whether the matter was investigated and if so, the result thereof ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No. There was no incident of looting of two Guards of goods train at Kotra station in Jhansi Division. However, on 22.6.1971 one Guard Shri J. D. Sharma of Goods train No. P 35 Dn was assulted by an outsider with a lathi at Kotra station as reported by the Guard to the Assistant Station Master of Antpeth station on arrival of the train there.

(b) Government Railway Police, Gwalior has registered a case under Section 121 Indian Railways Act, which is under investigation. No arrests have been made so far.

Cash found short at Regional Cash Office, Jhansi, on Central Railway.

6098. Dr. Govind Das Richhariya : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether cash worth thousands of rupees was found short in some safes received at Regional Cash Office, Jhansi, on the Central Railway during the month of June last ; and

(b) whether the matter was investigated and if so, the result thereof ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The Regional Cash Office, Jhansi, reported shortage of Cash amounting to Rs. 23,282.80 in respect of station earnings of Mathura, on 24-6-1971.

(b) Government Railway Police, Jhansi, registered a case under Sections 379/409 IPC on 1-7-1971 and are investigating it. No arrest or recovery has been made so far. A departmental enquiry by Railway officers is in progress.

रेलवे क्लर्कों, टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों की पदोन्नति की प्रणाली

6099. श्री पन्नालाल बारूपाल :
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में क्लर्कों, टाइपिस्टों तथा स्टेनोग्राफरों की सामान्य भर्ती सम्बन्धी शर्तें क्या हैं;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों के वर्गों के वेतनमान क्या हैं, और

(ग) भाग (क) के उल्लिखित वर्गों की पदोन्नति की प्रणाली क्या है और वे किस वर्ग तथा किस वेतनमान तक पदोन्नत किये जा सकते हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) भर्ती की सामान्य शर्तें;

(i) **क्लर्क ग्रेड–II**

उम्मीदवार अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में लेकर मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्ष परीक्षा पास हो और उसकी आयु 18–25 वर्ष के बीच हो ।

(ii) **टाइपिस्ट** :

उपर्युक्त के समान, किन्तु उनकी टाइप की न्यूनतम गति 40 शब्द प्रति मिनट हो ।

(iii) **स्टेनोग्राफर** :

उम्मीदवार मैट्रीकुलेशन या समकक्ष परीक्षा पास हो और आयु 18–30 वर्ष के बीच हो, आशुलिपि की गति 80 शब्द प्रति मिनट और टाइप की 40 शब्द प्रति मिनट हो । 130–300 रुपये के वेतनमान के जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी की परीक्षा पास करते हैं और आशुलिपि के आलेख का 100 और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेख करते हैं उन्हें क्रमशः दो और चार अग्रिम वेतन वृद्धियां दी जाती हैं ।

(ख)	(i) क्लर्क ग्रेड–I	110–180 रुपये ।
	(ii) टाइपिस्ट	110–180 रुपये ।
	(iii) स्टेनोग्राफर	130–300 रुपये ।
(ग)	(i) क्लर्क ग्रेड–II	110–180 रुपये ।
	क्लर्क ग्रेड–I	130–300 रुपये ।
	प्रधान क्लर्क	210–380 रुपये ।
	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–III मुख्य क्लर्क ग्रेड–II	335–425 रुपये ।
	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–II	
	मुख्य क्लर्क ग्रेड–I	350–475 रुपये ।
	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–I	450–575 रुपये ।
	(ii) टाइपिस्ट	110–180 रुपये ।
	वरिष्ठ टाइपिस्ट । प्रधान टाइपिस्ट ग्रेड–II	130–300 रुपये ।
	प्रधान टाइपिस्ट ग्रेड–	210–380 रुपये ।

अपेक्षित योग्यता रखने बाले टाइपिस्ट भी 130–300 रुपये के वेतन में स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं।

(iii) स्टेनोग्राफर : 130–300 रुपये।
210–425 रुपये।

महाप्रबन्धकों और विभागाध्यक्षों के साथ सम्बद्ध 210–425 रुपये के वेतनमान के स्टेनोग्राफरों को प्रतिमास 50 रुपये विशेष वेतन मिलता है।

विभिन्न श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि की प्रतिशतता

6100. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री प्रबोध सिंह सोलंकी :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी रेलवे में वर्ष 1930 में तथा वर्ष 1970 में 'ए', 'बी' तथा 'सी' श्रेणी के ड्राइवरों के वेतनमान क्या क्या थे;

(ख) इस प्रकार वर्ष 1930 से 1970 तक इन वेतनमानों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) वर्ष 1930 में तथा वर्ष 1970 में स्टेशन मास्टरों। सहायक स्टेशन मास्टरों, ट्रेन एग्जामिनरों तथा टिकट निरीक्षकों के वेतनमान क्या क्या थे,

(घ) उपरोक्त (ग) भाग में वर्णित श्रेणियों के वेतनमानों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ङ) उपरोक्त (ख) तथा (घ) भागों में वर्णित श्रेणियों के वेतनमानों में वृद्धि की प्रतिशतता में कितना अन्तर रहा; और

(च) प्रत्येक श्रेणी में प्रतिशत वृद्धि को समान करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी. 752/71]**

(च) वेतन आयोगों ने समय-समय पर उपयुक्त वेतनमानों की सिफारिश की है जिन्हें सरकार ने स्वीकार और क्रियान्वित कर लिया है। तीसरा वेतन आयोग रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतनमान पर फिर से विचार कर रहा है और उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

दुर्घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे रेलवे इंजनों आदि के कलपुर्जों की समुचित जांच

6101. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे इंजनों आदि के कल-पुर्जों, जैसे शेकल पिन, स्प्रिंग आदि मार्ग में घिस जाते हैं जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्ग अथवा जांच केन्द्र में कल पुर्जों के दोषपूर्ण पाये जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) क्या मार्ग अथवा जांच केन्द्र में मरम्मत करने हेतु अलग कर्मचारी रखे गये हैं और किन श्रेणियों के कर्मचारियों को ऐसा करने का अधिकार दिया गया है;

(घ) क्या किसी रेलवे में उपरोक्त प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : जब चल स्टाक इस्तेमाल में होते हैं, तो शेकल पिन, स्प्रिंग जैसे फिटिंग के सामान और अन्य पुर्जे घिसते रहते हैं, लेकिन प्रारंभिक और पर्यन्त स्टेशनों तथा कुछ मार्गवर्ती स्टेशनों पर इनकी सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। जब कभी इनमें से किसी भी एक पुर्जे को दोषपूर्ण अथवा घिसा हुआ पाया जाता है, तो आवश्यक होने पर माल डिब्बे या वाहन को गाड़ी से अलग कर दिया जाता है और दोष पूर्ण फिटिंग या पूर्जे को बदल दिया जाता है ताकि उसके कारण दुर्घटना न हों।

(ग) जी हां, गाड़ी परीक्षकों को, जो चल स्टाक की सामान्य जांच करते हैं तथा सवारी और डिब्बा फिटरों; व्हील-टैपर्स और खलासियों, आदि के कार्य का पर्यवेक्षण भी करते हैं, मार्गवर्ती स्टेशनों तथा पर्यन्त स्टेशनों पर गाड़ियों की जांच करने के लिए तैनात किया जाता है। जब मरम्मत का काम अधिक होता है और उसे गाड़ी में अथवा यार्ड में नहीं किया जा सकता, तो मरम्मत लाइनों में ऐसी मरम्मतों को करने तथा पर्यवेक्षण के लिए इसी तरह की कोटियों के अलग कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलवे में टाइपिस्टों को अतिरिक्त पारिश्रमिक

6102. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में एक लिपिक तथा एक टाइपिस्ट का मूल वेतन समान है;

(ख) क्या एक लिपिक को तो केवल सामान्यज्ञान की एक लिखित परीक्षा ही पास करनी होती है जबकि टाइपिस्ट को दो परीक्षायें अर्थात् (1) सामान्यज्ञान में लिखित परीक्षा तथा (2) टाईप राईटिंग स्पीड परीक्षा पास करनी पड़ती है;

(ग) क्या यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त (ख) भाग में वर्णित दोनों में से एक परीक्षा में असफल घोषित हो जाता है तो वह रेलवे में टाइपिस्ट नियुक्त नहीं किया जा सकता;

(घ) क्या एक अतिरिक्त परीक्षा पास करने के कारण रेलवे में टाइपिस्टों को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है और यदि हां, तो किस प्रकार का; और

(ङ०) यदि नहीं, तो एक अतिरिक्त परीक्षा पास करने के विचार से उन्हे अतिरिक्त पारिश्रमिक न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) लिपिकीय पद के उम्मीदवार को अंग्रेजी में लिखित परीक्षा के 50 अंकों के एक खण्ड के साथ साथ गणित और सामान्यज्ञान के 100 अंकों के दो और खण्ड पास करने पड़ते हैं (इन तीनों खण्डों के उत्तर 2॥ घंटे में देने होते है) टाइपिस्ट के पद के उम्मीदवार को 50 अंकों की अग्रेंजी परीक्षा पास करनी होती है (जिसका उत्तर एक घंटे में देना होता है) और अधिकतम 100 अंकों की अग्रेंजी टाइपिंग की गति परीक्षा पास करनी होती है।

(ग) टाइप की परीक्षा तभी ली जाती है जब वह अंग्रेजी की लिखित परीक्षा पास कर लेता है। यदि वह टाइप की परीक्षा में असफल रहता है, तो उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उटता।

सिगनल और दूर संचार विभाग के खलासियो को वर्दियों की सप्लाई

6103. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों में सिगनल तथा दूर संचार विभाग के खलासियों को वर्दियां सप्लाई करने के लिए कोई समान नीति नहीं है जिसके फलस्वरूप एक जोनल रेलवे के कर्मचारियों को वर्दियां मिल रही है जबकि रेलवे के दूसरे जोन के उसी वर्ग के कर्मचारियों को वर्दियां नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के कारण क्या हैं; और

(ग) इस असंगति को दूर करने के लिए प्रशासन का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) महाप्रबन्धकों को कर्मचारियों के लिए वर्दियां निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था।

(ग) विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों को वर्दियों की सप्लाई करने के समूचे प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी और इस समिति की रिपोर्ट की जांच की जा रही हैं।

तंजौर जिले में सिंचाई के चैनलों की मरम्मत के लिए तमिलनाडु से योजना

6104. **श्री एस० राधाकृष्णन्** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तंजौर जिले में सारे सिंचाई चैनलों की मरम्मत तथा पुनः निर्माण के लिए सरकार को तमिलनाडु सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा योजनाओं को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, और

(ग) यदि हां तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने स्कीम का वित्तपोषण करने में रुची दिखलाई थी। परन्तु कावेरी जल पर केरल, मैसूर और तमिलनाडु राज्यों के बीच मतभेद होने के कारण इस मामले पर आगे कार्रवाई नहीं की गई।

विस्फोटकों पर नियंत्रण

6105. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्फोटकों पर नियंत्रण रखना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है; और

(ख) विस्फोटकों पर प्रभावशाली नियंत्रण के लिये सरकार ने क्या प्रशासनिक उपाय किये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां।

(ख) विस्फोटक विभाग के निरीक्षण कर्मचारी वर्ग को सिविल विस्फोटकों पर, विशेषतया देश के पूर्वी क्षेत्र में प्रभावशाली नियन्त्रण रखने के विचार से सशक्त बनाने के लिये उपयुक्त अभ्युपाय किये गये हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अध्ययन दल के माध्यम से, सरकार भी विस्फोटक और अस्त्र शस्त्रों के अवैध निर्माण करने, बेचने और रखने आदि की समस्या के अध्ययन में निरन्तर लगी है। इस अध्ययन दल के निष्कर्षों के प्रकाश में, उत्पादन के प्रबंध में कमी को समाप्त करने और इन वस्तुओं को बेचने और वितरण करने के लिये उपयुक्त उपचारी और निवारक अभ्युपाय किये जा रहे हैं।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं जिनको सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई

6106. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** 13 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 1104 के बारे में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की जिन बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाओं को जैसा कि महाराष्ट्र के मामले में किया गया है मंजूरी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि केन्द्रीय सरकार न्यायाधिकरण नियुक्त करने वाली है, उनके नाम क्या हैं; और

(ख) क्या न्यायाधिकरण की नियुक्ति के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में किन्हीं नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मैसूर, आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की नई वृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं जिन पर कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा बेसिनों पर अन्तर्राज्यीय जल-विवाद न्यायाधिकरण के पंचाट के अभी तक न मिल पाने के कारण योजना आयोग द्वारा स्वीकृति के लिए कार्यवाही नहीं की गई है।

(ख) जब से कृष्णा और नर्मदा के सम्बन्ध में न्यायाधिकरण बनाये गये हैं तब से कृष्णा और नर्मदा बेसिनो में किसी भी नई वृहद् और मध्यम स्कीम को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। गोदावरी बैसिन में मध्य प्रदेश की बारगुर नाला ताल परियोजना को अगस्त, 1969 में स्वीकार किया गया था; इसमें बहुत ही कम समुपयोजन किया जाना है जो कि आधे टी० एम० सी० से भी कम है। आंध्र प्रदेश सरकार को भी यह इजाजत दे दी गई है कि वे पुराने धवलेश्वरम् एनीकट के रल्ली सेक्शन को, इसकी भयानक स्थिति और इसकी आसन्न विफलता को देखते हुए, प्रति-स्थापन कार्य के रूप में बदल दें।

विवरण

राज्य	स्कीम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
(क) नर्मदा बेसिन		
मध्य प्रदेश	सुक्ता	632.17
	नर्मदा सागर	11133.00
	बार्गी	6623.00
	बिचोलिया ताल	58.16
(ख) गोदावरी बेसिन		
उड़ीसा	अपर इन्द्रावती चरण–I	2880.00
	अपर कोलाब चरण–I	1016.17
मध्य प्रदेश	नहलेसरा	196.02
आंध्र प्रदेश	सुद्दवगु	35.80
	मुल्लावगु	34.51
मैसूर	कारंजा	990.00
(ग) कृष्णा बेसिन		
आंध्र प्रदेश	वरदराज स्वामी	110.21
मैसूरशतप	शंतप्रभा चरण–III (दक्षिण तट मुख्य नहर)	3043.00
	भीमा सिंचाई	2040.00
	अपर तुंगभद्रा	2020.00
	मादम मन्सूर	142.22
	चन्द्रमपल्ली	176.12
	गन्धोरी नाला	283.65
	नारीहाला जलाशय	118.00
	अपर मुल्लामारी	190.00
	थट्टी होले (सत्तीनाला)	75.60
	लोअर मुल्लामारी	369.60
	चितवदगी ताल	47.32
	नास्की नाला	81.88
	धर्मपुर ताल	112.00
	अमर्जा	342.54
	वनविलास सागर का विकास	147.00
	दंडवती	173.00
	भद्रा एनीकट (वाम तट नहर विस्तार)	71.77
	जडवती से रानीकेरे तक फीडर नाली	116.60

रेलवे के गोवा सैक्टर में उपरि पुल

6107. श्री इराज्मुद सैकेरा : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे के गोवा सैक्टर की सड़क पर उपरि पुल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो वे कहां कहां पर बनाये जायेंगे और ये अनुमानतः कब तक बन जायेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : गोवा सरकार ने ऊपरी सड़क पुलों के सम्बन्ध में जिन कार्यों को करने का प्रस्ताव किया है वे इस प्रकार हैं :—

(i) **सानवोर्डेम :** गोवा सरकार निक्षेप कार्य के रूप में इस काम को करने के लिए सहमत हो गयी है। जब राज्य सरकार नाम खाते की रकम को स्वीकार करने के लिए सहमत हो जायेगी और अनुमानित रकम रेलवे के पास जमा कर देगी, तभी इस काम को निष्पादित किया जायेगा।

(ii) **मार्गाओ :** दक्षिण मध्य रेलवे ने गोवा सरकार को सूचित किया है कि यह काम गोवा सरकार की लागत पर "निक्षेप कार्य" के रूप में किया जा सकता है। गोवा सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iii) गोवा सरकार के प्रमुख इन्जीनियर द्वारा मई, 1971 में मार्गाओं और डाबोलिम के बीच 5 ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। गोवा सरकार की ओर से योजना और अनुमान तैयार करने के लिए अपेक्षित पूर्ण तकनीकी ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है। इन निर्माण कार्यों को भी गोवा सरकार की लागत पर शुरू करने का विचार है।

सभी जोनल रेलों में सहायक इन्जीनियरों (ट्रैक) की नियुक्ति

6108. श्री हुकमचन्द कछवाय : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी रेलों में डिप्टी चीफ इन्जीनियर (ट्रैक) और एक्जीक्युटिव इन्जीनियर (ट्रैक) के पृथक–पृथक पद हैं;

(ख) क्या कुछ रेलों में सहायक इन्जीनियर (ट्रैक) नियुक्त किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सभी रेलों में सहायक इन्जीनियर (ट्रैक) नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : उत्तर और मध्य रेलों पर सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के ट्रैक सेल में सहायक अधिकारियों की व्यवस्था की गयी है जिनका पदनाम सहायक इन्जीनियर रखा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे को छोड़कर अन्य रेलों पर भी सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के ट्रैक सेल में सहायक अधिकारी हैं, जिनका पदनाम सहायक ट्रैक सप्लाई अधिकारी है। पूर्वोत्तर रेलवे पर अभी तक ऐसा सहायक अधिकारी तैनात करने की जरूरत नहीं पड़ी है।

ट्रैक्टरों के मूल्यों में वृद्धि

6109. **श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दस प्रतिशत उत्पादन शुल्क की क्षतिपूर्ति के लिए स्वदेशी ट्रैक्टरों के मूल्यों में दस प्रतिशत वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्यों सम्बन्धी ब्यूरो ने कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) ब्यूरो की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

डीजल, भाप तथा बिजली के इन्जनों पर कार्य करने वाले ड्राइवरों की उपयुक्तता

6110. **श्री चंद्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल, भाप और बिजली के इन्जनों पर काम करने वाले ड्राइवरों की उपयुक्तता किन बातों से आंकी जाती है और किन परिस्थितियों के अन्तर्गत दण्ड के रूप में ड्राइवरों का एक ट्रैक्शन से दूसरे ट्रैक्शन पर स्थानान्तरण किया जाता है; और

(ख) गत एक वर्ष में भारतीय रेलों में ड्राइवरों को भाप के इन्जनों से डीजल के इन्जनों पर काम करने हेतु रेलवे वार स्थानान्तरित किया गया ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रिहन्द बांध जलाशय में बिजली बन्द होने के फलस्वरूप, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मिरजापुर, आदि में औद्योगिक एककों को हानि

6111. **प्रो० एस० एल० सक्सेना : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा तीन अन्य जिलों के औद्योगिक एककों को रिहन्द बांध जलाशय में बिजली बन्द होने के कारण गत चार महीनों में अनुमानत: 11 करोड़ रुपये की हानि के बारे में पता है;

(ख) क्या प्रेषण लाइनों के खराब रखरखाव तथा तारों की चोरी और ट्रांसफारमरों के जल जाने के कारण तारों तथा अन्य सहायक पुर्जों की कमी से बिजली बन्द हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो बिजली को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी नहीं।

(ख) रिहन्द बांध पर विद्युत संयंत्र में कोई गड़बड़ी पैदा नहीं हुई थी। बहरहाल, पिछले चार महीनों के दौरान अल्प जल उपलब्ध होने के कारण, विद्युत का दैनिक औसत उत्पादन 25 लाख यूनिट से घटाकर 10 लाख यूनिट कर देना पडा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अहमदाबाद–दिल्ली ऐक्सप्रेस तथा मालगाड़ी के बीच दुर्घटना

6112. श्री एच० एम० पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जुलाई को अजमेर के निकट लमाना और खराबा के बीच 4 डाउन अहमदाबाद–दिल्ली ऐक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच हुई रेल दुर्घटना में अनेक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 13–7–1971 को लामाना और खरबा स्टेशनों के बीच गाड़ी नं० 4 डाउन दिल्ली एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर होने से किसी व्यक्ति को गम्भीर या साधारण चोट नहीं आयी। लेकिन 41 व्यक्तियों को मामूली खरोंचे आयीं।

(ख) जांच–समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रत्यक्षतः ऐसा मालूम होता है कि यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती से हुई थी।

रेल दुर्घटनाएं

6113. श्री एच० एम० पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो सप्ताह में कितनी रेल दुर्घटनायें हुई और सरकारी तथा गैर–सरकारी सम्पति की कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 1–7–71 से 15–7–71 की अवधि में भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 40 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को लगभग 5,17,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

दुर्घटनाओं के फलस्वरूप निजी सम्पत्ति को जो क्षति पहुंची है उसके सम्बन्ध में रेलों द्वारा सूचना नहीं रखी जाती।

Construction of Sheds at Navalgarh, Jhunjhunu and Chirawa Stations of Jaipur-Loharu Section on Western Railway.

6114. Shri S. N. Singh : Will the Minister of Railways be pleased to states :

(a) whether sanction has been accorded for the construction of sheds of Navalgarh, Jhunjhunu and Chirawa Stations of Jaipur-Loharu Section on the Western Railway; and

(b) if so, when and the reasons for not undertaking the work so far in this regard ?

The Minister of Raiways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Presumably the reference is for providing a shed over the platform. if so, the sanction has been accorded only for Jhunh unu station; and not for Navalgarh and Chirawa.

j

(b) The sanction for the shelter over platform at Jhunjhunu was sanctioned in January, 1971.The materials are being arranged and the construction work will be taken up thereafter.

Scheme to Convert Jhunjhunu Station of Loharu-Jaipur Section on Western Railway Into A Watering Station.

6115. Shri S. N. Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to convert Jhunjhunu Railway Station on Loharu-Jaipur Section of the Western Railway into a Watering Station and the work regarding installation of a tube-well there has already been completed;

(b) whether a tube-well has been installeed there, but inordinate delay has taken place in laying the pumping set as a result of which trains are getting water supply from Katali river, which involves huge exependiture and

(c) the time by which work in this connection is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (c):-A scheme to convert Jhunjhunu as a watering station is under consideration. A trial bore has been installed and found successful. On the results of the trial bore, an estimate for the watering scheme has been framed which is being processed expeditiously for sanction. The work is expected to be completed within a year of its sanction.

पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में बेकार पड़ी क्षमता

6116. श्री सी० चित्ती बाबू : *क्या* **औद्योगिक विकास मन्त्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों अर्थात् कपड़े, सीमेंट,चीनी और पटसन की मशीनों जैसे उद्योगों में क्षमता बेकार पड़ी है; और

(ख) क्या बेकार क्षमता को देखते हुए विदेशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सरकार उनकी सहायता करेगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने पहले ही अनुमति दे दी है और एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में सूती वस्त्र, जूट, चीनी एवं सीमेंट बनाने के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी जिससे कि कथित श्रेणी वाली देशी मशीनें पर्याप्त मात्रा में निर्यात हो जाएगीं ।

रलवे बोर्ड तथा क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों के कार्यालयों का पुनर्गठन

6117. श्री सी० चित्ती बाबू : *क्या* **रेल मन्त्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों के बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे बोर्ड के ढांचे की अभी समीक्षा की जा रही है ।

(ख) क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन अपेक्षित नहीं है ।

Improvement of Hazaribagh Station of Eastern Railway

6118. Shri S. D. Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a vary large number of passengers get down at Hazaribagh Station on the Eastern Railway and go to several industrial places and Hazaribagh City, but no arrangements have been made for providing Waiting Rooms for them and for ensuring their safety; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to make necessary improvements at that Station ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Upper class waiting rooms for gents and ladies and third class waiting hall with ladies' enclosure are already provided at Hazaribagh station for the convenience and safety of passengers.

(b) Does not arise.

Halt for Rajdhani Express at Gaya or Dhanbad Junction on Eastern Railway

6119. Shri S. D. Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to provide for a halt for Rajdhani Express at Gaya or Dhanbad Junction on Eastern Railway;

(b) whether after permitting the travel by Rajdhani Express upto Kanpur, Government propose to allow the passengers to travel by this train upto any Junction in Bihar also; and

(c) if so, by what time ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

विधि और न्याय मन्त्रालय द्वारा नियोजित स्थायी काउन्सल

6120. श्री बी०वी०नायक : क्या **विधि और न्यायमन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि और न्याय मन्त्रालय द्वारा नियोजित चार स्थायी काउन्सलों में से सरकार ने केवल एक ही काउन्सल को भवन निर्माण के लिये ऋण हेतु आवेदन-पत्र देने वाले सरकारी कर्मचारी को प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत किया है और इसके लिए वह ऐसे प्रत्येक आवेदक से 130 रुपये फीस लेता है;

(ख) क्या स्थायी काउन्सल द्वारा इस प्रकार ली जाने वाली फीस पर आय-कर नहीं लिया जाता;

(ग) क्या एक काउन्सल को ऐसे प्रमाण-पत्र देने का एकाधिकार दिये जाने से अन्य तीन काउन्सलों को भेदभाव और कठिनाई का सामना करना पड़ा है; और

(घ) क्या ऐसे प्रमाण-पत्र देने हेतु अधिकृत करने के लिए इन काउन्सलों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) कुछ समय से ये प्रमाण-पत्र केवल एक काउन्सल द्वारा दिये जा रहे थे, क्योंकि यह काम साधारण प्रकार का है। अब एक निश्चित सीमा से आगे के प्रमाण-पत्र अन्य काउन्सलों द्वारा भी दिए जा सकते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) एक काउन्सल से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर सभी काउन्सलों को अब पूर्वोक्त रूप से प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

विधि तथा न्याय मंत्रालय के स्थायी काउन्सलों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र

6121. श्री बी०बी० नायक : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण ऋण के लिए आवेदन-पत्र देता है तो उसे उनके मन्त्रालय के स्थायी काउन्सल से एक प्रमाण-पत्र लेकर पेश करना होता है और इसके लिय उसे काउन्सल को 130 रुपये फीस देनी पड़ती है।

(ख) क्या ऐसे प्रमाण-पत्र उन मामलों में भी देने पड़ते हैं जहां भूमि सरकारी एजेंसी से, जैसे दिल्ली विकास प्राधिकारी से खरीदी गई हो; और

(ग) क्या ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रथा को समाप्त करने के लिये सरकारी कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) प्रमाणपत्र सरकारी प्लीडर द्वारा या सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा दिया जासकता है। सरकारी प्लीडर को दी जाने वाली फीस सरकारी कर्मचारी के वेतन के अनुसार कम ज्यादा होती है, किन्तु इसकी अधिकतम सीमा 130 रु० हैं। राजस्व अधिकारी को कोई फीस नहीं दी जाती है।

(ख) जी हां।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सम्यक् समय पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे की कर्मचारियों सम्बन्धी नीति

6122. श्री एच० एम० पटेल :
श्री एस० डी० सिंह :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में हाल में वरिष्ठ अधिकारियों का बड़ी संख्या में स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप रेलवे के कर्मचारियों सम्बन्धी नीति के बारे में रेलवे बोर्ड के सदस्यों तथा चेयरमैन के बीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न हो गया है;

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार का ध्यान 15 जुलाई, के देश के सभी प्रमुख समाचारपत्रों में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां ।

(घ) रिपोर्ट गलत स्थिति के मूल्यांकन पर आधारित है ।

आसाम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए नदी परियोजनाओं की स्वीकृति

6123. श्री राबिन ककोटी : क्या **सिंचाई और विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में क्रियान्वित किये जाने हेतु आसाम, मेघालय, नेफा और संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर और त्रिपुरा के लिए मंजूर की गई नदी परियोजनाओं के नाम क्या हैं, और

(ख) उन परियोजाओं के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) चतुर्थ योजनावधि के दौरान अब तक स्वीकृत वृहद् तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी जाती है :—

(1) असम : नवगांग जिले में कालियाबोर सर्किल में ब्रह्मपुत्र नदी से लिफ्ट सिंचाई । यह जमुना, शुक्ला, लोंगा, पत्रदिशा और हरगुटी सिंचाई सम्बन्धी संतत स्कीमों के अतिरिक्त है ।

(2) मणिपुर, मेघालय, नेफा और त्रिपुरा : कुछ नहीं ।

(ख) असम सरकार द्वारा प्रस्तावित धानसिरी परियोजना की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में जांच हो रही है । सूचना मिली है कि ढिकारी, चम्पामती और पगलादिया सिंचाई स्कीमें अनुसंधानाधीन हैं ।

नेफा, मेघालय } कुछ नहीं

मणिपुर : लोकतक लिफ्ट सिंचाई स्कीम की मणिपुर प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है ।

त्रिपुरा : गुमती सिंचाई स्कीम और हौरा तथा मनु नदी बेसिनों में सम्भाव्य स्कीमों के सम्बन्ध में अनुसंधान कार्य हो रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में भारी उद्योग

6124. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में कितने और कौन–कौन से भारी उद्योग हैं; वे कहां–कहां स्थित हैं तथा उनमें किन–किन वस्तुओं का निर्माण होता हैं;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र में राज्य में भारी उद्योगों में अलग-अलग कुल कितनी पूंजी लगी है; और

(ग) राज्य में भारी उद्योग में कितने व्यक्ति रोजगार पर लगे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) आन्ध्र प्रदेश में क्रमशः सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित पर्याप्त विनियोजन वाले औद्योगिक एककों के के नाम, स्थापना स्थल, उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का विवरण अनुबन्ध । और ।। में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 753/71**]

(ख) राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के इन औद्योगिक एककों का कुल विनियोजन क्रमशः 152.08 करोड़ रुपये तथा 139.65 करोड़ रूपये है ।

(ग) अनुबन्ध की सूची में लिखित सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योग कुल 98000 व्यक्तियों को रोजगार देने में सक्षम हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में मध्यम वर्ग के उद्योग

6125. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में मध्यम दर्जे के कितने उद्योग हैं उनके नाम क्या हैं वे किन किन स्थानों पर स्थित हैं और वे किन किन वस्तुओं का निर्माण करते हैं;

(ख) राज्य में मध्यम दर्जे के उद्योगों में कुल कितनी धनराशि लगाई गई है, और

(ग) राज्य में मध्यम दर्जे के उद्योगों से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) राज्य सरकारों से मिली जानकारी पर आधारित अपेक्षित देने वाला अनुबंध संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 754/71**]

(ख) कुल अनुमानित विनियोजन 39.08 रू० है ।

(ग) अनुमानित कुल 27,725 लोगों के लिये काम मिला है ।

रामपुर के नवाब और बेगम द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियम का उल्लंघन

6126. श्री जुल्फिकार अली खां : क्या **प्रधान मंत्री** रामपुर के नवाब तथा बेगम द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियोग का उल्लंघन किये जाने के बारे में 2 जुलाई,

1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3701 के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि जांच कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : सरकार के विधि अधिकारियों के परामर्श से जांच-रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। चूंकि जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जानी है, इस समय यह बतलाना सम्भव नहीं है कि जांच में कितना समय लगेगा।

बाग सामग्री, फल, बीज आदि की बिक्री के लिये केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसियेशन, नई दिल्ली और गैर-सरकारी फर्म के बीच करार

6127. **श्री मुरासोली भारन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कुटीर उद्योग एसोसिएशन, नई दिल्ली ने बाग सामग्री, बीज, उर्वरक, पौधों आदि की बिक्री के लिये किसी गैर-सरकारी फर्म के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म का नाम क्या है और उक्त फर्म एसोसिएशन के लिये कितनी अवधि से कार्य कर रही है;

(ग) क्या इस करार के लिये विज्ञापन अथवा सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके जनता से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या उक्त फर्म सरकार के हिस्से का भुगतान नियमित रूप से नहीं करती रही है; और यदि हां, तो वर्ष 1968 से अब तक वर्षवार कितनी राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ङ) सरकार को देय राशि का भुगतान न किये जाने के बावजूद उसी फर्म को ठेके का नवीकरण किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या भविष्य में सरकारी हानि से बचने के लिये वर्तमान करार की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् नई फर्म से नकद जमानत लेने का विचार है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी हां। केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ ने श्री जसवंत सिंह सैनी, मल्लिका फ्लोरिस्ट के साथ उद्यान उपस्करों, फूलों, बीजों, उर्वरक, पौधों आदि की बिक्री के लिये एक करार किया है। 1 जुलाई, 1964 को जब केन्द्रीय कुटीर उद्योग संघ ने भारतीय सहकारी संघ से इम्पोरियम का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लिया था, तब यह पार्टी पहले से ही काम कर रही थी।

(ग) चूंकि पार्टी पहले से काम कर रही थी और इसे पुनर्वास कार्य के रूप में फर्म की स्थापना में भारतीय सहकारी संघ द्वारा सहायता प्रदान की गयी थी, अतः सार्वजनिक रूप में आवेदन-पत्र आमंत्रित नहीं किये गये।

(घ) पार्टी द्वारा कमीशन का भुगतान कुछ विलम्ब से किया गया था परन्तु इस बीच अद्यतन भुगतान प्राप्त हो चुके हैं। गत वर्षों में निम्नलिखित राशि पार्टी द्वारा देय थी :

1968-69	6,228 रु०
1969-70	12,711 रु०
1970-71	शून्य

(ङ) नवीकरण के समय पार्टी ने यह आश्वासन दिया था कि शेष भुगतानों का निपटान कर दिया जायेगा।

(च) नकद जमानत लेने से सम्बन्धित सुझाव पर शासी-परिषद् आगामी नवीकरण के समय विचार करेगी।

नवगांव कोआपरेटिव जूट मिल्स लिमिटेड से करघे की क्षमता बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र

6128. श्री राबिन ककोटी : क्या **विदेश व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवगांव कोआपरेटिव जूट मिल्स लिमिटेड ने मिलों की क्षमता 150 करघों से बढ़ाकर 300 करघे कर देने के लिये आवेदन-पत्र भेजा है जिससे आर्थिक दृष्टि से वे आत्म-निर्भर हो जायें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) औद्योगिक (विकास तथा विनिमयन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस के लिये असम कोआपरेटिव जूट मिल्स, नवगांव से अभी तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मंत्रालय से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद का विदेश मंत्रालय को हस्तांतरण

6129. श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय से भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् को विदेश मंत्रालय को कब हस्तांतरित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस हस्तांतरण के करण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अप्रैल 22, 1970

(ख) अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना, उन्हें बढ़ावा देना और दृढ़ करना विदेश-नीति निर्धारित और कार्यान्वित करने में एक महत्वपूर्ण बात है।

फास्ट रिएक्टर्स और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास

6130. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत फास्ट रिएक्टर्स और ब्रीडर रिएक्टर्स के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। "परमाणु ऊर्जा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान-1970-80 के दशाब्द के कार्यक्रम की रूपरेखा" नामक पुस्तिका, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, के पृष्ठ-8 पर परमाणु बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में जो तीन चरणों वाला कार्यक्रम सुझाया गया है उसका एक अंग फास्ट ब्रीडर रिऐक्टर की स्थापना है।

(ख) फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिऐक्टर का निर्माण-कार्य थोड़े ही दिनों में शुरू कर दिया जायेगा। इस टैस्ट रिऐक्टर से अर्जित अनुभव के आधार पर एक फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप रिऐक्टर स्थापित किया जायेगा।

शक्ति चालित करघों के लिये केरल सरकार का अनुरोध

6131. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के लिये शक्ति चालित करघों की मांग की थी; और यदि हां, तो कब और कितने करघे मांगे थे;

(ख) किस समय तक उक्त मांग को पूरा कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या केरल सरकार को अन्य राज्यों की तुलना में कम शक्ति चालित करघे स्थापित करने की मंजूरी दी गई है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को शक्ति चालित करघों का आवंटन, जनसंख्या, राज्यों में विद्यमान पंजीबद्ध हथकरघों की संख्या, क्षेत्र के सापेक्ष औद्योगिक पिछड़ेपन और कताई मिलों से निकटता आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। इस आधार पर केरल राज्य को किया गया आवंटन कतिपय अन्य राज्यों की अपेक्षा कम था।

त्रिवेंद्रम (केरल) के जी०पी०ओ० के कर्मचारियों के लिए आवास सुविधायें

6132. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम केरल के जी० पी० ओ० और टेलीफोन केन्द्र के सभी कर्मचारियों को आवास सुविधायें प्रदान कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या और उनमें से उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जो सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन कर्मचारियों के लिये आवास क्वार्टर बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया है जिन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) टाइप I के लिए 543 कर्मचारी पात्र हैं।

टाइप II के लिए 1014 कर्मचारी पात्र हैं।
टाइप III के लिए 104 कर्मचारी पात्र हैं।
टाइप IV के लिए 40 कर्मचारी पात्र हैं।
टाइप V के लिए 5 कर्मचारी पात्र हैं।
टाइप VI के लिए 3 कर्मचारी पात्र हैं।

सेवा की शर्तों के कारण केवल जी० पी० ओ० त्रिवेन्द्रम के पोस्ट मास्टर को विभागीय सरकारी क्वार्टर दिया गया है।

(ग) जी हां। कर्मचारियों के लिए जनरल पूल में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्यवाही के माध्यम से 4 एकड़ भूमि के प्लाट का अधिग्रहण करने के लिए एक योजना है। ये क्वार्टर केवल बड़ा डाक घर और टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों के लिए ही नहीं होंगें।

चौथी योजना के दौरान केरल को दी गई सहायता

6133. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान योजनावार केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न योजनाओं के लिए केरल सरकार को कितनी धनराशि दी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनधारिया) : राज्य की 1969–70 तथा 1970–71 की वार्षिक योजनाओं के लिए 62.73 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है तथा चालू वर्ष की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई धन राशि एक मुश्त ऋणों तथा एकमुश्त अनुदानों के रूप में है तथा यह किन्हीं विशिष्ट स्कीमों से सम्बन्धित नहीं है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना द्वारा अन्धाधुन्ध गोलीबारी

6134. श्री बी० के० मोदक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल के आरम्भ में पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में मेमारी थाने के देवपुर गांव में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सेना ने छापा मारा था और अन्धाधुन्ध गोलीबारी की थी जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया था;

(ख) क्या उक्त घटना के बाद घायल व्यक्ति को सेना की गाड़ी में ले जाया गया था और फिर उस बर्दवान में हाट गोविन्दपुर के पास फेंका गया था तथा सेना के लोग उसे चिकित्सा के लिये ले जाये बिना ही चले गये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

सांची में हुई हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों का सम्मेलन

6135. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :
श्री डी० के० पंडा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1971 को हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के सांची में हुए सम्मेलन में पारित इस संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें उच्च जाति वालों और जमींदारों द्वारा किये जाने वाले अमानवीय अत्याचारों को बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार ने इस सम्मेलन के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

कलकत्ता में बंगला भाषा में लिखी लाल पुस्तक की प्रतियों का पकड़ा जाना

6136. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26/27 मई, 1971 को पूर्व कलकता में एक प्रेस से बंगला में लिखी लाल पुस्तक की 18000 प्रतियां तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री पकड़ी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार को सूचित किया है कि एक मामला दर्ज किया गया है और यह कि प्रेस के मालिक और चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

आसाम में विद्यमान साम्प्रदायिक तनाव

6137. **श्री माधुर्य हालदार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम में विद्यमान साम्प्रदायिक तनाव की ओर दिलाया गया है जो उत्तर सीमान्त रेलवे के लुमडिंग जंकशन पर एक सम्प्रदाय के व्यक्तियों पर अन्य वर्ग के लोगों द्वारा आक्रमण किये जाने के कारण भड़क उठा था; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा है और स्थिति को काबू में करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) : एक मामूली झगड़े के परिणाम स्वरूप जो 27 अप्रैल, 1971 को लुमडिंग रेलवे स्टेशन पर दो भाषा-जात वर्गों के

कुछ व्यक्तियों के बीच हुआ था, कुछ दिन बाद असम घाटी के जिलों में हिन्सात्मक घटनाएं हुई । असम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इन घटननाओं के सम्बन्ध में कुल मिला कर 166 मामले दर्ज किये गये और 1 जून 1971 तक 356 व्यक्तियों को उन मामलों में गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार ने उन समाचार पत्रों के विरूध विधि के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की है जिन्होंने लुमडिंग घटना का अनुचित रूप से प्रचार किया था। पुलिस को समर्थ बनाने के लिये कि वह कारगर कार्यवाही कर सके, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत कई हस्तक्षेप अपराधों को, जो कि दंगों के दौरान आमतौर पर किये जाते हैं 3 माह की अवधि के लिये हस्तक्षेप बना दिये गये थे।

Translation of Government Reports by Central Translation Bureau

6138. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the names of reports received from the various Government Departments which have been translated by the Central Translation Bureau during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : The Central Translation Bureau, which was set up on 1st March, 1971, is concerned with the Translation of non-statutory procedural literature. It has not so far taken up any report for translation. Normally it is the responsibility of the Ministry/Department concerned to make arrangements for translation of reports.

Use of English in Lower Courts in States

6139. **Shri Jagnnath Mishra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the lower courts in States have to continue the use of English because of nonavailability of copies of the Constitution in various regional languages ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : It is for a State to decide the language which is to be used in its lower courts. Non-availability of the authorised version of the Constitution in regional languages does not appear to have come in the way of use of regional languages in the lower courts in the States. However, upto date translations of the Constitution in all the languages included in the Eighth Schedule of the Constitution (excepting Kashmiri, Sindhi and Sanskrit) has been undertaken by the Official language (Legislative) Commission.

मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में परिवर्तन न करने की मांग

6140. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गृह-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक अभिसमय ने मुसलमानों के वैयक्तिक कानून में कोई परिवर्तन न करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार देखे हैं;

(ख) अल्प संख्यकों से संबधित वैयक्तिक कानून के मामलों में सरकार की यह नीति रही है कि संबंधित समुदाय की पहल करने पर ही सुधारों को प्रोत्साहित किया जाय।

Demand for an Inquiry into Shooting of a Domestic Servant in Delhi.

6141. **Shri Pratap Singh Negi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether thousands of workers of the All India Union of Domestic Servants demonstrated at the residence of the Chief Executive Councillor of Delhi and demanded immediate inquiry into the incident of shooting of a domestic servant while asleep, as reported in the Daily Nav Bharat Times dated the 7th June, 1971; and

(b) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) According to Delhi Police, about 200 members of the all India Union of Domestic Servants, demonstrated at the residence of the Chief Executive Councillor of Delhi on 6th June, 1971 demanding an inquiry into the alleged shooting of a domsetic Servant on the night of 21/22-5-1971.

(b) A case under section 307 IPC has been registered at Police Station, Patel Nagar on 22.5.1971 and is under investigation.

वनस्पति जीव जन्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

6142. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय वनस्पति और प्राणी-सर्वेक्षणों द्वारा किये गये कार्य के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या देश के वनस्पति और जीव-जन्तुओं के सम्बन्ध में विशद प्रतिवेदन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण तथा भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण विभागों के प्रमुख कार्य हैं प्रणालीबद्ध सर्वेक्षणों के जरिए अपने देश के क्रमश: वनस्पति समूहों तथा प्राणि-समूहों की खोज करना और इन प्राकृतिक स्रोतों के विषय में यथासम्भव पूर्णतम जानकारी प्राप्त करना। इन सर्वेक्षण विभागों द्वारा जो खोजें की गई हैं वे कृषि, चिकित्सा तथा जीव-विज्ञानों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने, 1916 में अपनी स्थापना से अब तक, लगभग 500 प्राणि-समूह-सर्वेक्षण किए है और उनके परिणामों को मोनोग्राफों, अनुसंधान निबंधों तथा विभागीय प्रकाशनों के रूप में प्रकाशित किया है। इस विभाग ने भारत के प्राणि-समूह (फाउना आफ इंडिया) नामक ग्रंथ के 84 खण्ड भी प्रकाशित किए हैं, जिसमें अनेक प्रकार के समूहों का समावेश किया गया है, उदाहरण के लिए प्रोटोजोआ, सेस्टोडा, नेमाटोडा, ऐनेलिडा, मोलस्का, कीट, मकड़ियां, मछलियां, एम्फिबिया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी समूह। प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने सभी प्राणि-समूहों के आठ लाख अभिनिर्धारित निदर्श (16,337 प्ररूप निदर्शों समेत) भी एकत्र किए हैं जिनमें लघु प्रोटोजोआ तथा कीटों से लेकर हाथी तथा ह्वेल मछली तक शामिल हैं। ये राष्ट्रीय प्राणि-संग्रह, तुलना करने में "मानकों" के रूप में सहायक होते हैं।

वनस्पति-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, अपने क्षेत्रीय मण्डलों के माध्यम से देश के वनस्पति समूहों का सर्वेक्षण कार्य, 1953 से करता रहा है। क्षेत्रीय वनस्पति-समूह नामक पुस्तक को

तैयार करने का कार्य चल रहा है। गोवा के वनस्पति-समूह, पुस्तक को पूरा कर लिया गया है और भूटान के वनस्पति-समूह नामक पुस्तक छप रही है। इस सर्वेक्षण विभाग ने भारत के वनस्पति समूह नामक एक पुस्तक तैयार करने और हूकर लिखित फ्लोरा आफ ब्रिटीश इंडिया नामक पुस्तक के प्रथम खण्ड का संशोधन करने का कार्य आरम्भ कर दिया है। वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता स्थित केन्द्रीय राष्ट्रीय वनस्पति-संग्रहालय में, अपने देश की वनस्पति-सम्पदा का एक राष्ट्रीय संग्रह भी कायम रखता है। कलकत्ता स्थित भारतीय वनस्पति उद्यान और अन्य स्थानों में स्थित प्रायोगिक उद्यान प्राकृतिक दशाओं में वनस्पति समूहों को कायम रखते हैं। इन संग्रहों के अध्ययनों ने भारत में चाय, सिनकोना, जूट तथा अगत: चीनी उद्योगों की स्थापना में योगदान किया है।

भारत में विद्यमान समस्त वनस्पतियों तथा प्राणियों का सर्वेक्षण करना एक अत्यन्त विशाल कार्य है और इसको पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक व्यापक कार्य करना अपेक्षित है।

मत्स्य बन्दरगाहों के विकास के लिये श्रीलंका द्वारा भारत से मांगे गये टेंडर

6143. श्री राज राज सिंह देव : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने मत्स्य बन्दरगाहों के विकास के लिये टेंडर मांगे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं। विदेश व्यापार मंत्रालय को ऐसे किसी टेंडर की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूडान को माल डिब्बों का निर्यात

6144. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज द्वारा भारत से सूडान को 40 रेल के माल डिब्बे भेजे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सूडान को शेष माल डिब्बे कब तक भेजे जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या भारत ने सूडान को ये माल डिब्बे कुछ अन्य देशों की तुलना में सब से कम मूल्य पर दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : भारत ने 96 लाख रुपये मूल्य के 120 रेल माल-डिब्बों के क्रयादेश की आंशिक पूर्ति के रूप में जून, 1971 में सूडान को रेल के 40 माल-डिब्बों का निर्यात किया। आशा है कि शेष क्रयादेश की पूर्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर दी जायेगी।

(ग) तथा (घ) : यह क्रयादेश राज्य व्यापार निगम ने प्राप्त किया था जिसने विश्व-व्यापी निविदा में भाग लिया था और सबसे प्रतियोगात्मक मूल्य बताये थे।

नई दिल्ली में तिलक नगर के पास श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क में चोरी की घटनाएं

6145. श्री के० लकप्पा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलक नगर, नई दिल्ली के पास स्थित नई कालोनी श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क में पिछले एक वर्ष में अनेक चोरियां हुई हैं;

(ख) क्या कालोनी भर में रात में कोई पुलिस का सिपाही तैनात नहीं किया जाता;

(ग) क्या कालोनी वासियों ने कई बार तिलक नगर, नई दिल्ली थाने में अधिकारियों को खबर की पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई; और

(घ) क्या सरकार चोरियों को रोकने के उद्देश्य से कालोनी में बाकायदा पुलिस गश्त लागू करने के लिए कोई ठोस कदम उठायेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ): 30 जून, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में श्यामाप्रसाद मुकर्जी पार्क में चोरी की सात वारदातों की सूचना मिली। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पुलिस वाले नियमित रूप में रात्रि में गश्त लगाते हैं। रात्रि में गश्ती अधिकारियों द्वारा उनकी पड़ताल की जाती है। पुलिस थाने में प्राप्त सभी रिपोर्टों पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

उपग्रह अथवा केबल सर्किट द्वारा मद्रास केन्द्र का श्रीलंका के साथ सम्बन्ध स्थापित करना

6146. श्री सी० चित्ति बाबू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन तथा तार की परामर्शदात्री समिति ने मद्रास केन्द्र का उपग्रह अथवा केबल सर्किट द्वारा श्रीलंका के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश की थी;और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्य रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सी० सी० आई० टी० टी० की एशियाई क्षेत्रीय योजना समिति ने, जो कि विभिन्न देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और तार सम्पर्क स्थापित करने की सिफारिश करती है, अपनी 1970 में हुई पिछली बैठक में मद्रास और श्रीलंका के बीच सब-मैरीन केबल कनेक्शन स्थापित करने की कोई सिफारिश नहीं की है। फिर भी,भारत और श्रीलंका में उपग्रह भूमि केन्द्र स्थापित करने के लिए सिफारिशें की हुई हैं। भारत और श्रीलंका के बीच सम्पर्क स्थापित करने की सिफारिश दोनों देशों के बीच माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने के लिए है।

(ख) भारत में एक उपग्रह भूमि केन्द्र पहले से ही स्थापित किया जा चुका है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि श्रीलंका सरकार श्रीलंका में उपग्रह भूमि केन्द्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। भारत–श्रीलंका माइक्रोवेव लिंक स्थापित करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

Purchase of Cars by Ministers

6147. Shri K. M. Madhukar : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether some Cabinet Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers in her Council of Ministers have purchased very costly cars after their inclusion in the Council of Ministers; and

(b) if so, the number and value of cars in the possession of each of the said Ministers ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) : (a) & (b): No foreign made car has been purchased for the official use of any member of the Council of Ministers after the formation of the present Government, except one Chevrolet Impala for the use of Minister of Defence in replacement of an old model of the same make, which was not rendering satisfactory service. The net price paid for the car was Rs. 44,743.92.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतो को टेलीविजनो की सप्लाई

6148. श्री हरि सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के मनोविनोद तथा शिक्षा के उद्देश्य से सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक-एक टेलीविजन सेट सप्लाई करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ग्राम पंचायतों को टेलीविजन सेट दे दिये गये हैं और उनके नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रबड़ की खेती के लिए केन्द्रीय सहायता

6149. श्री एम०एम०जोजफ : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से सहायता तथा प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड द्वारा रबड़ की खेती आरम्भ करने के कार्यों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : तीसरी योजना अवधि के दौरान 15,000 एकड़ क्षेत्र में रगड़ के वृक्ष लगाने के लिये केरल राज्य सरकार को 4.6 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है। इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य क्षेत्र में अन्तरित करते समय यह तय हुआ था कि वृक्षों के च्यावन स्थिति तक पहुँचने तक इस क्षेत्र के रख-रखाव के लिये सहायता केन्द्र से मिलती रहेगी। रख-रखाव के लिए अपेक्षित राशि का हिसाब वार्षिक आधार पर लगाया जा रहा है और आशा है कि इस सहायता की राशि भी शीघ्र ही दी जाकेगी।

राज्य व्यापार निगम में स्वचालित मशीनों से कार्य आरंभ किया जाना

6150. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली में लेखों तथा आंकड़ों सम्बन्धी कार्य को स्वचालित मशीनों से कराना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या सरकार को स्वचालित मशीनों के प्रयोग के विरोध में कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उसे वापस लेने का है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) राज्य व्यापार निगम ने जो एक स्वायत्त निकाय है, कुछ क्षेत्रों में आंकड़े तैयार करने की इलक्ट्रानिक प्रणाली क्रमिक रूप से आरम्भ की है।

(ख) तथा (ग): इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हमने राज्य व्यापार निगम से उचित कार्यवाही हेतु इस पर विचार करने के लिये कहा है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये रोजगार सुरक्षा

6151. श्री इराज्मुद सेकैरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ वर्ष तक सेवा में रहने के पश्चात् भी अस्थाई पदों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा के लिये कोई कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी क्षेत्र में लागू होने वाले श्रमिक कानून की तुलना में इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) ऐसे कर्मचारियों का कार्य-काल, जो किसी विशिष्ट अवधि के लिए अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं और जिन पदों की इस अवधि के बाद चालू रहने की आशा नहीं है, ऐसे अस्थायी पद की अवधि की समाप्ति के साथ-साथ समाप्त हो जाता है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसे अस्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं, जो चाहे आरम्भ में वित्तीय वर्ष के अन्त तक बने हों, किन्तु बाद में वे एक समय से दूसरे समय तक अनिश्चित काल तक चलते रहे हैं, सेवा में उनके तीन वर्ष पूरे हो जाने पर अर्ध-स्थायी घोषित कर दिया जाता है, बशर्ते कि वे इस प्रकार के पद के लिए पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात अर्ध-स्थायी पद में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता के रूप में शैक्षिक योग्यता रखते हों, डाक्टरी परीक्षा में ठीक घोषित हुये हैं और नियुक्त करने वाले प्राधिकारी उनकी कार्यक्षमता, आचरण और चाल चलन के बारे में सन्तुष्ट हों। ऐसे कर्मचारी जो एक बार अर्ध-स्थायी घोषित कर दिये गये हैं, वे वैसी ही सेवा सुरक्षा प्राप्त करते हैं जो स्थायी कर्मचारियों को प्राप्त हैं।

अस्थायी पदों को स्थायी पदो में बदलने और इस प्रकार के परिवर्तित स्थायी पदों पर अस्थायी कर्मचारियों का शीघ्रता से स्थायीकरण करने के लिए आदेश भी विद्यमान हैं। अतः सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का विचार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में रहने वाले भारतीय इंजीनियरों का स्वदेश वापस आने का प्रस्ताव

6152. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य करने वाले भारतीय इंजीनियरों ने इस शर्त पर कि उन्हे उपयुक्त वेतन दिये जाए भारत लौटने की उत्कट इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां तो उन्हें वापस बुलाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) बहुत से वैज्ञानिक एवं इन्जीनियर विभिन्न एजेन्सीयों को अपनी भारत आने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं । उनकी संख्या के बारे में कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं, जो संलग्न विवरण मे दिये गए हैं । ये प्रयत्न जारी रहेंगे ।

विवरण

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों की भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) विदेशों से वापस लौटने पर सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलोजिस्टों को अस्थायी नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक वैज्ञानिक पूल का निर्माण;

(2) अनुमोदित वैज्ञानिक संस्थाओं में अधिसंख्यक पदों का निर्माण जिन के लिए विदेशों में कार्य तथा अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों की अस्थायी नियुक्ति तुरन्त की जा सकती है;

(3) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोकसेवा आयोग उन भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोजिलोस्टों को, जिनके विवरण राष्ट्रीय रजिस्टर में अंकित होते हैं, उनके द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए 'वैयक्तिक सम्पर्क' के रूप में उम्मीदवार मानने के लिए सहमत हो गए हैं । संघ लोक सेवा आयोग ने भारत के पदों के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलोजिस्टों का विदेशों में इंटरव्यू लेने की व्यवस्थायें कर ली हैं ।

(4) विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलोजिस्टों के नाम दर्ज करने के लिए तथा उनके नामों को सभी मन्त्रालयों, भारत सरकार के वभागों, राज्य सरकारों, संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्व-विद्यालयों,लोक क्षेत्र उद्योगों तथा वृहत प्राइवेट क्षेत्र प्रतिष्ठानों मे भेजने के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारियों को राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशिष्ट अनुभाग का अनुरक्षण । ऐसे कर्मचारियों के नाम मासिक तकनीकी जन शक्ति बुलेटिन (सी. एस. आई. आर.) में प्रकाशित किए जाते हैं, जो कि सारे भारत में लगभग 3,000 संस्थाओ को निःशुल्क बांटी जाती है ।

(5) उन वैज्ञानिकों को यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था, जो कि भारत में अनुसन्धान संस्थानों में कम से कम तीन वर्षों तक काम करने को तैयार होंगे ।

Services Offered by Lawyers and Firms in Privy Purses Case

6153. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the names of the lawyers and firms who had placed their services at the disposal of the Government in the case relating to the privy purses; and

(b) the expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) A list of the Advocates who appeared in the privy purses Case on behalf of the Union of India is attached. No Legal firm was engaged.

(b) Rs. 1,35,400.00 for five Advocates. Bills of other Advocates are being scrutinised.

Statement

1. Shri Niren De, Attorney General for India,
2. Shri Jagdish Swarup, Solicitor General.
3. Shri Ram Murthi (Senior Advocate).
4. Shre S. K. Dholakia (Junior Advocate).
5. Miss Sumitra Chakravarty (Junior Advocate).
6. Shri H. R. Gokhale (Senior Advocate).
7. Shri S. T. Desai (Senior Advocate),
8. Shri Amiya K. Basu (Senior Advocate).
9. Dr. V. A. Sayed Muhammed (Senior Advocate).
10. Shri S. Mohan Kumaramangalam (Senior Advocate).
11. Shri Rameshwar Nath (Junior Advocate)
12. Shri Ram Panjuwani (Junior Advocate)
13. Shri N. H. Hingorani (Junior Advocate)
14. Shri R. H. Dhebar, Government Advocate } No fee is payble to these two as
15. Shri S. P. Nayar, Assistant Government } they are Officers of the Government.
Advocate).

विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय वैज्ञानिक इन्जीनियर डाक्टर और औद्योगिक विज्ञ

6154. श्री एम. सत्यनारायण राव : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशों में देशवार कितने भारतीय वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों, डाक्टरों और प्रौद्योगिकी विज्ञ अध्ययन कर रहे हैं;

(ख) उपरोक्त श्रेणियों के कितने भारतीयों को देशवार, रोजगार मिला हुआ है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो बेरोजगार हैं और इस समय उन देशों में उपयुक्त रोजगार की तलाश में हैं अथवा छोटे-छोटे काम में लगे हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी. सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : कोई अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश विभाग, जिसमें कि पंजीकरण स्वेच्छिक है, की उपलब्ध सूचना के अनुसार करीब 7,909 व्यक्ति दिनांक 1-7-1971 को या तो विदेशों में अध्ययन कर रहे थे या कार्य कर रहे थे। उनकी रोजगार सम्बन्धी स्थिति का कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। उनकी श्रेणी और देशवार वितरण नीचे दिया गया है:—

	वैज्ञानिक	इंजीनियर	तकनीशियन	डाक्टर	योग
संयुक्त राज्य अमेरिका	1393	1109	167	371	3040
यू. के.	423	1186	151	904	2664
कनाडा	310	177	18	75	580
जर्मनी	125	507	107	24	763
आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड	53	20	15	20	108
अन्य यूरोपीय देश	180	145	28	48	401
अन्य देश	142	126	27	48	353
	2,626	3,280	513	1,490	7909

Unemployment Allowance To Engineering Diploma Holders

6155. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether the question of providing unemployment allowance to the Engineering Diploma holders and Technicians is under consideration of the Central Government, Administrations of the Union Territories and the State Governments; and

(b) if so the nature of decision taken by each of them as also the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) No such proposal is under consideration of the Central Government. All the State Governments and the Union Territories except Tamil Nadu, Assam, Uttar Pradesh and West Bengal have informed that no such proposal is under their consideration.

(b) Does not arise.

वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत वैज्ञानिकों को भारत में दिए गए रोजगार तथा अनुसंधान कार्य

6156. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान वैज्ञानिक पूल योजना के अन्तर्गत कुल कितने-कितने वैज्ञानिकों को रोजगार अनुसन्धान कार्य दिए गए;

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी इस पूरक योजना के अन्तर्गत नहीं आये हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने वैज्ञानिक इस योजना के अन्तर्गत नहीं आये हैं; और

(घ) उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान योजना में जिन वैज्ञानिकों ने पूल अधिकारी के रूप में कार्य किया, उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

1968-69—318
1969-70—357
1970-71—306

योग 981

(ख) से (घ) : राष्ट्रीय रजिस्टर के भारतीय विदेश विभाग में, जिसमें पंजीकरण स्वैच्छिक है, पंजीकृत सभी वैज्ञानिकों का उनके भारत वापसी के समय पूल में चयन के लिए विचार-विमर्श किया जाता है। 16000 व्यक्ति जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित करवाया है, इस योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। रजिस्टर में नामांकित उम्मीदवारों के बारे में प्रतिमास विचार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष में एक बार पूल में चयन के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यह सुविधा है। पूल के अन्तर्गत प्रवेश स्वयमेव नहीं है बल्कि चयन पर आधारित है। पूल के लिए चुनाव विशेष भर्ती बोर्ड के परामर्श से यू० पी० एस० सी० द्वारा किए जाते हैं।

Running of Silk Industry in Bhagalpur [Bihar]

6159. **Shrj G. P. Yadav** : Will the Minister of Foreign Trade be Pleased to state :

(a) whether Government propose to run silk industry on a large scale in Bhagalpur in Bihar State; and

(b) if so, the broad outlines of the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministey of Foreign trade (Shri A. C. George) : (a) and (b): Government of Bihar is setting up a silk unit consisting of 3000 spindles. The required machinery has already been imported and is under errection. The Government of Bihar is also proposing to set up a Weaver's Service Centre-cum-Dye House to produce designs to suit the demands for exports.

दिल्ली में चोरी छिपे कृत्रिम बालों का निर्माण किया जाना

6160. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में चोरी छिपे कृत्रिम बाल बनाने के कार्य की ओर आकर्शित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रच्छन्न व्यापार किस सीमा तक फैला हुआ है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि विग के निर्माण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में हथकरघा बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना

6161. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ने केरल में हथकरघा बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या केरल में उक्त केन्द्र स्थापित करने के लिये केरल सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यहां हां, तो इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी, हां ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

अलबाई (केरल) स्थित कथाई काटन मिल का बन्द होना

6162. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल मे अलबाई स्थित कथाई काटन मिल के बन्द होने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मिल के बन्द हो जाने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा इन मिलों को अपने अधिकार में लेने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 334.

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का आरंभ किया जाना

6163. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब में सरकारी क्षेत्र का कोई उपक्रम आरम्भ करने का है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : पंजाब के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में यद्यपि कोई विशिष्ट नई केन्द्रीय औद्योगिक परियोजना सम्मिलित नहीं की गई है तथापि इस योजना अवधि के दौरान नांगल उर्वरक संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव है ।

पंजाब औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कई औद्योगिक परियोजनाओं के विकास का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबन्ध में प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशें

6164. **श्री इराज्मुद सेकैरा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग की यह सिफारिश मान ली गई है कि शक्तियों के प्रत्यायोजन के समय यह ध्यान रखा जाये कि प्रत्यायोजित की जाने वाली शक्तियों "यथासम्भव अधिक से अधिक" हों न कि "कम से कम आवश्यक";

(ख) क्या इस सिफारिश के अनुसरण में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य मन्त्रालयों को कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है और यदि हां, तो यह प्रत्यायोजन किस प्रकार का है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सिफारिश सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में चल रही बिना लाइसेंस वाली और अनधिकृत आटे की चक्कियां

6165. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में बिजली से चलने वाली बहुत सी बिना लाइसेंस वाली और अनधिकृत आटा चक्कियां चल रही हैं और दिल्ली नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जनता की आवश्यकता को पूरा कर रही है ;

(ख) क्या दिल्ली में इन चक्कियों के समुचित ढंग से चलने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि इनकी आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन आटा चक्कियों को नियमित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सम्बन्धित अधिकारियों के विचाराधीन है और यदि हां, तो इन्हें कब तक नियमित कर दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : दिल्ली नगर निगम के अनुसार बिजली से चलने वाली बहुत सी बिना लाइसेंस वाली आटे की चक्कियां नगर निगम के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गैर-निर्धारित क्षेत्रों में चल रही हैं। ये आटे की चक्कियां जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं और कुछ मामलों में मालूम पड़ता है उनकी आवश्यकता है। निगम द्वारा दिनांक 6-5-68 को पारित एक संकल्प में 30-11-67 या उससे पहले से चल रही ऐसी सभी आटा पीसने की चक्कियों को तदर्थ आधार पर लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया गया था। दिल्ली विकास अधिकरण के परामर्श से निगम द्वारा ऐसी चक्कियों को, जो जनवरी 1971 से पूर्व विद्यमान थीं, लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में टेलीविजनों का निर्माण करने के लिए लाइसेंस जारी करना

6166. **श्री शिवपूजन शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसी कौनसी फर्में/व्यक्ति हैं जिन्हें टेलीविजनों का निर्माण करने हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन किया है;

(ख) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग अथवा संगठित क्षेत्र में टेलीविजन का निर्माण करने हेतु उपयुक्त उपक्रमों को वरीयता देगी; और

(ग) क्या फिलिप्स कम्पनी को अपनी कलकत्ता फैक्टरी में मोलिफोन और टेलीविजन का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित फर्मों/व्यक्तियों ने टेलीविजन रिसीवरों का निर्माण करने हेतु औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ।

संगठित सेक्टर

(i) जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया, लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ii) ग्रामोफोन कम्पनी आफ इन्डिया, लिमिटेड, कलकत्ता ।

लघु उद्योग सेक्टर

(1) मैसर्स ज्योति इलैक्ट्रानिक्स, कलकत्ता ।

(2) प्रपोजड वंर्सटियम आफ श्री ए. के. घोष एण्ड श्री जी. के. भट्टाचार्य, कलकत्ता ।

(3) मैसर्स विलियट इलैक्ट्रानिक्स इंडस्ट्रीज (पी) लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) वे सभी आवेदन पत्र जो टेलीविजन सेटों के निर्माण के लिये सार्वजनिक सूचना के जवाब में प्राप्त हुए हैं, परीक्षण अधीन हैं । इन आवेदन-पत्रों पर निर्णय वर्तमान औद्योगिक नीति तथा अन्य संगत तथ्यों के अनुसार लिया जायेगा ।

जहां तक सम्भव होगा, सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि निर्माण इकाइयों का क्षेत्रीय आधार पर विस्तृत निपटान किया जा सके ।

(ग) महाराष्ट्र से मैसर्स फिलिप्स ने टेलीविजन निर्माण हेतु आवेदन-पत्र दिया है और मोबाइलोकोन्स ने अपनी कलकत्ता फैक्ट्री में निर्माण के लिये दिया है । ये आवेदन-पत्र भारत सरकार के विचाराधीन है ।

Public Call Office Facility in Morena District of Madhya Pradesh.

6167. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Communications be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 151 on the 1st April, 1971 regarding the opening of P. & T. Offices in Morena District in Madhya Pradesh and State :

(a) whether Public Call Office facility exists in all the Posts and Telegraphs Offices in Morena District of Madhya Pradesh;

(b) if not, the time by which the said facility is likely to be provided there; and

(c) whether Government propose to provide the said facility to the 16 Post Offices and in two Telegraph Offices proposed to be opened ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No, Sir.

(b) Telephone and telegraph facilities are normally provided at a place if the scheme is remunerative. But in order to extend telephone and telegraph facilities to undeveloped areas which cover rural areas as well, a policy has been evolved according to which these facilities can be provided even on loss basis at certain categories of stations based on their administrative importance, population and remoteness from the general telecommunication net work. A limited number of Pilgrim Centres, Tourists centres, Agriculture and Irrigation project sites and townships are also considered for provision of these facilities on loss basis.

In case the place does not fall in any of the categories mentioned above and the proposal for opening Co or PCO involves loss, the telephone telegraph facility can be extended provided some party is willing to indemnify the Department against the loss.

(c) No, Sir. The proposals to open Public Call Offices at 16 proposed Post Offices and 2 proposed Telegraph Offices in Morena District will be considered after these Offices are opened.

Telephone Facilities in Morena District of Madhya Pradesh

6168. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the names of places in the Morena District in Madhya Pradesh where Telephone Exchange facilities are available; and

(b) the extent to which capacity of Sheopur Kalan and Morena Telephone Exchanges would be increased during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Communications (Shri H- N. Bahuguna) : (a) 1. Ambah
2. Bijaipur
3. Jaora
4. Morena
5. Sabalgarh
6. Sheopur Kalan.

(b) Sheopur Kalan exchange has a connectable capacity of 47, with 45 working and 3 on the waiting list. It is proposed to extend the capacity to a nominal capacity of 100 lines. Further expansion of this exchange will depend on the growth of demand for telephone connections.

Morena exchange has at present a connectable capacity of 282 lines with 219 connections working and 8 on waiting list. Further expansion of exchange will depend on growth of demand. It is, however, proposed to replace the manual exchange by a small automatic exchange of equivalent capacity. The automatic exchange is likely to be commissioned in 1974.

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों की दुकानों का बंद होना

6169. श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित जामा मस्जिद क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के कलपुर्जों की दुकानों को दुकानदारों ने पुलिस अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण के विरोध में एक दिन के लिये बन्द किया था;

(ख) क्या दुकानदारों ने दुकानों के बन्द करने के उपरान्त स्थानीय पुलिस चौकी के समक्ष धरना दिया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : दिल्ली पुलिस के अनुसार जामा मस्जिद क्षेत्र में मोटर गाड़ियों के कलपुजों की दुकानें लगभग 1 घंटे के लिये 21–6–71 को बन्द थीं। जामा मस्जिद थाने के बाहर लगभग सौ दुकानदार एकत्रित हुए। वे एक सहायक सब-इन्सपेक्टर के आचरण के बारे में क्रुद्ध थे, जो जामा मस्जिद थाने में एक व्यक्ति को उसके भाई का अता-पता पूछने के लिये, जिसकी तलाश एक चोरी के बारे में थी, लाया था। यह भी कहा गया था कि 18–6–1971 को पुलिस द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उस क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अनुरोध पर रिहा नहीं किये गये किन्तु बाद में रिश्वत लेने के बाद छोड़ दिये गये। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इन आरोपों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिये हैं।

सिले सिलाये कपड़ों का निर्यात

6170. श्री रामसहाय पांडे : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सिले-सिलाये कपड़ों जिनकी पश्चिमी देशों में बहुत अधिक मांग हैं, के निर्यात में वृद्धि करने के लिये कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या भविष्य में सिले-सिलाये कपड़े तैयार करने तथा उन्हें निर्यात करने का कार्य सरकारी क्षेत्र के किसी निगम द्वारा किया जायेगा; और

(घ) यदि हां तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : हमारे कपड़े संयुक्त राज्य अमरीका में तथा पश्चिमी यूरोपीय बाजारों में लोक प्रियता प्राप्त कर रहे हैं। निर्यात और बढ़ाने के लिए, इन बाजारों में प्रदर्शनियां, मेले तथा फैशन शो आयोजित किए जा रहे हैं और इनका उचित प्रचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केवल निर्यात के उद्देश्य से परिधान बनाने के लिए, इस उद्योग को विशेष किस्मों के कपड़े के आयात की अनुमति दी गई है। योजना में बौंड के अन्तर्गत निर्माण के जरिये निर्यात उत्पादन की व्यवस्था है और इससे निर्यात का विस्तार करने में सुविधा होगी।

(ग) सरकार की ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीविजन के विस्तार में विदेशी तकनीकी सहायता

6171. श्री राम सहाय पांडे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीविजन व्यवस्था का विस्तार करने के लिए कतिपय विदेशी सरकारों/एजेंसियों के साथ तकनीकी सहायता प्राप्त करने हेतु विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और क्या इसके परिणाम स्वरुप किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी हां।

(ख) (1) संघीय गणराज्य जर्मनी की सरकार के साथ हुए एक करार के अन्तर्गत, वह सरकार, पूना में रिले सुविधाओं सहित, बम्बई में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने में सहायता देगी। उस सरकार द्वारा यह सहायता उपहार स्वरुप उपकरण देकर तथा सीमित अवधि के लिए कुछ तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान कर की जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ भारतीय इंजीनियरों तथा कार्यक्रम कर्मचारियों को जर्मनी में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(2) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) के साथ हुए एक करार के अन्तर्गत वह एजेन्सी पूना में फिल्म तथा टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान में टेलीविजन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सहायता देगी। इस प्रयोजन के लिए जो उपकरण आवश्यक होंगे, वे यू एन. डी. पी. के इस परियोजना के लिए योगदान के रुप में प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त यू. एन. डी. पी द्वारा इस संस्थान की स्थापना में सहायतार्थ तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये जायेंगे। शिक्षण कार्य में लगे भारतीय व्यक्तियों को भी यू. एन. डी. पी. की शिक्षावृत्तियों पर विदेश में प्रशिक्षणार्थ भेजा जाएगा।

पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिये योजना की रूप रेखा

6172. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए रूप रेखा तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए तंत्र को सशक्त करने तथा सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाने का निश्चय किया गया है। इनमें कार्य तथा रहन-सहन की अवस्थाओं में सुधार करने, क्षेत्र संगठन का पुनर्गठन करने, अच्छी गतिशीलता तथा संचार सुविधाओं की व्यवस्था करने, उनके उपकरणों में वृद्धि करने आदि के उपाय शामिल हैं। सरकार पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की इच्छुक है।

टेलीविजन में दोषपूर्ण चित्र प्रेषण

6173. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन के दर्शकों और उसके विक्रेताओं ने सरकार से यह शिकायत की है कि दोषपूर्ण चित्र प्रेषण के कारण टेलीविजन सेटों में चित्र या तो धुंधले पड़ जाते हैं या कुछ मामलों में पूर्णतया अस्पष्ट हो जाते हैं;

(ख) क्या निर्माताओं ने यह दावा किया है कि उनके टेलीविजन सेटों में कोई खराबी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां। टेलीविजन के दर्शकों से ये शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि शहर के कुछ भागों में टेलीविजनों पर चित्र संतोषजनक रूप से दिखाई नहीं देते।

(ख) जी हां।

(ग) एक सर्वेक्षण किया गया था। यह पाया गया था कि चित्रों के दिखाई देने की स्थिति में कई क्षेत्रों में सुधार हुआ, किन्तु दक्षिण दिल्ली और पुरानी दिल्ली के कुछ भागों में गिरावट आई। ट्रांसमिशन में कोई खराबी नहीं थी, परन्तु टेलीविजन सेटों में कुछ समंजन तथा रिसीविंग एन्टेनाओं का फिर से एकरेखन जरूरी समझा गया। दर्शकों को सलाह दी गई कि वे अपने सेटों और रिसीविंग एन्टेनाओं का फिर से एकरेखन करवा लें।

भूतपूर्व पराजित संसद सयस्यों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष नियुक्त करना

6174. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व संसद सदस्यों को, जो चुनावों में पराजित हो गये थे, राज्य कृषि निगम, भारतीय खाद्य निगम और बीज निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के ऐसे कितने अध्यक्ष हैं जो कि भूतपूर्व राजनीतिक नेता हैं; और

(ग) उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एक भूतपूर्व संसद सदस्य को भारतीय खाद्य निगम का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य कृषि निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम के लिए अध्यक्ष की नियुक्तियां करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

Representation of Harijans and Backward Classes in Government Services

6175. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister be plesed to state :

(a) whether a convention of Harijans and Backward classes was held at Amritsar on the 30th June, 1971;

(b) whether a demand was made at the said convention to set up a Commission to investigate whether or not the Harijans have been provided proper representation in Government services,

(c) whether a demand has also been voiced at said convention to appoint Harijans on the posts of the Judges of High Courts and on those of Public Service Commissions; and

(d) if so, the reaction of Government to the above demands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (d) : According to a news item, a convention of Harijans, Scheduled Castes and Backward Classes was held at Amritsar on the 30th June, 1971 which demanded the setting up of a commission to inquire whether Harijans were given their due share in Government services. The convention demanded appointment of a Harijan on the High Court Bench besides adequate representation on bodies like the Public Service Commission.

Government are not aware about the representative character of the convention, nor have they received any communication from it about its demands. Reservation is already provided for Scheduld Castes/Scheduled Tribes in appointments to civil posts under the Government according to the percentages prescribed in this behalf. Periodical information is obtained from all Ministries/Departments about the intake of candidates of these communities against reserved posts and necessary steps have been taken, including the appointment of Liaison Office to ensure that orders regarding reservation are complied with properly. Appointments of Judges of High Courts and Members of Public Service Commissions are, however made under the provisions of the Constitution While there is no reservation in respect of such appointments suitable persons of Scheduled Castes/Scheduled Tribes are considered along with others in respect of such appointments as well.

बिरला बन्धुओं द्वारा 'दी सन्डे वर्ल्ड' साप्ताहिक का प्रकाशन

6176. **श्री शिवपूजन शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरला बन्धुओं ने रविवार के 'हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ एक नया साप्ताहिक 'सन्डे वर्ल्ड' बिक्री के लिए निकाला है जिसका मूल्य अलग से है, और

(ख) क्या अखबारी कागज की वर्तमान नीति के अनुसार यह अनुज्ञेय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी,हां। मैसर्स हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली, जो "हिन्दुस्तान टाइम्स" तथा कुछ अन्य समाचार पत्रों के मालिक है, ने हाल ही में "सन्डे वर्ल्ड" नामक एक नया साप्ताहिक प्रारम्भ किया है। यह साप्ताहिक प्रत्येक रविवार को प्रकाशित किया जा रहा है।

(ख) प्रकाशनों का निकाला जाना प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (समय समय पर संशोधित) के द्वारा विनियमित होता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत नए साप्ताहिक "सन्डे वर्ल्ड" का प्रकाशन अनुज्ञेय है। वर्तमान अखबारी कागज आंवटन नीति के अनुसार, इस साप्ताहिक को कोई अखबारी कागज अलाट नहीं किया जा रहा है या किया जायेगा, किन्तु वर्तमान कानून के अन्तर्गत प्रकाशक अलग साप्ताहिक के प्रकाशन के लिए खुले बाजार से सफेद छपाई कागज खरीद सकते हैं। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस कानूनी स्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं।

सौराष्ट्र में परमाणु शक्ति केन्द्र

6177. श्री डी० डी० देसाई : क्या **परमाणु उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने सौराष्ट्र में परमाणु शक्ति उत्पादन केन्द्र के लिए परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सौराष्ट्र परमाणु विद्युत जनन केन्द्र कब चालू हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री, तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : परमाणु बिजली पर आधारित कृषि-उद्योग सम्मिश्र की परिकल्पना का मूल्यांकन करने के लिए परमाणु उर्जा विभाग द्वारा नियुक्त किये गये कार्यकारी वर्ग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । कार्यकारी वर्ग ने जिन परियोजनाओं का अध्ययन किया है उनमें से एक कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र में एक कृषि उद्योग सम्मिश्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में है जिसके अन्तर्गत बहुत से संयंत्र स्थापित किये जायेंगे तथा, 1,200 मैगावाट क्षमता का परमाणु बिजलीघर उनमें से एक होगा । इस परियोजना का और विस्तारपूर्ण अध्ययन करने का काम जारी है । उत्तरी, दक्षिणी तथा पश्चिमी विद्युत क्षेत्रों में परमाणु बिजलीघरों की स्थापना करने की सम्भावनाओं का अध्ययन भी सरकार द्वारा किया जा रहा है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयुक्त स्थानों का चुनाव करने के लिये एक स्थल चुनाव समिति नियुक्त की गई हैं । इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उस पर गौर किये जाने के बाद ही सही तौर पर यह निर्णय किया जा सकेगा कि भविष्य के परमाणु बिजलीघर किन स्थानों पर स्थापित किये जाने चाहिए ।

जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना

6178. श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स[illegible] आयुक्त ने जनता की शिकायतों की जांच के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस निकाय की शर्तों तथा कृत्यों की व्याख्या की है ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : "लोक सेवाओं में सत्य निष्ठा" पर वार्ता के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने जनता की शिकायतों की जांच के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने प्राधिकरण की साधारण प्रक्रिया तथा क्षेत्र–स्तर पर कार्य-प्रणाली का अनुसरण करने का सुझाव दिया जहां साधारण जन लोक कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आते हैं ।

देहरादून के निकट उपग्रह केन्द्र

6179. **श्री देवन्द्र सिंह गरचा :**
श्री मूलचन्द डागा :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहरादून में दूसरा उपग्रह संचार केन्द्र किस निश्चित स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी; और

(ग) यह केन्द्र कब से कार्य करना आरम्भ करेगा ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दूसरे उपग्रह संचार केन्द्र को देहरादून-ऋषिकेश रोड पर देहरादून से लगभग 20 किलोमीटर पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस परियोजना पर लगभग 678 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है जिसमें 218 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा का भाग भी सम्मिलित है ।

(ग) इस केन्द्र के जून, 1974 तक वाणिज्यिक प्रचालन के लिये चालू हो जाने की आशा है ?

पश्चिम बंगाल में नियुक्त केन्द्रीय बलों की संख्या

6180. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, ई० एफ० आर० और हरियानन पुलिस की कुल कितनी बटालियनें रखी गई हैं; और

(ख) राष्ट्रपति शासन की घोषणा के उपरान्त से अब तक इन बलों के रख-रखाव पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 87 कम्पनियां पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध की गई हैं और कानून व व्यवस्था के कर्त्तव्यों के लिए उस राज्य में तैनात हैं । ई० एफ० आर०, जिसकी राज्य सरकार के पास 12 कम्पनियां हैं, राज्य सरकार के अपने पुलिस बल का अंग है । पश्चिम बंगाल में कोई हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल नहीं है । सीमा सुरक्षा बल की कोई टुकड़ियां पश्चिम बंगाल को उनकी आवश्यकताओं के लिए नहीं दी गई हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार को उपलब्ध किये गये बलों पर सम्बद्ध अवधि में हुआ व्यय लगभग 42 लाख रुपये हैं । राज्य सरकार द्वारा रखी जा रही ई० एफ० आर०, यूनिटों की लागत का पता किया जा रहा है ।

Commemorative Stamp on Sachchida Nanda Sinha

6181. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether Government propose to issue special postal stamp on the eve of the birthday centenary of late Dr. Sachchida Nanda Sinha ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : No, as the programme for the year has already been finalised long back and it will not be possible to accommodate any further stamps this year.

Celebration of Birth Centenary of Dr. Sachchida Nanda Sinha.

6182. Shri S. D. Singh : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any scheme is being chalked out by the Central Government for celebrating the birth Centenary of Dr. Sachchida Nanda Sinha, one of the architects of modern India, and

(b) whether Government have also any proposal to construct, a memorial to perpetuate the memory of Dr. Sinha as the first President of the Constituent Assembly of India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Mohsin) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

पश्चिम बंगाल में राजनैतिक नेताओं की हत्यायें

6183. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महिनों के दौरान पश्चिमी बंगाल में कितने राजनैतिक नेताओं की हत्या की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) उक्त राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार ने कौन से उपाय किये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) सरकार हत्या और हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए कृत संकल्प है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए निरोधात्मक तथा दण्डात्मक सभी उपाय किये जा रहे हैं। समाज-विरोधी, आपराधिक तथा उग्रवादी तत्वों की हिंसात्मक तथा अवैध गतिविधियों से कारगर रूप से निपटने के लिए विधि और व्यवस्था को मजबूत करने हेतु उपयुक्त प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार आसूचना का एकीकरण, अतिरिक्त पुलिस कुमुक तथा उपकरण जैसी सभी आवश्यक सहायता दे रही है। सेना का भी उपयोग अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में अपराधियों को समाप्त करने तथा उनके द्वारा अवैध रूप से रखे गये हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद करने की कार्यवाहियों में स्थानीय प्रशासन की सहायता हेतु किया गया है।

वर्षा के कारण दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और मद्रास के मध्य संचार व्यवस्था का भंग होना

6184. श्री पी० के० देव : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप दिल्ली, बम्बई, बंगलौर और मद्रास के मध्य संचार व्यवस्था भंग हो गई थी;

(ख) क्या भारी वर्षा के परिणामस्वरूप सामान्यतया इस व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है अथवा भंग हो जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बार यह किस प्रकार हुआ और क्या वर्षा से प्रभावित न होने वाली व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भारी वर्षा और बाढ़ के कारण सड़क टूट जाने से और 29 जून, 71 के सुबह के 8½ बजे से 1 जुलाई, 1971 के दोपहर बाद 4 बजे तक जयपुर से अजमेर के बीच के राष्ट्रीय मार्ग पर छपरावा बांध के फट जाने से कोस्कसल केबल और उपस्कर में बहुत प्रकार के दोष आ गये थे और संचार व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो गई थी । राजस्थान राज्य में भारी वर्षा के कारण कोस्कसल केबल में भारी दोष आजाना अस्वाभाविक है । इलाके में बाढ़ जितने ऊंचे लेवल तक पहुंच जाती है, उस सम्बन्ध में रेकार्ड देख लेने के बाद, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक विपत्तियों से बचने के लिए सभी तरह के बचाव के कदम उठाये जाते हैं । भारी बाढ़ से भवनों का बचाव किया जाता है और पुलियाओं और दूसरे नीची जमीन के इलाकों के पास केबल मार्ग को मजबूत किया जा रहा है ।

शिलांग के निकट चीन द्वारा निर्मित ट्रांसमीटर का पाया जाना

6185. श्री पी० के० देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में शिलांश के निकट चीन द्वारा निर्मित उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर और कुछ शस्त्रास्त्र पाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

संचार मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों की भर्ती

6186. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय द्वारा हाल ही में की गई इस आशय की घोषणा को दृष्टि में रखते हुए कि उनके मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए आरक्षित सभी शेष पदों पर छह महीनों में नियुक्ति की जाएगी, उक्त जातियों के लिए आरक्षित शेष रिक्त पदों की संख्या और सभी श्रेणियों के पदों का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के ऐसे रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) पश्चिम बंगाल सर्किल के अन्तर्गत डाक तथा तार विभाग में ऐसे शेष रिक्त पदों की संख्या, श्रेणीवार, कितनी है; और

(ग) क्या भरती के कार्य में शीघ्रता लाने के लिए कोई विशेष भर्ती बोर्ड अथवा जोनल बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिसमें इसकी उचित क्रियान्वित के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हों ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

श्रेणी I } सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर
श्रेणी II } रख दिया जाएगा।

	अनुसूचित जाति	आदिम जाति
श्रेणी III	1480	1615
श्रेणी IV	575	566

(ख) श्रेणी I) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे
श्रेणी II) सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

	अनुसूचित जाति	आदिम जाति
श्रेणी III	24	14
श्रेणी IV	14	11

(ग) जी नहीं।

उत्तरी बंगाल में दूर संचार व्यवस्था

6187. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पश्चिम बंगाल में उत्तरी जिलों में दूर संचार व्यवस्था सुधारने की कोई योजना है जिसका कि प्राय: कलकत्ता और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से सम्बन्ध टूट जाता है;

(ख) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों को कलकत्ता के साथ सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था द्वारा मिलाने पर विचार कर रही है जिससे उस क्षेत्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इसको कितनी जल्दी क्रियान्वित किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कलकत्ता और उत्तरी बंगाल के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कूच बिहार के बीच माइक्रोवेव सचार व्यवस्था पहले से ही स्थापित की जा चुकी है। माइक्रोवेव पर ट्रंक सर्किट सामान्यतया बिल्कुल सामान्य कार्य कर रहे हैं।

(ख) सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में टेलीफोन एक्सचेंजों को आटोमैटिक बनाने की योजना है। इसके बाद उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा की योजना बनाई जाएगी।

(ग) सिलीगुडी और दार्जिलिंग के एक्सचेंजों को पांचवीं योजना अवधि में आटोमैटिक बनाए जाने की सम्भावना है। इसी योजना की अवधि में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की व्यवस्था करने पर भी विचार किया जाएगा।

दिल्ली मे टेलीफोन कनेक्शन लगाना

6188. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1969-70, 1970-71 और जून 1971 तक कितने टेलीफोन कनेक्शन लगाये गये;

(ख) 1 जुलाई, 1971 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन-पत्र अनिर्णीत पड़े थे; और

(ग) सरकार ने राजधानी में शीघ्र टेलीफोन लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री श्री (हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

1969–70	11,701
1970–71	11,555
1–4–1971 से 30–6–71 तक	2,352

(ख) 47,420

(ग) टेलीफोनों की मांग को यथा-संभव पूरा करने के लिए विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है और नये एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। आशा है कि अगले चार वर्षों के दौरान दिल्ली टेलीफोन जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में 50,200 लाइनों की क्षमता की वृद्धि कर दी जाएगी।

Schemes Formulated By Ministries For Providing Empolyment To Educated Unemployed Persons

6189. Shri Jagannath Mishra ; Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the names of Ministries which have formulated schemes for providing employment to educated unemployed persons; and

(b) the main features of the schemes, particularly, the scheme formulated by the Ministry of Education in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b): A provision of Rs 25 crores has been made in the Central Budget for 1971-72 for schemes especially designed to suit the educated unemployed including engineers and technicians. The Planning Commission addressed the various Central Ministries for formulating proposals in this regard and tentative proposals have been received from the Ministries of Education and Social welfare, Industrial Development & Internal Trade, Railways, Shipping & Transport, Health and Family Planning, Irrigation & Power, Labour & Employment and Food & Agriculture.

The tentative proposal of the Ministry of Education and Social Welfare envisages expansion of Primary education resulting in creation of a large number of teaching jobs, besides providing Jobs for trained graduates as inspectors and agricultural graduates, ploytechnic and Industrial Training Institute trained persons as Instructors for work experience in schools. The Ministry has also made a suggestion for the expansion of the existing scheme of stipend for practical training of engineers.

Among the suggestions made by other Ministries may be mentioned : (i) assistance to State Industrial Development Corporations for encouraging entrepreneurs to set up

small scale industries which have substantial employment potential; (ii) rural engineering survey scheme in selected villages; (iii) undertaking investigation/feasibility studies in respect of important programmes and schemes to be taken up in the Fifth Plan in the field of irrigation and power, road and road transport, surveys of geological and hydrological, marine, soil resources etc; (iv) expansion of village level workers and extension staff for specific grades in the Community Development Blocks and (v) provision of training for unemplyyed educated persons in selected trades for short periods to improve their employabilty.

The above proposals are currently being examined in the Planning Commission. It would take some more time before these are fully scrutinised and final proposals formulated.

It may be pointed out that the provision of Rs. 25 crores for formulation of programmes referred to above for educated unemployed is in addition to the various development programmes included in the different sectors of the Fourth Five Year Plan which are expected to provide a large number of employment opportunities for educated as well as other categories of persons. Among the various programmes which are already being undertaken may be mentioned; the programmes for providing entrepreneurial training to educated young men, specially engineers and diploma holders for enabling them to set up small scale industries and enterprises by providing suitable financial and other facilities; the various schemes of assistance for self employment run by the State Bank of India and the other nationalised banks; detailed investigation and preparation of project reports for irrigation, power, industrial and other projects: and introduction of a scheme of agro service centres for providing self employment opportunities to engineers and agricultural graduates The special programmes such as the Small Farmers Development Agencies, Marginal Farmers and Agricultural Labour Porgrammes, Rural Works Programme, Dry Farming Projects and the Crash Programme for Rural Employment, which are being undertaken in the rural areas, are also expected to provide substantial employment opportunities to the educated persons in the rural areas.

भारतीय हाथ-औजारों के निर्यात की सम्भावना

6190. श्री राजदेव सिंह : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित हाथ–औजारों के निर्यात की क्या सम्भावनायें हैं;

(ख) क्या भारत इस समय लगभग तीन दर्जन देशों को हाथ–औजारों का निर्यात कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग को प्रोत्साहन देने तथा इसका विस्तार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : भारत विश्व भर में 86 देशों को दस्ती औजारों का निर्यात कर रहा है । वर्ष 1969–70 में 2.66 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में वर्ष 1970–71 के दौरान कुल 4.38 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए ।

(ग) दस्ती–औजारों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नोक्त कदम उठाये गये हैं :

1. उदारीकृत औद्योगिक नीति के अन्तर्गत नए एककों को स्थापित करके तथा विद्यमान एककों का विस्तार करके निर्यात के लिए अतिरिक्त क्षमता तैयार की जा सकती है ।

2. पंजीबद्ध निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत जहाज पर मूल्य की 30 प्रतिशत आयात प्रतिपूर्ति तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं।

3. स्वदेशी लोहा तथा इस्पात, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर दिया जाता है।

4 शुल्कों (उत्पादन–शुल्क तथा सीमा–शुल्क) को वापस दिया जाता है।

5. उपर्युक्त बातों के अलावा इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् भी विदेशों में बाजार सर्वेक्षण करके व्यापार प्रतिनिधियों तथा अध्ययन दलों को प्रायोजित करके विदेशों में प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों में भाग लेकर, भावी निर्यातकों आदि को बाजार जानकारी देकर सहायता करती है।

नगरों में अश्लील फिल्मों का भारी व्यापार

6191. **श्री राजदेवसिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के बड़े नगरों विशेषकर पत्तनों वाले कस्बों और दिल्ली में अश्लील फिल्मों के भारी व्यापार और बड़े गिरोह के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त फिल्मों के निर्माण और तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : अश्लील फिल्मों का कोई भारी व्यापार अथवा गिरोह सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

किन्तु अश्लील फिल्मों की बिक्री अथवा उनके प्रदर्शन के दृष्टान्त ध्यान में आये है। ऐसे मामलों में उपकरण तथा फिल्मों को जब्त कर लिया गया है और सम्बन्धित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

अश्लील फिल्मों के आयात पर रोक लगा रखी है और देश में ऐसी फिल्मों की तस्करी के विरुद्ध कारगर कार्यवाही करने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अनुदेश दिये हुए हैं।

मध्य प्रदेश में छिपे हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिक

6192. **श्री एम० एम० जोजुफ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन 227 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों का पता लगाया है जो मान्य पार-पत्र प्राप्त करके मध्य प्रदेश में दाखिल हुए थे, परन्तु बाद में छिप गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उनका पता कब लगाये जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) अभी तक किसी का पता नहीं लगा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उनका पता लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। किन्तु कोई समय निश्चित करना सम्भव नहीं है।

नए डाकघर खोलना

6193. **श्री एम० सत्यनारायण राव :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1971 में कितने नये डाकघर खोले गये; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में डाकघरों की संख्या जनसंख्या के अनुसार निर्धारित करने का है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश भर में 1971 के दौरान 1-7-71 तक 2,748 डाकघर खोले गए।

(ख) देश में अब डाकघर अनुबंध में दी गई नीति के अनुरूप खोले जाते हैं। केवल जनसंख्या के आधार पर डाकघर खोलना अवांछनीय नहीं होगा। इसके लिए तत्सम्बन्धी अन्य मानदंडों जैसे कि निकटतम डाकघर से दूरी, गांव के महत्व आदि को भी दृष्टि में रखना पड़ता है।

विवरण

नये डाकघर खोलने के लिए सामान्य शर्तें देहाती क्षत्रों में

I. लाभकर या आत्मनिर्भर वर्ग के डाकघर

ऐसे डाकघर जिनके लाभकर या आत्म-निर्भर होने की आशा हो अर्थात् जिनकी अनुमानित आय उनपर होने वाली अनुमानित लागत से अधिक या उसके समान होने की आशा हो, जनसंख्या या दूरी की किसी तरह की पाबन्दी के बिना खोले जा सकते हैं।

II. वापस न किये जाने वाले अंशदान के आधार पर खोले जाने वाला डाकघर

ऐसे डाकघर जिनके लिए उनमें दिलचस्पी रखने वाली कोई पार्टी वापस न किये जाने वाले अंशदान की अदायगी के लिए तैयार हो, जनसंख्या या दूरी की किसी भी तरह की पाबन्दी के बिना खोले जा सकते हैं।

III. 2,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में डाकघर खोलने की शर्तें

(i) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नहीं होनी चाहिए।

IV. 2,000 या इससे अधिक की जनसंख्या वाले परस्पर संबद्ध ग्राम समूह

(i) इस प्रकार एक समूह में रखे जाने वाले गांव प्रस्तावित डाकघर से दो मील की दूरी के भीतर होने चाहिए।

(ii) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नहीं होनी चाहिए।

V. 2,000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम या ग्राम--समूह

(i) जहां जनसंख्या के छितरे होने के कारण और गांवों के अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण दो मील की दूरी के भीतर 2,000 की जनसंख्या का समूह बनने की संभावना न होने के कारण किसी क्षेत्र को पिछड़े हुए क्षेत्र की अनुसूची में शामिल न किया जा सका हो वहां सर्कल अध्यक्ष के विवेक पर डाकघर खोले जा सकते हैं।

(ii) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी तीन मील से कम नहीं होनी चाहिए

VI. प्रशासनिक यूनिटों जैसे कि तहसील, तालुका, थाना आदि के मुख्यालय गांव

घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

VII ऐसे गांव जो सामुदायिक परियोजनाओं या राष्ट्रीय विकास सेवाखंडों के मुख्यालय हों अथवा जहां जिला बोर्डों या स्थानीय बोर्डों द्वारा स्कूल चलाये जा रहे हों या जहां राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त स्कूल स्थित हों

(i) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी दो मील से कम न हो।

(ii) (क) यदि दो मील की दूरी के भीतर जनसंख्या 2,000 या इससे अधिक हो तो घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 750 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ख) यदि दो मील की दूरी के भीतर जनसंख्या 2,000 से कम हो तो घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

VIII. डाक सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य से अत्यन्त पिछड़े हुए क्षेत्रों के तौर पर अनुसूचित क्षेत्र

(i) घाटा प्रति वर्ष प्रति डाकघर 1,000 रुपये जो कि सर्किल अध्यक्ष की शक्तियों के अधीन है और 2500 रुपये जो महानिदेशक की शक्तियों के अधीन है, से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) इस सम्बन्ध में जनसंख्या की कोई पाबन्दी लागू नहीं होती।

(iii) डाकघर किस स्थान पर खोले जाएंगे इस बात का निर्णय स्थानीय प्राधिकारियों की सलाह से किया जाएगा।

सामान्य शर्त

(i) उपर्युक्त सभी आठ वर्गों में नये डाकघर इस शर्त पर खोले जा सकते हैं कि नया डाकघर खोले जाने के फलस्वरूप मूल डाकघर को एक सीमा से अधिक घाटा न हो। इस समय देहाती क्षेत्रों के मूल डाकघरों के लिए ऐसा घाटा 500 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) किसी भी डाकघर को खोलने से उससे अनुमानित आय इतनी होनी चाहिए कि उसे खोलने पर आने वाली लागत का 525 प्रतिशत पूरा हो सके।

टिप्पणी :-मूल डाकघर एक प्रधान, उप या शाखा डाकघर है। इसके द्वारा प्रस्तावित नया डाकघर खोले जाने वाले ग्राम या ग्राम समूह का डाक सम्बन्धी काम होता है। लेखा

कार्यालय ऐसे प्रधान या उप-डाकघर को कहते हैं जिसके लेखे में शाखा डाकघर का धन सम्बन्धी लेन-देन दर्ज किया जाता है।

(2) मौजूदा निकटतम डाकघर से दूरी की शर्तें जहां-कहीं भी लागू होती हो, उसमें महानिदेशक अपने विवेक पर ढील दे सकते हैं, यदि प्रस्तावित डाकघर और मौजूदा निकटतम डाकघर के बीच कोई प्राकृतिक रुकावट पड़ती हो जैसे कि बिना पुल की नदी या पहाड़ी या जंगल।

शहरी क्षेत्रों में

शहरी क्षेत्रों में डाकघर तभी खोले जाने चाहिए जब वे आत्म-निर्भर या लाभकर हो और विभागीय उप-डाकघर खोलने के मामले में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनमें प्रति दिन 5 घटे से कम काम न हो।

सरकारी नौकरियों में और अधिक हरिजनों को नियुक्त करने संबन्धी समिति का प्रतिवेदन

6194. श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी नौकरियों में और अधिक हरिजनों को नियुक्त करने के लिए गठित समिति ने इस बीच अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या उसके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार के अधीन संघ शासित क्षेत्र तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में सरकारी उपक्रमों की सेवाओं। पदों में अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के भर्ती सम्बन्धी कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण करने के लिए जून 1968 में गृह मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। 23 नवम्बर, 1970 के संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति को पुनर्गठित किया गया है। समिति केन्द्रीय सेवाओं, संघ शासित क्षेत्र तथा सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व का पुनरीक्षण कर रही है और अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी सेवाओं तथा उपक्रमों इत्यादि में इन सम्प्रदायों के व्यक्तियों को लेने में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित कदम सुझाये गये हैं :—

(1) 1961 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों। अनुसूचित आदिम जातियों के आरक्षण प्रतिशतों में उनकी आबादी के अनुपात के अनुसार परिशोधन किया जाय।

(2) प्रत्येक मंत्रालय एवं उसके अधीन सेवाओं तथा पदों में आरक्षण आदेशों को उचित रूप से लागू करने के लिए प्रत्येक प्रमुख मन्त्रालय में एक छोटे स्कंध की स्थापना की जानी चाहिए।

(3) समिति ने मंत्रालयों। विभागों द्वारा सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण किया और सुझाव दिया है कि इस विषय में बल-पूर्वक अनुशीलन किया जाय।

(4) समिति ने सुझाव दिया कि विधि-निकायों । सरकारी उपक्रमों द्वारा आरक्षण आदेशों के पालन के प्रश्न पर जिन्होंने अभी तक ऐसा करना स्वीकार नहीं किया है, मन्त्री स्तर से इस पर अनुशीलन करने के लिए कहा जाय ।

(5) उस हालत में जबकि दो भर्ती के वर्षों के लिए अग्रेनीत किये जाने के बाद भी वे आरक्षित रिक्तियां जो उस हालत में एक सम्प्रदाय के लिए आरक्षित उन रिक्तियों को, जबकि उस सम्प्रदाय के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो सकें जो अन्यथा समाप्त हो गई होतीं, दूसरे सम्प्रदायों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इस हालत में बिना भविष्य में समयोजित करते हुए उपयोग में लाया जा सकता है । आरक्षित रिक्तियों की अग्रेनीत अवधि को तीन वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाय ।

(6) समिति ने केन्द्रीय सेवाओं में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के इच्छुक उम्मीदवारो को पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का सुझाव दिया । अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को सम्मिलित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा इत्यादि में बैठने के लिए पढ़ाने के हेतु इलाहाबाद तथा मद्रास केन्द्रों में पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा, बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में नये केन्द्र खोले जाने चाहिए । मद्रास केन्द्र में तुलनात्मक दृष्टि से मामूली कार्य-निष्पादन के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए और इसके कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक कदम लिए जाने चाहिए ।

(7) सरकारी उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों । अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मामूली प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर जो तथ्य उत्तरदायी हैं, ऐसे निकायों । उपक्रमों में इन सम्प्रदायों के व्यक्तियों को लेने के सम्बन्ध में सुधार करने हेतु उपयुक्त कदम लेते हुए उनकी जांच की जाय ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार

6195. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के साथ दीर्घकालीन व्यापार करार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चालू करार पर कब हस्ताक्षर किए गए थे और वह कब समाप्त होगा ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : भारत और जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के बीच विद्यमान दीर्घावधि व्यापार और भुगतान करार, जिस पर नई दिल्ली में 23-1-1969 को हस्ताक्षर हुए थे, 31 दिसम्बर, 1971 को समाप्त होना है । यह प्रश्न कि जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य के साथ नये दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिये या नहो, करार कितनी अवधि के लिए किया जाना चाहिए, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होनी चाहिए, आदि अभी विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों आदि द्वारा भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादियों) के समर्थकों तथा उनके द्वारा अन्य लोगों की हत्या

6196. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 मार्च, 1971 से 15 जन, 1971 तक पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों, अन्य राजनैतिक दलो के समर्थकों द्वारा और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कितने समर्थकों की हत्या की गई;

(ख) उसी अवधि में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थकों द्वारा और पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण कितने व्यक्तियों की हत्या की गई है;

(ग) उपर्युक्त अवधि में पुलिस के कितने कर्मचारियों की हत्या की गई; और

(घ) हत्या की उपर्युक्त घटनाओं के सम्बन्ध में पार्टीवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही हैं।

आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र का आधुनिकीकरण

6197. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष केरल में आकाशवाणी के कालीकट केन्द्र को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है: और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी, हां।

(ख) स्टूडिओ सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और स्थायी स्टूडिओ तथा कार्यालय स्थान बनाने की एक परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में मिलों के अधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति

6198. **श्री गंगाचरण दीक्षित** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में मिलों के अधिकृत नियंत्रकों की निक्युित किन नियमों के अन्तर्गत की जाती है;

(ख) इन नियुक्तियों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव क्या हैं;

(ग) क्या मध्य प्रदेश में मिलों के अधिकृत नियंत्रकों की नियुक्ति में कुछ देरी की गई है; और

(घ] यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जिन सूती वस्त्र मिलों का प्रबन्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है, उनके प्राधिकृत नियन्त्रकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाए गये हैं। हां, ऐसी नियुक्तियां उस व्यवसाय में, सम्बन्धित व्यक्तियों के अनुभव तथा उस पद के लिये उनकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं।

(ग) जी नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Communal Riots in Madhya Pradesh

6199. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of times the communal riots broke out in Madhya Pradesh during the last three years upto the 30th April 1971;

(b) the number of persons belonging to the minority and majority communities killed and wounded and of those whose properties were damaged as a result thereof;

(c) the number of persons arrested, prosecuted and convicted in this regard; and

(d) the number of persons who were given financial assistance as compensation by the State Government and from the Prime Minister's personal fund ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Department of Personal (Shri R. N. Mirdha): (a) to (d) : A statement based on information readily available is attached. Information on other points is awaited from the State Government.

Statement

Year	Number of communal incidents	Number of persons Killed	Injured	Estimated value of damaged to property.	Number of persons arrested
1969	7	15	590	Rs. 12,41,137	2,623
1970	23	15	112	Rs. 13.262	368
1971 (up to 31.3.71)	5	12	65	Rs. 4,03,350	172

Mobile Post Offices in Madhya Pradesh

6200. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a mobile Post Office during this year in Madhya Pradesh also; and

(b) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A proposal for opening a mobile post office at Bhopal is under examination.

(b) Implementation of the proposal will depend upon the result of the examination, which may take about three months.

काजू के कारखाने

6201. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काजू के कुल कितने कारखाने हैं; और

(ख) केवल केरल राज्य में कुल कितने काजू के कारखाने हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) चूंकि, हाल ही में काजू साधित करने वाले एकक भारी संख्या में खुल गये हैं, इसलिये अद्यतन जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) सूचना के अनुसार, 1–1–1970 को केरल में काजू के पंजीकृत कारखाने 279 थे, जिनमें से बहुत से कारखाने बहुत पहले से ही बन्द पड़े हैं ।

परिष्कृत काजू का आयात

6202. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1969–70 और 1970–71 में कितनी मात्रा में परिष्कृत काजू का आयात किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में किये गये आयात में केरल राज्य का कितना हिस्सा है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) शून्य

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल के नारियल जटा उद्योग के सम्बन्ध में अध्ययन दल की नियुक्ति

6203. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में नारियल जटा उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिये एक नया अध्ययन दल नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल जटा उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये सरकार द्वारा अब तक कुल कितने अध्ययन दल नियुक्त किये गये हैं;

(घ) क्या नारियल जटा उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिये इन अध्ययन दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह अभी हाल ही की बात है कि योजना आयोग द्वारा नियुक्त किये गए एक अध्ययन दल ने क्यर उद्योग की समस्याओं की जांच की थी और कोई नया दल नियुक्त करने की प्रस्थापना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) क्यर उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गए अध्ययन दल ये हैं, (1) क्यर परामर्शी समिति, (2) क्यर संबंधी कार्यकारी दल, (3) योजना आयोग का क्यर उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल। उनके प्रतिवेदन क्रमशः 1955 1964 और 1970 के दौरान प्राप्त हुए थे। क्यर उद्योग के विकास के लिए सरकार ने अपनी नीतियां तैयार करते समय इन प्रतिवेदनों को भी ध्यान में रखा है।

रीवा में मीडियम वेव ट्रांसमिटर की स्थापना

6204. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) रीवा में मीडियम वेव ट्रांसमीटर कब तक चालू हो जाएगा;

(ख) इसको स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) यह ट्रांसमिटर कितने क्षेत्र में सुना जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) 1973-74 तक।

(ख) फिलहाल कोई कठिनाई नहीं है।

(ग) यह रीवा तथा सतना जिलों तथा पन्ना, सहाडोल और सिधी जिलों के भागों में सुना जा सकेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों मे टेलीफोन और तार सुविधाएं

6205. श्री रण बहादुर सिंह : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन और तार सुविधाएं देने के लिये क्या योजना बनाई है जहां हाल ही में अनाज और अन्य व्यापार सम्बन्धी परिवहन में वृद्धि हुई है; और

(ख) मध्य प्रदेश के सीधि और रीवा जिलों की उन मंडियों के क्या नाम हैं जिनमें सरकार यह सुविधाएं देना चाहती है ?

संचार मत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) टेलीफोन और तार सुविधाओं की व्यवस्था आम तौर पर योजनाओं के लाभकर होने पर की जाती है। लेकिन अविकसित क्षेत्रों में जिनमें ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है, टेलीफोन और तार सेवाओं का विस्तार करने के लिए विभाग ने एक नीति बनाई है जिसके अनुसार कुछ तरह के स्थानों पर उनके प्रशासनिक महत्व, जनसंख्या और सामान्य दूर संचार जाल से उनकी दूरी के आधार पर घाटे पर भी इस सुविधा की व्यवस्था

की जाती है। एक सीमित संख्या में तीर्थ स्थानों, पर्यटन केन्द्रों, कृषि और सिंचाई परियोजना स्थलों और टाऊनशिप में भी घाटे पर ये सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

यदि कोई स्थान ऊपर बतलाये किसी वर्ग में न आता हो और वहां सार्वजनिक टेलीफोन घर या संयुक्त डाक व तार घर खोलने का प्रस्ताव घाटे का हो तो वहां टेलीफोन तार सुविधा की व्यवस्था तभी की जा सकती है यदि कोई इच्छुक पार्टी विभाग को होने वाला घाटा पूरा करने के लिए तैयार हो।

(ख) रीवा जिले में सेमरिया, चक और गढ़ और सीधी जिले में समरिया में तार सुविधाएं देने का विचार है। फिलहाल सीधी और रीवा जिलों में किसी भी जगह पर नई टेलीफोन सुविधा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा मार दिये गये सीमा सुरक्षा बल के सैनिक

6206. श्री एस० एम० बनर्जी :
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के पूर्वी भाग में पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कुछ सैनिक मार दिये गये थे;

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कोई जवाबी कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 25 मार्च, 1971 से अब तक पाकिस्तानी सेना द्वारा आक्रमण। गोली चलाने के फलस्वरूप सीमा सुरक्षा बल के 17 कर्मचारी, भारत-पूर्वी बंगाल सीमा से लगने वाली भारतीय भूमि में मारे गये हैं।

(ख) और (ग) : सीमा सुरक्षा बल हमारी सीमाओं की अखण्डता को कायम रखने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके द्वारा पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा घुसपैठ, गोलाबारी इत्यादि समेत हमारी सीमाओं के किसी भी अतिक्रमण का शीघ्रता से और कारगर रूप से जवाब दिया गया है और दिया जायेगा। हमारी सेना को स्पष्ट आदेश हैं कि पाकिस्तानी सेना के किसी भी घुसपैठ तत्वों को पीछे धकेल दे और सीमा पार से किसी प्रकार की भी गोलाबारी या फायरिंग का कारगर रूप से उत्तर दे।

वर्ष 1971 में स्मारक टिकटों का निकाला जाना

6207. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में कितने स्मारक टिकट निकाले जाने की सम्भावना है;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने इस बारे में कुछ और व्यक्तियों के नामों का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां तो उन व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 26। इनमें से 10 महान व्यक्तियों पर हैं।

(ख) संत रविदास
दीनबन्धु सी० एफ० एंड्स
आचार्य नरेन्द्र देव
रमण महर्षि
राजा रविवर्मा
दादा सहाब फाल्के
स्वामी विरजानन्द
डा० सी० वी० रामन
सखाराम गणेश देवस्कर
} ये जारी किए जा चुके हैं।

(ग) जी हां।

(घ) जिन व्यक्तियों के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के प्रस्ताव थे, उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ङ) समय-समय पर प्राप्त हुए प्रस्ताव डाक-तार विभाग से सम्बद्ध डाक टिकट सलाहकार समिति के सामने विचारार्थ रखे गए थे। इस समिति ने इण्डिया सिक्यूरिटी प्रेस की क्षमता, हर वर्ष जारी किए जाने वाले डाक-टिकटों की संख्या को सीमित रखने की आवश्यकता और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए 1971 में 26 से अधिक डाक-टिकट निकालने की सिफारिश नहीं की।

विवरण

ऐसे व्यक्तियों के नाम जिनके सम्मान में 1971 के दौरान डाक-टिकट जारी करने के लिए अनुरोध किए गए।

1. श्री प्रियनाथ सैन
2. ,, शारदा हर विलास जी
3. ,, जुगल किशोर बिरला
4. ,, बलदेव दास जी बिरला
5. ,, सेठ दामोदर दास
6. ,, सर गंगाराम
7. ,, नेहरू, गांधी जान कैनेडी
8. ,, इलंगो अडिगल
9. ,, संत कुमार गुरूपरार
10. ,, रामलिंग स्वामिगल
11. ,, कुमारम आसन
12. ,, चम्पकरामन पिल्ले
13. ,, वेलू तम्पी
14. ,, जय नारायण व्यास
15. ,, डा० यू० वी० स्वामिनाथन अय्यर
16. ,, अवतार मिहिर बानो
17. ,, सयीद् वीर श्री लक्ष्मण नायकन आदिवासी
18. ,, कांदुकुरी वीरसलिंगम पंतुलु
19. ,, उत्कल गौरव मधुसूदन दास
20. ,, श्री त्रिभुवनदास कल्याण दास गज्जर
21. ,, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
22. ,, भाई मतिदास
23. ,, सेठ बालचन्द हीराचन्द
24. ,, महामहोपाध्याय चन्द्रशेखर सिंह सामंत हरिचन्दन महापात्र

25. ,, कलाडि के श्री शंकराचार्य
26. ,, मलावे अरियनाथ मुदलियार
27. ,, माणिक्यलाल वर्मा
28. ,, जनरल वजीर जोरावर सिंह
29. ,, मन्नथ पद्मानाभन
30. ,, स्वामी सहजानन्द
31. ,, प्रो० (डा०) बाबा करतार सिंह
32. ,, सर इब्राहीम रहमतउल्ला
33. ,, उपासनी महाराज
34. ,, शहीद गुरदास राम
35. ,, अधम सिंह
36. ,, पुरुषोत्तम दास टंडन
37. ,, राममनोहर लोहिया
38. ,, जतीन्द्रनाथ दास
39. ,, सेनापति बापट
40. ,, पद्मनाथ गोसाई बरुआ
41. ,, हजरत मुहम्मद
42. ,, रतेमराज
43. ,, तिरु भारतीदासन
44. ,, पी० गोविन्द मेनोन
45. ,, त्रैलोक्य चक्रवर्ती
46. ,, भास्कर भुआ भाकले
47. ,, ए० पी० सेन
48. ,, विजयवल्लभ सूरि
49. ,, श्रीपाद कृष्ण कोल्हाटकर
50. ,, डा० आनन्द कुमार स्वामी
51. ,, माखनलाल चतुर्वेदी
52. ,, जमाल अब्दुल नासर
53. ,, आचार्य विनोबा जी
54. ,, बाबा बन्दा बहादुर वीर वैरागी
55. ,, बाबा राघव दास
56. ,, सर जदुनाथ सरकार

Setting up of Radio Station in Chhatarpur (Madhyapradesh)

6208 **Shri Narendra Singh** ; Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the progress made in the setting up the Chhatarpur Radio Station; and

(b) the time by which it is likely to start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Information & Broadcasting (***Shrimati Nandini Satpathy***) : (a) Sites for transmitter and studios have been taken over, orders for equipment have been placed and the plans for buildings have been prepared.

(b) By 1973-74.

आसाम के दैनिक, साप्ताहिक और अर्ध-साप्ताहिक पत्रों के लिए अखबारी कागज का नियतन

6209. **श्री रबिन ककोटी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में आसाम और मेघालय से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक और अर्ध-साप्ताहिक पत्रों को प्रति वर्ष अखबारी कागज का कितना-कितना कोटा दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में आसाम तथा भोपाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक, साप्ताहिक तथा अर्ध साप्ताहिक पत्रों को जितना-जितना अखबारी कागज अलाट किया गया, वह संलग्न विवरण में दिया हुआ है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 755/71]

सूडान से रूई का आयात

6210. **डा० रानेन सेन** : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सूडान से रूई का आयात करने के बारे में उस देश की सरकार से एक करार किया था; और

(ख) यदि हां, तो आयात की शर्तें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : जी, हां; 1 जुलाई, 1971 से 31 दिसम्बर, 1972 की अवधि के लिए सूडान के साथ एक व्यापार करार पर 9-6-71 को हस्ताक्षर हुए हैं। नए करार में सूडान से कपास की लगभग 450,000 गांठों के आयात की व्यवस्था है जिसमें से लगभग 350,000 गांठों की संविदा 31 मार्च 1972 से पहले की जायेगी।

डाक तथा तार विभाग के लिये विश्व बैंक से ऋण

6211. डा० रानेन सेन : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व बैंक से नया ऋण देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) इसके परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने सरकारी क्षेत्र के तीन कारखानों अर्थात् इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०, हिन्दुस्तान केबिल लि० और हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि० की चौथी पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम दो वर्षों अर्थात् 1972-73 और 1973-74 के लिए दूर संचार के आधुनिकीकरण और विकास और कच्चे माल तथा पुर्जों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 7.8 करोड़ डालर का ऋण दिया है। सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है जिसमें इसके निर्धारण का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार व्यवस्था के लिए चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ऋण संख्या 241 आई० एन० का निर्धारण

वर्ष	निर्धारण ऋण की राशि (डालरों के समान राशि में)
1. डाक-तार द्वारा आयात की जाने वाली सामग्री और सेवाएं :	
(क) स्थानीय एक्सचेंज स्विचिंग, और पारेषण प्रणालियां	4,300,000
(ख) केबिल, तार और सहायक सामग्री	13,300,000
(ग) रेडियो प्रणालियां और अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा परीक्षण उपस्कर, तकनीकी सहायता।	4,400,000
(घ) डाक-तार कारखानों के लिए सामग्री, उपांग और मशीने	4,000,000

2. डाक-तार विभाग द्वारा सरकारी दूरसंचार कारखानों से खरीदी जाने वाली वस्तुएं :

(क) (i) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० द्वारा निर्मित ट्रंक आटो एक्सचेंजों के अतिरिक्त टेलीफोन, स्विचिंग और पारेषण उपस्कर ।	22,500,000
(ii) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० द्वारा निर्मित ट्रंक आटो एक्सचेंज	3,700,000
(ख) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० द्वारा निर्मित टेलीप्रिंटर	800,000
(ग) हिन्दुस्तान केबिल्स लि० द्वारा निर्मित केबिल और तार	25,000,000
कुल	78,000,000

इंगलैंड और अमरीका को चमड़ा-उत्पादों का निर्यात

6212. **श्री माधुर्य हाल्दार** : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा उत्पादों का निर्यात अमरीका तथा इंग्लैंड में भी किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार चमड़े के केवल उन्हीं उत्पादों का निर्यात करती है जिसका उत्पादन जम्मू और काश्मीर में किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल स्थित श्रीनिकेतन तथा उत्तर प्रदेश में कानपुर के उत्पाद का निर्यात करने का है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) बहुत से राज्यों, जिनमें जम्मू और काश्मीर भी शामिल हैं, के चमड़ा उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) इनका निर्यात पहले ही किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में जासूसी के अपराध में व्यक्तियों की गिरफ्तारी

6213. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जासूसी के अपराध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उनका सम्बन्ध किन देशों से है ; और

(ग) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा : (क) तथा (ख) : पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्रत्याशित है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जासूसी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने तथा उनके विरूद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू करने के उद्देश्य से सरकार की सभी सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है।

हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए केरल सरकार की योजना

6214. श्री ए० के० गोपालन : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के बारे में एक योजना प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना को स्वीकार कर लिया है ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :–

(1) हथकरघे को वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक योजना के अन्तर्गत हथकरघा सहकारी समितियों को दिये जाने वाले कार्यकारी पूंजी, ऋणों की मात्रा सम्बन्धित समिति के गत वर्ष के व्यवसाय के 25 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा देनी चाहिए।

(2) केरल के हथकरघा वित्त निगम को 9.50 लाख रु० की राशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि वह बन्द हथकरघा फैक्टरियों को पुनः चालू कराने में समर्थ हो सकें ; और

(3) राज्य सरकार को ऋणों तथा अनुदानों के रूप में 1.375 करोड़ रु० की राशि दी जानी चाहिए ताकि वह इन सहकारी समितियों में अतिरिक्त हथकरघे लगाने और विद्यमान सहकारी समितियों को अर्थ-क्षम एकक बनाने में समर्थ हो सकें।

(ग) योजना पर विचार हो रहा है।

पाकिस्तान और ईरान से मेवे तथा ताजे फलों के लिए आयात लाइसेंस जारी करना

6215. श्री महेन्द्रसिंह गिल : क्या विदेश व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ईरान और पाकिस्तान से मेवे तथा ताजे फलों का आयात करने के लिए किन-किन व्यक्तियों। फर्मों को आयात लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) इन आयात लाइसेंसों को देते समय सरकार क्या प्रक्रिया अपनाती है ?

विदेश व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) पाकिस्तान से सूखे मेवे तथा पाकिस्तान और ईरान से हरे फलों (शायद माननीय सदस्य का तात्पर्य ताजे फलों से है) के आयात की अनुमति नहीं है। अतः इन वस्तुओं के आयातकों की सूची देने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक ईरान से सूखे मेवे के आयात का प्रश्न है, लाइसेंसों के विवरण 'औद्योगिक लाइसेंसों आयात लाइसेन्सों और निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन' में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं और इसकी प्रतिया संसद पुस्तकालय में प्राप्य हैं।

(ख) ईरान से सूखे मेवे के आयात हेतु आयात लाइसेंसों के आवंटन की क्रियाविधि विदेश व्यापार मंत्रालय का सार्वजनिक सूचना सं० 24-आई० टी० सी० (पी०एन)।71 दिनांक 3 मार्च 1971 में दी गई है, जिसकी एक प्रति संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 756/71**]

Arrears of Telephone Dues

6216. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the amount of arrears of Telephone dues to be paid by the Central and State Government Offices in Madhya Pradesh: and

(b) the action taken by Government to recover the said amount in time ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna). (a) The arrears as on 1-4-71 in respect of bills issued upto 31st December, 1970 are as follows :—

	Rs.
Central Government (including Defence)	2.16 lakhs
State Government	5.96 "

(b) A number of Telephones which are not on the exemption list have been and are being disconnected. Besides, efforts are also being made to realise the arrears by correspondence and personal contacts.

Opening of a Branch Post Office at Railway Colony of Raipur Railway Wagon Shop (Madhya Pradesh)

6217. Shri Phool Chand Verma :
Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the residents of the Railway Colony of Raipur (Madhya Pradesh) Railway Wagon Shop on the South Eastern Railway had sent a joint memorandum demanding the opening of a Branch Post Office in the said Colony ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Communication (Shri H. N. Bahuguna) : (a) A memorandum for providing adequate Postal facilities in the Wagon Repair Workshop Colony of Raipur has been received by the Postmaster General, Bhopal in December, 1970.

(b) Examination of the proposal revealed that there would be an annual loss of about Rs. 4000/- in running a departmental Sub Post Office mainly on account of the monthly rent of Rs. 340/--for a Railway building required for the Post Office. Alternative Private accommodation at less rent is not available in the area. Since post offices in urban areas are opened only if they are financially self-supporting or

remunerative, this post office could not be opened The possibility of reducing the cost cf the office in order to bring down the loss is being examined.

गैस-सेन्ट्रीफ्युज प्रक्रिया से 'य--235' को परिष्कृत करना

6218, **श्री वी० एन० पी० सिंह ;**

क्या **परमाणु-ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अब 'गैस सेन्ट्रीफ्यूज' प्रक्रिया द्वारा 'यू–235' को कम लागत से और अधिक परिष्कृत (एनरिच्ड) बनाया जा सकता है ;

(ख) क्या 'यू-235' को और अधिक परिष्कृत करने की इस प्रक्रिया को अपनाने का सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रक्रिया के विकास पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ; और

(घ) यह खर्च किन शीर्षों के अन्तर्गत किया गया है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) यूरेनियम के समृद्धिकरण के लिए अनेक देशों में गैस के अपकेन्द्रीकरण की जो प्रक्रिया विकसित की जा रही है उसके बारे में भारत सरकार को जानकारी है। अभी तक यह सिद्ध किया जाना शेष है कि यह प्रक्रिया विसरण प्रक्रिया की तुलना में सस्ती है अथवा नहीं।

(ख) विभिन्न प्रक्रियाओं के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं का अध्ययन विस्तार से करने के बाद यह निर्णय किया जायेगा कि यह प्रक्रिया भारत में अपनाई जानी चाहिए अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक अध्ययन हाल ही में शुरु किये जा चुके हैं।

(ग) तथा (घ) : जो प्रारम्भिक अध्ययन आजकल किये जा रहे हैं वे भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के सर्वतोमुखी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम का एक अंग है, तथा इस कारण, इन अध्ययनों पर किये गये व्यय का ब्यौरा पृथक रूप से उपलब्ध नही है। क्योंकि यह अध्ययन अभी हाल ही में शुरू किये गये हैं, अब: उन पर अब तक कोई विशेष खर्च नहीं किया गया है।

भूगत परमाणु विस्फोटों के शान्तिपूर्ण उपयोगों के लिए भूमिगत जल मार्गों का सर्वेक्षण

6219. **श्री वी० एन० पी० सिंह : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परमाणु ऊर्जा आयोग भूमिगत परमाणु विस्फोटों के शांति पूर्ण उपयोगों की समस्या पर विचार कर रहा है, क्या सरकार ने भूमिगत जलमार्गों का सर्वेक्षण आरम्भ किया है ताकि भूमिगत परमाणु विस्फोटों के प्रयोगों में इस कारण कोई विलम्ब न हो ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा उन अवस्थाओं का अध्ययन किया

जा रहा है जिनके अन्तर्गत शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए किये गये परमाणु विस्फोट पर्यावरणीय संकट उत्पन्न किये बिना भारत के लिये आर्थिक दृष्टि से लाभकर सिद्ध हो सकते हैं ।

नेपाल, सिक्किम, भूटान और चीन की आकाशवाणी का प्रभावहीन प्रसारण

6220. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से नेपाल, सिक्कम, भूटान, चीन आदि देशों की भाषाओं में समाचार और कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के केन्द्रों के नाम क्या हैं तथा उनका समय क्या है;

(ग) क्या इन सभी प्रयत्नों के बावजूद नेपाल में भारत विरोधी भावना बढ़ती जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो प्रसारणों को अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए और क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है, संलग्न है ।

(ग) इस मन्त्रालय को इसकी जानकारी नहीं है ।

(घ) नेपाली सेवा में वर्तमान दो ट्रांसमिशनों के अतिरिक्त, सेवा का विस्तार करने के लिए एक सायंकालीन ट्रांसमिशन शीघ्र ही चालू किया जायेगा ।

विवरण

आकाशवाणी की नेपाली, चीनी, तिब्बती, सिक्किमी तथा भूटानी सेवाओं के समय इस प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	भाषा का नाम	केन्द्र का नाम	प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि
1.	चीनी	दिल्ली [वैदेशिक सेवा प्रभाग]	(1) 0330–0430 बजे—भारतीय समय (0345–बजे से 0352 बजे तक समाचार)
			(2) 1745–1845 बजे—भारतीय समय (1800–बजे से 1807 बजे तक समाचार)
2.	नेपाली	दिल्ली [वैदेशिक सेवा प्रभाग]	(1) 0700–0745 बजे—भारतीय सयम (0730 बजे से 0740 बजे तक समाचार)
			(2) 1200–1230 बजे—भारतीय समय [1201 बजे से 1205 बजे तक समाचार]
		कुर्सियांग	0730–0740 बजे–भारतीय समय } दिल्ली से रिले
			1200–1230 बजे–भारतीय सयम } दिल्ली से रिले
		गोहाटी	0730–0740 बजे–भारतीय समय } दिल्ली से रिले

3.	तिब्बती	दिल्ली	[1] 0845–0900 बजे––भारतीय समय [0845 बजे से 0850 बजे तक समाचार]
		[वैदेशिक सेवा प्रभाग]	[2] 1800–1845 बजे – भारतीय समय [1815 बजे से 1825 बजे तक समाचार]
		कुर्सियांग	1300–1340 बजे–भारतीय समय } दिल्ली से 0845–0900 बजे–भारीय समय } रिले
4.	सिक्किमी	कुर्सियांग	1720–1745 बजे–भारतीय समय
5.	भूटानी	कुर्सियांग	1745–1800 बजे–भारतीय समय

सिले--सिलाये वस्त्रों का निर्यात करने के लिए अनुमित कपड़े के आयात की अनुमति

6221. श्री सी० जनार्दनन : क्या **विदेश व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए अनुमित कपड़े का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है जो सिले–सिलाये वस्त्रों का निर्यात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सीमा शुल्क बौंड के अन्तर्गत सिले-सिलाये परिधान तैयार करने हेतु कपड़ों का आयात तथा उन परिधानों का निर्यात करने की एक योजना इस वर्ष के प्रारम्भ में घोषित की गई थी ।

(ख) इस योजना की मोटी-मोटी बातें संलग्न विवरण में बताई गई हैं जो कि सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निर्यात प्रयोजनों के लिए सीमा शुल्क बौंड के अन्तर्गत सिले-सिलाये परिधान तैयार करने के लिए कपड़े का आयात करने की योजना की मोटी–मोटी बातें ।

इस योजना के अन्तर्गत सभी पंजीबद्ध निर्यातकों के लिए व्यवस्था है चाहे पहले उन्होंने कितना भी निर्यात किया हो या नहीं । इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित किस्मों के कपड़ों के आयात की अनुमति दी जायेगी :—

(क) करघे पर बुनाई वाले अथवा फंदा बुनाई वाले पूरी तरह से संश्लिष्ट कपड़े ।

(ख) संश्लिष्ट तथा प्राकृतिक/सेलूलोज रेशे के ब्लैंडों वाले करघों से या निटिंग द्वारा बुने हुए ब्लैंडिड वस्त्र ।

(ग) मिश्रित कपडे जिसमें संश्लिष्ट रेशे का ताना हो और प्राकृतिक/सेलूलोज रेशे का बाना हो तथा इसके विपरीत ताना–बाना हो ।

(घ) स्थायी प्रेस, नो-केयर या इजी-केयर आदि जैसे विशेष फिनिश वाले सूती वस्त्र जिनका उत्पादन देश में नहीं किया जाता है ।

2. आयातित सूती वस्त्रों से बनाए गये परिधानों के निर्यातों से भारतीय सूती वस्त्रों से बनाए गए परिधानों के वर्तमान निर्यात व्यापार को क्षति न पहुँचे इसके लिए आयातित सूती वस्त्रों से बनाए गए परिधानों के निर्यातकों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे नीचे लिखे क्रम के अनुसार भारतीय सूती वस्त्रों से बनाये गए परिधानों का निर्यात करने का दायित्व भी लें ।

प्रथम वर्ष : आयातित सूती वस्त्रों से बनाये जाने वाले परिधानों के निर्यात का 25% ।

द्वितीय वर्ष : आयातित सूती वस्त्रों से बनाये जाने वाले परिधानो के निर्यात का 50% ।

तृतीय वर्ष : आयातित सूती वस्त्रों से बनाये जाने वाले परिधानों के निर्यात का 75% ।

चतुर्थ वर्ष : आयातित सूती वस्त्रों से बनाये जाने वाले परिधानों और उससे आगे के निर्यात का 100% ।

ऐसे मामलों में निर्यातकों के लिए देशी कपड़े से बनाये गये परिधानों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्यात करने का दायित्व पूरा करने के लिए एक अनुबंध पत्र भरना होता है और इस अनुबंध-पत्र के साथ उसके 25% मूल्य तक की एक बैंक गारंटी देनी होती है । इसके विकल्प स्वरूप पार्टी यह कानूनी वचन भी दे सकती है कि यदि वह ऊपर बताये गये ढंग से निर्यात करने में असफल रहेगी तब वह राज्य व्यापार निगम को देशी कपड़े से बनाये गये परिधान उतनी मात्रा में देगी जो निर्यात के लिए निर्धारित की जायेगी और उन मूल्यों पर देगी जो कि संभव समझे जायेंगे । राज्य व्यापार निगम अपना सामान्य कमीशन काटकर पार्टी को उन परिधानों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय दे देगी । साथ ही उस पार्टी को स्वयं निर्यात करने के दायित्व को पूरा न करने के बदले में वार्षिक निर्यात दायित्व के 5% के बराबर अधिक से अधिक 5 लाख रुपये तक दण्ड देना होगा ।

3. मीटरों में 3% कपड़े तक की छीजन की अनुमति है, किन्तु आयातित कपड़े से बनाये गये प्रत्येक परिधान का निर्यात किया जायेगा ।

4. सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से आयातित कपड़े से बने परिधानों का निर्यात उन्हीं क्षेत्रों के गन्तव्य स्थानों को करना होता है ।

5. प्रतिपूर्ति हक के रूप में निर्यातित परिधानों की जहाज पर कीमत के 5% तक अनुमेय साजसज्जा का आयात करने की अनुमति दी जाती है । फिर भी, जहां कहीं विदेशी खरीददार साजसज्जा की सप्लाई पहले ही कर देते हैं, वहां इस प्रकार भेजे गये साजसज्जा का मूल्य प्रतिपूर्ति हक के रूप में समायोजित कर दिया जाता है ।

6. कपड़े के आयात करने में विदेशी मुद्रा का भुगतान पेशगी नहीं किया जाता है । भुगतान तभी किया जाता है जबकि इन कपड़ों से बने परिधानों का निर्यात कर दिया जाता है और विदेशी मुद्रा वसूल हो जाती है ।

7. आयातीत कपड़े से बनाये जाने वाले निर्यात सम्बन्धी परिधानों को पूरा करने के लिए कपड़े की खेप के आयात की तारीख से 6 माह की अवधि दी जाती है । सूती परिधानों के मामले में देशी कपड़ों से निर्मित परिधानों के निर्यात के दायित्व को भी साथ ही साथ पूरा करना होता है ।

8. योजना के अन्तर्गत कपड़े के आयात के लिए लाइसेंसों/सीमाशुल्क परमिटों को देने के आवेदन-पत्रों पर एक समिति द्वारा विचार किया जाता है, जिसमें संयुक्त मुख्य आयात-निर्यात नियंत्रक, बम्बई, वस्त्र आयुक्त और सीमा शुल्क समाहर्ता बम्बई हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हुआ घाटा

6222. श्री एन० ई० होशे : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को गत दो वर्षों में अनुमानतः कितना घाटा हुआ; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) विगत दो वर्षों में अर्थात् 1969-70 तथा 1970-71 में निगम को कोई हानि नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयातित एल्यूमिनियम के बहुत अधिक मूल्य

6223. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम आयातित एल्यूमिनियम के बहुत अधिक मूल्य वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस एजेंसी ने जांच की है और क्या शिकायत करने वालों से किसी स्तर पर इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया था; और

(ग) जांच के क्या निष्कर्ष निकले तथा प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जिससे भविष्य में ऐसी घटनायें न हों ?

विदेश व्यापार मन्त्रलय में उप-मंत्री श्री ए० सी० जार्ज : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : भारतीय विद्युत निर्माता संघ द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार एक अन्तः मंत्रालय बैठक मे किया गया था और उस बैठक का यह मत था कि ई० सी० ग्रेड के एल्यूमिनियम का बिक्री मूल्य, 1969-70 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकारियों की समिति द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा ठीक ही निश्चित किया गया था और वह यथाक्रम था।

Rayon Pulp Imported by Gwalior Rayons

6224. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of Foreign Trade be Pleased to state :

(a) the quantity of rayon pulp imported by the Gwalior Rayons, Nagda (Madhya Pradesh) during the last three years; and

(b) the value thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri A. C. George) : (a) Nil

(b) Does not arise

Filing of Cases in Law Courts By Government Employees

6225 **Shri K. M. Madhukar** : Will the Prime Minister be Pleased to state :

(a) Whether Government have forwarded a circular to all the Departments to the effect that in case any Government employee files a complaint in respect of his services in the court and he loses it, he will be liable to pay the cost of the suit to Government;

(b) if so, the special circumstances which have warranted the curtailment of the right of Government employees in this regard;

(c) whether Government propose to withdraw the said order; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in The Department of Personnel : (Shri Ram Niwas Mirdha) : [a] No, Sir.

[b] to [d] : Do not arise.

Activities of Pak Spies in India

6226. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the activities of Pakistani spies have increased in India since Pakistan's military crack-down on Bangla Desh and a large number of Pakistani spies have been arrested since last year;

(b) if so, the number of Indians and non-Indians out of the Pakistani spies arrested in this regard;

(c) whether Government realise that among the Pakistani spies arrested there are some persons who have been arrested by the C. I. D. by mistake and illegally; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of State in The Ministry of Home Affairs And in the Department of Pernonnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (d) : Government is aware of the possibility of increased espionage activities in certain parts of the country, following Pakistan's military crack-down on Bangla Desh. According to information received from the State Governments and Union Territories no person suspected to be Pak spy has been arrested since last year in Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Maharashtra, Mysore, Nagaland, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, L. M. & A. Islands, Manipur and Pondicherry. Information in respect of the remaining States and Union Territories is awaited and will be laid on the Table of the House.

गुजरात में टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने में विलम्ब

6227. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के लिये उपयुक्त अधिकारियों के अनुमोदन के पश्चात् भी विशेषकर गुजरात में केन्द्र की स्थापना सामान्यत: 12 से 20 महीनों के बाद की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस दीर्घ अवधि को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। न केवल गुजरात में ही बल्कि समूचे भारत में छोटे आटोमेटिक एक्सचेन्जों के सम्बन्ध में यह सत्य है।

(ख) उचित प्राधिकारी से स्वीकृति मिल जाने के बाद एक ओर तो आवश्यक सामग्री और उपस्कर एकत्रित करने और दूसरी ओर उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की जाती है। बहुत सा सामान जैसे कि एक्सचेंज उपस्कर, जमींदोज केबल, खम्भे और तार सामग्री, बैटरी और पावर प्लांट आदि की सप्लाई कम है। पर्याप्त मात्रा में यह सामान प्राप्त करना और इसे पहले से ही स्टोर करना सम्भव नहीं हो सका है। कभी कभी, एक्सचेंज बिछाने के लिए किराये पर इमारत प्राप्त करने में भी रूकावटें आती हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा उपरोक्त सामग्री का उत्पादन बढ़ा कर और निजी क्षेत्र में तैयार की जाने वाली मुदों के लिए अग्रिम योजना बनाकर सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अर्थ व्यवस्था की मोजूदा हालत में ऐसी स्थिति बनी रहने की ही सम्भावना है।

इण्डियन रेडियो एण्ड केबल कम्पनी से सरकार द्वारा समुद्रपारीय संचार सेवा को अपने अधिकार में लिया जाना

6228. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन रेडियो एण्ड केबल कम्पनी से समुद्रपारीय संचार सेवा को अपने अधिकार में ले लिया था; और

(ख) क्या महानिदेशक द्वारा नये सर्किट आरम्भ किये जाने के लिये प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की जांच की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) महानिदेशक, विदेश संचार सेवा द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की सरकार द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

ओ० सी० एस० शाखाओं में सर्किटों का वितरण

6229. श्री सी० चित्ति बाबू : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपारीय संचार सेवा की चारों शाखाओं में सर्किटों का समान वितरण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मद्रास शाखा की समुद्रपारीय संचार सेवा में तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या सुधार किये गये हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये क्या प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) विदेश संचार सेवा की विभिन्न शाखाओं में विदेश-परिपथों का वितरण सामान्य रूप से प्रत्येक शाखा द्वारा निपटाये गये परियात की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है । क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार परियात की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होती है, अतः विभिन्न विदेश संचार सेवा शाखाओं में विदेश परिपथों का बराबर-वितरण सम्भव नहीं है ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेश संचार सेवा की मद्रास शाखा में निम्नलिखित विकास कार्य किया गया—

(i) उच्च आवृत्ति तार तथा टेलीफोन सेवाओं के स्थिरीकरण तथा विकास के लिये नये उपस्कर का प्रावधान;
(ii) तार घर में सार्वजनिक तार-परिणत के निपटान का मशीनीकरण ।
(iii) लन्दन, मास्को, पेरिस, हैम्बर्ग तथा रोम के साथ सीधी रेडियो फोटो-सेवा की स्थान;
(iv) मद्रास और सिंगापुर के बीच समुद्री-केबल-तार-परिपथ की केबल-कोड प्रणाली का समकालिक पंचएकक प्रणाली में परिवर्त्तन ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेश संचार सेवा की मद्रास शाखा में निम्नलिखित सुधारों का प्रावधान है:-

(i) रेडियो फोटो उपस्कर में वृद्धि;
(ii) कर्मचारियों के आवास क्वार्टरों के निर्माण की योजनाएं;
(iii) प्रेस सम्वाददाताओं के लिए कार्यक्रम-पारेषणों के वास्ते स्टूडियो सुविधाओं का प्रावधान ।

यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

6230. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जदुगुडा लेबर यूनियन ने यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के कार्मिक विभाग के एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध प्रमाण के आधार पर गम्भीर आरोप लगाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी, हां । यह बात सरकार की जानकारी में जून, 1971 के अन्त में लाई गई थी । इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है ।

Adverse effect on powerloom industry due to financial assistance given to coarse cloth manufacturing mills.

6231. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government are giving financial assistance at the rate of 50 paise per metre to the mills manufacturing coarse cloth; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to check the adverse effect on the powerloom industry as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign trade (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. Mills producing controlled cloth are being given a subsidy of 50 paise persq. metre under a new scheme for production of controlled cloth introduced with effect from 1-6-1971.

(b) The powerloom industry is not likely to be affected adversely by this measure.

मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर द्वारा अपने पुत्र को कार का अवैध हस्तांतरण

6232. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
श्री एम० के० कृष्णन :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने अपने पुत्र को अवैध रूप से कार दे दी है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को यह सूचना मिली है कि श्री धर्मवीर ने मन्त्रिमण्डल सचिव के पद पर कार्य करते हुये, अपने द्वारा खरीदी गई एक कार को अपने पुत्र को प्रयोग में लाने दिया। तथापि, उन्होंने बाद में कार को अपने पुत्र के नाम हस्तांतरण करने के लिए अभ्यावेदन किया और उन्होंने इसको अनुमति प्राप्त कर ली। पूर्ण तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

Use of Code Words in Hindi for Departmental telegrams

6233, **Shri Sudhakar Pandey** : Will the Minister of Communications be pleased to State :

(a) the action taken to coin code words in Hindi equivalent to the existing code words in English for sending Departmental telegrams in the offices under the Posts and Telegraphs Department; and

(b) if code words in Hindi have been coined, the time by which these words would be finalised ?

The Minister of Communications (Shri H, N. Bahuguna) (a) and (b) : The existing eode words as given in the Indian Telegraphic Message Code and Telegraph Code being used in the Service Telegrams have been ttanslaterated and finalised.

गीत और नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायतें

6234. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** गीत और नाटक डिवीजन के निदेशक के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 7 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसद सदस्य ने राज्य मन्त्री को एक पत्र लिखा था जिसमें श्रीनगर आदि में कुछ संगीत नाटक आदि के प्रदर्शनों के विरुद्ध शिकायतें की गई थीं ;

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या संगीत और नाटक विभाग में विद्यमान त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ अन्य उपाय करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी): (क) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार इस मन्त्रालय के वर्तमान कार्यभारी राज्य मन्त्री को इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जो उपाय अभी विचाराधीन हैं, उनमें ये शामिल हैं :

[1] प्रभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ करना;

[2] गीत और नाटक एककों को दिल्ली, जहां पर वे फिलहाल स्थित हैं, से उनके कार्यक्षेत्रों के निकट के केन्द्रों में फैलाना; और

[3] स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती तथा उनके करारों को बढाने के नियमों तथा अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों में संशोधन करना एवं उन्हें नियमबद्ध करना ।

आकाशवाणी का दरभंगा [मिथिला] केन्द्र

6235. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] क्या आकाशवाणी के प्रस्तावित दरभंगा [मिथिला] केन्द्र के लिए अपेक्षित संप्रेषण उपकरण, भूमि और इमारत प्राप्त कर लिये गये हैं ;

[ख] यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

[ग] यदि नहीं, तो क्या कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए तथा खर्च में भी कुछ कमी करने के लिए दरभंगा राज की उपयुक्त इमारतों को खरीदने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) और [ख] : ट्रांसमिटिंग उपकरणों के लिए ट्यूटर बंगले के निकट वाली भूमि का कब्जा ले लिया गया है । ट्रांसमिटर के लिए स्थान जो दरभंगा-सोन्की सड़क पर बजीतपुर गाव में हैं, अधिग्रहण करने की कार्रवाई चालू है ।

[ग] प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के मन्त्रियों द्वारा किए गए दौरों पर व्यय

6236. श्री सरोज मुखर्जी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क] पश्चिम बंगाल के उन मन्त्रियों तथा राज्य मन्त्रियों के नाम क्या हैं जो 2 अप्रैल, 1971 से 30 जून, 1971 के बीच पश्चिम बंगाल के बाहर गये ; और

[ख] ऐसे प्रत्येक दौरे पर राज्य के खजाने से कितना धन व्यय किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री [श्री मोहसिन] : [क] **और** [ख] : अपेक्षित सूचना का एक विवरण जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजा गया, संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मंत्रियों तथा राज्य मंत्रियों के नामों का विवरण जो अप्रैल, 1971 से जून, 1971 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल के बाहर दौरे पर गये ।

	नाम मंत्री :	दौरे के स्थान	किया गया व्यय रुपये
1.	श्री ए० के० मुकर्जी, मुख्य मन्त्री	दिल्ली	741.00
2.	श्री बी० एस० नाहर	दिल्ली [चार बार]	3,034.00
3.	श्री ए० सत्तार	दिल्ली [दो बार]	1,359.00
4.	श्री डी० पी० राय	दिल्ली	931.00
5.	श्री एस० महतो	दिल्ली	831.00
6.	श्री पी० सिन्हा	भुवनेश्वर	315.00
7.	श्री एस० के० राय	दिल्ली	806 00
8.	श्री टी० के० घोष	दिल्ली	831.00
9.	श्री के० के० मोत्रा	दिल्ली	806.00
10.	श्री जेड० अबेडिन	दिल्ली	806.00
11.	श्री एस० के० दासगुप्ता	दिल्ली	806.00
12.	श्री जी० डी० नाग	दिल्ली	781.00
राज्य मंत्री			
1.	श्री एस० विस्वास	दिल्ली	788.50

1. उपरोक्त आंकड़े संकलन के समय उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर संकलित किये गये हैं ।

2. किये गये व्यय में, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, एच० ओ० आर० और सरकारी गाड़ियों के प्रयोग की लागत शामिल नही हैं किन्तु सम्बद्ध दौरों के बारे में विनिमय साख बीजक [एकसचेंज क्रेडिट वाउचर] द्वारा की गई विमान यात्राओं की अनुमानित लागत शामिल है।

पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के लिए पेट्रोल पर खर्च

6237. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में प्रत्येक मंत्री और राज्य स्तर के मंत्री और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के लिए राज्य के सरकारी कोष से पेट्रोल पर कितनी धनराशि 2 अप्रैल 1971 से 30 जून, 1971 तक खर्च की गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहसिन) : राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

वर्ष 1969-71 में पश्चिम बंगाल में मारी गई महिलाएं

6238. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में द्वितीय संयुक्त मोर्चा सरकार (1969-70) राष्ट्रपति शासन (1970-71) पश्चिम बंगाल की लोक तंत्रात्मक मिली-जुली सरकार (1971) और राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि में आज तक अलग अलग कितनी महिलाओं की हत्याएं की गई;

(ख) क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध मामले दर्ज कर लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

पश्चिम बंगाल में सेवा मुक्त किये गये राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी

6239. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की लोक-तंत्रात्मक दलों की मिली जुली सरकार के दौरान कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को सेवा से निकाला गया था; और

(ख) क्या निकाले गये किसी कर्मचारी ने सेवा से निकाले जाने के आदेश के विरुद्ध सरकार के ऊपर कोई मुकदमा किया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग मे राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

नेफा को दूरसंचार से सब डिवीजनों के साथ जोड़ना

6240. **श्री सी० मो० गोहेन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेफा के जिला मुख्यालय को दूर संचार व्यवस्था से सब डिवीजनों तथा सर्किलों के साथ जोड़ने का है;

(ख) क्या सरकार यह सुविधा अर्ध सरकारी निकायों तथा जनता को उपलब्ध करायेगी; और

(ग) यदि हां, तो इसको कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। सभी जिलों और सब डिवीजन मुख्यालयों और कुछ महत्वपूर्ण सर्कलों को दूर संचार व्यवस्था से जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) निर्माण-कार्यों को हाथ में ले लिया गया है और जैसे ही नेफा प्रशासन बेतार स्टेशनों के लिए इमारतें बनाकर डाक-तार विभाग को देता जाएगा, ये कार्य उत्तरोत्तर पूरे किये जाएंगे।

एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध

6241. **श्री के लकप्पा** : क्या **विदेश व्यापार** मंत्री एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबंध के बारे में 8 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 897 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच एल्यूमिनियम के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में विचार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय मे उपमंत्री(श्री ए०सी० जार्ज): (क) एल्यूमिनियम धातु तथा उसके उप-उत्पादों (सेमिज) के सम्बन्ध में वर्ष 1971-72 हेतु निम्नलिखित निर्यात नीति अधिसूचित की गई है :

(1) मूल्य उत्पादकों को गुणावगुण के आधार पर वाणिज्यिक ग्रेड की एल्यूमिनियम धातु का निर्यात करने की अनुमति होगी।

(2) चादरों, चक्कों, पन्नियों, छड़ों (प्रोपर्जी छड़ें छोड़कर), तारों आदि के रूप में एल्यूमिनियम उप-उत्पादों के निर्यात की केवल ऐसे मामलों में गुणावगुण के आधार पर निर्यात करने की अनुमति होगी जहां मूल उत्पादकों और अन्य उत्पादकों द्वारा निर्यात हेतु अटल वचन-बद्धताएं की जा चुकी हों।

(3) एल्यूमिनियम धातु ई० सी० ग्रेड तथा प्रोपर्जी छड़ों के निर्यात की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एल्यूमिनियम धातु और उप-उत्पादों के निर्यात पर पूर्ण रोक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नहीं लगाई गई है कि भारी लागत और प्रयत्नों द्वारा विदेशों में तैयार किये गये बाजार कहीं हमेशा के लिए हाथ से न निकल जायें।

Use of Hindi in Departmental Examinations

6242. **Shri Sudhakr Pandey** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the introduction of alternative use of Hindi in departmental examintions in various departments of Government is being delayed because the Codes and Manuals have not been translated into Hindi so far; and

(b) whether Government have considered the question of exempting the employees who wish to answer their question papers in Hindi without waiting for the publication in Hindi of the Codes and Manuals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The Ministries/Departments of the Central Government have been directed to authorise the optional use of Hindi, in addition to English, by departmental candidates in answering question papers on subjects like General Knowledge, Essay, Arithmetic, Drafting' etc and also in question papers relating to the departmental Maunals and Codes etc. of which Hindi translations are available. Steps are being taken to translate the remaining departmental Manuals, Codes etc. in Hindi.

(b) The views of the various Ministries etc. on the subject have been invited.

व्यास बांध परियोजना पर नियुक्त डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता दिया जाना

6243. **श्री मुल्की राज सैनी** : क्या **संचार मंत्री** रांची में नियुक्त डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों को परियोजना भत्ता के बारे में 2 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1069 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास बांध परियोजना के सम्बन्ध में जहां नई रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं वहां मौलिक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) क्या इस कारण उन स्थानों पर कार्य कर रहे डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी परियोजना भत्ता पाने के हकदार हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कांगड़ा घाटी पोंग डेम के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में रेल प्राधिकारियों ने जहां जवान वाला शहर (जावाली) रेलवे स्टेशन को गुलर रेलवे स्टेशन से मिलाने वाली एक नई रेलवे लाइन चालू की है, उस इलाके में मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) इस इलाके में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारी परियोजना भत्ता पाने के अधिकारी नहीं हैं।

भारतीय व्यापार निर्देशिका की मांग

6244. **श्री एम०एम० हाशिम** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय व्यापार निर्देशिका, जिसमें निर्यात को बढ़ाने तथा व्यापार के विकास के लिए व्यापार सम्बन्धी नवीनतम जानकारी हो, की बढ़ती हुई मांग के बारे में पता है;

(ख) क्या निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी का विचार ऐसा प्रकाशन निकालने तथा जानकारी के इस अन्तर को दूर करने का है; और

(ग) सरकार भारत के व्यापार के बारे में कब तक एक स्टैण्डर्ड रेफरेन्स बुक निकाल देगी जिससे कि विदेशों में आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ता भारत में पार्टियों का पता लगा सकें तथा उनसे सम्बन्ध स्थापित करके और विदेशों के साथ भारत का व्यापार बढ़ सके ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल की भारतीय राष्ट्रीय समिति ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डलों के फैडरेशन के सहयोग से निर्यातक और आयातक नामक एक

विस्तीर्ण भारतीय व्यापार निर्देशिका प्रकाशित की है। भारतीय निर्यात संगठन के फैडरेशन ने भी भारतीय निर्यातकों की एक निर्देशिका प्रकाशित की है। वाणिज्यिक जानकारी तथा अंक संकलन का महानिदेशालय भी एक अत्यन्त व्यापक भारतीय निर्यात निर्देशिका समय-समय पर प्रकाशित करता रहा है। बहुत सी निर्यात संवर्धन परिषदें भी निर्यातकों की निर्देशिकाएं निकालती हैं जिनमें भारतीय फर्मों के नाम और पते दिये होते हैं तथा उन वस्तुओं का उल्लेख होता है जिनसे वे सम्बन्धित होती हैं।

भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के प्रकाशन तथा सूचना निदेशालय के साथ विलय

6245. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सूचना तथा प्रसारण निदेशालय के साथ विलय का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा ने दिनांक 24 जुलाई, 1970 को हुई अपनी बैठक में (i) भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र (ईन्सडोक) और (ii) सूचना और प्रसारण निदेशालय (पी. आई. डी.) का विलय कर केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना और प्रकाशन संस्थान (सी. आई. एस. आई. पी.) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) शासी सभा ने अंकित किया था कि इन्सडोक और पी. आई. डी. के कार्य में काफी पुनरावृत्ति है। दोनों संगठनों को व्यवस्थित ढंग से विलय किया जाना चाहिये जिससे उनके कार्य-संचालन में सुचारुता और किफायत हो सके।

(ग) शासी सभा की स्वीकृति को अधिसूचित करते हुए पहले ही एक आदेश प्रेषित कर दिया गया है।

तूतीकोरिन (तमिलनाडु) में हैवी वाटर संयंत्र की स्थापना के लिए मांग

6246. **श्री एस० राधाकृष्णन् :** क्या **परमाणु ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में उर्वरक कारखाने के समीप हैवी वाटर संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी पूंजी लगाने का आश्वासन दिया है और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मांगी है; और

(ग) क्या सरकार ने इसकी मंजूरी देदी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क)से(ग): तूतीकोरिन में भारी पानी तैयार करने वाला एक संयंत्र लगाने के लिये

संस्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । इस संयंत्र को मैसर्स सदर्न पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा स्थापित किये जा रहे उर्वरक संयंत्र के साथ लगाया जायेगा । इस संयंत्र पर 21.32 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है । भारी पानी संयंत्र पर होने वाला सारा व्यय भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा ।

Telephones Installed in Ujjain District (Madhya Pardesh)

6247, Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Communications be Pleased to state :

(a) the total number of telephones installed in Ujjain District of Madhya Pradesh;

(b) the total number of persons whose applications for telephone connections in the said District are pending consideration of Government at present;

(c) the number of persons who applied for telephone connections in tnis District during the last two years; and

(d) the time by which telephone connections are likely to be given to the applicants in this District ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 1,335 on 31-5-1971.

(b) 64 on 31-5-1971.

(c) 295.

(d) Every effort is made to meet the pending demands as early as possible dependant upon availability of essential line materials, some of which are in short supply at present.

Telephones installed in Bhind District (Madhya Pradesh)

6248. Shri Humak Chand Kachwai : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the total number of telephones installed in Bhind District of Madhya Pradesh at present;

(b) the total number of persons who applied for telephone connections;

(e) the nnmder of applications for Telephone connections pending with Government; and

(d) the time by which Telephone connections will be provided to the persons whose applications are pending consideration of Government at present ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) 190 connections were working as on 31-5-71.

(b) 46 new applications were received for telephone connections during one year ending May, 1971.

(c) 8

(d) Every effort is made to meet the pending demands as early as possible, dependent upon availability of line materials, some of which are in short supply at present.

Pak Nationals registered in Himachal Pradesh

6249. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Pak nationals registered in Himachal Pradesh during the last two years, who came to India on valid passports;

(b) the number of Pak nationals who went back to Pakistan during the above period before the expiry of their visas;

(c) the number of persons who were served with notices to leave this country during the said period;

(d) the number of such persons deported; and

(e) the number of those arrested and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) 152.

(b) 152.

(c) to (e) : None.

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां करने के लिये एक ही एजेंसी

6250. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विवाद से बचने के लिए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की जांच करने का काम एक एजेंसी को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अल्जीरिया द्वारा भारतीय फिल्मों की खरीद

6251. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **विदेश व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्जीरिया ने इस वर्ष कुछ भारतीय फिल्में खरीदी हैं;

(ख) भारतीय फिल्मों की खरीद के लिए अल्जीरिया के साथ किए गए करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) इससे भारत को कितनी विदेशी मुद्रा मिलेगी; और

(घ) अन्य किन देशों ने इस वर्ष भारतीय फिल्में खरीदी हैं ?

विदेश व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) : जी हां । भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, बम्बई द्वारा 16 फिल्मों की बिक्री करने हेतु मैसर्स फिल्म्स

डिस्ट्रिव्यूशन आर्गेनाइजेशन आफ अल्जीरिया (ओ० एन० सी० आई० सी०) के साथ बातचीत को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इन फिल्मों का कुल मूल्य लगभग 45,500 डालर होगा। प्रत्येक फिल्म की बिक्री पूरी तरह से होगी और प्रत्येक फिल्म के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है।

वर्ष 1970-71 के दौरान जिन देशों ने भारतीय फिल्में खरीदी उनके नाम दर्शाने वाला विवरण।

पूर्वी अफ्रीकी प्रदेश जिनमें ये शामिल हैं	जाम्बिया, कांगो, कीलिया, इथियोपिया, तजानिया
उत्तरी अफ्रीकी प्रदेश जिनमें ये शामिल हैं	लीबिया, अल्जीरिया, मोखको, ट्यूनीसिया
पश्चिमी अफ्रीकी प्रदेश जिनमें ये शामिल हैं	नाइजीनिया, गम्बीया, घाना, लाइबैरिया
मध्य पूर्व प्रदेश जिनमें ये शामिल हैं	सीरिया, लेबनान, जोर्डन, इराक
संयुक्त अरब गणराज्य, सिंगापुर	
इण्डोनेशिया, थाइलैंड	
फिजी	
अरब की खाड़ी के क्षेत्र जिनमें ये शामिल हैं	कुवैत, कतार, ट्रशल स्टेटस, डुबई, सरजा और यमन
मारीशस, वेस्ट इण्डीज	
ब्रिटेन, बर्मा	
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा	
रूमानिया, सोवियत संघ	
श्रीलंका, फिनलैंड	
टर्की, अफगानिस्तान	
सूडान, पश्चिम जर्मनी	

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए योजना कक्ष बनाने की मांग

6252. श्री पी० गंगा रेड्डी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से संसद सदस्यों ने योजना आयोग में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक योजना कक्ष बनाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

केन्द्रीय औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा आसाम सरकार की निन्दा किया जाना

6253. **श्री एम० एम० पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को दिये गये एक ज्ञापन में केन्द्रीय उद्योग मंत्री श्री मोइनुल हक चौधरी के विरुद्ध उनके द्वारा कच्छार जिले आदि में प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमों के बारे में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके राज्य सरकार की निन्दा करने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : कोई ज्ञापन जैसा कि बताया गया है, असम सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को मई, 1971 के प्रथम सप्ताह में श्री मोइनुल हक चौधरी द्वारा दिये गये तथाकथित कुछ वक्तव्यों के बारे में एक पत्र भेजा था जो उन्होंने राज्य के दौरे के समय में दिये थे और उसके साथ एक प्रेस नोट की प्रतिलिपि भेजी थी, जो सरकार द्वारा जारी की गई थी । इस विषय पर श्री चौधरी के विचार मांगे गये हैं ।

'रेडियो सिलोन' की ओर बकाया रायल्टी

6254. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रेडियो सिलोन' की ओर भारतीय फिल्म उद्योग की रायल्टी की लाखों रुपए की राशि बकाया है;

(ख) रेडियो सिलोन की रायल्टी कब से बकाया है; और

(ग) उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) : सरकार या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को इस बात की जानकारी नहीं है कि रेडियो सीलोन की ओर भारतीय फिल्म निर्माताओं की रायल्टी की कितनी राशि बकाया है, क्योंकि आवक भुगतानों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । तथापि, साऊथ इण्डियन फिल्म चेम्बर आफ कामर्स, मद्रास ने सूचित किया हैं कि रेडियो सीलोन की वाणिज्यिक सेवा की ओर 2 दिसम्बर, 1966 से लेकर 30 जून,

1971 तक की अवधि की 1,45,125 रुपए की राशि बकाया है। रेडियो सीलोन की राष्ट्रीय सेवा की ओर निर्माताओं की बकाया राशि की सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त से निवेदन किया है कि वह बकाया राशि के शीघ्र भुगतान के लिए सहायता करें।

इण्डियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, बम्बई ने सरकार को सूचित किया है कि सितम्बर, 1969 के बाद की अवधि की रायलटी अभी बकाया है और रेडियो सिलोन ने उनको यह आश्वासन दिया है कि वह बकाया राशि का भुगतान शीघ्र कर देगा।

आकाशवाणी के फार्म तथा होम यूनिटों में लिपिकार

6255. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीनियर ग्रेड के अनेक लिपिकार दिल्ली केन्द्र सहित आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के फार्म तथा होम यूगिटों में गत अनेक वर्षों से तदर्थ आधारों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और प्रत्येक व्यक्ति कितने समय से कार्य कर रहा है; और

(ग) इन पदों को नियमित आधारों पर न भरने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग) : दिल्ली केन्द्र सहित आकाशवाणी के केन्द्रों की फार्म तथा गृह यूनिटों में सीनियर ग्रेड के19 स्क्रिप्ट लेखक हैं। उनका सेवाकाल एक वर्ष से कम से लेकर चार वर्ष तक निम्न प्रकार है:—

एक वर्ष से कम	—	5
दो वर्ष से कम	—	9
तीन वर्ष से कम	—	4
चार वर्ष से कम	—	1

ये सभी व्यक्ति नियमित आधार पर चयन करने के बाद नियुक्त किये गये हैं। तथापि, इनको लघु अवधि करारों पर इसलिए जारी रखा जा रहा है क्योंकि फार्म तथा गृह यूनिटों में स्टाफ के ढांचे के बारे में विशेषकर स्क्रिप्ट लेखकों के सन्दर्भ में पुनर्विलोकन किया जा रहा है। इस बारे में निर्णय शीघ्र लिये जाने की सम्भावना है। यदि इन पदों को लम्बी अवधि के लिये रखने का निर्णय लिया गया तो पदधारियों को अन्य नियमित स्टाफ आर्टिस्टों की तरह लम्बी अवधि के करारों पर रखने पर विचार किया जायेगा।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन थुम्बा (केरल) में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार

6256. श्री बयालार रवि : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में स्थानीय लोगों द्वारा जिनको उक्त संगठन से रोजगार का विशिष्ट आश्वासन देकर निष्कासित किया गया था, द्वारा आन्दोलन चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। राज्य सरकार के अधिकारियों के सहयोग से एक मान्य हल खोज लिया गया था तथा अब आन्दोलन वापिस ले लिया गया है। बेदखल किये उन लोगों को जिनके पास आवश्यक अर्हतायें तथा अनुभव हैं, रोजगार देने में भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विशेष रूप से रियायत की जाती है। क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या अधिक नहीं थी, अतः बेदखल किये गये लोगों में से उन लोगों को जो काम के लायक हैं, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के यूनिटों में भविष्य में नौकरी पाने में सहायता देने के उद्देश्य से इस सगठन द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चालू करने का सुझाव भी दिया गया है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन थुम्बा (केरल) में अभ्यर्थियों का चयन

6257. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कुप्रथाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) : सामान्य प्रकृति की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा उनकी जांच करने पर, एक शिकायत को छोड़कर, जिससे सम्बन्धित कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है, शेष किसी में कोई सच्चाई नहीं थी।

कोचीन के लिये 'आटो ऐक्सचेंज' प्रणाली

6258. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नगर कोचीन के तेजी से विकास के कारण वहां पर तीव्र गति वाली अन्तर-संचार व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) क्या कोचीन स्थित 'आटो एक्सचेंज' प्रणाली में अल्वार्ट नगर को भी शामिल करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोचीन के समस्त इलाके में अन्तर संचार व्यवस्था आटोमैटिक डायलिंग के माध्यम से पहले ही मौजूद है, जो अन्तर-संचार का तीव्रगामी तरीका समझा जाता है।

(ख) जी नहीं। अलवाय कोचीन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां एक अलग ही टेलीफोन प्रणाली काम कर रही है। यह कोचीन टेलीफोन प्रणाली का एक भाग नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जलपाईगुड़ी जिला (पश्चिम बंगाल) में राइफलों और गोलियों का बरामद किया जाना

6259. श्री मल्लिकार्जुन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने 9 जुलाई, 1971 को जलपाइगुड़ी जिले में कोतवाली पुलिस थाने के क्षेत्र में दो डलाकों से पाकिस्तानी आयुध कारखाने के चिन्ह वाली दो राइफलें और 50 गोलियां बरामद की हैं ;

(ख) क्या गोपास्तापाड़ा स्थित शरणार्थी कैंप के निकट एक खेत में से भी बन्दूक आदि खोद कर निकाली गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

देश में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

6260. श्री विक्रमचन्द महाजन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गत चार महीनों में पाकिस्तान के कितने जासूस गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में पाकिस्तान के कितने कितने जासूस गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) क्या कुछ जासूस पुलिस अभिरक्षा से भाग गये हैं ;

(घ) वे किन परिस्थितियों में भागे हैं ;

(ङ) उनको पुनः गिरफ्तार करने तथा उनके निकल भागने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) भारत में पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ को रोकने तथा उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखने तथा उनको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) : राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार इस वर्ष मार्च से जून तक के महीनों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मैसूर, नागालैंड राज्यों और अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दिल्ली, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीव मिनीकाय व अमिनदीवी द्वीपसमूह, मणिपुर तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में कोई भी संदिग्ध पाकिस्तान जासूस गिरफ्तार नहीं किया गया है। शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्रत्याशित है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(च) जासूसों का पता लगाने तथा उनसे निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

परमाणु और अन्तरिक्ष अनुसंधान के शान्तिपूर्ण उपयोग के लिए पश्चिम जर्मनी के साथ संयुक्त खोज करना

6261. श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : क्या **परमाणु ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परमाणु और अंतरिक्ष अनुसंधान का शान्तिपूर्ण उपयोग करने हेतु संयुक्त खोज करने के लिए हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों का एक दल पश्चिम जर्मनी गया था ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी के साथ कोई करार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : परमाणु ऊर्जा के शांतिमय अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए पश्चिमी जर्मनी की सरकार तथा भारत सरकार के बीच बात-चीत चल रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे तेल का मूल्य बढ़ाये जाने का समाचार

श्री वयानार रवि (चिरयिकील) : मैं पेट्रोलियम और रसायन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा आयात किये जाने वाले कच्चे तेल का मूल्य बढाने के उनके कथित प्रयास"

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : 28 मई, 1971 को मैने अशोधित तेल के दर्ज किये गये मूल्यों तथा कर की दर में वृद्धि करने के लिए पेट्रोलिदम निर्यात करने वाले देशों की संस्था द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही से माननीय सदस्यों को अवगत कराया था, जिसके परिणासस्वरूप पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों की संख्या तथा तेल कम्पनियों के मध्य 14 फरवरी, 1971 को तेहरान समझौते पर हस्ताक्षर हुए । इसके परिणामस्वरूप, तेल कम्पनियों ने अपने अशोधित तेल के मूल्यों में प्रथम बार 1-12-70 को, दूसरी बार 15-2-71 को तथा तीसरी बार 1-6-71 को वृद्धि की । इस प्रकार बर्मा शैल तथा कालटैक्स द्वारा सप्लाई किये जाने वाले आधाजारी अशोधित तेल के प्रति बैरल मूल्य में 40 सेण्ट्स और एस्सो कम्पनी द्वारा सप्लाई किये जा रहे अरेबियन मिश्रित अशोधित तेल के प्रति बैरल मूल्य में 41 सेण्ट्स की कुल वृद्धि की गई । मैंने, उस समय सदन को अवगत कराया था कि सरकार ने तेल कम्पनियों को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि करों एवं रायल्टी की समस्त वृद्धि के भार को तेल कम्पनियों द्वारा हम पर हस्तांतरित किये जाने में पर्याप्त औचित्य दृष्टिगोचर नहीं होता । तथापि सरकार ने, देश के औद्योगिक विकास पर किसी प्रकार का

कुप्रभाव नहीं पड़े, इस विचार से अधिक मूल्यों पर अशोधित तेल के आयात की अस्थाई रूप में अनुमति दी ।

बर्मा शैल ने 5 जुलाई, 1971 को सरकार को सूचित किया कि 15 जुलाई, 1971 से उनके आधाजारी अशोधित तेल के मूल्य में प्रति बैरल 1.68 डालर से 1.73 डालर तक और वृद्धि की जायेगी । 6 जुलाई, 1971 को कालटैक्स ने भी इसी प्रकार की सूचना (नोटिस) दी थी कि उनके द्वारा मूल्य में की गई वृद्धि 18 जुलाई, 1971 से लागू होगी । 5 जुलाई, 1971 को एस्सो ने भी इसी प्रकार की सूचना (नोटिस) दी थी कि 10 जुलाई, 1971 से अरेबियन मिश्रित अशोधित तेल के मूल्य में प्रति बैरल 1.66 डालर से 1.70 डालर तक वृद्धि होगी ।

तेल के मूल्यों में की गई पूर्ववृद्धियों, जो तेहरान समझौते के अनुसरण में तेल कम्पनियों द्वारा न्यायसंगत समझी गई थी, की भांति यह अन्तिम वृद्धि थी, उनके विचार से विश्व में अशोधित तेल के प्रचलित मूल्यों में हुई और वृद्धि के आधार पर न्यायसंगत है ।

यह एक नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार, विश्व बाजार में इस समय, अशोधित तेल के लिए जा रहे मूल्यों की ध्यान में रखते हुए स्थिति की जांच कर रही है । इस बीच में हम 1-6-71 को प्रचलित मूल्यों पर, आयात के लिए विदेशी मुद्रा दे रहे हैं ।

श्री वयालार रवि : विदेशी कम्पनियों ने 8 महीनों में मूल्यों में चौथी बार वृद्धि की है । दुर्भाग्य से हम उनको तदर्थ आधार पर प्रोत्साहन देते रहे हैं । ये कम्पनियां हमारे विकास कार्यों में बाधा डालने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही करती हैं । मन्त्री महोदय को अपने मन्त्रालय के अधिकारियों को उचित निर्देश देने चाहियें । हम प्रति वर्ष 120 लाख टन कच्चे तेल का आयात करते हैं और अनुमानों के अनुसार यह मात्रा चौथी योजना के अन्त में 240 लाख टन और पांचवी योजना के अन्त में 420 लाख टन हो जायेगी । यदि हम वर्तमान वृद्धि को स्वीकार कर लें तो वर्ष 1974 में हमारी विदेशी मुद्रा के खर्च में 103 करोड़ रुपये की और वृद्धि हो जायेगी । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या वह अशोधित तेल सम्बन्धी आयात करार पर फिर से विचार करेंगे और क्या वह इसको रद्द कर देंगे या अपना नाम वापिस लेंगे ? ये विदेशी कम्पनियां स्थिति का अनुचिति लाभ उठा रही हैं और पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का यह कर्त्तव्य है कि वह इस बात का पता लगाये कि क्या अपने देश में कच्चे तेल के संसाधनों का पता लगाया जा सकता है ? वर्ष 1968 की प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में भी सरकार से यही मांग की गई थी । रुस्तम क्रूड का नमूना इण्डियन इन्स्टीच्यूट आफ पैट्रोलिय, देहरादून को चिकनाई तत्व का विश्लेषण करने के लिए भेजा गया था । परन्तु उसकी रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस रिपोर्ट को क्यों प्राप्त नहीं कर रही हें ? एक ओर हम रुस्तम क्रूड के आयात के बारे में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं और दूसरी ओर बरौनी में 30 लाख टन वाला यूनिट बैकार पड़ा है । इसके परिणामस्वरूप सरकार को प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये की हानि हुई है । ये विदेशी कम्पनियां स्थिति का अनुचित लाभ उठा रही हैं, परन्तु बरौनी में हमारी क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है । इस मन्त्रालय ने वहां बहुत गड़बड़ी कर रखी है और यह उसी का परिणाम है ।

संयुक्त अरब गणराज्य के साथ बातचीत करने के लिए श्री कश्यप को भेजा गया था, परन्तु वहां की सरकार ने उनके साथ बातचीत करने से इन्कार कर दिया । मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में शान्ति-

लाल शाह समिति के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करेंगे ? इस चुनौती का सामना करने का यही उपाय है।

श्री पी० सी० सेठी : माननीय सदस्य ने पूछा है कि हम कच्चा तेल बाजार के मूल्य के अनुसार न खरीद कर दर्ज मूल्यों के अनुसार क्यों खरीद रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम दर्ज मूल्यों पर कच्चा तेल नही खरीदते हैं। दर्ज मूल्य उत्पादक देशों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं जिससे वह तेल कम्पनियों से कर वसूल कर सकें। उत्पादक देशों द्वारा इस आधार पर कच्चे तेल के मूल्य निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने कर भी 50 से 55 प्रतिशत बढ़ा दिया है। कच्चे तेल का दर्ज मूल्य लगभग 1.91 डालर था, परन्तु 1 जून 1971 से उसे 2.27 डालर कर दिया गया है, परन्तु इस वृद्धि के बावजूद हम 1.68 डालर की दर से कच्चा तेल प्राप्त कर रहे हैं। अतः दर्ज मूल्यों का उपयोग केवल रायल्टी और कर प्राप्त करने के लिये किया जाता है। इस प्रकार दर्ज मूल्यों और बाजार मूल्यों का कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि कम्पनियों द्वारा दावा किया जाता है।

यह भी सोचना गलत है कि तीन अधिकारियों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप विदेशी तेल कम्पनियों ने मूल्यों में वृद्धि की है। मूल्य वृद्धि का कारण यह है कि उत्पादन देशों का इन कम्पनियों के साथ समझौता हुआ है जिसके अनुसार उन्होंने दर्ज मूल्यों में वृद्धि की है और उन्होंने कर भी बढ़ा दिया है। इस कारण तेल कम्पनियों को उत्पादक देशों को 40 सेंट अधिक देने पड़ते हैं। उन्होंने इस वृद्धि को भारत के उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। हमारा तर्क यह है कि सारा बोझ हम पर नहीं डाला जाना चाहिये। पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, यद्यपि शान्तिलाल शाह समिति की सिफारिशों में लिखा है कि प्रत्येक 10 सेंट की वृद्धि पर पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में 4 प्रतिशत वृद्धि की जाये। सरकार ने निर्णय किया है कि पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में 8 प्रतिशत वृद्धि की जाये। इस प्रकार मूल्यों में वृद्धि 40 सेंट के बराबर न होकर 20 सेंट के बराबर होगी। परन्तु देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिक उत्पादन में कोई बाधा न पड़ने देने के लिये हमने निर्णय किया है कि इस सम्बन्ध में अस्थायी भुगतान किया जाये।

परन्तु अब जो नोटिस दिया गया है उसका उत्पादक देशों के करार के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है। कम्पनियों का दावा है कि विश्व में अशोधित तेल का मूल्य बढ़ गया है। हमने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। हम 1 जून को प्रचलित मूल्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा का भुगतान कर रहे हैं।

रुस्तम क्रूड का प्रयोग बरौनी या हल्दिया में किया जायेगा। परन्तु रुस्तम क्रूड के प्रयोग के लिये इन तेल शोधक कारखानों में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। हम रुस्तम क्रूड को रूमानिया, फ्रांस में सी० एफ० पी० को उसी मूल्य पर बेच रहे हैं जिस पर हम दूसरा कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अतः उसमें कोई घाटा नहीं हो रहा है।

श्री वयालार रवि : कोचीन तेल शोधक कारखाने में उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता ?

श्री पी० सी० सेठी : वहां भी परिवर्तन किये बिना इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जहां तक मूल्य की बात है, हमें कोई घाटा नहीं हो रहा है। जहां तक श्री कश्यप का संयुक्त अरब गणराज्य के साथ बातचीत करने का सम्बन्ध है, उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही है। हमें वहां

के कच्चे तेल का नमूना मिल गया है और उसकी जांच की जा रही है। यदि इसको उपयुक्त पाया गया तो इसके प्रयोग के बारे में आगे कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक राष्ट्रीयकरण और मंत्रालय में सुधार करने का सम्बन्ध है, कई प्रकार की जांच और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। ये जाँच पूरी हो जाने पर जिम्मेदारियां निश्चित की जायेंगी और आगे कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव (महेन्द्रगढ़) : किन देशों की तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल के मूल्य बढ़ाने के सम्बन्ध में संयुक्त रूप से कार्यवाही की है ? क्या भारत और इन तेल कम्पनियों के बीच हर करार में कोई कोई ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार उन्हें अपनी मनमानी से मूल्य बढाने से रोका जा सके ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस करार को तत्काल रद्द कर देगी ? क्या यह वृद्धि अन्य देशों में भी की गई है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक तेहरान करार का सम्बन्ध है, उसमें मध्य-पूर्व के 7 देश शामिल है। कुछ अन्य देशों में भी जो इस करार में शामिल नहीं है, कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस करार पर ईरान; इराक, अबू, डाली, कुवैत, सऊदी अरब और कतार के हस्ताक्षर हैं। हमारे देश में इस समय 74 लाख टन कच्चा तेल पैदा होता है, 120 लाख टन का आयात किया जाता है। देश में अन्य स्थानों पर तेल का पता लगाने के लिये हमारे प्रत्यन जारी हैं। यह सम्भव है कि कुछ देशों को कच्चा तेल कम मूल्य पर दिया जा रहा हो।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मंत्री महोदय के कथनानुसार हम निःसहाय अवस्था में है क्योंकि हमारे देश में कच्चे तेल का उत्पादन मांग की अपेक्षा बहुत कम है। देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये समुद्र तट से दूर ड्रिलिंग आदि का हमारा कार्यक्रम क्या है और उससे उत्पादन में कितनी वृद्धि होने के अनुमान है ? हमें पता चला है कि जापान इन कम्पनियों के दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सका है। अतः क्या हम भी उन्हीं तरीकों को नहीं अपना सकते थे।

श्री पी० सी० सेठी : हमें आशा है कि वर्ष 1973-74 तक हमारा उत्पादन लगभग 90 लाख टन हो जायेगा। यह मात्रा एक करोड़ टन तक भी पहुंच सकती है। हमारा अधिकतम लक्ष्य इतना ही है।

एलियाबेट में तट से दूर ड्रिलिंग का काम चल रहा है इसके साथ बम्बई हाई में तट से दूर ड्रिलिंग का काम भी आरम्भ किया जा रहा है जहां बहुत अधिक तेल होने की सम्भावना है। यदि हमें वहां से अच्छी किस्म का तेल मिल गया, तो स्थिति बिल्कुल बदल जायेगी। अन्दमान और निकोबार क्षेत्र में भी तेल मिलने की काफी सम्भावना है। अतः सब प्रकार से प्रयत्न किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में भी तेल की खोज जारी है और वहां भी तेल के काफी निक्षेप मिलने की सम्भावना है। जहां तक अन्य संसाधनों का सम्बन्ध है हम संयुक्त अरब गणराज्य से प्राप्त नमूने की जांच कर रहे हैं। कुछ अन्य देशों के साथ भी इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही हैं जिनका इस समय नाम बताना मैं उचित नहीं समझता।

जहां तक जापान का सम्बन्ध है, उनकी खपत लगभग 20 करोड़ टन है और सम्भव है कि उन्होंने गुप्त रूप से कुछ रियायत प्राप्त कर ली हो।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : ये विदेशी तेल कम्पनियां बारबार और अनधिकृत रूप से मूल्यों में वृद्धि क्यों कर रही है ? स्थिति यह है कि कच्चे तेल की मांग में विश्वव्यापी आधार पर 5 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हो रही है जबकि उत्पादन में 10 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि हो रही है। इसके हिसाब से कच्चे तेल के मूल्य में कमी होनी चाहिये। परन्तु हमारे देश में इसके मूल्य में निरन्तर वृद्धि की जा रही है।

इस स्थिति का स्पष्टीकरण करना होगा और इस सन्बन्ध में पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को इस सभा को पुनः आश्वासन देना होगा।

दूसरे मंत्री महोदय ने कहा है कि तट से दूर खोज के फलस्वरूप तथा ईरान के साथ सहयोग से देश को कच्चा रुस्तम तेल प्राप्त हुआ है परन्तु विदेशी तेल शोधक कारखानों ने इसे तकनीकी आधार पर अस्वीकार कर दिया है तथा इसे अब कहीं और भेजा जा रहा है, अब यह तेल अन्य देशों को किस मूल्य पर भेजा जा रहा है तथा तेल कम्पनियां हम से कितनी कीमत वसूल कर रही हैं ? क्या इन दोनों कीमतों में कोई अन्तर है ? यदि अन्तर है तो उन कम्पनियों से इस मूल्य में कमी करने को क्यों नहीं कहा जाता ?

मुझे मालूम है कि जब हमारी सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारियों के पास यथोचित तकनीकी जानकारी नहीं थी तो विदेशी तेल कम्पनियों के साथ वर्ष 1951 में इस करार के अधीन ये विदेशी तेल कम्पनियां हम पर छा गईं तथा जिन कम्पनियों को हमने आयात की अनुमति देनी थी उनकी क्षमता लगभग 20 लाख टन थी। तब से उन्होंने अपनी क्षमता को तिगुना-चौगुना बढ़ा लिया है। तो क्या अब हम उन्हें इतना अधिक आयात करने की अनुमति देने को बाध्य हैं या उन पर अपनी शर्तें लगाने में समर्थ हैं ?

इसी दृष्टिकोण को लेकर तेल मूल्य समिति ने तेल के क्रय के लिये केवल एक एजेन्सी स्थापित करने की सिफारिश की थी ताकि तेल का आयात उसी एजेन्सी के माध्यम से किया जा सके। क्या सरकार कम से कम अब ऐसी एजेन्सी स्थापित करने के बारे में विचार करेगी ?

मंत्री महोदय के इस आश्वासन की दृष्टि से 15 विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और इसमें कुछ समय लगेगा; क्या तेल मूल्य समिति का सुझाव के अनुसार तेल आयोग की स्थापना के बारे में विचार किया जायेगा ताकि करारों के बारे में बातचीत करने का कार्य और अधिक तन्मयता से किया जा सके।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : मैं बता चुका हूँ कि मूल्यों में वृद्धि की वर्तमान स्थिति तेल उत्पादक देशों तथा तेल कम्पनियों के मध्य हुए तेहरान करार के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। इस करार के अनुसार तेल उत्पादक देशों द्वारा निर्धारित मूल्यों में तथा कर में वृद्धि की गई है तथा यह कुल वृद्धि लगभग 40 सैंट है। यह 40 सैंट की वृद्धि तेल उत्पादक देश तेल कम्पनियों से लेते हैं। अब तेल कम्पनियों ने विश्व में तेल के मूल्यों में आई कचाई के आधार पर 5-7 सैंट की जो वृद्धि करने को कहा है उसे हमने स्वीकार नहीं किया है।

जहां तक रुस्तम कच्चे तेल का सम्बन्ध है इन कम्पनियों द्वारा कुल 75 लाख मीटरी टन का आयात किया जा रहा है और रुस्तम तेल क्षेत्र से केवल 8 लाख मीटरी टन कच्चा तेल ही उपलब्ध है। जैसा कि मैंने कहा है, रुस्तम कच्चे तेल का उपयोग तेल शोध कारखाने के स्वरूप पर निर्भर करता है तथा केवल एक कम्पनी द्वारा रुस्तम तेल का उपयोग करने की बात

मान लेने से यह समस्या हल नहीं होती। रुस्तम कच्चे तेल का जो मूल्य हमें मिल रहा है वह हमारे द्वारा क्रय किये जा रहे अन्य कच्चे तेल के मूल्य के समान ही है।

माननीय सदस्य ने यह सही कहा है कि विदेशी तेल कम्पनियों ने अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर दी है। इस समय उनकी कुल क्षमता 77 लाख मीटरी टन है। हालांकि वे कहते हैं कि वे और सुधार करके अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं परन्तु सरकार उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं; लेकिन देश में तेल की आवश्यकता को देखते हुए तेल के उत्पादन में कमी करना अच्छा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा है—तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करारों, उनके राष्ट्रीयकरण तथा इक्विटी भागीदारों के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE : ADJOURNMENT MOTION

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had given notice of an adjournment motion.

Mr. Speaker : I have admitted a Calling Attention Notice on the subject.

Shri Atal Behari Vajpayee : The incidents in Assam as have been reported in the newspapers, are very serious. About ten people have been killed which include women also. It seems as if the Pakistani forces are attacking continuously. Five Tripura refugees have also been killed. Pakistanis are infilterating into Jammu and Mendhar areas. It was becaue of such serious devlopments that I have given notice of an adjournment motion. Kindly reconsider the question of its admissibility.

Mr. Speaker : I have already admitted a calling Attention Notice on this subject. Such incidents are not new or recent on our borders. This is a long and continuing process. So, the matter can be discussed through a calling Attention Motion which I have already admitted.

पुलिस द्वारा श्री कृष्ण हाल्दर के साथ किये गये कथित दुर्व्यवहार के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE RE : ALLEGED MIS BEHAVIOUR OF POLICE WITH SHRI KRISHNA HALDER

अध्यक्ष महोदय : श्री के० सी० हाल्दर द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के मामले के संदर्भ में श्री पन्त वक्तव्य देंगे।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : हमें पश्चिम बंगाल सरकार से यह जानकारी मिली है कि कलकत्ता की ओर से आने वाली एक कार की पुलिस ने 12 जुलाई, 1971 को दुर्गापुर में तलाशी ली और उसमें बैठे चार-पांच व्यक्तियों में से एक श्री कलाचन्द्र भट्टाचार्य के पास 9 इंच लम्बा एक चाकू मिला। उस कार में संसदसदस्य श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर भी थे। पूछने पर श्री कलाचन्द्र भट्टाचार्य ने बताया कि उक्त चाकू संसदसदस्य की रक्षा के लिये था। उन्हें पुलिस जीप में दुर्गापुर पुलिस स्टेशन ले जाया गया तथा श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर भी स्वयं अपनी कार में पीछे-पीछे आये। चाकू की बरामदगी की रिपोर्ट लिखी गई और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और सबको जाने दिया गया।

श्री कृष्ण हाल्दर (ओस ग्राम) : उन्होंने केवल पुलिस पक्ष की ही बात कही है जो कि एकदम झूठ है और निराधार है। मेरी कार कलकत्ता की ओर से नहीं आ रही थी। मैं ए.वी.बी.कालोनी का दौरा करना चाहता था जैसा कि मैंने 22 तारीख के अपने पत्र में भी बताया है। मैंने "स्टेट्समैन" के कलकत्ता संस्करण के सम्पादक को भी एक पत्र दिया था और 23 जुलाई को उसमें मेरा वक्तव्य प्रकाशित हुआ था। मेरा दिवेदन है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये। मन्त्री महोदय के वक्तव्य का मैं कड़ा विरोध करता हूँ जिसमें पुलिस पक्ष की झूठी और निराधार बात कही गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उन्होंने "स्टेट्समैन" में अवश्य ही अपना वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य का पूर्ण ब्यौरा मेरे पास नहीं है. परन्तु इसमें कहा गया है कि सारी घटना के बाद सम्बन्धित अधिकारी ने क्षमा मांग ली थी। जो जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुझे दी है, मेरे लिये वही अधिकृत है और उसे सभा के सामने रखना मेरा कर्त्तव्य है।

Shri Atal Behari Vajpayee : Now the whole matter should be referred to the Privileges Committee.

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : गिरफ्तारी की बात को उन्होंने अस्वीकार किया है। वर्ष 1970 में श्री कौशिक के मामले में यह बात सामने आई थी कि दूसरे पक्ष की बात की जानकारी भी मिलनी चाहिये। जहां तक अनादरपूर्ण व्यवहार तथा दुर्व्यवहार का सम्बन्ध है, उस समय निश्चय हुआ था कि सभा ही इस सम्बन्ध में निर्णय करेगी। अतः यह बात अब मैं सभा पर छोड़ता हूँ कि इसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जाये अथवा नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं विधिवत रूप से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।"

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे माननीय सदस्य का उक्त वक्तव्य मिल गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्यौरा दिया है "कि उक्त पत्र (16–17 जुलाई) को मुझे दुर्गापुर थाने ले जाया गया जहां मेरी कार की तलाशी ली गई और उसमें एक चाकू पाया गया। मुझे मेरे साथियों सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिट ने जिसका नेतृत्व एक ए. एस. आई. कर रहे थे और जो अवैध रूप से छंटनी किये गये कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने से रोकने के लिये एवीबी कालोनी की सीमाओं पर पहरा दे रही थी, मुझे गिरफ्तार कर लिया। चाकू सम्बन्धी कहानी गलत है। पूछताछ के बाद ओ. सी. ने हमें छोड़ दिया तथा इस घटना पर क्षमा मांगी।"

श्री एच० एन० मुकर्जी : अभी तक विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन श्री अतुलमोहन राय के मामले में किये गये निर्णय के अनुसार दोनों पक्षों के वक्तव्यों में परस्पर भेद होने के कारण यह मायला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये। हम इसका निर्णय नहीं कर सकते और न ही हम श्री पन्त के वक्तव्य को स्वीकार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पुराना निर्णय यह था कि अनादर तथा दुर्व्यवहार के बारे में यह सभा निर्णय करे। अब इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव भी पेश हो गया है अर्थात् अनादर और दुर्व्यवहार के बारे में, कि यह मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। जहां तक गिरफ्तारी

का सम्बन्ध है, विशेषाधिकार समिति इसके कानून-संगत होने अथवा न होने पर निर्णय नहीं कर सकती । इस सम्बन्ध में तो श्री मधु लिमये अदालत तक पहुँचे थे । अब सभा के सामने प्रस्ताव है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये । मैं समझता हूं कि सभा इसका अनुमोदन करती है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह तो सच है कि सदस्यगण इसका विरोध कर सकते हैं, परन्तु परम्परा यह रही है कि इसका कभी विरोध नहीं किया जाता क्योंकि विशेषाधिकार का मामला सारी सभा से सम्बन्धित होता है–**(व्यवधान)**

संसदीय-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : विशेषाधिकारों की रक्षा के प्रश्न का समर्थन करने में मेरा दल सर्वप्रथम है, परन्तु इस मामले में प्रश्न यह है कि "गिरफ्तारी" की बात को पुलिस ने नहीं माना है । दूसरा प्रश्न व्यवहार के बारे में है । यह देखते हुए भी कि बहुत से सदस्य इसके पक्ष में नहीं हैं तो भी हम प्रस्ताव करते हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाये ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : मेरा निवेदन है कि हम सामान्य प्रयोजन समिति के पूर्व निर्णयों द्वारा प्रतिबन्धित न रहें । हमें किसी मामले के गुण–दोष देखने चाहिये । हमें केवल किसी एक निर्णय से मार्गदर्शन नहीं ग्रहण करना चाहिये । फिर, हम यहां शपथ लेकर कार्य करते हैं अतः अब कोई सदस्य यहां वक्तव्य दे तो उसे सत्य मानना चाहिये तथा इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा तथा सदस्यों के विशेषाधिकारों को चाहे जिस रूप में नहीं ढाला जा सकता । वे तो वही रहेंगे जो पूर्व निर्धारित हैं । गिरफ्तारी के वैध या अवैध होने के बारे में सदस्यगण न्यायालयों का सहारा लेते रहे हैं । मानलीजिये कि आज आप गिरफ्तारी के बारे में कोई निर्णय लेते हैं और न्यायालय उसे किसी दूसरे रूप में स्वीकार करता है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है । अब दुर्व्यवहार तथा अनादर के सम्बन्ध में प्रश्न यह है :

"कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwer Prasad) : Sir, on behalf of Shri Moinul Haq Chaudhri I beg to lay the followiny papers on the Tabel:--

(1) A Copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Development Council for Paper, Pulp and Allied Industries for the year 1969-70 under sub-section (4) of section 7 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, **[Placed in Library. See No. L T 736/71]**

(2) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:--

(i) (a) Keview (Hindi and English versions) by the Government on the working of the Instrumentation Limited, Kota, for the year 1969-70.

(b) Annual Report (Hindi and English versions) of the Instrumentation Limited, Kota for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon [Placed in Library. See No L T 737/71]

(ii) (a) Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the National Instruments Limited, Calcutta, for the year 1969-70

(b) Annual Report of the National Instruments Limited, Calcutta, for the year 1969-70 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Aubitor General thereon. [Placed in Library. See No. L T 738/71]

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबंधों के अन्तर्गत ट्रामवेज कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश, 1971 (1971 का संख्या 10) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई, 1971 को प्रख्यापित किया गया था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 739/71**]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित बम्बई लोक न्याय अधिनियम, 1950 की धारा 84 की उपधारा (4) के अन्तर्गत बम्बई लोक न्यास (गुजरात संशोधन) नियम, 1971 की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 17 जन, 1971 में अधिसूचना संख्या जी एच/के/151 बी पी टी/रूल्स/8987/ई में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 740/71**]

(2) उपर्युक्त अधिसूचना के अंग्रेजी संस्करण के साथ-साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 741/71**]

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 11वां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राज-पत्र दिनांक 19 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 947 में प्रकाशित हुआ था। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 742/71**]

(2) (एक) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 15 जून, 1971 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (5) के अन्तर्गत पंजाब लोक सेवा आयोग (कृतियों की परिसीमा)

पहला संशोधन विनिमय, 1970, जो पंजाब सरकार राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 1970 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 30 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 743/71]

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना संसद के समक्ष रखने और अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 744/71]

विदेश-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत सूती वस्त्र (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो भारत के राजपत्र दिनांक 5 जून, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2199 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 745/71]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से सचिव के प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1971 को पारित किए गए गुजरात विनियोग विधेयक, 1971 के संबंध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकलपों संबंधी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

पांचवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वेल (स्वायतशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा विकल्पों संबंधी समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY-FOURTH AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : तीन सदस्यों ने विधेयक के विरोध में अपने नाम भेजे हैं। दो सदस्यों के नाम देर से मिले। अत: पहले वाले तीन सदस्यों को ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक सदस्य और वह भी एक मंत्री जिसने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली हो अथवा प्रतिज्ञान किया हो, क्या वह उसी के संशोधन के लिए विधेयक पेश कर सकता है ? क्या यह विधि-विरुद्ध नहीं है और क्या ऐसा करने पर दण्ड दिया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : यह विधेयक सदन की विधायी शक्ति से बाहर है, अतः मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 72 के परन्तुक के अधीन इसका विरोध करता हूं। और तो और इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कम करने का भी उपबन्ध रखा गया है। जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया कि अमुक निर्णय उच्चतम न्यायालय के बहुत कम बहुमत से लिया गया है, बहुत ओच्छी बात है। यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका में ठन जाये तो वह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। अनुच्छेद 368 के अधीन शक्ति सम्पूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य को तीसरे अध्याय में उल्लिखित अधिकार कम करने के लिए विधि बनाने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी कोई भी विधि शून्य मानी जाएगी। और इस विधेयक द्वारा मूल अधिकार कम हो जाएंगे, अतः यह भी शून्य हुआ।

में मूल अधिकार मूलभूत मानवाधिकार हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की बहुमत से रक्षा की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों की भी इसी प्रकार रक्षा की गई है। यदि एक बार बहुमत को यह अधिकार मिल गया तो पता नहीं तान कहां जा कर टूटे। अगर आज 'सम्पत्ति' में दोष पाया जाता है तो कल 'स्वातंत्र्य' में भी दोष ढूंढा जा सकता है। इसलिए क्या संसद् को लोकतंत्रीय प्रणाली बदल कर तानाशाही लाने की अनुमति दी जा सकती है ?

हमारे एक भूतपूर्व विधि मंत्री, माननीय श्री अशोक सेन ने श्री नाथ पाई के इसी प्रकार के विधेयक के बारे में कहा था कि इससे संविधान के स्थान पर संसद् को पूर्ण शक्ति मिल जाएगी और एक गैर-जिम्मेदार बहुमत वाली संसद् भी उसी मार्ग पर चलने लगेगी जिस पर जर्मनो में संसद् द्वारा हिटलरशाही कायम कर के चली थी। यही नाटक हाल ही में इण्डेनेशिया और घाना में दोहराया गया और यही हमारे यहां होने जा रहा है।

जहां विश्व-भर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं वहां हमारे यहां इन्हें कम करना प्रतिगामी कदम होगा।

हमारे यहां भी 1895 में ही मूल अधिकारों की परिकल्पना की गई थी। लोकमान्य तिलक ने ऐसे संविधान की परिकल्पना की थी जिसमें 'सम्पत्ति के अधिकार' की व्यवस्था थी।

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार, आपको अपनी बात केवल संक्षेप में ही कहने की अनुमति दी जा सकती है।

43 वर्ष पूर्व इसी विपक्ष से पं० मोतीलाल नेहरू ने गर्जना की थी कि हमें अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन न किए जाने की गारंटी दी जाए। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान में स्थायी हैं।

मूल अधिकार उप-समिति के 12 सदस्यों में से पांच अब भी जीवित हैं और उन सब की यही राय है कि इनमें कोई परिवर्तन न किया जाय।

दूसरी ओर से बड़े बहुमत की बात की जाती है और तथ्य यह है कि केवल 54·81 मतदाताओं ने मतदान किया और इनमें से केवल 43.64 प्रतिशत ने प्रधानमंत्री के दल को वोट दिए। इस प्रकार उन्हें 25 प्रतिशत से भी कम मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है।

संविधायी शक्ति केवल मतसंग्रह द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो प्राप्त नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री पी० के० देव : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सब द्वितीय और तृतीय वाचन के समय कह सकते हैं।

श्री पी० के० देव : इस सदन को चूंकि ऐसा विधेयक पास करने की शक्ति प्राप्त नहीं है अतः मैं इसका विरोध करता हूं।

Shri Atal Behari Vajpayee : Please give us an opportunity to discuss this Bill, as an hon. Member has pointed out that this is beyond the Legislative competence of this House. Under the Rules, if a Bill is opposed on this ground, the speaker can permit a full discussion thereon.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने इस पहलू पर विचार किया है। मुझे विश्वास हो गया है कि इस पर विचार करना कानूनी क्षमता के अन्तर्गत है।

Shri Atal Behari Vajpayee : This Bill has various aspects I can understand the fact of the ruling party being in a hurry to pass this Bill, but why should you not give us an opportunity to discuss it. If you are not going to allow us an opportunity, we leave the house.

(तत्पश्चात् अटल बिहारी वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

Shri Atal Behari Vajpayee and some other hon. members then left the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक यथा संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक
CONSTITUTION (TWENTY-FIFTH AMENDMENT) BILL

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक यथा संविधान (पच्चीसवां संशोधन विधेयक) को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक–यथा संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं, परन्तु प्रक्रिया के सिलसिले में मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

इस लोक सभा के पहले सत्र में ही मैंने एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था जिसका उद्देश्य यह था कि अनुच्छेद 368 को संशोधित करके संसद को संविधान के मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही इसके सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है। मैं इस व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री डी० डी० देसाई : मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने लिखित सूचना भी दी थी। मैं यह मामला भावी मार्ग निर्देशन के लिए उठा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं करता।

श्री समर गुह : माननीय सदस्य को महत्वपूर्ण बात कहने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने इसकी सूचना आपको दे दी थी, अतएव इस तरह विधेयक पुरःस्थापित करना गैर-कानूनी होगा। आपको उनके साथ न्याय करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री डी० डी० देसाई : जब यह माना जाता है कि यह संसद संविधान की उपज है, तब क्या बच्चा मां को बदल सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : कितनी अजीब बात है ! कृपया बैठ जाइये। आप माननीय सदस्य को बोलने क्यों नहीं देते ?

श्री फ्रैंक ऐन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैंने जानबूझ कर संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव का विरोध करने के आशय की सूचना नहीं दी थी, चूंकि कुछ परिस्थितियों में.. .... **व्यवधान**

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए–

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य को सुनिये, जो बहुत पुराने और प्रतिष्ठित सदस्य हैं।

एक माननीय सदस्य : पुराने तथा नाम निर्देशित। **(व्यवधान)**

श्री फ्रेंके ऐन्थनी : मैंने ऐसे ओच्छे उपहास सुने हैं।

** मैं कतिपय परिसीमाओं के साथ संसद को संविधान में संशोधन करने देने की शक्ति देने के पक्ष में हूं।

परन्तु मैं केवल गोलकनाथ के मामले पर दिये गये मुख्य नोट 'ई' की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने बहुमत की ओर से कहा है कि संसद अनुच्छेद 368 का संशोधन करके संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। यदि हम यह विधेयक पास करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि सदन के बहुमत का एक विचार होगा और उच्चतम न्यायालय के बहुमत का दूसरा विचार होगा। अतः मेरा मत है कि अच्छा होता यदि हम उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहते। मैं पच्चीसवें संशोधन विधेयक पर आपत्ति करता हूँ।

यह मान लिया जाय कि संविधान के अनुच्छेद 368 और 13 के संशोधन द्वारा संसद को मूलाधिकारों में संशोधन करने की शक्ति मिल जायेगी तो मुझे आपत्ति यह है कि इससे न केवल अनुच्छेद 31 के सम्पत्ति अधिकार को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जायगी अपितु इसके द्वारा अनुच्छेद 14 और 19 का संशोधन करने की शक्ति भी प्राप्त हो जायगी। मेरी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि परिणामतः आपने अल्प संख्यकों के महत्वपूर्ण अधिकारों को समाप्त कर दिया है।

संविधान के निर्माताओं ने सोच-समझ कर संविधान में मूलाधिकारों वाले अध्याय तीन को पृथक रखा है। उन्होंने 'मूलभूत' शब्द का प्रयोग किया है। भारत के एक भूतपूर्व प्रसिद्ध मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ताकत के भूखे राजनीतिज्ञों से मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 में सात स्वतन्त्रताएं दी गई हैं। विधि मन्त्री जानते हैं कि वे न्यायोचित प्रतिबन्धों के अध्यधीन हैं। इसी कारण सरकार जमींदारी समाप्त कर सकी है।

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधेयक के पुरः स्थापन का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि यह सदन की विधायी क्षमता के बाहर है। माननीय सदस्य विधेयक के गुणावगुणों की चर्चा कर रहे हैं और विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

श्री फ्रेंक ऐन्थनी : मैं यह कहना चाहता था कि यह केवल अनुच्छेद 38 का संशोधन करने के उद्देश्य से लाया गया है। मेरा मत है कि यह सदन की कानूनी शक्ति के बाहर की बात है।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordred by the Chair.

श्री अमृत नाहटा : संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : संविधान के निर्माताओं ने हमें सात मूलभूत स्वतन्त्रताएं प्रदान की। जहां तक नये अनुच्छेद 31 (2) का सम्बन्ध है, इसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कानूनी अधिकार से सम्पत्ति अधिगृहीत की जा सकती है। ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि न्यायालय को संतुष्ट किया जाये कि अधिग्रहण सार्वजनिक हित में किया जा रहा है। यदि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाय तो न्यायालय तुरन्त कह देगा कि 'नहीं, यह सार्वजनिक प्रयोजन नहीं है।" नकद मुआवजा न दिये जाने पर भी मुझे आपत्ति नहीं है।

मेरी सबसे बड़ी आपत्ति अनुच्छेद '31 सी' के बारे में है, यह बहुत ही खतरनाक उपबन्ध है। इस उपबन्ध से संविधान का मूलभूत स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। इस उपबन्ध के अन्तर्गत यदि, सरकार घोषणा कर दे कि अमुक सारी सम्पत्ति सार्वजनिक हित के लिए अधिगृहीत की जा रही है तो उस स्थिति में न्यायालय का भी दखल नहीं रहता। सरकार सभी विधान मण्डलों को किसी की सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए पूर्ण लाईसेंस दे रही है। अनुच्छेद 39 (ख) के अन्तर्गत वह किसी को भी सम्पत्ति से वंचित कर सकते हैं।

मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि सरकार किस प्रकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नष्ट करने जा रही है। प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। मैंने सर्वोच्च न्यायालय में गो-हत्या के कई मामलों की पैरवी की। सरकार ने तर्क दिया कि निदेशक सिद्धांतों के अनुसार वह पशुधन का संरक्षण कर सकती है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निदेशक सिद्धांत मुसलमान कसाइयों के मूल अधिकारों को निष्प्रभावी नहीं कर सकते हैं। जिन राज्यों ने मुसलमानों को उनका धन्धा न करने देना चाहा था वे इस कानून को, अनुच्छेद 39 (ख) के अनुसार भारत के पशुधन का संरक्षण करने के लिये पुनः सक्रिय बना देंगे।**

श्री अमृत नाहटा : वह उसी पुरानी "फूट डालो और राज करो" वाली नीति पर चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं नहीं समझता कि वह क्या कह रहे हैं..... कोई ओच्छा उपहास होगा।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : हम श्री एंथनी का भाषण बड़े सम्मानपूर्वक और संयम से सुन रहे हैं, परन्तु उन्होंने 'ओच्छा उपहास' जैसे शब्द कह कर अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरुपयोग किया है **

ये दोनों शब्द कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिये जाने चाहियें।

श्री रामसहाय पांडे (राजनंद गांव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या यह सभा मूल अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है? माननीय सदस्य सर्वोच्च न्यायालय के व्यावसायी वकील हैं। वह यहां संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच फूट डाल रहे है (व्यावधान) **

** अध्यक्षपीठ के आदेसानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as Ordered by the Chair.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अधिक विस्तारपूर्वक न बोलें।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं अभी दो मिनट में यह बताऊंगा .. ...(**व्यवधान**) श्रीमान् मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। अनुच्छेद 26 और 30 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? (**व्यवधान**)

श्री रामसहाय पांडे : गरीब लोग इनसे अधिक महत्व रखते हैं **

श्री फ्रैंक एंथनी : अनुच्छेद 26 और 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों को अनुच्छेद 31 (ग) के द्वारा मिटा दिया जायेगा।

केरल शिक्षा विधेयक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निदेशक सिद्धान्तों के अनुसरण में ईसाई और आंग्ल-भारतीय स्कूलों को अधिकार में नहीं लिया जा सकता। परन्तु अब क्या करने जा रहे हैं···

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : अध्यक्ष महोदय, मै नियम 72 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। श्री फ्रैंक एंथनी, यदि विधेयक का विरोध कर रहे हैं तो वह विधेयक के गुण दोषों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं और यदि वह यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस विधेयक के विरुद्ध है तो ठीक है परन्तु विधेयक के इस चरण पर कहना कि मूल अधिकारों का संशोधन विभिन्न दशाओं में हानिकर होगा, ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन, आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक है।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 380 के अन्तर्गत है। माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एंथनी का वह कथन कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये जिससे सामुदायिकता भड़कती हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से धैर्य रखने का अनुरोध करता हूं। वह अभी एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर लेंगे।

श्री फ्रैंक ऐंथनी : केरल शिक्षा विधेयक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि निदेशक सिद्धान्तों के नाम से कोई प्राधिकारी अल्प संख्यकों की शिक्षा संस्थाओं का स्वामित्व प्राप्त नहीं कर सकता परन्तु अनुच्छेद 39 (ख) के अनुसार, सरकार पुनर्वितरण के लिए सभी शिक्षण साधनों का स्वामित्व स्वयं प्राप्त कर सकती है। आंग्ल-भारतीय स्कूलों को ले सकती है, ईसाई स्कूलों को ले सकती हैं और मुस्लिम और सिख स्कूलों के स्वामित्व को अपने नियंत्रण में ले सकती है, और उन्हें बदले में 30 लाख रुपये के स्थान पर 3 रुपये ही दे सकती है।

श्री राज बहादुर : क्या उनके द्वारा प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकला दिया गया है।

श्री फ्रैंक ऐंथनी : मैने ऐसे कौन से शब्द इस्तेमाल किये थे ?

श्री राज बहादुर : मानयीय सदस्य ने कहा था। ** उन्होंने कहा था "ओच्छा उपहास"

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as Ordered by the Chair.

श्री फ्रैंक ऐंथनी : माननीय सयस्य मुझे नाम निर्देशित सदस्य कह कर मेरा मजाक उड़ा रहे थे मुझ में कहीं अधिक प्रतिनिधित्व क्षमता है। ** **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस सभा के अधिकांश सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुँची हैं अतः उस विशेष भाग को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री फ्रैंक ऐंथनी : क्यो ? ** सरकार सिक्खों, आंग्ल-भारतीयों, ईसाइयों आदि के सभी अधिकार समाप्त कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस विशेष भाग को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमारे दल ने सदैव अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है। माननीय सदस्य को उत्तेजित नहीं होना चाहिये। यदि देश में अल्प संख्यकों को कष्ट है तो उसका कारण विशाल आर्थिक समस्यायें हैं। अल्प संख्यक वर्गों में गरीब हैं तो धनी भी हैं। हम सभा को आश्वासन देते हैं कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा उनके लिये हम सदैव लड़ेंगे।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं निवेदन करता हूं कि जब तक संविधान (चौबीसवां संशोधन) विधेयक पारित नहीं किया जाता है और कानून की किताब में नहीं रखा जाता है तब तक यह सभा संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित करने के लिये सक्षम नहीं है। विश्व के लोकतान्त्रिक देशों में कहीं ऐसा कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार का आदर न किया जाता हो। रूस जैसे साम्यवादी देश में भी मेहनत के फल के रूप में सम्पत्ति रखने का अधिकार है। हमारे संविधान के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार को नियंत्रण में रखा गया है।

वार्षिक वित्त विधेयक की यह विशेष बात है कि राजकोषीय उपायों से सम्पत्ति पर अधिक नियंत्रण करे। जब पर्याप्त उपबन्ध हैं तो सरकार लोगों को सम्पत्ति से वंचित करने के लिये शक्ति क्यों लेना चाहती है विशेषकर जबकि वह शक्ति न्यायोचित भी नहीं है।

मै अनुरोध करता हूं कि इस मामले को अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाये, अन्यथा विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक यह सभा इसके लिये सक्षम नहीं है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक यथा संविधान (पच्चीसवां संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री एच० आर० गोखले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the Chair

वित्त (संख्या--२) विधेयक, १९७१

FINANCE (No 2) BILL, 1971

अध्यक्ष महोदय : अब बिल (संख्य–2) विधेयक पर विचार किया जायेगा । इसके लिए 9 घण्टे का समय रखा गया है और लगभग एक घण्टा पहले ही इस पर विचार किया जा चुका है । श्री साल्वे ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्री नरेन्द्रकुमार साल्वे (बेतूल): पिछले दिन मैंने वित्त विधेयक से सम्बद्ध सीधे कराधान के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया था जिनकी कि इस सदन में कड़ी आलोचना की गई थी । मैंने तथ्यों और आंकड़ों का पूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था कि व्यापारिक लाभों पर करों आदि के बारे में जो छूट दी गई है, उसकी दर अनुसूची में उल्लिखित दर से कहीं कम है ।

अब मैं वित्त-विधेयक के प्रोत्साहन आदि को कम करने से सम्बद्ध प्रस्ताव के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । विकास छूट से सम्बद्ध प्रोत्साहनों को कम करने की कड़ी आलोचना की गई ।

मेरा विचार है कि जहां तक विकास छूट को वापिस लेने का प्रश्न है, इस पर विभिन्न मूल दृष्टिकोणों से शांतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये । कुछ लोगों ने यह विचार व्यक्त किया है कि विकास छूट की वापसी से निगमित क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे समूची अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा परन्तु इस सम्बन्ध में प्रथम विचारणीय बात यह है कि क्या 0 वर्ष की अवधि इस प्रकार की प्रेरणा के लिए काफी है या नहीं ? यदि 20 वर्षों में यह कर प्रेरणा अच्छी रही है तो अब इससे छुटकारा पाने का उपयुक्त समय है । वास्तविकता यह है कि यह बात किसी कर ढांचे में स्थाई रूप से नहीं चल सकती और न ही यह किसी प्रणाली का अभिन्न अंग बन सकती है । मैं समझता हूं कि 20 वर्ष का समय इस प्रयोजन के लिए काफी रहा है ।

दूसरी बात विकास छूट के सम्बन्ध में है । क्या यह औद्योगिक प्रगति के लिए अपरिहार्य है ? यदि यह तर्क दिया जाता है कि विकास छूट के फलस्रूप उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि उनमें कराधान की रियायती दर होती है जो कि अकेले ही विकास के लिए सहायक होती है । परन्तु इसे कदापि प्रोत्साहन का मामला नहीं कहा जा सकता । वे लोग दरों में संशोधन करने का तर्क प्रस्तुत कर, प्रोत्साहन को जारी रखना चाहते हैं । मेरा विश्वास है कि विकास का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है । जब तक विकास का सामाजिक न्याय के साथ समन्वय नहीं होता तब तक इसका कोई उचित उपयोग नहीं हो सकता ।

तीसरे महत्वपूर्ण पहलू का सम्बन्ध संयंत्र और यन्त्र से है । संयंत्र और यंत्र प्राप्त कर लेने के बाद विकास छूट का 75 प्रतिशत, जिसके लिए मांग करने का प्रयास किया गया है, उसे सांविधिक रूप से आरक्षित निधिलेख के रूप में स्थापित करना पड़ा । इसका लाभांश की घोषणा के प्रयोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । परन्तु यदि ऐसा न किया गया होता तो किसी भी प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जा सकता था । मैं समझता हूँ कि यदि इस प्रकार के प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया जाता है तो कई प्रकार के अन्य गतिशील और आधुनिक प्रोत्साहन

दिये जा सकते हैं इसके साथ ही यह सोचना कि उत्पादन की गति को तेज करने के लिए विकास छूट ही एक मात्र साधन हो सकता है, पूर्णतया गलत है।

छः उद्योग ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता समाप्त कर दी गयी है। वे हैं : पैट्रो रसायन, अल्यूमीनियम, सोडा एश, सीमेंट रीफ्रेक्टरियां, वाणिज्यिक गाड़ियां एवं आटोमोबाइल मोटर गाड़ियां। इन उद्योगों को अब उनकी कुल आय पर आठ प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत की कटौती मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उनको अब 50.6 प्रतिशत की बजाय 52.25 की दर से कर देना पड़ेगा। इस पर तो सम्भवतः किसी को आपत्ति नहीं होगी। परन्तु यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि प्राथमिकता का दर्जा समाप्त करने के लिए केवल इन छः उद्योगों को ही क्यों चुना गया है? मैं वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें इन छः उद्योगों के, विशेष रूप से जबकि अन्य उद्योगों को प्राथमिकता का दर्जा प्राप्त है, उनके मूलाधार पर विचार करना चाहिये। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में इस प्रकार कमी करनी अनिवार्य है ?

वैयक्तिक कराधान की दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। यद्यपि 15,000 रुपये से अधिक आय पर वैयक्तिक आयकर तथा अविभाजित हिन्दू परिवार के आयकर पर अधिभार की दर को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इस वृद्धि के बारे में अनेक भ्रांतियां है परन्तु वैयक्तिक कराधान के मामलों में प्रभावी दरों तथा अनुसूची में लिखित दरों में अधिक विषमता नहीं है।

इस बात के लिए वित्त मंत्री महोदय की कड़ी आलोचना की गई है कि उन्होंने कर दरों का निर्धारण इस प्रकार से किया है कि उससे धनी व्यक्ति की अपेक्षा गरीब व्यक्ति पर अधिक बोझ पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जनसंघ के सदस्यों ने यह आलोचना किस आधार पर की है। यदि आयकर तथा धनकर की दरों को उचित और प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित किया जाये तो सम्पूर्ण विषमतायें तुरन्त समाप्त कर दी जायेंगी। अब जो विषमतायें रह गई हैं, उनक मामला निश्चय ही चिन्तनीय है। समाजवादी समाज में अल्प-विशेषाधिकार प्राप्त पददलित, शोषित और पीड़ित लोग रहते हैं, परन्तु जैसे इस सम्बन्ध में हम गत कुछ वर्ष चुप रहे हैं, अब वैसी चुपी खतरनाक हो सकती है। मैं समझता हूं कि इस आधार पर कराधान में व्याप्त विषमताओं को निश्चय ही कम किया जाना चाहिये; चाहे इसके लिए हमें कठोर से कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़ें।

धन-कर में आठ प्रतिशत की वृद्धि करने का जो उपबन्ध किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु यह खेद की बात है कि वित्त मंत्री महोदय ने शहरी सम्पत्ति के धनकर में कोई वृद्धि नहीं की है। पांच लाख की शहरी सम्पत्ति पर अतिरिक्त धनकर नहीं है। पांच से 10 लाख की परिसम्पत्ति पर केवल पांच प्रतिशत धनकर है और यही कर अगली दस लाख की परिसम्पत्ति पर सात प्रतिशत है। वास्तव में, सरकार को शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा की कोई कारगर योजना प्रस्तुत करनी चाहिये। यदि इस कार्य को राज्यों पर छोड़ दिया गया तो इसमें किसी प्रकार की प्रगति की आशा करना व्यर्थ होगा। मेरा विचार है कि भवन-निर्माण के कार्य में किसी प्रकार की बाधा डाले बिना भी, शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

संशोधित दरों के बारे में भी मुझे वित्त मंत्री महोदय से शिकायत है। संशोधित दरों में एक लाख की छूट का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि सरकार यह कर लगाना चाहती है

तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक लाख से अधिक रुपये हैं ? फिर दूसरी शिकायत यह है कि सरकार जो कर एक लाख की सम्पत्ति पर लगाती है, 15 लाख की सम्पत्ति पर भी वही कर लगाया जाता है। हमें कराधान के बारे में प्रगतिशील व्यवस्था को अपनाना चाहिये। अतः मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें मामले के इस पहलू पर जरा ध्यानपूर्वक विचार कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कराधान का यह उपाय वास्तव में कितना कारगर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के सदस्यों की सूची में वृद्धि हो गई है। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जल्दी अपनी बात समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री यशवंतराव चव्हाण : विधेयक पर विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ? मुझे उत्तर के लिए कब बुलाया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसकी सूचना दे दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें मेरे संशोधन संख्या 123 का अपने अधिकारियों द्वारा अध्ययन करवाना चाहिये।

धन कर अधिनियम की धारा 5 (1) (VIII) का संशोधन, जिसमें आभूषणों पर कर लगाया गया है, प्रशंसनीय है। आभूषणों पर कर न लगाने की बात मेरी समझ में नहीं आती। इस व्यवस्था को 1963 से लागू करने पर विचार करना चाहिये। सर्वोच्च न्यायालय ने धन कर आयुक्त विरुद्ध श्रीमती अरुणधाती बालकृष्ण के मामले में यह निर्णय किया कि विधान परिषद् ने आभूषणों को करारोपण से अलग रखा है। इसमें केवल ड्राफ्ट्समैन का ही दोष नहीं है, इसका दायित्व सदन पर तथा सरकार पर है। इस प्रकार भूतलक्षी कानून, जिसमे करों की छूट की व्यवस्था हो, कानून के ठोस तथा मान्य आधारों के विरुद्ध है। दूसरे इस प्रकार का भूतलक्षी कानून संविधान के नियमों के विरुद्ध भी होगा।

कल विधि मन्त्री ने कहा था कि विभाग द्वारा दायर की गई 80,000 अपीलें अनिर्णीत हैं। ये सब बेकार तथा अलाभप्रद मुकदमें अपीलीय आयुक्त से न्यायाधिकरण के पास जाते हैं और जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है इनमें से 80 प्रतिशत न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिये जाते हैं। अतः विभाग का इस प्रकार का अलाभप्रद कार्य समाप्त होना चाहिये। इससे बेकार के मुकदमों की अपीलें बढ़ती हैं और विभागीय क्षमता को ऐसी बेकार की बातों में उलझना पड़ता है जिससे कोई लाभ नहीं है। वित्त मन्त्री को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये।

विदेश यात्रा पर जो कर लगाया गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। वित्त मन्त्री ने कुछ राहत दी है, परन्तु वह अपर्याप्त है। इस करारोपण से एयर इण्डिया की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 3-4 करोड़ रुपये की राशि के ये कर कहीं अन्यत्र लगाये जा सकते हैं। ऐसा करना कोई कठिन कार्य नहीं है।

अन्त में मैं बंगला देश की घटनाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। याह्या खां ने भारत के साथ युद्ध की भाषा का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है। इससे उनके शासन के विघटन का संकेत मिलता है। उनका कहना है कि वे अकेले नहीं हैं। परन्तु शीघ्र ही जब उन्हें चीनी शासकों के कपट का पता चल जायेगा, वे आश्चर्यचकित हो जायेंगे। जब भारतीय सेना पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के क्षेत्र में बढ़ेगी, वहां के कारखानों पर अपना अधिकार करेगी, तब याह्या खां शाश्वत

घृणा तथा अनादर के पात्र होंगे। वह केवल भविष्य के इतिहासकारों द्वारा ही घृणा की दृष्टि से नहीं देखे जायेंगे, अपितु उसके अपने आदमी उनसे घृणा करेंगे। उनके अपने आदमी इसलिये घृणा करेंगे कि इस व्यक्ति ने स्वयं को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने के लिए देशवासियों के जीवन को विनष्ट किया, उनके अधिकारों को कुचल डाला और सर्वाधिकार सम्पन्न बनने के लिये सैकड़ों हजारों देशवासियों के जीवन बलिदान करा दिये।

***श्री एम० एस० शिवस्वामी (तिरुवेंडूर)** : यदि बजट प्राक्कलनों का विश्लेषण किया जाय तो ज्ञात होता है कि देश को शनैः शनैः स्थायी रूप से पूर्णतया विघटन की ओर ले जाया जा रहा है। वर्ष 1968–69 में कुल प्राप्ति 3027.30 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था जबकि वास्तविक प्राप्ति 3084.07 करोड रुपये हुई। इस प्रकार 57 करोड़ रुपये अनुमान से अधिक प्राप्त हुए। वर्ष 1969–70 में 3322.21 करोड़ का अनुमान लगाया गया जबकि वास्तविक प्राप्ति 3384.54 करोड़ रुपये हुई जिससे अनुमान की तुलना में 66 करोड़ रुपये की राशि अधिक प्राप्त हुई। अब पूंजीगत लेखों पर व्यय की ओर देखिये। वर्ष 1968–69 के लिये पूंजीगत लेखे सम्बन्धी व्यय का अनुमान 761.48 करोड़ रुपये था। वास्तव में इस वर्ष 427.91 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। 334 करोड़ रुपये की व्यय सम्बन्धी राशि शेष रही। इसकी प्रतिशतता लगभग 43 आती है। वर्ष 1969–70 में भी ऐसी ही पुनरावृत्ति हुई। 769.58 करोड़ की अनुमानित व्यय राशि में से 648.44 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई और इस प्रकार 121 करोड़ रुपये की राशि शेष रही। वर्ष 1969–70 की नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में बताया गया है कि मंत्रालयों की मांगों के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत सदन द्वारा स्वीकृत विनियोगों में से 53.68 करोड़ की राशि को उपयोग में नहीं लाया गया। इससे प्रशासन में कार्यकुशलता के अभाव तथा स्वीकृत योजनाओं को क्रियान्वित न करने की सरकारी क्रूरता का पता चलता है। हमारे देश में लेखों का शतप्रतिशत लेखा परीक्षा की परम्परा नहीं है। फिर भी जैसी भी परम्परा है उससे पता चलता है कि बजट अनुमानों से 631 करोड़ रुपये की राशि अधिक है। यदि शतप्रतिशत लेखा परीक्षा कराई जाय तो पता चलेगा कि देश की बजट व्यवस्था कितने गलत ढंग से होती है। प्रत्येक वर्ष कई सौ करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष सरकार घाटे का बजट प्रस्तुत करती है और सदन से कहा जाता है कि कर प्रस्तावों की स्वीकृति दी जाये। जब राजस्व प्राप्ति अनुमान से अधिक होती है और पूंजीगत व्यय अनुमान से कम तो फिर कर अथवा नये कर लगाने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

राज्य जब केन्द्र से सहायता के लिए अनुरोध करते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। जब राज्य सहायता के लिए केन्द्र से अनुरोध करते हैं तो केन्द्र कहता है कि हम सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार के हाथ में राजस्व बढ़ाने की शक्ति है। विदेशी ऋण प्राप्त करने की शक्ति है। राज्यों की आवश्यकताओं के प्रति केन्द्र का नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तित होना चाहिये। वित्तीय संसाधन बढ़ाने की शक्ति केन्द्र और राज्य दोनों के पास होनी चाहिये।

श्री जो० विश्वनाथ (वंडीवाश) : माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मंत्री महोदय को उनकी बात सुननी चाहिये।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised Translated version based on English tranilation of the speech delivered in Tamil.

श्री एम० एस० शिवस्वामी : बजट की व्यवस्था से अधिक व्यय करने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को हिसाब चुकाने के लिए कहा जाता है। राज्य सरकार की स्थिति जानते हुए भी केन्द्रीय वित्त मन्त्री चुप रहते हैं। परन्तु यदि सरकारी उपक्रम को दी गई राशि पर 8 वर्ष से 19.38 करोड़ रुपये की राशि बकाया है तो उसे वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इसके विपरीत राज्य सरकारों को एक महीने का नोटिस दिया जाता है।

केन्द्र को पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत बिना ब्याज के ऋण दिये जाते हैं और जब केन्द्रीय सरकार राज्यों को ऋण देती है तो उस पर ब्याज की ऊंची दर वसूल करती है। केन्द्र सरकार को समझना चाहिये कि राज्यों से मिलकर ही देश बना है। केन्द्र द्वारा कुंठायें तिरोहित की जानी चाहिये और राज्यों के प्रति सहायता का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 1750 करोड़ रुपये की व्यवस्था की आवश्यकता है। और इस राशि को प्राप्त करने के लिये हमें 4030 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ती है। 2280 करोड़ रुपये को राशि पुराने ऋणों तथा ब्याज के रूप में देनी होती है। यह इसी प्रकार की स्थिति है जब एक अशिक्षित मजदूर को 25 रुपये की आवश्यकता पूरी करने के लिये 100 रुपये का प्रनोट लिखना पड़ता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार अशिक्षित मजदूर से अधिक बुद्धिमान प्रतीत नहीं होती है। केन्द्र स्वयं ऋण स्थगन के लिए अनुरोध करने में नहीं चूकता जब राज्य ऐसा करते हैं तो उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। केन्द्र का राज्यों के प्रति नौकर जैसा दृष्टिकोण है। यदि वित्तीय मामलों में केन्द्र तथा राज्यों के ऐसे ही सम्बन्ध चलते रहे तो यह मेरी चेतावनी है कि केन्द्र देश को धधकते हुए ज्वालामुखी की ओर ले जा रहा है जो किसी भी दिन फटकर सर्वनाशकारी प्रमाणित हो सकता है।

पूर्वी बंगाल में क्या हुआ है ? पाकिस्तानी शासकों ने अपने हाथों में अधिकाधिक शक्ति लेली और पूर्वी बंगाल को बहुत कम स्वतन्त्रता दी। इस प्रकार पूर्वी बंगाल के निवासियों के वैध अधिकारों के शोषण के विरुद्ध शेख मुजीबुर्रहमान को स्तन्त्रता आन्दोलन छेड़ना पड़ा। हमारे देश की स्थिति भी इससे भिन्न नहीं है। केन्द्र सरकार के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं और राज्यों के साथ नौकर जैसा व्यवहार किया जाता है। यदि इस प्रकार का व्यवहार चलता रहा तो यहां सैंकड़ों मुजीबुर्रहमान खड़े हो जायेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि केन्द्रीय शासकों के अत्याचार शोषण के फलस्वरूप ही देश छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ है। औरंगजेब का राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में तिरुचिरापल्ली तक फैला हुआ था। उसकी शोषण की नीतियों के कारण ही देश में त्रिवेन्द्रम, मैसूर, शिवाजीमराठा आदि अनेकों छोटे–छोटे राज्य बन गये। यहां तक कि देश में ऐसे 300 खण्ड बन गये। यदि केन्द्र सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति आने के लिये वे ही दोषी होंगे। जैसे पाकिस्तान में पूर्व बंगाल वाले आज संघर्ष कर रहे हैं, हमारे देश में भी वही स्थिति आयेगी। सरकार को ऐसी स्थिति को दूर करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के दो दशाब्दियों के पश्चात् अब सरकार को समाजवाद से प्रेम हुआ है। क्या यह सरकार समाजवाद ला सकती है ? देश के 1000 उद्योग को 20 पूंजीवादी परिवारों ने लोहे के पंजों से जकड़े हुए हैं। जब तक ऐसी स्थिति रहेगी हमारे देश में कभी भी समाजवाद नहीं आ सकता। सत्ताधारी दल के राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम का क्या हुआ ? क्या लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है ? क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो गया है ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह कहा गया कि जनता

की सेवा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है ? क्या इन बैंकों का कार्यकरण पहले की अपेक्षा अच्छा है ? क्या फुटकर विक्रेताओं तथा व्यापारियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती ?

गत दो दशाब्दियों में सरकारी क्षेत्र में 1633 करोड की पूंजी लगाई गई है और उन्हें 1700 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं। इस प्रकार कुल राशि 3333 करोड़ रहती है। इतने बड़े पूंजी निवेश से लाभ कितना मिलता है ? व्यापारिक संगठनों ने 48.43 करोड़ रुपये की राशि का लाभ कमाया है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 83.14 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इन उपक्रमों से 35 करोड़ रुपये की प्रति वर्ष हानि होती है। यदि इतनी बड़ी राशि गैर-सरकारी उपक्रम के पास होती तो प्रति वर्ष 400 करोड़ रुपये का लाभ होता। यदि हम वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं तो उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में होना चाहिये। हमारी आर्थिक प्रगति इतनी धीमी है कि समाजवाद हमसे उतना ही दूर जाता हुआ प्रतीत होता है। जब तक मंत्री नौकरशाही से बंधे रहेंगे तब तक ऐसी ही स्थिति चलती रहेगी।

सरकारी क्षेत्र के एककों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? वर्ष 1967–68 में 518.2 करोड़ रुपये की राशि की उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया गया, 1968–69 में 336.6 करोड़ रुपये का, 1969–70 में 261 करोड़ रुपये की और वर्ष 1970–71 के 6 महीनों में 124.29 करोड़ रपये की उपभोक्ता वस्तुओं का आयात किया गया। पूंजीगत माल के आयात का विवरण इस प्रकार है : 1967–68 में 517.3 करोड़, 1968–69 में 527.4 करोड़, 1969–70 में 400 करोड़ और वर्ष 1970–71 के छः महीनों में 226.6 करोड़ रुपये की लागत के पूंजीगत माल का आयात किया गया। देश की आर्थिक प्रगति का मापदण्ड यह है कि वह उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में आत्म-निर्भर है और इस प्रकार की वस्तुओं का कितना निर्यात करता है। उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले एकक सरकारी क्षेत्र में स्थापित क्यों नहीं किये गये ? हम कब तक 500 करोड़ रुपये के मूल्य की उपभोक्ता वस्तुएं विदेशों से मंगाते रहेंगे जिससे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारे संसाधनों में निरन्तर कमी होती रहेगी।

कुछ बड़े बैंको के राष्ट्रीयकरण पर खुश होना ही पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद के लिए बेचैन लोगों का एक ढकोसला है। समाजवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक आप हजारों करोड़ों रुपये का उपभोक्ता सामान आयात करते रहेंगे। कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता सामान बनाने वाले और कारखाने खोलने चाहिए।

हाल में यह समाचार पढ़ने मे आया कि वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरों की स्थापना की जा रही है, जो सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण का अध्ययन करेगा। पर 3333 करोड़ की पूँजी वाले इस क्षेत्र में लगातार प्रति वर्ष 35 करोड़ की हानि को देखते हुए एक ऐसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह यह पता लगाने का प्रयत्न करे कि राज्यों और केन्द्र के आर्थिक सम्बन्ध किस प्रकार सुधारे जा सकते हैं।

सरकार को बैकार की संस्थाएं स्थापित करना बन्द कर देना चाहिए। सरकारी उपक्रमों की स्थापना करते समय केन्द्र को राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए। तथा प्रबन्ध में उनका सहयोग लेना चाहिए। राज्य और केन्द्र के आर्थिक सम्बन्धों में रद्दोबदल की जानी चाहिए

तथा यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन कर राज्यों को अधिक स्वयत्तता दी जानी चाहिये। देश में एकता बनाए रखने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति स्थापित की जानी चाहिए और राज्यों को प्रशासन में उचित भाग मिलना चाहिए। यदि ऐसा करने में सरकार हिचकती है तो देश में विघटन का बीज बोने के लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : भारत के इतिहास में आज का दिन बड़ा ही शुभ है जबकि संविधान का संशोधन करने वाले दो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके द्वारा हमारा संविधान एक जीवन्त और समाजवाद के मार्ग को प्रशस्त करने वाला संविधान बन जायेगा।

कर सम्बन्धी बहुत सी रियायतें दिये जाने के लिए मै वित्त मंत्री की सराहना करता हूँ।

बजट पर बोलते समय मैंने कहा था कि बंगला देश के शरणार्थियों पर हमें $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक व्यय करना पड़ेगा तो लोग उसे बहुत लम्बा समय समझते थे। अब मेरा कहना यह है कि हमें 1500 करोड़ रुपया बंगला देश के शरणार्थियों पर खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पता नहीं कि इसका इन्तजाम वित्त मंत्री कहां से करेंगे और मुझे विश्वास है कि वे अनुपूरक बजट लायेंगे।

इस बीच वस्तुओं के मूल्यों में बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और वित्त मंत्री को इस वृद्धि को रोकने के लिये तुरन्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि यह और न बढ़ने पायें।

आजकल 7000 करोड़ रुपये जनता मे प्रचलन में है। यदि यही गति रही तो घाटे की अर्थ व्यवस्था 350 करोड तक पहुँच जायेगी जो कि अब 210 करोड़ रुपये है। इस हालत में एक ही मार्ग रह जाता है और वह है बचत को बढ़ावा देना तथा अनुत्पादक व्यय को समाप्त करना।

गैर-योजना व्यय दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। जो कभी 8 प्रतिशत था अब 12 प्रतिशत तक पहुँच गया है।

कर अपवंचन को रोकने के लिए कर वसूली की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाये जिससे कि इतनी बडी मात्रा में कर का अपवंचन न हो सके इस समय 170 करोड़ रुपये के कर बकाया हैं।

विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल नहीं है। आपस में कोई सहयोग नहीं है। एक मंत्रालय एक कदम उठाता है और दूसरा उससे बिल्कुल उल्टा। एक मंत्रालय कहता है कि पैट्रोल की खपत को कम किया जाये क्योंकि इस पर बहुत मात्रा में विदेशी मुद्रा व्यय होती है पर दूसरा मंत्रालय मोटरों का उत्पादन बढ़ाना चाहता है। उनके चलाने के लिए पैट्रोल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार की बहुत सी बातें होती हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मंत्रालयों में आपस में तालमेल नहीं है।

बिड़ला बन्धुओं को बिड़ला भवन के मूल्य के रूप में 56 लाख रुपया दिया गया। ऐसा क्यों ? तथा यह कब तक चलेगा ?

संसाधन खोजने के सम्बन्ध में मैं तीन उपाय बताना चाहता हूं। यदि ये उपाय किये गये तो वित्त मन्त्री इतने सुदृढ हो जायेंगे कि 1973 तक वे कह सकेंगे कि भारत ने अब अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है।

पहले उपाय के रूप में मैं औद्योगिक मशीनों के सुरक्षात्मक रख-रखाव की बात कहूँगा। हमारे यहां मशीने बहुत कम समय चलती हैं। जबकि अन्य देशों में एक परिवहन बस 10 से 20 वर्ष तक चलती है। भारत में उसका जीवन 2 या 3 साल में समाप्त हो जाता है। यदि हम उसका रख रखाव अच्छी प्रकार करें तो हम बिना कोई अतिरिक्त व्यय किये अधिक उत्पादन कर सकते हैं तथा बहुत सी अनपेक्षित घटनाएं, रूरकेला इस्पात कारखानें जैसी न हो तथा बहुत सी हानि होने से बच जाये।

भारत में पूरी औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। यदि वह किया जाय तो हम शारीरिक और आर्थिक शक्ति में चीन की बराबरी कर सकते हैं। आजकल हम अपनी 30 प्रतिशत औद्योगिक क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।

बहुत से सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के गोदामों में बड़ी मात्रा में तैयार या अर्ध-तैयार माल पड़ा है। हमें किसी भी देश से उधार नहीं लेना चाहिए। जैसा कि चीन ने किया है। उसने कभी किसी से उधार नहीं लिया और अपने ही संसाधनों से काम चलाया है जबकि हमें अपने ऋणों पर ब्याज देना पड़ता है। इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था से हम कब तक काम चला सकते हैं। इसमें सुधार करना चाहिए।

सरकारी उपक्रमों में कागजी कार्रवाई को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण कार्य में अकारण देरी होती है।

हमें अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और चीन, अमरीका अथवा रूस किसी के जाल में नहीं आना चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यदि हमें सामाजिक संकट से बचना है तो इसके लिए केवल उचित रास्ता यही है कि सबको रोजगार दिया जाए और उचित मजदूरी देने की नीति अपनाई जाए।

देश में बहुत बड़ी संख्या में युवक बेरोजगार हैं आशा है सरकार इस समस्या का जल्दी ही कोई हल ढूंढेगी ताकि इन बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाया जा सके।

माननीय मंत्री इस बातके लिए प्रयत्नशील हैं कि किस प्रकार करापवंचन को रोका जाए तथा कीमतों का स्तर न बढ़ने दिया जाए यदि वह सचमुच इस दिशा में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें मुनाफाखोरों और करअपवंचकों को यह चेतावनी देनी चाहिए कि यदि वह कीमतें कम नहीं करेंगे तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित हैं और इसका नियन्त्रण संसदीय तथा अन्य ढंग से किया जा सकता है।

यदि हम अपने समाजवादी कार्यक्रम को यथार्थ में परिणित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी होगी। वित्त मन्त्री ने इस सम्बन्ध में हर संभव प्रयत्न किया है। वह इसे सीधे तौर पर इसलिए नहीं कर सके क्योंकि इसमें कई संवैधानिक अड़चने थी। आप पर प्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक सीमा लगाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे पास बहुत संसाधन आ जाएंगे और हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ हो सकेंगे।

श्री बालातण्डायुतम (कोयम्बतूर) : वित्त मन्त्री ने कुछ करों के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा की है किन्तु प्रश्न यह है कि इन रियायतों से किस वर्ग को लाभ पहुंचा है

निश्चय ही इसका लाभ टाटा बन्धुओं तथा बड़े 2 पूंजीपतियों ने उठाया है। ये रियायतें प्रस्तावित अधिकतम सीमा के उद्देश्य को समाप्त करने में सहायक होंगी।

यह समझना कठिन है कि वित्त मन्त्री ने सिगार और चुरूट को कर से मुक्त करने की जो रियायत दी है वह किसके अनुरोध पर दी है। बजट पेश करते समय वित्त मन्त्री ने कहा था कि यह बजट विकास तथा सामाजिक न्याय लाने में सहायक होगा परन्तु उनकी यह कार्यवाही इस उद्देश्य के अनुरूप नहीं लगती।

जहां तक लघु उद्योगों के संरक्षण के लिए दी गई रियायतों का सम्बन्ध है इसमें काफी घुटाला है। नट और बोल्ट बनाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति अपने कारखानों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं ताकि उन्हें पांच लाख की सीमा के अन्तर्गत लाकर करों से बचाया जा सके।

वित्त मन्त्री ने अप्रत्यक्ष करों से बचने की बात कही है उन्हें अप्रत्यक्ष कर ही विकास रक्षा कार्यों के लिए संसाधन जुटाने का मुख्य स्रोत दिखाई देता है। यदि इसकी तुलना विकासशील तथा विकसित पूंजीवादी देशों से की जाय तो हमें मालूम होगा कि अप्रत्यक्ष करों तथा प्रत्यक्ष करों का अनुपात 50 : 50 है किन्तु यह इस विधेयक में यह अनुपात केवल केवल 81 : 19 है।

{श्रीमती शीला कौल पीठासीन हुईं}
{Shrimati Sheela Kaul *in the chair*}

बजट पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य श्री के० आर० गणेशन ने देश में फैली घोर गरीबी की चर्चा की, कहा जाता है कि हम विपक्ष के लोग मध्यवर्ग, निम्नमध्यवर्ग तथा म र वर्ग की निर्धनता के विषय में अधिक चिन्तित है जबकि सरकार देश से घोर गरीबी को में लगी हुई है।

मुझे समझ नहीं आता कि यह सरकार इस घोर गरीबी को दूर करने की बात किस मुंह से करती है जबकि यह राष्ट्रपति भवन और राज भवनों पर इतना भारी व्यय कर रही है। आज भी कई राज्यपाल मुगलिया शानो शौकत से रह रहे हैं और मन्त्रियों का रहन सहन भी अब मुगलिया ढंग का हो गया है। उनके स्थानीय टेलीफोन का बिल भी लगभग 100 रुपये प्रतिदिन का होता है एक महीने में 3000 रुपये के तो वह लोग टेलीफोन ही करते हैं और इस शानो-शौकत से रहने वाले लोगों के विरूद्ध आप संसद में एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या सरकार घोर गरीबी का समाधान इन्हीं शानो-शौकत वाले लोगों से कराएगी। देश में 2 करोड लोग ऐसे है जिनकी आय 12 पैसे प्रतिदिन से अधिक नहीं और 4 करोड लोग 25 पैसे तथा 6 करोड़ लोग 32 पैसे प्रतिदिन पर गुजारा करते हैं। देश का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय 78 पैसे से अधिक नहीं है। मेरे विचार में यह बजट निर्धन जनता पर बोझ है इससे उस वर्ग को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

मूल्यों में वृद्धि के लिए बजट ही उत्तरदायी है। बजट पेश करने के बाद ही थोक मूल्य सूचकांक में दो अंकों की वृद्धि हुई है। अप्रत्यक्ष कर मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तम्बाकू, ईंधन, विद्युत ल्यूबरीकेंट, चीनी निर्मित और मध्यवर्ती उत्पादों आदि के मूल्यों में वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में यह औसत वृद्धि 7,4 प्रतिशत थी और इस वर्ष मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि होने की सम्भावना है।

यदि यह वित्त विधेयक निर्धनों को राहत देना चाहता है तो मेरा अनुरोध है कि यह राहत दलित हाथकरघा बुनकरों को दी जाए। देश में तीस कर्घों में 75 लाख हाथकर्घा बुनकर कार्य कर रहे हैं और उनपर आश्रित व्यक्तियों की संख्या 2 करोड़ के लगभग है। यह गरीबी से घिरी जनसंख्या का काफी बड़ा भाग है। जब तक सरकार सूती धागे पर से उत्पाद शुल्क नहीं हटाती तब तक हम हाथकर्घा बुनकरों को बचा नहीं पाएंगे।

सिलेसिलाए वस्त्रों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। वास्तव में इन वस्त्रों पर कर लगाने का अर्थ है मेहनत पर कर लगाना क्योंकि इसमें कपड़ा, बटन आदि जैसा कच्चा माल लगता है। यह बड़ी विचित्र बात है कि वित्त मन्त्री, जो यह चाहते है कि गरीब तथा पिछड़े विद्यार्थी माडर्न स्कूलों में पढ़ें और जिन्हें उन्होंने छात्रवृत्तियां भी प्रदान की हैं उन्हीं लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े पर कर लगाया है ताकि वह अच्छा सस्ता कपड़ा न पहन सकें। वस्त्र विलासिता की वस्तुओं के अन्तर्गत नहीं आता और बढ़िया किस्म का कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है।

जहां तक सम्पत्ति कर का सम्बन्ध है जहां वित्त मंत्री ने उन लोगों को रियायत दी है जो उनके पिता दादा द्वारा बनाए गए मकानों से किराए की आय पर गुजारा कर रहे हैं, वहां छोटे छोटे उद्योगपतियों को जिन्होंने एक लाख या इससे अधिक पूंजी लगाई है, कर देना पड़ रहा है। जिन छोटे उद्योगपतियों ने एक लाख की पूंजी लगाई हैं उन्हें इस कर से मुक्त किया जाना चाहिए।

कराधान का ढाँचा भी कुछ इस प्रकार का है कि उससे निर्धन वर्ग पर ही अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणतया 1.5 लाख रुपये की सम्पत्ति रखने वाले व्यक्ति के मामले में 300 प्रतिशत कर की वृद्धि होती है जबकि 5 लाख रुपये की सम्पत्ति वाले व्यक्ति के मामले यह वृद्धि केवल 25 प्रतिशत है।

मैं यह समझ नहीं पाया कि मंत्री महोदय ने किस कारण से प्रैशर कुकर पर कर लगा दिया है। कुकर गृहणियों के लिए आवश्यक और सुविधाजनक है। यह साफ सुथरा होता है और इसमें जीवाणु रहित भोजन पकता है। यह आवश्यक वस्तुओं की कोटि में आता है जबकि कई आवश्यक वस्तुओं पर बिल्कुल कर नहीं लगाया गया है। उदाहरण के लिए साइकल पर कोई कर नहीं लगाया गया किन्तु साईकल के पुर्जों पर 3 प्रतिशत कर लगाया गया है। बिजली के पंखे जो मध्यवर्ग के लिए अत्यावश्यक है उन पर 6 प्रतिशत कर लगाया गया जबकि मोटर कारों पर केवल 15 प्रतिशत कर लगाया गया है किन्तु न जाने वित्त मंत्री को प्रैशर कुकरों से क्या नाराजगी है कि उस पर सीधे ही उन्होंने 20 प्रतिशत कर लगा दिया है। अल्यूमीनियम जो कि प्रैशर कुकर बनाने के लिए काम में लाया जाता है उस पर पहले ही 30 प्रतिशत कर लगा दिया गया है और उस पर 11 प्रतिशत बिक्री कर तथा चुंगी अलग है अब उस पर मंत्री महोदय 20 प्रतिशत का उत्पादन शुल्क और लगा रहे हैं।

वित्त मंत्री का कहना है कि उन्होंने धनवानों पर कर लगाया है। परन्तु मेरे विचार में कर लगाने की वर्तमान पद्धति कुछ इस प्रकार की है कि उससे कर अपवंचन को बढ़ावा ही मिलेगा मैं एक ऐसे मामले के बारे में जानता हूँ जिसमें एक व्यक्ति ने 16 लाख रुपये से लेकर 3 करोड़ रुपये के कर अपवंचन के 65 मामलों का पता लगाने में सहायता दी थी। उसकी देशभक्ति के लिए उसे इनाम देने के बजाय उसका नाम काली सूची में लिखा गया और उसे काली सूची से हटाने के लिए किए गए सभी प्रयत्नों से अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है। 3 अप्रैल 1971 को

सरकार ने घोषणा की कि 7½ करोड़ रुपये की बकाया कर की राशि बट्टे खाते में डाल दी गई ! इस देश में कराधान के इतिहास में हमने गरीबों पर लगाए गए करों को बट्टे खाते में डालने की बात आज तक नहीं सुनी है बल्कि कई बार तो कर की वसूली के लिए गरीब लोगों के घरों के दरवाजे तथा बर्तन आदि तक जब्त कर लिए गए। करों को बट्टे खाते में डलवाने का विशेषाधिकार केवल धनी वर्ग को ही प्राप्त है।

जब भी हमने रक्षा तथा विकास के प्रश्न को उठाया है सरकार ने हमेशा यही कहा है कि उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। सरकार को 17000 करोड़ रुपये की शहरी आय पर 756 करोड़ रुपये की आय होती है किन्तु 15000 करोड़ रुपये की ग्रामीण आय पर केवल 11 करोड़ रुपये की आय होती है जो कि शहरी आय की तुलना में बहुत कम पड़ती है सरकार को संविधान में संशोधन करना चाहिए और गांवों में अमीर लोगों से भी संसाधन जुटाने चाहिए ताकि विकास तथा सुरक्षा पर ध्यान दिया जा सके और उनके लिए पर्याप्त संसाधन ढूंढे जा सकें।

जहां तक राज्यों के लिए धन नियत करने का सम्बन्ध है इसमें न केवल अन्याय होता है पर कुछ मामलों में वस्तुत; अत्याचार होता है। पश्चिम बंगाल को ही लीजिए जहां जन संख्या का घनत्व काफी है वहां पर विकास कार्यों के लिए 79 करोड़ रुपये के परिव्यय की आवश्यकता है किन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए केवल 54 करोड़ रुपये की सहायता देना स्वीकार किया है। पश्चिम बंगाल की बहुत समस्याएं है। वहां पर बेरोजगारी के कारण अत्यधिक आंतरिक क्षोभ है। वहां रक्षा सेवाओं की अधिक आवश्यकता है परन्तु यह राज्य केन्द्रीय विनिधान और केन्द्रीय सहायता के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे बाद में आता है।

जब सत्तारूढ़ दल पुरानी कांग्रेस से अलग हुआ तो यह सोचा गया कि यह दल एकाधिकारवाद को समाप्त करके राष्ट्रीयकर के युग में पदार्पण करेगा किन्तु वस्तुत: उनकी बातें सब सैद्धांन्तिक थी क्योंकि जहां तक घोर गरीबी को हटाने का सम्बन्ध है उसमें यह बजट किसी प्रकार सहायक नहीं होगा। इससे गरीबों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। यह विधेयक एकाधिकारवाद को समाप्त करने में सर्वथा अक्षम्य है अपितु इससे एकाधिकार और बढ़ेगा। समूचे वित्त विधेयक पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक है। इसमें अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाए जाने चाहिये जबकि प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिये। इसमें योजनाबद्ध ढंग से विकास पर अधिक व्यय करने के लिए ऋण स्थगन और विमुद्रीकरण जैसे तरीके अपनाए गए हैं। मैं विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh (Chapra): Mr. Speaker, Sir I support the Bill not because it brings some relief to the poor but because possitive efforts have been made to remove the disparity between the rich and the poor.

The budget was criticised a lot at the time of its presentation keeping that criticism in view some concessions are given on commodities like Maida, Wheat, Coarse Cloth etc. which gave some satisfaction to the public.

The Government has been making efforts to tackle the problems of unemployment and rising prices. But it has not succeded fully in tackling these problems.

The Government goes on imposing taxes but it is unable to collect these taxes. It is a serious matter and requires urgent attention of the Government. The Government has written off tax arrears in certain cases, but such a policy is hardly commendable as

it encourages assessees to evade payment of taxes. The Government should consider this aspect of the matter.

The country is confronted with agrave situation. Cases of loot and murder is on the rampage. People should be encouraged to pay the taxes. On the one hand you collect taxes from the low-income group people and on the other you exempt the rich people from the payment of the taxes. This type of treatment has led to country-wide discontentment.

There are so many public enterprises in the country which aim at maximum benefits to the maximum number of people. The Officers responsible for implementation of the plans have no faith in those plans as a result of which desired benefits are not accruing to the masses. Tussel between technical officers and administrative officers from the cadres of I. C. S. or I. A. S, on the issue of power has also been noticed. Previously also question about report of the Admistrative Reforms Commission on the training pattern of I. A. S. Officers, was raised in this House. The type of training given to them make them more of Administrators than the public servants. The Committee to consider this report consisted of I C. S. and I. A. S. Officers. There are many officers who pose themselves as rulers before the poor people without understanding their difficulties.

The Minister should not only formulate the policy but also see that it is implemented. The Minister should be responsible to see that the policy farmulated by the Minister or Ministry is implemented.

Now I come to some of the main problems of Bihar. Agriculture is the main occupation of the people of North Bihar. No progress in the field of agriculture has so far been made there. Progress is very slow. The Government should enquire into the agricultural problem of North Bihar on the pattern of Uttar Pradesh for which a Committee was set up. The recent rains and floods have brought about draught like conditions in Bihar. Necessary assistance should be provided to Bihar state as early as possible.

श्री मधु दंडवते (राजापुर) : मुख्य प्रश्न देश के विकास तथा आधुनिकीकरण की प्रणाली का है। इस प्रणाली का हमारी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है। भारी कर लगाना व्यर्थ है यदि कर की व्यवस्था में ऐसे दोष हों जिनसे मोटे-मोटे धनाढ्य लोग पकड़ में न आ सके। शहरों के असंख्य धनी लोग कर की चोरी करने के उद्देश्य से अपनी आय को कृषि आय में परिवर्तित करते हैं।

हमारा राष्ट्रीय आयोजन एक तरह से असफल ही रहा है। समस्याओं को न समझने, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किये बिना तथा स्थानीय साधन जुटाये बिना किसी देश का विकास सम्भव नहीं। हमारे देश के आयोजन में इन बातों को नहीं देखा गया है।

केन्द्र राज्य तथा विभिन्न स्थानीय अधिकारियों के बीच वैत्तिक प्रबन्धों पर गहरायी से विचार किया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति भवनों तथा राजभवनों के द्वारा किये जा रहे अपव्यय को भी रोका जाना चाहिये। कम्पनियों, विज्ञापन फर्मों तथा मंत्रियों पर आने वाले अधिक व्यय पर भी रोक लगायी जानी चाहिये। भारत आने वाले विदेशी अपने देश में जाकर कहते हैं कि उन्होंने भारत तो देखा लेकिन गांधी का भारत नहीं।

कपड़ा नियंत्रण योजना भी एक तरह से असफल ही रही है। बहुत कम मात्रा में कपड़े पर नियंत्रण लगता है जो लगभग कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत तक होना चाहिये। पिछड़े

क्षेत्रों को यदि विकास की छूट दी जावे तो वहां विकास की गति बढ़ेगी । इस बात पर विचार किया जाना चाहिये ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : देश का कोई भी योग्य अर्थ शास्त्री वित्त विधेयक में उल्लिखित प्रस्तावों की सराहना नहीं कर सकता क्यों कि इनसे गरीबों को कोई लाभ नहीं और न ही इनके द्वारा बचत होगी । इमानदार और गरीब लोग ही भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के शिकार हो रहे हैं ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 23 वर्षों के दौरान इस देश में कोई ऐसा वित्त मंत्री नहीं हुआ जो भारत की अर्थ-व्यवस्था को सुचारु ढंग से जन खपत, विनियोग तथा उत्पादन राह की ओर मोड़ सके ।

भारत में आज दुनियां भर में सबसे अधिक कर लगाया जाता है । जितनी अधिक कर का दर होगा उतनी ही कम आय होगी, यह सिद्धान्त सर्व व्यापी है । हमने मंहगायी तथा कर द्वारा सर्व साधारण पर काफी बोझ लादा है । पिछले 23 वर्षो से सर्वसाधारण लाभान्वित न हो सका । अब तक की सारी पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने 27055 करोड़ रु० लगाया है । कर द्वारा 40203 करोड़ रु० के साधन जुटाये गये । 3581 करोड़ रु० की घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गयी तथा 12000 करोड़ रु० की विदेशी सहायता मिली । भारत पर 10000 करोड़ रु० का ऋण भी है । इन 24 वर्षों में हमने 67384 करोड़ रु० जुटाया और मुल्य सूचकाक 230 तक पहुँचा है । बेरोजगारी, जो 1951 में 30 लाख थी 1970 तक 2 करोड़ तक पहुँच गयी । प्रति व्यक्ति आय इन बीस वर्षो में 262.4 रु० से केवल 339.4 रु० तक पहुँची । लेकिन प्रति व्यक्ति खपत इस अवधि में कम हुई । गांव तथा शहरों के 10 प्रतिशत गरीबों की दशा अब पहले से भी बिगड़ गयी है ।

वर्तमान बजट प्रस्ताव कर की चोरी तथा चोर बाजारी को प्रोत्साहन देते हैं । इन प्रस्तावों द्वारा प्रति वर्ष 5 प्रतिशत उत्पादन भी नहीं बढ़ता । चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 15 से 20 प्रतिशत महगाई तथा और अधिक बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है । भारतीय रु० का मूल्य विदेशी बाजारों में घटता जा रहा है । इस प्रकार के बजटों द्वारा गरीबी दूर नहीं होगी और न ही रोजगार के अवसर खुलेंगे । इससे न राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा और न ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी । इस प्रकार की नीतियों के कारण अब हम छोटे देशों के पंक्ति में आ गये हैं ।

पिछले 20 वर्षों के दौरान हम योजनाओं तथा विकास के लिये साधन जुटाते आये हैं लेकिन वास्तव में हम इन साधनों का उपयोग विकास तथा योजनाओं को छोड़कर अन्य कार्यों के लिये करते आ रहे हैं । वित्त मंत्री महोदय का कर्तव्य साधन जुटाना ही नहीं बल्कि सरकार के व्यय में भी मितव्ययता लाना है ।

वित्त मत्री अपने बजट प्रस्तावों में ऐसे उपाय बनाना शायद भूल गये हैं कि खर्च में कमी किस प्रकार की जा सकती है मितव्ययिता कैसे की जा सकती है । यदि खर्च के आंकड़े देखे जायें तो मालूम होगा कि 1950-51 में असैनिक खर्च 50 करोड़ रुपये था जो 1970-71 में बढ़कर 1500 करोड़ रुपये हो गया है । बजट से यह आभास नहीं होता है कि हमारी सरकार वास्तव में खर्च कम करना चाहती है । आज एक मंत्री को वेतन भत्तों और अन्य सुविधाओं के रूप में लगभग 3,07,080 रुपये की राशि प्रति वर्ष या 31,423 रुपये की राशि प्रति मास मिलती है । इस राशि पर कर भी नहीं लगता । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक मत्री को 5000 रुपये प्रति

माह का सीधा वेतन मिलना चाहिए और इस पर भी अन्य लोगों की तरह कर आदि लगने चाहिए नि:शुल्क निवास-स्थान, सरकारी कार तथा सभी अन्य सुविधाएं जो उन्हें उपलब्ध हैं, बन्द कर दी जानी चाहिए। इसी भांति संसद सदस्यों को 2000 रुपये प्रति मास का वेतन दिया जाये और उन्हें उपलब्ध अन्य सुविधाएं समाप्त कर दी जायें। मैं सुझाव देता हूं कि प्रशासनिक खर्च में 30 प्रतिशत की कटौती की जाये।

महालेखा परीक्षक के 1969-70 के प्रतिवेदन में लिखा है कि 31 मार्च 1971 तक कर की बकाया राशि 960 करोड़ रुपये थी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि देश में कर वसूल करने वाली व्यवस्था को कड़ा किया जाये और कर वसूली की प्रक्रिया में जो दोष हैं, उन्हें दूर किया जाये। यदि हमारे यहां करों की वसूली ठीक से हुई होती, तो माननीय वित्त मंत्री को 177 करोड़ से 180 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर न लगाने पड़ते। मैं यह सुझाव भी देता हूं कि देश में एक कर अनुसंधान संस्थान गठित किया जाये। इस बात का अध्ययन करे कि प्रत्येक कर प्रस्ताव का आम प्रभाव क्या होगा और उससे हमारी अर्थ व्यवस्था किस हद तक प्रभावित होगी। इस संस्थान से वित्त मंत्री का भार भी हलका होगा और उसे वे मद चुनने में आसानी होगी जिन पर कर लगाया जाना चाहिए। साथ ही मेरा यह निवेदन है कि अधिक कराधान की प्रवृत्ति को त्याग दिया जाये और घाटे की अर्थ व्यवस्था को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेकर पूरा किया जाये। लोग बैंकों में राशि अधिक राशि जमा करे इसके लिए सावधि बचत पर ब्याज की दर 8.5 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिक की जाये और व्यक्तिगत स्तर पर बचत की 7500 रुपये की राशि को कर मुक्त रखा जाये।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाये जिससे गांवों में लोगों का प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोक्ता खर्च बढ़े। इसके लिए बजट में 75 करोड़ रुपये रखे गये हैं यह राशि बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये की जाये। गत 23 वर्षों में योजनाबद्ध कार्यक्रम के बावजूद हम देखते हैं कि गांवों में 50 प्रतिशत और नगरों में 40 प्रतिशत लोगों का जीवन स्तर उस स्तर से निम्न है जो आम तौर पर होना चाहिए। अन्त में मेरा यह सुझाव है कि हमारी आर्थिक नीति को इस प्रकार का मोड़ दिया जाये जिससे देश में लोगों की क्रय शक्ति बढ़े और उनका जीवन-स्तर ऊपर उठे।

Shri Kushok Bakula (Ladakh): Mr. Chairman, I support the Finance Bill brought by the Finance Minister. He deserves our congratulations for giving Income Tax relief to small traders of Ladakh for three years. The area of Ladakh is strategic one. So more attention should be paid to the development of that area. The work of road construction should be expedited there. Leh-Manaly Road, which has already been laid should be made pucca as soon as possible. It is essential from defence point of view. Bridges should also be constructed wherever necessary in this area. This road and bridges will benefit the local people also. The Leh-Kargil-Gurgur-Doh Road should also be made pucca. This road should be looked after by the Border Road organisation.

There are inadequate facilities for education in Ladakh. The area of Ladakh should be declared a scheduled area so that the students of Ladakh may get necessary facilities. Another point I would like to make is that the language spoken in Ladakh is the language of the people of Border Area from NEFA to Ladakh. About 5 lakh people spoke this language. This language should be included in the Eighth Schedule of the constitution.

The work of rehabilitating Tibetan refugees in Ladakh is progressing at a very slow pace. It is probably due to the fact that the Deputy Commissioner of Ladakh-Who

is also the Development Commissioner is over-burdened with work. An Assistant Development Commissioner should be appointed for this purpose, so that the rehabilitation work is expedited. The work on Leh-Stakna and Kargil-Surooh Nalla projects is going very slow. It should be expeditcd. With these words I thank you for giving me an opportunity to express my views on the Finance Bill.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : जब से 'गरीबी हटाओ' का नारा लगा है तब से लोग यह आशा करने लगे हैं कि हमारी प्रधान मन्त्री गरीबी हटाने में सफल होंगी। किन्तु गरीबी की समस्या का समाधान अब तक कोई भी न खोज सका है। वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट भी गरीबी की समस्या को न सुलझा सकेगा, हालांकि यह इस ध्येय को पूरा करने के लिए लिखा गया है। इस समय कराधान में वृद्धि से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कर-अपवंचन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और काले धन में वृद्धि होगी। हमारे यहां कुछ पेशेवर कर-अपवंचक हैं। उनके विरुद्ध कुछ भी कार्यवाही नहीं की जाती। बल्कि अन्य लोगों पर अधिक कर लगाये जाते हैं। क्या यही समस्या का समाधान है ? कराधान जब इस सीमा तक बढ़ जाता है कि वह करदाता की भुगतान-क्षमता को पार कर जाता है तो लोग कर-अपवंचन के मार्ग खोजने लगते हैं। आज कर की राशि करदाता की वास्तविक आय से भी अधिक हो जाती है। इसी कारण वह कर अपवंचन के उपाय खोजने लगता है। अतः कर का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि करदाता करों का भुगतान कर सके और कर-अपवंचन मार्ग खोजने के लिए मजबूर न हो।

मैंने कभी भी इस बात का समर्थन नहीं किया है कि आर्थिक विषमता की विद्यमान व्यवस्था हमारे देश में बनी रहे। आर्थिक समानता लाने के लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि 'सम्पत्ति कर' के स्थान पर 'पूंजी कर' लगाया जाये। मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह अपील करता हूँ कि वह अगले 20 वर्ष के लिए मेरे द्वारा दिये गये सुझाव को लागू कर दें। साथ ही मेरा यह सुझाव है कि जो धन सरकार 'सम्पत्ति कर' के रूप में वसूल करे, उससे गरीबों के लिए मकान बनाये जाने चाहिए, जिससे देश के लोग यह मानने लगें कि समाजवाद व्यवहार में उतरने लगा है। कुछ कांग्रेसी सदस्य और मन्त्रीगण यह कहते हैं कि गरीबी हटाने में कम से कम 20 वर्ष का समय लगेगा, किन्तु हमारा देश आज 20 वर्ष तक प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है। सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे गरीबी की समस्या शीघ्र हल हो जाये।

चांदी के बर्तनों और ई पी.एन.एस. पर धन कर लगाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ये नये कर लगाये जाते हैं तब इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि जिन लोगों पर उस कर का बोझ पड़ेगा, उनको कितनी परेशानी होगी। ई. पी. एन. एस. के चम्मच में कितनी चांदी है उसका अनुमान एक करदाता कैसे लगा सकता है ? इसी प्रकार गोल्फ की गेंद है, उस पर सोने का पानी चढ़ा हो तो जो एक बार खेलने से समाप्त हो जाता है। इस गेंद का मूल्य पांच रुपये है। हमें अपने कर विवरण में दिखाना पड़ता है कि वह गुम हो गया है।

धन कर 5 से 8 प्रतिशत कर दिया गया है। समस्त देश में इस कर की वसूली करने पर कुछ हजार या लाख रुपये जमा हो सकेंगे, परन्तु इनसे जनता को परेशानी कितनी होगी ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस कर को न लगायें और लोगों को आराम का जीवन व्यतीत करने दें।

दूसरी बात यह है कि जेवरात पर धन-कर वर्ष 1963 से लागू किया गया है। भूतलक्षी प्रभाव से कर लगाया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार के अनुचित उपायों के कारण ही न्यायालय ऐसे कानूनों को रद्द कर देता है। सम्भवतः अब पाबन्द न्यायपालिका की व्यवस्था की जायेगी जिससे वह सरकार की इच्छा के विपरीत निर्णय न दे।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वास्तव में इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है, क्योंकि उस उपबन्ध को 1963 से लागू किया गया था। केवल तकनीकी आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके विरूद्ध निर्णय दिया था। अब हमने सारे काम को ठीक कर लिया है और उसे आरम्भ से लागू कर दिया है।

डा० कर्णीसिंह : जो कुछ कानून में लिखा है, उसी की व्याख्या की जायेगी, मन्त्री महोदय का आशय चाहे कुछ भी हो। मैंने कुछ विशेषज्ञों से बातचीत की थी। उनका सुझाव था कि पति पत्नी को तलाक का रास्ता अपनाना चाहिये जिससे धन-कर के प्रयोजन के लिए उनकी सम्पत्ति इकट्ठी न मानी जा सके। क्या पूंजी कर लगा देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती ? इससे आय की जितनी राशि किसी व्यक्ति विशेष के पास बच जायेगी उसके लिए वह अनुचित तरीके नहीं अपनायेगा।

सरकार का नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निश्चित करने का विचार है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसे मकानों को छोड़ दे जिनका प्रयोग रिहाइश के लिये किया जा रहा है।

किसी न किसी रूप में काले धन का प्रयोग सब जगह किया जा रहा है, हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिये। यदि सरकार किसी व्यक्ति की समस्त आय को जब्त कर ले और यदि वह कुछ काला धन पैदा कर लेता है तो वह बहुत से अन्य करों से बच जायेगा। यदि कोई अमानवीय कानून पास किया जाता है तो जनता उसका उल्लंघन अवश्य करेगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा है कि कोई व्यक्ति संसदीय चुनाव में 35,000 रुपये से अधिक राशि खर्च नहीं करेगा परन्तु हम में से कितने व्यक्ति 35,000 रुपये से चुनाव लड़ते हैं ? यदि हम कानून बनाने वाले लोग कर विवरण और चुनाव विवरण ठीक नहीं भरते हैं तो हम अन्य लोगों का दोषान्वेषण क्यों करें ? इसका कारण यह है कि एक गलत कानून पास हुआ है। अतः मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे राजनीति में काले धन का प्रयोग न किया जाये।

गरीबी हटाने के लिए हम जितना भी परिश्रम करें परन्तु इस देश से गरीबी हटाने में कम से कम 20 वर्ष अवश्य लगेंगे। जितने अधिक कर लगाये जायेंगे उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना ही काला धन पैदा होगा और अन्त में राष्ट्र के चरित्र का पतन हो जायेगा। जिस राष्ट्र का चरित्र नहीं उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस बात को महसूस करेंगे।

{श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए}
{Shri K. N. Tiwary *in the chair*}

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : मध्यावधि चुनावों के बाद यह पहला वास्तविक बजट है, मुझे खेद है कि वित्त विधेयक में परिवर्तित परिस्थितियों का आभास नहीं मिलता है। उत्पादन के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं। एक सिद्धान्त के अनुसार जो लोग उत्पादन करते हैं, उन्हें रियायतें दी जानी चाहिये। हम अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि इस प्रकार के उत्पादन के परिणामस्वरूप मन्दी और संकट की स्थिति पैदा होती है और धनवान और निर्धन का अन्तर बढ़ता जाता है। उत्पादन बढ़ेगा परन्तु यदि उसकी बिक्री बाजार में न हो सकी तो

उत्पादन भी कम हो जायेगा। दूसरा सिद्धान्त उत्पादन के साथ साथ सामाजिक न्याय और समानता को बढावा देना है। यह कहना अनुचित है कि जनता ने 'गरीबी हटाओ' नारे को ध्यान में रख कर हमारे दल को वोट दिये हैं। हमारी जनता समझदार जनता है। वह तेजी से प्रगति करना चाहती है। परन्तु इसके साथ वह समानता और न्याय भी चाहती है। जब जन साधारण को यह विश्वास हो जायेगा कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं जायेगा और उनका शोषण नहीं किया जायेगा तभी देश में निर्बाध रूप से उत्पादन बढ़ेगा।

यह ठीक है कि इस बजट से देश में समाजवाद नहीं आ जायेगा परन्तु हम इतनी आशा अवश्य करते थे कि मितव्ययतापूर्ण अर्थव्यवस्था की दिशा में कार्यवाही की जायेगी। परन्तु इस वित्त विधेयक अथवा बजट में मितव्ययतापूर्ण अर्थव्यवस्था का अभाव है। आज भी बहुमंजली इमारते बनाई जा रही है और विभिन्न प्रकार की विलासपूर्ण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है।

वित्त मन्त्री (श्री यसवन्तराव चव्हाण) : हमने उन पर कर लगाये हैं।

श्री अमृत नाहाटा : आज देश की 80 प्रतिशत जनता वर्ष में एक बार अथवा तीन वर्षों में एक बार कपड़ा खरीदती हैं। उन्हें दो समय खाना तक नहीं मिलता जिसे वह स्वयं पैदा करते हैं। उत्पादन और खपत से केवल 20 प्रतिशत लोगों को वास्ता है। इसी से निर्माताओं को बहुत बड़ा लाभ पहुँचता है। इस उत्पादन-खपत के सीमित चक्कर को समाप्त करना होगा।

हमें गन्दी बस्तियों के निवासियों और बेघर लोगों के लिए मकान बनाने चाहिये और मोटे कपड़े का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। हमें विलासपूर्ण वस्तुओं पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। इन वस्तुओं का आयात बन्द कर देना चाहिए और देश में भी केवल सीमित स्तर न्यूनतम उत्पादन किया जाना चाहिये। हम अस्पतालों अथवा प्रयोगशालाओं के लिए वातानुकूलकों का प्रयोग कर सकते हैं परन्तु कार्यालयों में नहीं।

प्रबन्धक निदेशकों के वेतनों, दावतों, सजावटों, विवाहों, कम्पनियों के खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। सरकारी उपक्रमों में प्रबन्धक निदेशकों और तकनीशनों को एक निश्चित सीमा से अधिक वेतन नहीं मिल सकता परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र के नियमित निकायों में प्रबन्धक निदेशकों को हजारों रुपये दे दिए जाते हैं। यह असहनीय बात है।

हम अपने देश में मितव्ययता और अर्थव्यवस्था में अनुशासन चाहते हैं और इसके साथ ही हमारी पूंजी उत्पादन के वांछित क्षेत्रो में लगाई जानी चाहिए और हमें विलासपूर्ण वस्तुओं शानशौकत आदि पर खर्च पर रोक लगानी चाहिए।

मूल्यों में वृद्धि एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। काला धन समानान्तर मुद्रा के रूप में देश में चल रहा है। इस प्रकार का धन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि इस पर किसी प्रकार की रोक न लगाई गई तो हमारी अर्थ व्यवस्था के लिये यह धन बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। काला धन तस्कर व्यापार, कर अपवंचन तथा अन्य कई तरीकों से बनाया जाता है। अतः तस्कर व्यापार, कर अपवंचन आदि पर सख्त रोक लगाई जानी चाहिये। विलासपूर्ण कार्यों पर जितना धन खर्च होता है उसके लिये काला धन जिम्मेदार है। हमारे देश में मूल्यों की अतिरिक्त वृद्धि

का कोई कारण बताना कठिन हो गया है। उत्पादन में बड़े पैमाने पर वृद्धि होने के बावजूद मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यदि किसी एक वस्तु पर कर लगाया जाता है तो अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो जाती है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि बहुत अधिक काला धन जमा है। इस काले धन को समाप्त करने का एक मात्र तरीका विमुद्रीकरण है। सरकार को नई मुद्रा चालू करनी चाहिये अथवा कम से कम 100 रुपये और 1000 रुपये का प्रचलन बन्द कर देना चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में घोषणा करनी चाहिये कि अमुक तिथि के बाद इन नोटों को सरकारी सिक्का नहीं माना जायेगा। विमुद्रीकरण के साथ साथ सरकार को कुछ ऐसे आकर्षक उपाय करने चाहिये जिनसे काला धन बाहर निकल आये। सरकार कोई ऐसी संस्था स्थापित कर सकती जिसके माध्यम से 100 वर्षीय 90 वर्षीय या 80 वर्षीय बांड जारी किये जाये और यह घोषणा कर दी जाये कि जो लोग इन बांडों को खरीदेंगे उनके धन के स्रोत के बारे में कोई पूछताछ नहीं की जायेगी।

इसी प्रकार मूल्य-वृद्धि का एक प्रमुख कारण उत्पादों की बहुत अधिक किस्में होना भी है। हमारे देश में कपड़ों की 20,000 किस्में हैं। लगभग 87 कपड़ा मिलें बन्द हो चुकी हैं और लगभग 200 मिलें बन्द होने की स्थिति में आ चुकी है। किसी भी वस्तु की जब बहुत अधिक किस्में होंगी, तो उनका उत्पादन छोटे पैमाने पर होगा और लाखों रुपया विज्ञापनों पर व्यय करना होगा। दिल्ली में निर्मित कपड़ा बंगलौर जाता है और बंगलौर का कपड़ा दिल्ली जाता है इस प्रकार उपभोक्ता को हानि पहुँचती है।

जापान यद्यपि समाजवादी देश नहीं है, परन्तु वहाँ कपड़े की किस्मों का मानकीकरण कर दिया गया हैं। वहां केवल कपड़े की 1000 किस्मों का ही उत्पादन किया जा सकता है। कपड़ों और औषधियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, इससे उत्पादन-मूल्य में कमी होने की वजह से उपभोक्ता मूल्यों में भी कमी होगी।

ढेरिफ कमीशन का भी पुनर्गठन किया जाना चाहिये, जिससे वह निर्माताओं के हितों की पूर्ति न कर सके और निष्पक्ष होकर ईमानदारी पूर्वक मूल्य ढांचे का अध्ययन करे। सभी प्रकार के सट्टा बाजार और वायदा व्यापार भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, जिससे कीमतों में वृद्धि रोकी जा सके।

गांवों में रोजगार देने सम्बन्धी वृहद कार्यक्रम के बारे में मुझे यह कहना है कि जिस प्रकार से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, उससे मुझे इस कार्यक्रम की सफलता में सन्देह है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 1,000 व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रस्ताव है। उन्हें तीन साल तक वेतन दिया जायगा और बहुत कम राशि ही यंत्रों और उपकरणों आदि पर व्यय की जायेगी। इससे बैरोजगार व्यक्तियों को स्थायी रोजगार नहीं मिल सकेगा। ये व्यक्ति तीन वर्ष बाद फिर से बैरोजगार हो जायेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि उन्हें स्थायी तौर पर रोजगार दिया जाय, इसलिए धन को उचित रूप से व्यय किया जाय। प्रत्येक जिले की समस्याओं का अध्ययन करके वहां कुटीर उद्योग, कृषि उद्योग आदि लघु उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे लोगों को स्थायी रोजगार मिल सके।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : समाजवाद के बीस वर्षों के बाद, चार वर्षों तक औद्योगिक मन्दी, बढ़ती हुई बैरोजगारी, प्रति व्यक्ति कम आय, स्थिर अर्थव्यवस्था, बढ़ते हुए ऋणों, जापान के राष्ट्रीय उत्पादन की 17% वर्षीय विकास दर की तुलना में हमारी विकास दर 4.9%,

रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् भी विश्व मण्डी में हमारे निर्यात की दर वर्ष 1951 में 2.1% थी जो घटकर वर्ष 1970 म 0.7% हो गई प्रति वर्ष घाटे की अर्थ-व्यवस्था, राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट के रूप में धन निकालना, मुद्रा-स्फीति, अत्यधिक अशिक्षा, छुआछूत और साम्प्रदायिकता, गरीबी और अभाव के कारण देंगे अपराध और हत्याओं के बावजूद "इन्दिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है" "गरीबा हटाओ" साम्प्रदायिकता समाप्त करो" "बेरोजगारी खत्म करो" के नारों से भ्रमित होकर जनता ने इन्दिरा गांधी को चुनावों में आशातीत सफलता दी । जनता को प्रतीक्षा थी । इसी दौरान वित्त विधेयक को पेश किया गया । इस विधेयक द्वारा मिश्रित अर्थ व्यवस्था के प्रवक्त क प० नेहरू की दुबारा हत्या कर दी गई । इस विधेयक के कारण विकास की गति मन्द होगी, प्रतिभा-पलायन होगा नये उद्योगों के विकास और स्थापना में रुकावटें आयेंगी, मुद्रा-स्फीति, चोर बाजारी काला धन और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व, निर्यात-व्यापार तथा रुपये के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

हमारी पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद और तीव्र विकास लाने के लिए वचन बद्ध है । वित्त मन्त्री द्वारा व्यक्त सिद्धान्तों और लक्ष्यों का उनके द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक और प्रस्तावों से खण्डन होता है । लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए, जहां उत्पादन का न्यायोचित वितरण हो ।

हम विकशित लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहते हैं जो सम्पन्न कल्याणकारी राज्य भी हो । सिंगापुर की प्रति व्यक्ति 6000 रु० आय की तुलना में हमारी प्रति व्यक्ति आय केवल 600 रु० है ।

10,000 करोड रुपये के विकास-व्यय के पश्चात् भी हमारी अर्थ-व्यवस्था स्थिर है । एकाधिकार और अर्धएकाधिकार प्राप्त सरकारी क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय उत्पादन में केवल 6% ही योगदान रहा ।

बढ़ते हुए सरकारी स्वामित्व और सरकारी नियन्त्रण पर ही जोर दिया गया है, मानो यह हमारे सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो । भारतीय समाजवाद का वास्तविक अर्थ यह है कि अमीरी और गरीबी में विसमता कम की जाय । लोकतान्त्रिक समाजवाद की सफलता के लिए सरकारी उपक्रमों को कार्यकुशल होना चाहिए तभी सरकारी क्षेत्र जनता का सहायक सिद्ध हो सकता है ।

वर्ष 1970 में विकास दर में 4.5% वृद्धि हुई थी, जो उसी वर्ष थोक मूल्य सूचकांक में 5.5% वृद्धि होने के कारण समाप्त हो गई । अगर वित्त विधेयक के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता ।

अगर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जानी है, तो नये उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए और पुराने उद्योगों को नया रूप दिया जाना चाहिए । इसलिए इस हेतु धन की व्यवस्था की जानी चाहिए और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

आयकर अदा करने के बाद कभी कभी उत्पादक के पास कुछ भी नहीं बचता । यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये के पूंजी विनियोजन पर 10% की दर से 1 लाख रुपये की आय प्राप्त करता है, तो करों की अदायगी के पश्चात उसके पास सिर्फ 25,000 रु० ही बचते हैं । परन्तु

2 लाख रुपये के पूंजी विनियोजन पर 10% की दर से अगर 2 लाख रुपये की आय होती है तो करों की अदायगी करने के लिए उसे अपनी पूरी आमदनी के अलावा 21,800 रु० अपनी जेब से देने पड़ते हैं। अगर इतनी राशि की आय शहरी सम्पत्ति से होती है, तो उसे कोई भी आय नहीं होगी बल्कि 16,800 रु० उसे अपनी सम्पत्ति से देने होंगे। प्रबन्धकों और निदेशकों की कुल आय पर 6,000 रु० की उच्चतम सीमा का प्रतिबन्ध लगा देने से परिश्रमी और प्रतिभा सम्पन्न प्रबन्धकों का अभाव हो जायेगा।

वर्ष 1960-61 से संयंत्रों और उपकरणों के अनमानित मूल्य सूचकांक में 180% वृद्धि हो गई है। विकास छूट और मूल्य ह्रास दोनों के लिए छूट 125% होती है, जबकि प्रतिस्थापन लागत 180% है। अभी अन्तर 55% है और अगर विकास छूट समाप्त कर दी गई, तो यह अन्तर बढ़कर 80% हो जायगा। सरकार को पुराने संयन्त्रों और कर्मचारियों के दायित्व का भार सम्भालना चाहिए।

97.75% तक आयकर की दरें, 8% तक धन कर और शहरी सम्पत्ति पर 7% कर से प्रति वर्ष आय और धन का अधिग्रहण होता जा रहा है। 1000 रु० ईमानदारी से कमाने की अपेक्षा 23 रु० कर बचाना कहीं अधिक आसान है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि नये उद्योग और उपक्रमों से प्रारम्भिक वर्षों और उत्पादन शुरू हो जाने के कुछ वर्षों बाद तक भी लाभ प्राप्त नहीं होता। नियम 19 ए में प्रस्तावित संशोधन नये उपक्रमों के लिए अवरोध सिद्ध होगा। वित्त विधेयक द्वारा कम्पनियों, फर्मों आदि होने वाली 3000 रुपये तक की आय पर छूट को समाप्त कर दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लाभ पर छूट 8% से घटाकर 5% कर दी गई है। 15% से अधिक लाभ पर कम्पनी अधिकर को 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। नई मशीनों पर 2.5% सीमा शुल्क लगा दिया गया है, जो नये उद्योगों की स्थापना के मार्ग में बाधा उपस्थित करेंगे। विधेयक के 15 प्रस्तावों में से 12 प्रस्तावों में निगमित क्षेत्र पर कर-भार डाला गया है, जिससे उद्योगों का विकास रुकेगा और रोजगार के अवसर भी कम होंगे।

दो दशकों तक ब्रिटिश अर्थ व्यवस्था में विभिन्न आर्थिक प्रयोग करने से यह निष्कर्ष निकला है कि व्यक्तिगत आय और बचत को प्रोत्साहन देने के लिए कर भार में कमी करना आवश्यक है। वहां निगम कर को 42.5% से घटाकर 40% कर दिया गया है। रूस ने भी लाभप्रद प्रोत्साहन दिये हैं।

करों की प्राप्ति आय और उत्पादन से होती है। परन्तु आय और उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में, सबसे अधिक कर लगाया गया है और हमारी विकास दर सबसे कम है। योजना परिव्यय के लिए धन करों को लगाकर नहीं बल्कि ऋण द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

इस बजट से सरकार के हाथों में अलोकतान्त्रिक आर्थिक अधिकार केन्द्रित होंगे। इस विधेयक से कर-प्राप्ति के स्रोत समाप्त हो जायेंगे।

बजट में निर्धारित गैर-योजना व्यय में प्रति वर्ष वृद्धि होती जा रही है। पिछले वर्ष पूर्व-निर्धारित 270 करोड़ रुपये की बजाय 330 करोड़ रु० की घाटे की अर्थ-व्यवस्था करनी

पड़ी । सामान्य मूल्य-स्तर में 7% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है । बजट पेश होने के बाद वस्तुओं के मूल्य में 6% वृद्धि हो चुकी है ।

कुछ स्तरों पर कर में कमी करने से अर्थ-व्यवस्था का विकास होता है और पूंजी विनियोजन तथा उत्पादन में वृद्धि होती है । कर की दरें कम रखने से एकत्रित होने वाली राशि में भी वृद्धि होती है । जर्मनी, फ्रान्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन और अन्य अनेक देश इस बात के प्रमाण हैं ।

गैर-योजना, अनुत्पादक सरकारी व्यय में कमी करने के लिए जोरदार प्रयास किये जाने चाहिए । सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण जनता का कष्ट बढ़ता जा रहा है । प्रो० क्लार्क, प्रो० एरहार्ड और प्रो० काल्डोर तथा अन्य अनेक विद्वानों का विचार है कि व्यक्तिगत कराधान की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए । विश्व के 150 देशों में से 144 देशों में निगमित क्षेत्र मे लाभ पर 50% से अधिक कर नहीं लगाया जाता । व्यक्तिगत आय पर सीमान्त कर की अधिकतम सीमा जर्मनी, जापान, नार्वे और स्वीडन में क्रमशः 53% 60% 60% और 65% है ।

समाजवाद का अर्थ व्यापार और उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं है । हमारे देश में घाटे, मुद्रा-स्फीति और बेरोजगारी की समस्यायें उत्पन्न हो गई है । सरकारी कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम काम करने का नियम है और कार्य से जी चुराने की आदत है ।

वर्ष 1957 से जापान ने प्रत्यक्षकरों मे भारी कमी की है और इसके परिणामस्वरूप वहां की अर्थ व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति हुई है ।

वर्ष 1970 में 35 लाख व्यक्ति बेरोजगार थे जो 1971 में बढ़कर 42 लाख हो जायेंगे । यह संख्या तो रोजगार दफ्तरों में दर्ज व्यक्तियों की है, बेरोजगारों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है ।

इस वित्त विधेयक का व्यक्तिगत बचत और पूंजी संग्रह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इसका कारण 15000 रु० से अधिक की आय पर अधिभार 10% से 15% बढ़ाया जाना है ।

26 जुलाई को वित्त मंत्री द्वारा विशेषकर छोटे उत्पादकों के सम्बन्ध में किए गये सुधार का मैं स्वागत करता हूं ।

सभी कृषि जन्य वस्तुओं का प्राथमिकता क्षेत्र के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास करने में सहायता मिलेगी तथा अन्य कई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ होंगे ।

यदि बड़े व्यापार गृहों के ढांचे और उसके कार्यकरण की किसी को जानकारी हो जाये तो वह मुद्रा सम्बन्धी उपायों से बड़े उद्योगों के विकास पर रोक न लगाए वरन् वह बड़े व्यापार गृहों को तोड़ देगा जैसा कि जापान और जर्मनी में किया गया । दोनों ही देशों ने अत्यधिक उन्नति की ।

सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि मजदूर और नियोक्ता दोनों को समान प्रतिदान मिले । उन्हें अपने पैसे का उपयोग किसी भी प्रकार करने की पूरी छूट होनी चाहिए ।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I am Speaking in Support of the Finance Bill.....

Mr. Chairman : He may Coutinue tomorrow.

**तस्कर व्यापार को रोकने के लिए होवर वायुयान का खरीदा जाना

PURCHASE OF HOVER CRAFTS TO CHECK SMUGGLING

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : आजकल सभी प्रकार की वस्तुओं का तस्कर व्यापार राष्ट्र के लिए एक समस्या बन गया है और एक चिन्ता का विषय है।

गैर सरकारी सूत्रों से यह पता चलता है कि 60,000 की आबादी वाले छोटे से देश दुबाई में भारत को तस्करी द्वारा भेजने के लिए सोना इकट्ठा किया गया है। उन्होंने 2000 लाख डालर के मूल्य का सोना भारत में तस्करी द्वारा भेजने के लिए अपने देश में आयात किया है। और वह उसे प्रति सप्ताह अपने विशेष जहाजों द्वारा भारत भेजता है।

यह सब इस कारण होता है क्योंकि हमारे यहां सोना रखने की बड़ी आदत है और यहां सोने का मूल्य विश्व मूल्य से 100 प्रतिशत अधिक है।

बड़े बड़े व्यापारी इस तस्कर व्यापार से प्राप्त सोने से अपने अनैतिक रूप में प्राप्त किये गये लाभ को छिपाने का काम लेते हैं।

तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिलने का अन्य कारण है, हम लोगों में विदेशी वस्तुओं को रखने की जिज्ञासा है। उसके लिए हम लोग अधिक दाम तक देने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार देश का बहुत सा धन चांदी, विदेशी मुद्रा, चावल, प्राचीन वस्तुए और चमड़े के रूप में तस्कर व्यापार के जरिये बाहर चला जाता है।

10 अगस्त, 1970 को हुए तस्कर आयुक्तों के सम्मेलन में विशेष प्रकार के जहाज और तस्करी की वस्तुओं का पता लगाने के लिए विशेष मशीन हवाई अड्डों पर लगाने का निर्णय किया गया था। पर अभी तक इस दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

हमारी सीमा-रेखा बहुत बड़ी है और उसे देखते हुए हमारे तस्कर कर्मचारी बहुत ही कम हैं तथा उनके पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं हैं। ऐसी दशा में उनके लिए इतनी बड़ी सीमा-रेखा की देखभाल करना बड़ा ही कठिन है। इसके अतिरिक्त हमारे बड़े बड़े अधिकारी व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी हैं। पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि वे पदोन्नति पाते हैं।

**आधे घन्टे की चर्चा

**Half an Hour discussion.

यदि सरकार वास्तव में तस्कर व्यापार को रोकना चाहती है तो उसे चाहिए कि वह तस्कर अधिकारियों को विशेष प्रकार के जहाज दे तथा उनकी कार्रवाइयां नौ सेना के सहयोग से होनी चाहिए। इस सबसे बढ़ कर सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके मन में यह विश्वास बैठाना होगा कि तस्कर व्यापार को रोकने में उनकी भलाई है।

रिज़र्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1963 में देश में 3,700 करोड़ रुपये का सोना था। तथा प्रतिवर्ष 200 डालर मूल्य का सोना तस्कर व्यापार के जरिये भारत आ रहा है और अब यहां लगभग 7,500 करोड़ रुपये का सोना है। यदि इस सोने को प्राप्त किया जा सके तो लोगों पर कर लगाने की आवश्यकता ही न पड़े तथा विदेशों में भीख भी न मांगनी पड़े। यह मामला एक या दो हॉवर जहाज खरीदने की ही बात नहीं है, वरन् यह प्रश्न सिद्धान्त का है और इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त विधान में भी परिवर्तन किया जाना चाहिये। आजकल लाखों रुपये का तस्कर व्यापार करने वाला बेदाग बच जाता है या अधिक से अधिक उसे पांच वर्ष की कैद हो जाती है, क्योंकि तस्कर अधिनियम में इतनी सजा का ही विधान है।

श्री वयालार रवि (चिरयंकिल) : कोचीन के प्रसिद्ध मामले के समान ही बम्बई में भी हुआ। गवानकर मामले में क्या हुआ ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के बाद भी किसी अधिकारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया। उन्हें अभी तक स्थानांतरित क्यों नहीं किया गया ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की गई ? जौहरियों से कब सही-सही ब्यौरा मांगा जायेगा, क्योंकि वे ही सोने के तस्कर व्यापार के मुख्य केन्द्र हैं।

Shri K. M. Mishra (Kesaria) : The problem of smuggling has assumed serious proportions. There is large scale smuggling of consumer goods and other commodities in Champaran on Nepal Boarder what effective steps are Government taking for stopping this trade. Government should take strong steps in this direction with the help of the people.

Amendment should be made in the law full of lacunas and the police should be given more powers.

Hover-Crafts and other instruments should be put into service. Strict action should be taken against the guilty Officers.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेशन) : यह एक तथ्य है कि इतनी बड़ी सीमा-रेखा वाले भारत में तस्कर व्यापार होता है। यह हमारी राष्ट्रीय समस्या है और इसका हमारे सामाजिक जीवन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार इस पर इस पहलू से भी विचार कर रही है।

कितने सोने का तस्कर व्यापार होता है इसका अन्दाजा लगाना बड़ा कठिन है। 1969 में जिस समिति ने इस प्रश्न का अध्ययन किया था, उसके अनुसार सोने और अन्य वस्तुओं के लिए 160 से 170 करोड रुपये की आवश्यकता होती है जिसका बाजार मूल्य 400 करोड़ रुपया होता है।

देश की इतनी बड़ी सीमा रेखा होने के कारण तस्कर व्यापार को रोकना अत्यन्त कठिन है। गहरे समुद्र में जाने वाले जहाजों की अत्यन्त कमी है। समस्या को देखते हुए होवर-क्राफ्टों का खरीदना अत्यन्त आवश्यक है। एक समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में ब्यौरा तैयार करने में हम मानते हैं कि हमने बहुत समय लिया है।

देश में विद्यमान सामाजिक प्रथाओं के अतिरिक्त कुछ सोने को आभूषण के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। यह सोने की तस्करी का एक अन्य बडा कारण है।

तस्कर अधिकारी तस्कर व्यापार को रोकने के लिए आधुनिक उपकरण लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस समय उनके पास 300 मोटर गाड़ियां है। यद्यपि समुद्री जहाजों की कमी है, पर हम कम से कम 31 पकड़ी गई नौकाओं का प्रयोग कर रहे हैं। एक उच्च अधिकार प्राप्त नौवहन समिति समुद्र में तेजी से चलने वाले सबसे अच्छे जहाजों का पता लगाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। जहां कहीं आवश्यक होता है अस्त्र-शस्त्र उपलब्ध कराये जाते हैं और अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार भी दिये जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में राजस्व गुप्तचर दलों की स्थापना की गई है तथा राजस्व गुप्तचर निदेशक अन्य देशों की ऐसी ही संस्थाओं से सम्बन्ध बनाये रखता है।

समुद्री तस्कर अधिनियम में एक लाख से अधिक मूल्य के सोने को चोरी-छिपे लाने पर कम से कम छः महीने और अधिक से अधिक 5 साल के कारावास के दण्ड की व्यवस्था है, पर न्यायालयों में हुए कुछ निर्णयों के बाद मंत्रालय इसमें संशोधन करने का विचार कर रहा है तथा इस अवधि को बढ़ाकर क्रमशः 2 वर्ष और 7 वर्ष करने का विचार है। कुछ अन्य उपाय भी तस्कर व्यापार को रोकने के लिए किये जा रहे हैं।

पकड़े गये सोने के आदेश में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तस्करी करते हुए पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी है। 1966 में जबकि 763 व्यक्ति पकड़े गये। 1970 में यह संख्या 1953 थी।

सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों के कारण चांदी के तस्कर व्यापार में पर्याप्त कमी हुई है।

यह भी कहा गया है कि नेपाल से चावल चोरी-छिपे लाया जाता है। पर यह गलत है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि नेपाल से चावल का आयात किया जाता है। बम्बई की हवाई पट्टी का तस्कर व्यापार के लिए उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी हमने जांच पड़ताल की है, पर

उसके सम्बन्ध में की गई रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। जहां कहीं आवश्यक हुआ वहा हमने नौसेना की भी मदद ली।

माननीय सदस्यों के समान ही हमें भी इस सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्ता है और हमने जहां तक सम्भव हुआ है उपाय किए हैं और भविष्य में भी इस समस्या पर काबू पाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे, क्योंकि इसका हमारी आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इसके पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 29 जुलाई, 1971/6 श्रावण, 1893 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The lok Sabha then Adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 29th July, 1971/Sravana 6,1893 (Saka).

डायमण्ड प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर–३